

वार्षिक रिपोर्ट 2013 - 2014

Annual Report 2013-2014

हमारी प्रगति ग्राहक 'केंद्रित'

The Customer is 'Central' to our growth



सेन्द्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

www.centralbankofindia.co.in



विषय-सूची /Contents

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	2
निदेशक मंडल/Board of Directors	4
नोटिस	5
कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य	9
निदेशक रिपोर्ट 2013-14	10
प्रबंधतंत्र विचार-विमर्श तथा विश्लेषण	15
कार्पोरेट गवर्नेंस	55
भारत के राष्ट्रपति को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	78
दिनांक 31 मार्च, 2014 का तुलन पत्र	81
दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता	83
तुलन पत्र तथा लाभ हानि खाते की अनुसूचियां	85
मुख्य लेखांकन नीतियां	92
लेखों से सम्बन्धित टिप्पणियां	97
दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी	120
दिनांक 31 मार्च, 2014 का समेकित तुलन पत्र	166
प्रॉक्सी फॉर्म	195
Chairman & Managing Director's Message	197
Notice	199
Performance Highlights	203
Director's Report 2013-14	204
Management Discussion and Analysis	208
Corporate Governance	242
Auditors' Report to the President of India	262
Balance Sheet as on 31 March, 2014	264
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2014	265
Scheduled to Balance Sheet and Profit and Loss Account	266
Principal Accounting Policies	273
Notes Forming Part of the Accounts	277
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2014	296
Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2014	338
Proxy Form	365
Attendance Form / Entry Form	367



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारक

वित्तीय वर्ष 2013-14, बैंक के लिए सुदृढीकरण का वर्ष रहा है. बाजार परिदृश्य को देखते हुए व्यावसायिक वृद्धि यथोचित रही है. बैंक ने अपना ध्यान कृषि, एसएमई एवं रिटेल अग्रिमों जैसे व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में केन्द्रित किया, जिसके सुपरिणाम वर्ष के दौरान दिखाई दिए.

वैश्विक अर्थव्यवस्था में दूसरे साल अर्थात वर्ष 2013-14 में भी वृद्धि दर मामूली ही रही. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आकलन के मुताबिक वर्ष 2013 की 3.0 प्रतिशत अनुमानित वृद्धि की तुलना में वर्ष 2014 में 3.6 प्रतिशत एवं वर्ष 2015 में 3.9 प्रतिशत की दर से वृद्धि होना अनुमानित है. भारत का आर्थिक कार्य-निष्पादन उम्मीद से कमतर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए पूर्वानुमानों को संशोधित करते हुए कम किया गया है. धीमी प्रगति, उच्चतर मुद्रास्फीति एवं बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा हमारी अर्थव्यवस्था को कड़ी चुनौतियां दे रहे हैं. केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्थान (सीएसओ) के ताजा अनुमानों के अनुसार, भारत की जीडीपी वृद्धि प्रगति, वर्ष 2012-13 में दर्ज की गई 5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 में 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

मासिक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित, मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मार्च 2014 में (मार्च 2013 की तुलना में) 5.70 प्रतिशत रही, जो गत माह में 4.68 प्रतिशत एवं गत वर्ष के संबंधित माह में 5.65 प्रतिशत थी. इस वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नजरिया प्रगति एवं मुद्रास्फीति की गतिशीलता के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु एक सुविचारित दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है. वर्ष के दौरान समग्र चलनिधि स्थिति भी तंग ही बनी रही. यही नहीं, इस वर्ष रुपए में भारी उतार-चढ़ाव की स्थिति परिलक्षित हुई तथा गत वर्ष की तुलना में यूएस डॉलर के मुकाबले इसका अवमूल्यन हुआ.

आर्थिक वृद्धि दशक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाने और मुद्रास्फीति एवं ब्याज दरों के उच्चतर स्तर पर बने रहने से पिछले दो वर्षों से बैंकों की आस्ति-गुणवत्ता बदतर होती जा रही है. सकल अशोध्य ऋण, तीव्रता के साथ बढ़कर कुल ऋणों के 4% तक हो गए हैं, जो तीन वर्ष पूर्व 2.36 प्रतिशत थे.

इन विषम परिस्थितियों के बावजूद, बैंक का कुल व्यवसाय 5.25% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 4,23,390 करोड़ तक बढ़ गया, जो वित्त वर्ष 2012-13 में 4,02,272 करोड़ था. बैंक की जमाओं एवं अग्रिमों में क्रमशः 6.21% तथा 4.02% की वृद्धि रही है. कुल जमाओं में कासा का प्रतिशत 33.33% हो गया, जो वित्त वर्ष 2012-13 में 32.55% था. कारोबार में लाभप्रद वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उच्च लागत वाली जमाराशियों को काफी कम किया गया है. कुल जमाओं में उच्च लागत वाली जमाओं का अनुपात मार्च 2014 में घटकर 21.84% हो गया, जबकि मार्च 2013 में यह बहुत अधिक अर्थात् 24.37% था. संकलित कोर जमाओं में 9.48% की वृद्धि से यह भलीभांति परिलक्षित होता है.



बैंक का परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹ 3173 करोड़ से बढ़ कर ₹ 3238 करोड़ हो गया, जो 2.05% वृद्धि दर्शाता है, जबकि अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए उच्चतर प्रावधानों के कारण बैंक का शुद्ध लाभ वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹1015 करोड़ से घटकर ₹ (1263) करोड़ हो गया।

बैंक की जमा-लागत वित्तीय वर्ष 2012-13 के 7.42% से घटकर 7.24% हो गई है। बैंक की शुद्ध ब्याज आय 13.16% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹ 5738 करोड़ से बढ़कर ₹ 6493 करोड़ हो गई है। बैंक की अन्य आय अथवा शुल्क आधारित आय 15.35% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹ 1667 करोड़ से बढ़कर ₹ 1923 करोड़ हो गई है।

आस्तियों की गुणवत्ता पिछले कुछ वर्षों से बैंक के लिए चिंता का विषय रहा है। सकल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत बढ़कर 6.27% हो गया है, जो वित्तीय वर्ष 2012-13 में 4.80% था एवं शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए का प्रतिशत बढ़कर 3.75% हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2012-13 में 2.90% था। बुनियादी संरचना, टेक्सटाइल्स, लौह एवं इस्पात, प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण, रत्न एवं आभूषण जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में व्याप्त दबावपूर्ण परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ है। एनपीए प्रबंधन के मामले में आपका बैंक स्वयं-सक्रिय रहता है एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में बैंक अपने सकल एनपीए का प्रतिशत 5.5% एवं शुद्ध एनपीए का प्रतिशत 3.00% से कम रखने के अपने प्रयास जारी रखेगा।

अर्थव्यवस्था के “अंतिम छोर” तक पहुंचने के लिए विभिन्न वित्तीय समावेशन पहल के माध्यम से बैंक समावेशी विकास में पूर्णतया सक्रिय है। सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का कार्यान्वयन कई जिलों में किया जा रहा है, जिनमें से आठ जिलों में हम अग्रणी बैंक हैं, वित्तीय वर्ष 2014-15 में इन जिलों के साथ-साथ, नये जिलों में और अधिक प्रगति की जाएगी। बैंक की कासा जमा बढ़ाने एवं ऋण विस्तार की दिशा में भी यह कार्यक्रम हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा।

मार्च 2014 में अपनी 4573 शाखाओं, जिनमें से 2/3 ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्र में हैं एवं 3677 अति लघु शाखाएं हैं, के साथ यह बैंक **रिटेल बैंक** होने की अपनी छवि को बरकरार रखेगा। आपका बैंक यह जरूर सुनिश्चित करेगा कि रिटेल एवं प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियो विद्यमान गति से अपेक्षाकृत और तेज गति से प्रगति करे।

वर्ष के दौरान, बैंक को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए “**नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एमएसएमई लेंडिंग**” के लिए द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा बैंक को ‘ट्रेनिंग एक्सीलेंस’ के लिए ‘एचआर अवार्ड (गोल्ड अवार्ड)’ प्रदान किया गया। कॉस्ट एकाउन्टेन्स ऑफ इंडिया द्वारा बैंक को ‘**एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट**’ के लिए द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। बैंक को सीएनबीसी टीवी एंड युटीआई म्युच्युअल फंड द्वारा ‘**बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर अवार्ड अंडर पीएसयू कैटेगरी**’ से सम्मानित किया गया तथा बैंक को **ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड-2013** भी प्राप्त हुआ। बैंकॉन 2013 के दौरान, बैंक ने ‘**मोस्ट इनोवेटिव ब्रॉड बेस्ड प्रोडक्ट ऑफरिंग**’ श्रेणी के अंतर्गत स्पेशल मेशन अवार्ड जीता। चेम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में बैंक ने दो श्रेणियों में उत्कृष्ट बैंकिंग अवार्ड यथा 1) ईको-टेक्नॉलॉजी अवार्ड-रनर अप एवं 2) ज्युरी अवार्ड फॉर न्यू इनिशिएटिविज प्राप्त किए। ये सम्मान यह दर्शाते हैं कि आपके बैंक द्वारा किये गए प्रयास एवं पहल सबके द्वारा सराहे जा रहे हैं।

बैंक की 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता है।

शुभकामनाओं सहित

आपका

राजीव ऋषि

स्थान : मुंबई

दिनांक : 20 मई, 2014



<p>निदेशक मंडल श्री राजीव ऋषि श्री आर.के. गोयल श्री अनिमेष चौहान श्री बी.के. दिवाकर डॉ. सौरभ गर्ग श्री शेखर भटनागर श्री गुमान सिंह प्रो. एन. बालकृष्णन श्री कृष्ण सेठी श्री एम.पी. शोरावाला श्री एस.बी. रोडे श्री गुरबख्श कुमार जोशी श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा</p>	<p>BOARD OF DIRECTORS SHRI RAJEEV RISHI SHRI R.K. GOYAL SHRI ANIMESH CHAUHAN SHRI B.K. DIVAKARA Dr. SAURABH GARG SHRI SHEKHAR BHATNAGAR SHRI GUMAN SINGH PROF. N. BALAKRISHNAN SHRI KRISHAN SETHI SHRI M.P. SHORAWALA SHRI S. B. RODE SHRI GURBAX KUMAR JOSHI SMT. N. S. RATHNAPRABHA</p>
<p>लेखा परीक्षक मे. कुमार चोपड़ा एंड एसोशिएट्स मे. पी.के. सुब्रमणियम एंड कंपनी. मे. दूगड़ एंड एसोशिएट्स मे. एन सरकार एंड कंपनी. मे. एन. चौधरी एंड कंपनी. मे. बी.एन. मिश्रा एंड कंपनी.</p>	<p>AUDITORS M/s Kumar Chopra & Associates M/s P.K. Subramaniam & Co. M/s Doogar & Associates M/s N. Sarkar & Co. M/s N. Chaudhuri & Co. M/s B.N. Misra & Co.</p>
<p>रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम) मुम्बई -400078 टेलीफोन: 022-25946970 फैक्स : 022-25946969 ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in</p>	<p>REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS Link Intime India Pvt. Ltd. C-13, Pannalal Silk Mills Compound LBS Marg, Bhandup (West) Mumbai-400078 Tel: 022-25946970 Fax: 022-25946969 E-mail ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in</p>
<p>बैंक से पत्र व्यवहार करने का पता सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी नरिमान पॉइंट मुंबई-400 021 संपर्क नं. 022- 6638 7818 फैक्स : 022- 2283 5198 ई-मेल आईडी: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in</p>	<p>ADDRESS FOR CORESSPONDENCE WITH THE BANK AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer Central Bank of India 9th Floor, Chandermukhi Nariman Point Mumbai 400 021 Contact No. 022- 6638 7818 Fax No.: 022- 2283 5198 Email id: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in</p>



सूचना

एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, दिनांक 30 जून 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/ रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विले पार्ले (प.), मुंबई 400056 में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी।

दिनांक 31 मार्च 2014 का लेखापरीक्षित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना।

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ताक्षर

(ए. के. दास)

स्थान: मुंबई

दिनांक: 20.05.2014

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव

नोट :

1. प्रॉक्सी- की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते हैं और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 25 जून, 2014 को सायं: 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 25 जून, 2014 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए।

3. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/ प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी / प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में प्रॉक्सी अथवा प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित करा कर अपनी पहचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए।

5. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :

शेयरधारकों के लाभांश की पात्रता तय करने के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 25 जून, 2014 (बुधवार) से 30 जून, 2014 (सोमवार) (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेगी।

6. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा।

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा।



7. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शाकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा.

8. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लाएं.

9.1 भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अतः शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें. आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं. बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है. शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन-देन आदि. साथ ही पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात् वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, चाहे आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों.

तदापि, यदि आप शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित न कर उन्हें भौतिक स्वरूप में ही रखने हेतु इच्छुक हैं तो कृपया हमें निम्नलिखित बैंक विवरण प्रदान करें, ताकि हम लाभांश को (जब भी घोषित किया जाए) सीधे आपके खाते में जमा कर सकें.

- ❖ बैंक का नाम
- ❖ शाखा का पता
- ❖ बैंक खाता संख्या
- ❖ शाखा का 9 अंकीय एमआईसीआर कोड
- ❖ शाखा का आईएफएससी कोड

(अधिमानतः हमें एक निरस्त चेक/ चेक पत्रे की प्रतिलिपि प्रेषित करें).

कृपया नोट करें कि बैंक खाता, शेयरों के प्रथम धारक के नाम से होना चाहिए.

9.2 डीमेट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

हमारा सदैव प्रयास रहा है कि अपने सम्माननीय शेयरधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं. हमने पाया है कि कुछ शेयरधारक ऐसे हैं, जिनके पास डीमेट स्वरूप में शेयर्स हैं; परंतु उन्होंने अपने बैंक खातों में सीधे लाभांश राशि प्राप्त करने के लिए, उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपने बैंक खाते सम्बंधी विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं. तदनुसार, पूर्व में घोषित किए गए लाभांश उन्हें, उनके द्वारा डिपॉजिटरीज़ के पास दर्ज कराए गए पते पर लाभांश वारंट (डी.डब्लू) के द्वारा भेजे गए हैं.

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे शेयरधारकों ने उनके डीपी के पास उनके बैंक खाते के विवरण पंजीकृत/अद्यतन कराए होते तो लाभांश की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दी गई होती, इससे नियत तिथि पर लाभांश की द्रुतगति से प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती और इससे डाक द्वारा लाभांश वारंट प्राप्त करने में लगे समय की बचत होती तथा लाभांश वारंट जमा करने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती तथा लाभांश वारंट मार्ग में गुम/चोरी हो जाने की आशंका से अथवा उसके कपटपूर्ण नकदीकरण की संभावना से बचा जा सकता था.

तदनुसार, हम इन शेयरधारकों को उनके बैंक खाता विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार, उनके बैंक द्वारा जारी चेक पर विद्यमान नौ अंकीय एमआईसीआर कोड सं. को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां वे डीमेट खाता रखते हों, के पास पंजीकृत/अद्यतन करने का सुझाव देते हैं, ताकि नियत तिथि पर उनके बैंक खाते में लाभांश राशि (जब भी घोषित किया जाय) सीधे जमा की जा सके. इसके अतिरिक्त, वे बैंक या अपने आरटीए, जो कि लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. है, को सभी भावी लाभांश राशि, वापसी राशि या अन्य प्रेषणों, यदि कोई हो, को लाभांश वारंट, चेक, मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा भेजे जाने के स्थान पर उनके बैंक खाते में जमा किए जाने हेतु अधिदेश उपर्युक्त बैंक विवरण के साथ सीधे भेज सकते हैं.

10. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:



वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या डुप्लीकेट लाभांश/मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें। बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 10 बी के अनुसार अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा।

11. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग

I. कंपनी नियम 20 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्ध करार के खंड 35 बी के अनुपालन में बैंक वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर ई वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं। बैंक द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं।

ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :

- I) वोटिंग अवधि के दौरान अपना वेब ब्राउजर खोलें एवं ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें.
- II) अब अपना वोट डालने के लिए शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें.
- III) अब ड्रॉप डाउन मेन्यू से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सीक्रेस नंबर ईवीएसएन को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ सिलेक्ट करें एवं सम्बिट पर क्लिक करें.
- IV) अब उपयुक्त खानों में निम्नलिखित विवरण भरें.

यूजर आईडी वे सदस्य जिनके शेयर डीमेट रूप में है :-

ए) एनएसडीएल के लिए :- 8 अंकों के डीपी आईडी के बाद 8 अंकों का क्लाइंट आईडी

बी) सीडीएसएल के लिए :- 16 अंकों का लाभार्थी आईडी

सदस्य जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं :-

❖ बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर

पासवर्ड आपका पासवर्ड इस नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति स्लिप-कम-एंट्री पास में मुद्रित है.

पैन* आयकर विभाग से जारी अपना 10 अंकीय एल्फा न्यूमेरिक पैन नंबर भरें.

* जिन सदस्यों ने बैंक/डिपॉजिटरी सहभागियों में अपने पैन नं अद्यतन नहीं किये हैं उनसे अनुरोध है कि वे पैन फील्ड में डिफॉल्ट नंबर CBIMB1234B भरें.

- v) समुचित रूप से उक्त विवरण प्रविष्टि करने के पश्चात, सम्बिट टेब पर क्लिक करें.
- vi) ऐसे शेयरधारक, जिनके शेयर्स भौतिक रूप में हैं, उनके लिए सीधा वोटिंग स्क्रीन उपलब्ध हो जाएगा.
- vii) डीमेट शेयरधारकों के लिए पासवर्ड परिवर्तन मेन्यू खुलेगा और उन्हें पासवर्ड फील्डों में अनिवार्यतः अपना लॉगिन पासवर्ड परिवर्तित करना होगा. नए पासवर्ड में न्यूनतम आठ कैरेक्टर होने चाहिए, जिसमें कम से कम एक अपर केस (ए-जेड), एक लोअर केस (ए-जेड), एक न्यूमेरिक वेल्यू (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर (@, #, \$ इत्यादि) होना चाहिए. कृपया नोट करें यदि किसी अन्य संस्था/कंपनी में मतदान के लिए पात्र हों और मतदान करना चाहते हों तो वहां भी वे इसी पासवर्ड का उपयोग करेंगे, बशर्ते कि कंपनी/संस्था, द्वारा सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुना गया हो. यह पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को न बताएं और इसे गोपनीय रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतें.
- viii) आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी भी अद्यतन रख सकते हैं, जिसका उपयोग भविष्य में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के बारे में संप्रेषण भेजने के लिए किया जा सकता है. सदस्य के पासवर्ड भूलने और इसे रीसेट करने की स्थिति में भी इसका उपयोग किया जा सकता है.
- ix) यदि आपके शेयर डीमेट स्वरूप में हैं एवं आपने पूर्व में किसी कंपनी/संस्था के ईवीएसएन के लिए www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है तो विद्यमान लॉगिन आईडी और पासवर्ड ही प्रयुक्त किया जाय.
- x) भौतिक स्वरूप में शेयरधारित करने वाले सदस्य अपने पासवर्ड एवं डिफॉल्ट नम्बर, सिर्फ इस सूचना में दिए गए प्रस्ताव पर ई-वोटिंग के लिए कर सकते हैं.



- xi) वोटिंग पृष्ठ पर आपको प्रस्ताव विवरण एवं इसके समक्ष वोटिंग के लिए यस/नो का विकल्प दिखाई देगा. यस/नो (YES/NO) के अंतर्गत शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को व्यक्त करती है) प्रविष्ट करें अथवा विकल्पतः आप यस (YES) में कोई आंशिक संख्याएं एवं नो (NO) में कोई आंशिक संख्या प्रविष्ट कर सकते हैं, लेकिन यस (YES) एवं नो (NO) में प्रविष्ट कुल संख्या आपके द्वारा धारित शेयरों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए.
 - xii) यदि आप संपूर्ण नोटिस वापस देखना चाहते हों तो रिजोल्यूशन फाइल लिंक पर क्लिक करें.
 - xiii) रिजोल्यूशन का चयन करने के उपरांत, आपने वोट डालने का निर्णय लिया है, सम्बिंद पर क्लिक करें. एक कन्फर्मेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ओ.के. पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट परिवर्तित करने हेतु केंसिल पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.
 - xiv) प्रस्ताव पर अपना वोट कन्फर्म करने के पश्चात आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी.
 - xv) कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य (अर्थात् वैयक्तिक, हिन्दू अविभाजित परिवार, एनआरआई आदि के अलावा) से अपेक्षित है कि वे संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप में), वोट देने हेतु पात्र विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं जो वोट देने के लिए अधिकृत हो, के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षरों के साथ helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक प्रति भेजते हुए जांचकर्ता को ई-मेल आईडी : pramodshah361@gmail.com पर प्रेषित करें. उक्त निर्दिष्ट दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को कॉर्पोरेट नेम-ईवीएसएन नाम दिया जाए.
- II. ई-वोटिंग समयावधि दिनांक 24 जून 2014 (10:00 एएम) से प्रारंभ हो कर दिनांक 26 जून 2014 (5:00 पीएम) को समाप्त होगी. इस समयावधि के दौरान दिनांक 23 मई 2014 की कट ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक रूप में हो अथवा डीमेट रूप में हों, अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं. इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. शेयरधारक द्वारा प्रस्ताव पर अपना वोट देने के पश्चात उसे अपना मत परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होगा. यदि आपको ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न हो अथवा कोई मुद्दा हो तो कृपया helpdesk.evoting@cdslindia.com से संपर्क करें.
 - III. शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार, कट-ऑफ तारीख (रिकार्ड तारीख) दिनांक 23 मई 2014 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे. तथापि बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिकता की स्थिति में स्वयं के द्वारा धारित किसी भी शेयरों के संबंध में वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.
 - IV. इस सूचना की एक प्रति बैंक की वेबसाइट एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है.
 - V. ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु श्री प्रमोद एस. शाह, कार्यरत कंपनी सचिव (प्रेक्टिस न. 3804 का प्रमाणपत्र) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.
 - VI. ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति से तीन (3) कार्यदिवसों के भीतर जांचकर्ता कम से कम दो (2) साक्षियों, जो बैंक के कर्मचारी न हों, की उपस्थिति में वोटों को अनब्लॉक करेगा एवं पक्ष तथा विपक्ष में दिए गए वोटों यदि हो, की जांच रिपोर्ट तत्काल अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा.
 - VII. बैंक के एजीएम में प्रस्ताव पारित होने के दो (2) दिनों के भीतर जांचकर्ता की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम बैंक की वेबसाइट WWW.centralbankofindia.co.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे.

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ताक्षर

(ए. के. दास)

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई

दिनांक: 20.05.2014



कुल व्यवसाय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14
कुल व्यवसाय	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		35.48%	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%
कुल जमा	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%
कुल ऋण एवं अग्रिम	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%
निवेश	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%
सीडी अनुपात	64.62%	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83	77.97	76.36
आस्तियों पर प्रतिफल	0.62%	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47)%

लाभप्रदता

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14
सकल आय	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		30.94%	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%
सकल व्यय	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.10%	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%
परिचालन लागत	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		0.20%	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%
शुद्ध लाभ	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		10.47%	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43)
निम (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31%	2.78	2.65	2.73
शुद्ध ब्याज आय	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		(10.16%)	0.22	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%
गैर ब्याज आय	476	791	1,070	1,735	1,265	1395	1,667	1,923
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		66.31%	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%



निदेशक रिपोर्ट 2013-14

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है.

1. कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य

- ❖ बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 21118 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 4,23,390 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष ₹ 4,02,272 करोड़ था, यह वर्ष दर वर्ष आधार पर 5.25% की वृद्धि दर्शाता है;
- ❖ कुल जमाशियां ₹ 14,031 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 2,40,069 करोड़ हो गईं, जो 6.21% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्शाता है.
- ❖ बैंक का सकल अग्रिम ₹ 7087 करोड़ की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹ 1,83,321 करोड़ हो गया, जो 4.02% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाता है.
- ❖ बैंक का परिचालन लाभ बढ़कर ₹ 3238 करोड़ हो गया, जो वित्तवर्ष 2012-13 में ₹ 3173 करोड़ था. यह 2.05% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्शाता है. तथापि, दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एनपीए में उच्चतर प्रावधान के कारण, बैंक ने ₹ 1263 करोड़ की शुद्ध हानि दर्शाई है.
- ❖ पूंजी पर्याप्तता अनुपात 8.12 टियर I पूंजी के साथ (बेसल- II के अनुसार) 11.96 प्रतिशत रहा, जबकि गत वर्ष यह 11.49 प्रतिशत था. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल- III के अनुसार) 9.87 प्रतिशत था जिसमें टियर I 7.37 प्रतिशत है.
- ❖ शुद्ध मालियत ₹ 13443 करोड़ से बढ़कर ₹ 13918 करोड़ हो गई.
- ❖ बैंक का सकल एनपीए ₹ 3044 करोड़ से बढ़कर ₹ 11500 करोड़ हो गया, जो गत वर्ष ₹ 8456 करोड़ था. प्रतिशतता की दृष्टि से सकल एनपीए वित्त वर्ष 2013-14 में बढ़कर 6.27 प्रतिशत हो गया, जबकि गत वर्ष यह 4.80 प्रतिशत था.
- ❖ शुद्ध एनपीए गत वर्ष के ₹ 4988 करोड़ से बढ़कर ₹ 6649 करोड़ हो गया. शुद्ध एनपीए प्रतिशत गत वर्ष के 2.90 प्रतिशत से बढ़कर 3.75 प्रतिशत हो गया.
- ❖ प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) बढ़कर 50.68% हो गया, जो मार्च 2013 में 47.75% था.
- ❖ शुद्ध ब्याज मार्जिन (निम) वित्त वर्ष 2012-13 के 2.65 प्रतिशत से बढ़कर 2.73 प्रतिशत हो गया.
- ❖ प्रति कर्मचारी व्यवसाय घटक ₹ 1025 लाख हो गया, जो गत वर्ष ₹ 1067 लाख था.
- ❖ वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए, बैंक को हानि होने के कारण, आस्तियों का प्रतिफल (आरओए) ऋणात्मक रहा.
- ❖ प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण वर्ष दर वर्ष 33.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, गत वर्ष के ₹ 51259 करोड़ से बढ़कर ₹ 68648 करोड़ हो गया.
- ❖ बैंक का कृषि ऋण वर्ष दर वर्ष 43.49% की वृद्धि दर्ज करते हुए, ₹ 24658 करोड़ से बढ़कर ₹ 35382 करोड़ हो गया.
- ❖ सूक्ष्म ऋण एवं अन्य (प्रति उधारकर्ता ₹ 50,000 तक ऋण) के अंतर्गत, बैंक ने ₹ 261 करोड़ का ऋण प्रदान किया है.
- ❖ समीक्षा वर्ष के दौरान, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) अग्रिम बढ़कर ₹ 21515 करोड़ हो गया, जबकि गत वर्ष यह ₹ 17300 करोड़ था.
- ❖ वर्ष के दौरान, 65939 नए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) गठित किए गए, जिनमें से 60278 एसएचजी को ऋण संबद्ध किया गया.
- ❖ सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत, बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान, 31658 एनआरएलएम/एसजीएसवाय लाभार्थियों, 13195 एसजेएसआरवाय लाभार्थियों एवं 7474 पीएमईजीपी उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान की.
- ❖ बैंक ने समाज के कमजोर वर्ग से सम्बंधित उधारकर्ताओं को ₹ 20953 करोड़ के ऋण प्रदान किए.
- ❖ वर्ष के दौरान, शैक्षणिक ऋण 16.09 प्रतिशत से बढ़कर कुल ऋण ₹ 2980 करोड़ हो गया.



- ❖ बैंक ने पूरे देश में 46 ग्रामीण स्व-रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) स्थापित किए. वर्ष 2013-14 के दौरान, आर-सेटी ने 677 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए एवं 18837 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया. इसमें से 10550 (56%) प्रशिक्षुओं को बैंक के ऋण से संबद्ध किया गया.
- ❖ वर्ष के प्रारंभ में, बैंक के पास 54 जिलों को कवर करते हुए 1799 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 5 प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) थे, इनमें से 2 आरआरबी का अन्य बैंकों द्वारा प्रायोजित आरआरबी में विलय हो गया. परिणामस्वरूप, अभी हमारे पास दिनांक 31 मार्च, 2014 को 3 आरआरबी है जिनका राज्यों के 46 जिलों में 1609 शाखाओं का नेटवर्क है.
- ❖ बैंक को 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 4330 गांव और 2000 से कम की जनसंख्या वाले 6743 गांव आबंटित किए गए थे. बैंक ने इन सभी गांवों को 5588 बीसी एजेन्टों के माध्यम से कवर कर लिया है. बैंक ने अपनी सभी 3677 अतिसूक्ष्म शाखाएं खोली हैं. बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2014 तक बीसी एजेन्टों के माध्यम से 92.27 लाख बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते खोले हैं.
- ❖ बैंक के कॉर्पोरेट ऋण, वर्ष दर वर्ष 12.90% की कमी के साथ, गत वर्ष के ₹ 112067 करोड़ से घटकर ₹ 97613 करोड़ रह गये.
- ❖ रिटेल ऋण 29.73% से बढ़कर, वित्त वर्ष 2012-13 के ₹ 22209 करोड़ से बढ़कर, वित्त वर्ष 2013-14 में ₹ 28811 करोड़ हो गया.
- ❖ बैंकाशयुरेंस व्यवसाय से कुल आय, वर्ष दर वर्ष 8% की वृद्धि के साथ ₹ 26.65 करोड़ हो गई.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2014 को, बैंक के पास देश भर में 4573 शाखाओं, 29 सैटेलाइट शाखाओं और 4 विस्तार पटल का नेटवर्क विद्यमान है.
- ❖ बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2014 तक 3628 एटीएम स्थापित किए.

2. आय एवं व्यय

वर्ष 2013-14 की अवधि के लिए, आय एवं व्यय के विवरण निम्नानुसार दिए जा रहे हैं :

		₹ करोड़ में			
		31.03.2014	31.03.2013	विचलन	%
1	ब्याज आय	24427	21861	2566	11.74
	-अग्रिम	18620	16922	1698	10.03
	-निवेश	5764	4779	985	20.61
	-अन्य	43	160	(117)	(73.13)
2	अन्य आय	1923	1667	256	15.36
3	कुल आय (1+2)	26350	23528	2822	11.99
4	प्रदत्त ब्याज	17933	16123	1810	11.23
	-जमाराशियां	16374	14940	1434	9.60
	-अन्य	1559	1183	376	31.78
5	परिचालन व्यय	5179	4232	947	22.38
	-स्थापना	3537	2891	646	22.35
	-अन्य.	1642	1341	301	22.45
6	कुल व्यय (4+5)	23112	20355	2757	13.54
7	स्प्रेड (1-4)	6494	5738	756	13.18
8	परिचालन लाभ (3-6)	3238	3173	65	2.05
9	प्रावधान-एनपीए/निवेश/अन्य	4233	1853	2380	128.44
10	कर के लिए प्रावधान	268	305	(37)	(12.13)
11	शुद्ध लाभ	(1263)	1015	(2278)	(224.43)



- ❖ वर्ष के दौरान, ब्याज आय में 11.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
- ❖ जमाओं पर प्रदत्त, ब्याज 9.60% से बढ़कर, मार्च 2014 में ₹ 16374 करोड़ हो गया, जो गत वर्ष ₹ 14940 करोड़ था.
- ❖ वर्ष के दौरान, प्रत्याशित वेतन पुनरीक्षण के लिए ₹ 140 करोड़ के वांछित प्रावधान के कारण, कर्मचारियों पर व्यय ₹ 646 करोड़ से बढ़कर ₹ 3537 करोड़ हो गया, जो गत वर्ष ₹ 2891 करोड़ था.

3. प्रावधान

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान, लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित ₹ 4501 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

	(₹ करोड़ में)		
	31.03.2014	31.03.2013	विचलन
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(7)	91	(98)
एनपीए के लिए प्रावधान	3989	1930	2059
निवेश पर मूल्यहास/प्रावधान	258	(163)	421
करों के लिए प्रावधान	268	305	(37)
अन्य	(7)	(5)	(2)
कुल	4501	2158	2343

4. लाभप्रदता अनुपात

	(प्रतिशत में)	
	31.03.2014	31.03.2013
जमाओं की लागत	7.24	7.42
निधियों की लागत	7.37	7.53
अग्रिमों पर आय	10.79	11.14
निवेशों पर आय	7.84	7.61
शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.73	2.65
लागत आय अनुपात	61.53	57.16

- ❖ वर्ष 2013-14 में अग्रिमों से आय का प्रतिशत 10.79 था और वर्ष 2012-13 में निवेश से आय के 7.60 प्रतिशत के समक्ष 7.84 प्रतिशत रहा.
- ❖ शुद्ध ब्याज मार्जिन गत वर्ष के 2.65 प्रतिशत से बढ़कर 2.73 रहा.
- ❖ समीक्षा वर्ष में लागत आय अनुपात गत वर्ष के 57.16 प्रतिशत से बढ़कर 61.53 प्रतिशत हो गया.

5. बैंकिंग अनुपात

	(प्रतिशत में)	
	2013-14	2012-13
औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ) की ब्याज आय	9.18	9.46
एडब्लूएफ की गैर ब्याज आय	0.72	0.72
एडब्लूएफ का परिचालन लाभ	1.22	1.37
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	--	0.44
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ लाख में)	1025	1067
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	--	2.83



6. जोखिम भारित आस्तियां एवं पूंजी का अनुपात (सीआरएआर)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संविभाग निम्नानुसार हैं :

	31.03.2014		31.03.2013	
	बेसल-II	बेसल-III	बेसल-II	बेसल-III
टियर-I	8.12	7.37	8.09	लागू नहीं
टियर-II	3.84	2.50	3.40	लागू नहीं
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	11.96	9.87	11.49	लागू नहीं

7. शुद्ध हानि

बैंक ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2014 के लिए, ₹ 1263 करोड़ की हानि दर्शाई है. दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक को शुद्ध हानि होने के कारण, इकिटी शेयर्स एवं बेमियादी गैर-संचयी अधिमान शेयर्स पर निदेशक मंडल ने लाभांश घोषित करने की अनुशंसा नहीं की है.

8. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

- ❖ श्री एस.बी. रोड़े को दिनांक 02.04.2013 से अधिकारी-कर्मचारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है.
- ❖ श्री गुरुबख्श कुमार जोशी को दिनांक 10.07.2013 से कर्मकार निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है.
- ❖ डॉ. के.पी. कृष्णन को दिनांक 26.07.2013 से श्री आलोक टंडन, जिनका दिनांक 25.07.2013 को सरकार नामिती निदेशक के पद का कार्यकाल समाप्त हो गया है, के स्थान पर सरकार नामिती निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है.
- ❖ श्री मोहन वी. टांकसाले का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का कार्यकाल दिनांक 31.07.2013 को समाप्त होने पर, दिनांक 01.08.2013 से श्री राजीव ऋषि को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है.
- ❖ श्री अनिमेष चौहान को दिनांक 05.08.2013 से कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है.
- ❖ श्री मलय मुखर्जी का कार्यपालक निदेशक के पद का कार्यकाल दिनांक 11.12.2013 को समाप्त हो गया है.
- ❖ श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा को अंशकालिक गैर-कार्यालयीन निदेशक के पद पर दिनांक 19.12.2013 से नियुक्त किया गया है.
- ❖ श्री बी.के. दिवाकर को दिनांक 23.01.2014 से कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है.
- ❖ डॉ. के.पी. कृष्णन के सरकार नामिती निदेशक के पद का कार्यकाल दिनांक 18.02.2014 को समाप्त होने पर, दिनांक 19.02.2014 से डॉ. सौरभ गर्ग को बैंक के सरकार नामिती निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है.
- ❖ श्री सलीम गंगाधरन का आरबीआई नामिती निदेशक के पद का कार्यकाल दिनांक 12.03.2014 को समाप्त होने पर, दिनांक 13.03.2014 से श्री शेखर भटनागर को आरबीआई नामिती निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है.

निदेशक मंडल, श्री आलोक टंडन, श्री एम.वी. टांकसाले, श्री मलय मुखर्जी, डॉ.के.पी. कृष्णन एवं श्री सलीम गंगाधरन, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक के निदेशक पद पर नहीं रहे हैं, द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य योगदान की सराहना करते हुए उनकी सेवाओं को रेखांकित करता है.

9. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय ;

- ❖ महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई हैं, के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;
- ❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप में लागू किया गया है;
- ❖ समुचित एवं विवेकसम्मत निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;
- ❖ भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं; एवं
- ❖ लेखे, लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किए गए हैं.



10. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अक्षरशः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सुस्पष्ट लिखित प्रणाली तथा प्रथाओं को अपनाया है.

11. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है; निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन हेतु स्टाफ सदस्यों के योगदान एवं समर्पित सेवाओं की प्रशंसा करता है.

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : मुंबई
दिनांक : 20 मई, 2014

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



प्रबंधतंत्र विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

भाग ए : आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक गतिविधियां

- ❖ वर्ष 2013-14 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनः दूसरी बार मंदी का माहौल बना रहा. यूरो क्षेत्र अंततः प्रबंधित मंदी में घिर गया. संयुक्त राज्य में कुछ हद तक प्रगति भी हुई. चीन एवं भारत सहित कुछेक बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने पिछले दो वर्षों से महसूस की जा रही गिरावट को थामने में सफलता पाई और उसके रुख को ऊपर की ओर मोड़कर उसकी गति कुछ बढ़ाई.
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2013 के लिए 3.0 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि की तुलना में, वर्ष 2014 में 3.6 प्रतिशत तथा वर्ष 2015 में 3.9 प्रतिशत की दर से प्रगति करेगी. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, वर्ष 2013 की तुलना में, 1 प्रतिशत बिन्दु के सुधार के साथ वर्ष 2014-15 में लगभग 2¹/₄ प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है. उभरते बाजार एवं विकसित अर्थव्यवस्था में, यह वृद्धि वर्ष 2013 के 4.7 प्रतिशत से क्रमिक सुधार के साथ वर्ष 2014 में लगभग 5 प्रतिशत और वर्ष 2015 में 5¹/₄ प्रतिशत रहने की उम्मीद है.
- ❖ यू.एस. फेडरल रिज़र्व (फेड) के परिमाणात्मक सुधार कार्यक्रमों से संभावित अस्त-व्यस्त निकासी से जुड़े जोखिमों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को आशंकित कर दिया है. वर्ष 2013 की ग्रीष्म ऋतु के दौरान, इसकी झलक दिखाई पड़ी थी कि परिमाणात्मक सुधार कार्यक्रमों से बाहर निकलने के फेड के प्रयासों से विकसित एवं विकासशील देशों में दीर्घकालिक ब्याज दरों में आवेश आ सकता है. टेपरिंग से वैश्विक इक्विटी बाजार में अफरा-तफरी की बिकवाली का वातावरण बन सकता है. उभरती अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह में तेजी से कमी आने से फरैक्स बाजार में तीव्र उतार-चढ़ाव और उभरती अर्थव्यवस्था की मुद्राओं का अवमूल्यन होता जाएगा.

घरेलू अर्थव्यवस्था

1. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में संवृद्धि

भारत का आर्थिक कार्यनिष्पादन उम्मीद की अपेक्षा कमजोर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए, देश की प्रगति के पूर्वानुमानों को संशोधित कर कम करना पड़ा. धीमी संवृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ता हुआ वित्तीय घाटा, इसकी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के लिए भारी चुनौती पूर्ण हो रहा है.

- ❖ केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के ताजा प्राक्कलन के अनुसार, भारत की जीडीपी वृद्धि वर्ष 2012-13 में दर्ज 5.0% की संवृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में 4.9% आंकी गई है.
- ❖ वर्ष 2013-14 के दौरान, इसकी जीडीपी में कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में वृद्धि 4.6 प्रतिशत अनुमानित है, जो पिछले वर्ष 1.4 प्रतिशत थी.
- ❖ वर्ष 2012-13 के दौरान, 'विनिर्माणी', 'खदान' और उत्खनन', 'विद्युत, गैस और जल-आपूर्ति' तथा 'वास्तु' में हुई वृद्धि, क्रमशः 1.1 प्रतिशत, (-) 2.2 प्रतिशत, 2.3 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान, क्रमशः (-) 0.2 प्रतिशत, (-) 1.9 प्रतिशत, 6.0 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत वृद्धि होना अनुमानित है.
- ❖ वर्ष 2013-14 के दौरान, सेवा क्षेत्र (व्यापार, होटल, परिवहन एवं संप्रेषण क्षेत्र) के लिए जीडीपी में अनुमानित संवृद्धि, पिछले वर्ष की 5.1 प्रतिशत की संवृद्धि की तुलना में 3.5 प्रतिशत रही है.

2. मुद्रास्फीति

- ❖ मासिक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित, मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, मार्च 2014 (मार्च 2013 के आधार पर) के लिए 5.70% (अनंतिम) रही, जो पिछले माह 4.68% (अनंतिम) एवं गत वर्ष के संबंधित माह में 5.68% थी.
- ❖ चार माह में पहली बार, मार्च में भारतीय वार्षिक उपभोक्ता मूल्यों में फरवरी के संशोधित 8.03% से 8.31% की बढ़ोतरी हुई, ये बढ़ोतरी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के कारण हुई.



- परंपरागत रूप से, भारत में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति का प्रमुख मापक रहा है। तथापि, वर्ष 2013 में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराम राजन ने घोषित किया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति का बेहतर उपाय है।

3. बाहरी क्षेत्र

- वर्ष 2013-14 के दौरान, निर्यात बढ़कर यूएस डॉलर 312.4 बिलियन हो गया, इस प्रकार इसमें 4% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2012-13 में इसमें 1.8% की गिरावट हुई थी। मूल्यवान धातुओं की कीमतों में कमी होने के कारण रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 6.8% कम हो गया। फिर भी, वर्ष 2013-14 के लिए निर्यात के लक्ष्य यूएस डॉलर 325 बिलियन से यह कम रहा।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, पण्य आयात घटकर, यूएस डॉलर 450.9 बिलियन रहा। यह वर्ष 2012-13 में मामूली वृद्धि की तुलना में, वर्ष 2013-14 के दौरान 8.1 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।
- वर्ष 2013-14 की प्रथम तीन तिमाही के दौरान, व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात 5.9 प्रतिशत से बढ़ा, जबकि आयात 5.3 प्रतिशत कम हुआ। परिणामस्वरूप, अप्रैल-दिसम्बर 2012-13 के दौरान, व्यापार घाटा यूएस डॉलर 150 बिलियन से 22.1 प्रतिशत घटकर, अप्रैल-दिसम्बर 2013-14 के दौरान, यूएस डॉलर 116.9 बिलियन तक रहा।
- पिछली संगत अवधि में चालू खाता घाटा (सीएडी) तेजी से घटकर में यूएस डॉलर 70 बिलियन के समक्ष यूएस डॉलर 31.1 बिलियन रह गया।

4. मौद्रिक गतिविधियां

- आरबीआई की नीति का उद्देश्य, अवस्फीतिकारी फिसलन पथ पर अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में दृढ़ता से ध्यान केन्द्रित करना है, जिसका सुझाव डॉ. उर्जित पटेल समिति द्वारा दिया गया था, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में आबंटित खुदरा मुद्रास्फीति को जनवरी 2015 तक 8% एवं जनवरी 2016 तक 6% पर लाना है।
- आरबीआई ने वर्ष 2014-15 की प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति प्रतिवेदन में बैंचमार्क रेपो रेट 8.00% पर अपरिवर्तित रखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2014-15 में, द्वि-मासिक मौद्रिक नीति के अपने प्रतिवेदन में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो रेट को 8% अपरिवर्तित रखा है। 7 दिन एवं 14 दिन के मियादी रेपो के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली तरलता में वृद्धि करते हुए, इसे बैंकिंग सिस्टम के एनडीटीएल के 0.5% से बढ़ाकर 0.75% किया गया है और एलएएफ के अंतर्गत ओवरनाईट रेपो के तहत उपलब्ध तरलता को तुरंत प्रभाव से घटाकर, बैंकवार एनडीटीएल के 0.5% से 0.25% कर दिया है।

5. बैंकिंग उद्योग में गतिविधियां

- बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पिछले दो वर्षों से बिगड़ती जा रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार पिछले एक दशक में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है, जबकि मुद्रास्फीति और ब्याज दरें उच्च स्तर बनी रहीं। सकल अशोध्य ऋण बढ़कर कुल ऋणों के 4 प्रतिशत हो गए हैं, जो तीन वर्ष पूर्व 2.36 प्रतिशत थे।
- आरबीआई ने बेसल III पूंजी विनियमन को पूर्णतया लागू करने की समय सीमा दिनांक 31 मार्च, 2019 तक बढ़ा दी है। अतएव, बेसल III पूंजी विनियमनों को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमत समय-सीमा में बैंकों को पूंजी उगाहने के लिए कुछ समय मिल गया है।
- बैंकिंग प्रणाली की पुनर्गठित आस्तियां, छह प्रतिशत से अधिक के चिन्ताजनक उच्चस्तर पर हैं। आरबीआई आंकड़ों के अनुसार, 7 मार्च तक वर्ष-दर-वर्ष की जमा संवृद्धि 15.6% थी, जो एक वर्ष पूर्व 13.1% थी, जबकि ऋणों में संवृद्धि पूर्व की 15.4% की तुलना में 14.7% थी।
- आरबीआई ने प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण कंपनियों को उनके द्वारा अधिग्रहित वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन के लिए 'कालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर (क्यूआईबी)' से किसी योजना के अंतर्गत जुटाई गई निधियों के एक भाग का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है।



भाग बी बैंक का कार्यनिष्पादन

व्यवसाय

दिनांक 31 मार्च, 2014 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 423390 करोड़ रहा, और ₹ 4,02,272 करोड़ के पिछले वर्ष के आंकड़ों में 5.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है. परिचालन लाभ पिछले वर्ष के ₹ 3173 करोड़ से बढ़कर, ₹ 3238 करोड़ हो गया, इसमें 2.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है. बैंक ने वर्ष 2013-14 में ₹ 1263 करोड़ की शुद्ध हानि दर्शाई है, जबकि पिछले वर्ष ₹ 1015 करोड़ का लाभ हुआ था.

संसाधन संग्रहण

दिनांक 31 मार्च, 2014 को कुल जमाएं ₹ 240069 करोड़ थी, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6.21 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज हुई. बचत बैंक जमाएं पिछले वर्ष के ₹ 59090 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 66474 करोड़ हो गईं. तथापि, चालू जमा राशियां वर्ष 2012-13 के ₹ 14491 से घटकर, वर्ष 2013-14 में ₹ 13537 करोड़ हो गईं. कुल जमाओं में कासा जमाओं का अनुपात 33.33 प्रतिशत है. कुल कोर जमाएं वर्ष 2012-13 के ₹ 170953 करोड़ से बढ़कर, वर्ष 2013-14 में ₹ 187164 करोड़ हो गईं, उसमें वर्ष दर वर्ष 9.48 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई. जबकि कोर सावधि जमाएं वर्ष 2012-13 के ₹ 97372 करोड़ से बढ़कर, वर्ष 2013-14 में ₹ 107624 करोड़ हो गईं, इसमें वर्ष-दर-वर्ष 10.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई.

ऋण

दिनांक 31.03.2014 को, बैंक का सकल ऋण ₹ 183321 करोड़ रहा, जबकि गत वर्ष यह ₹ 176234 करोड़ था. इसमें वर्ष-दर-वर्ष 4.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई. विभिन्न क्षेत्रों में यह वृद्धि निम्नानुसार रही :

₹ करोड़ में

	दिनांक 31.03.2013 को	दिनांक 31.03.2014 को	वृद्धि (%)
कॉर्पोरेट ऋण	112067	97613	(12.90)
कृषि	24658	35382	43.49
एमएसई	17300	21515	24.36
रिटेल ऋण	22209	28811	29.73

ऋण निगरानी विभाग

- ❖ बैंक ने सुपरिभाषित निगरानी नीति शुरू की है, जिसमें एसएमए (विशेष उल्लिखित खाते) प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, इसमें एसएमए प्रबंधन के सभी क्षेत्र, त्वरित चेतावनी संकेतक, निगरानी एवं अनुवर्ती उपाय तथा रिपोर्टिंग प्रणाली को समाहित किया गया है.
- ❖ मई 2011 में निदेशक मंडल द्वारा इस नीति का अनुमोदन किया गया है और दिनांक 1 जुलाई, 2011 से पूरे बैंक में इसे लागू किया गया है. वर्ष 2013-14 के दौरान, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों पर ध्यान बढ़ाने के लिए, इस नीति में कई संशोधन किए गए हैं. इस नीति की अंतिम समीक्षा मार्च 2014 में की गई.
- ❖ मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत दिनांक 1 अगस्त, 2011 से ऋण निगरानी के लिए एक पृथक वर्टिकल बनाया गया है.
- ❖ निगरानी नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय कार्यालय, सभी आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कॉर्पोरेट वित्त शाखाओं के स्तर पर प्रत्येक माह मानक अनियमित/एसएमए खातों की पुनरीक्षा करने के लिए निगरानी समितियां गठित की गई हैं एवं ऋण निगरानी की संपूर्ण कार्रवाई की संगठित पुनरीक्षा माह में एक बार की जाती है.
- ❖ निगरानी दक्षता/जागरुकता विकसित करने के लिए, उप क्षेत्रीय प्रबंधकों/ऋण समीक्षा अधिकारियों सहित फील्ड स्टाफ सदस्यों के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की गईं.
- ❖ दबाबग्रस्त खातों की आस्ति गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए कार्यनीतियां बनाने हेतु, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/आंचलिक कार्यालयों में स्थानीय बैठकों का आयोजन किया गया एवं/अथवा एसएमए उधारकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई.



- ❖ बैंक ने कॉर्पोरेट, एसएमई, रिटेल तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों पर रीयलटाइम निगरानी के लिए केन्द्रीकृत ऋण मूल्यांकन प्रणाली एवं पर्यवेक्षण (क्लास) निगरानी मॉड्यूल सॉफ्टवेयर का भी कार्यान्वयन किया है।
 - ❖ सघन ऋण निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ऑफसाइट निगरानी पर्यवेक्षण प्रणाली हेतु भी कदम उठाए गए हैं।
 - ❖ ₹ 10 करोड़ एवं उससे अधिक के नए/ऋण सीमा वृद्धि के अग्रिमों में संवितरण पूर्व लेखापरीक्षा तथा ₹ 1 करोड़ एवं उससे अधिक के नए अग्रिमों में संवितरण के 30 दिन के अंदर लेखापरीक्षा करना प्रारंभ किया गया है।
 - ❖ वर्ष के दौरान, सिबिल उपभोक्ता एवं वाणिज्यिक डेटा स्वीकार्यता स्तर में क्रमशः 78% एवं 92% का सुधार हुआ है।
- बैंक ने पूर्व की सभी वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई) रिपोर्टों का बिन्दुवार अनुपालन प्रस्तुत कर दिया है और वर्ष 2012 तक की एएफआई रिपोर्टें बंद कर दी गई हैं। साथ ही, एएफआई 2013 के सभी अवलोकनों का प्रत्युत्तर दे दिया गया है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, समायोजित शुद्ध बैंक ऋण अथवा इतर तुलन-पत्र जोखिम के तुल्य ऋण में से जो भी अधिक हो, का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किया जाना है। अतः इस क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रवाह बैंक के लिए अत्यंत महत्व का क्षेत्र है। हमने कृषि, एमएसई, आवास, शैक्षिक एवं प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य प्रमुख घटकों में ऋण प्रवाह बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत हमारी प्रगति प्रभावपूर्व रही है।


दिनांक 31.03.2014 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विविध अनुभागों के अंतर्गत बैंक का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है-

क्र.सं.	विवरण	मार्च 2013	मार्च 2014	वृद्धि (%)
	समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी)	151116	179152	
1	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	51259	68648	33.92
	एएनबीसी का प्रतिशत	38.32	33.92	
2	कुल कृषि ऋण	24658	35382	43.49
	एएनबीसी का प्रतिशत	16.31	16.32	
3	प्रत्यक्ष कृषि ऋण	19849	24388	13.61
	एएनबीसी का प्रतिशत	13.13	22.87	
4	अप्रत्यक्ष कृषि ऋण	4809	10994	128.61
	एएनबीसी का प्रतिशत	3.18	6.14	
5	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी	17300	21515	24.36
6	शैक्षणिक ऋण	2525	3072	21.66
7	आवास ऋण (₹ 25.00 लाख तक)	6545	8418	28.62
8	सूक्ष्म ऋण एवं अन्य	240	261	8.75
9	प्राक्षे के अंतर्गत मध्यम (विनिर्माण) उद्यम	-	3	-
10	प्राक्षे के अंतर्गत मध्यम (सेवा) उद्यम	-	35	-

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

वर्ष 2013-14 के दौरान, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण विनियोजन ₹ 51,259 करोड़ से बढ़कर ₹ 68,648 करोड़ हो गया, इसमें गत वर्ष की तुलना में 33.92% की वृद्धि दर्ज हुई।


₹ करोड़ में



कृषि

कुल कृषि ऋण, दिनांक 31.03.2013 के ₹ 24658 करोड़ के स्तर से 43.49% बढ़कर दिनांक 31.03.2014 को ₹ 35382 करोड़ हो गए और इनमें वर्ष के दौरान, समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) में कृषि ऋणों की हिस्सेदारी 16.31% से बढ़कर 19.75% हो गई है।

₹ करोड़ में



कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु की गई नई पहलें :

विशिष्ट ऋण अभियान :

- ❖ ऋण शिविरों का कैलेण्डर तैयार कर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं को उपलब्ध कराया गया. हमारी सभी ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं में कृषि ऋणों का प्रचार एवं नए खाते प्रत्येक माह में कम-से-कम एक स्वीकृत करने के लिए मेगा ऋण शिविर का आयोजन किया गया तथा नए कृषि ऋण स्वीकृत किए गए.
- ❖ कृषकों से संपर्क करने एवं नए कृषि ऋण प्राप्त करने हेतु, सभी ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं में दिनांक 03.10.2013 से 31.12.2013 तक एक विशेष अभियान कृषक के द्वार चलाया गया. अभियान के दौरान, 120464 नए उधारकर्ताओं को ₹ 1113 करोड़ के कृषि ऋण स्वीकृत एवं संवितरित किए गए.



नए उत्पादों का शुभारंभ :

- ❖ सेन्ट एग्री फॉर्महाउस योजना
- ❖ सेन्ट वर्मी कॉम्पोस्ट योजना
- ❖ सेन्ट डेयरी योजना

वेयरहाउस रसीद के विरुद्ध अग्रिम बढ़ाने के लिए कार्यनीति :

- ❖ वेयरहाउस रसीदों के विरुद्ध वित्तपोषण हेतु क्षेत्रों को विशेष लक्ष्य आबंटित किए गए.
- ❖ वेयरहाउस रसीदों के विरुद्ध वित्तपोषण हेतु केन्द्रीय वेयरहाउस कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र राज्य वेयरहाउस कॉर्पोरेशन, एवं नैशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ एमओयू निष्पादित किया गया.
- ❖ इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु क्षेत्रों की एक्सपोजर सीमा में वृद्धि की गई.

अतिरिक्त मानवशक्ति सहयोग :

- ❖ वर्ष के दौरान, 751 नए कृषि वित्त अधिकारी भर्ती किए गए. सभी ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं में कृषि वित्त अधिकारी उपलब्ध कराए गए हैं.
- ❖ सभी कृषि वित्त अधिकारियों को हमारे उत्पादों एवं प्रक्रिया तथा पद्धति की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि वे कुशलता, विश्वास तथा सहजता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें.

वेब पोर्टल/इन्टरनेट पोर्टल/क्लास मॉड्यूल

- ❖ बैंक की वेबसाइट पर आम जनता के लिए, हमारी सभी कृषि ऋण योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी अद्यतन की गई है. कृषि ऋणों के लिए ऑन-लाइन आवेदन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई.
- ❖ केंद्रीकृत ऋण मूल्यांकन स्वीकृति एवं पर्यवेक्षण (क्लास) मॉड्यूल को और विस्तारित किया गया है. अब शाखाओं द्वारा ऋणों के सहज एवं त्वरित निपटान के लिए इस मॉड्यूल पर 16 उत्पादों का प्रसंस्करण किया जा सकता है.
- ❖ सभी योजनाओं और अन्य आवश्यक दिशानिर्देश अद्यतन किए जा चुके हैं तथा इन्हें दिनांक 01.01.2014 को मास्टर परिपत्र के रूप में परिचालित किया गया है. इन्हें बैंक की इंटरनेट साइट पर भी अपलोड किया गया है.

सूक्ष्म ऋण

बैंक द्वारा प्रति उधारकर्ता ₹ 50,000 के हिसाब से 42,560 लाभार्थियों को कुल ₹ 261 करोड़ के ऋण प्रदान किए गए हैं.

स्वयं सहायता समूह

वर्तमान वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा 65939 समूह गठित किए गए. जिनमें से 60278 समूह ऋण संबद्ध किए गए हैं. दिनांक 31 मार्च, 2014 को कुल 145296 समूह थे, जिनमें से 89974 समूह ऋण संबद्ध हैं जिनमें बकाया ऋण ₹ 879.17 करोड़ है. ऋण-संबद्ध समूहों में से 78769 महिला समूह हैं, जिनकी कुल स्वीकृत ऋण सीमा ₹ 733.57 करोड़ है, जो कुल ऋण संबद्ध समूहों का 83.44% है.

अग्रणी बैंक के तहत प्रदर्शन

- ❖ हम सात राज्यों यथा; मध्य प्रदेश(18), बिहार(10), महाराष्ट्र(7), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(3), राजस्थान(3) एवं छत्तीसगढ़ (4) के 50 जिलों में अग्रणी बैंक के उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं. हमारी 50% से अधिक एवं लगभग 25% शाखाएं क्रमशः इन राज्यों एवं अग्रणी जिलों में कार्यरत हैं.
- ❖ अग्रणी बैंक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, अग्रणी जिला प्रबंधकों के कार्यालयों को पर्याप्त सुविधाओं युक्त बनाया गया है तथा स्टाफ की समुचित व्यवस्था की गई है. साथ ही, अन्य बुनियादी सुविधाएं, यथा-पृथक/अच्छा परिसर, वाहन, कंप्यूटर/लैपटॉप (स्काइप सुविधायुक्त) तथा प्रिंटर, टेलीफोन, इन्टरनेट सुविधा, ई-मेल आईडी, मोबाइल, फैक्स, वेबसाइट की स्थापना इत्यादि भी उपलब्ध कराई गई हैं.



- ❖ हमने ग्रामीण इलाकों की आम जनता/लोगों को उनसे सम्बंधित हमारे बैंक के विभिन्न उत्पादों से परिचित कराने के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड, सेन्ट्रल अर्टिजन क्रेडिट कार्ड, स्वाभिमान/आधार इत्यादि को एलडीएम को प्रदत्त गाड़ियों पर प्रदर्शित किया है।
- ❖ वार्षिक ऋण योजना के तहत अग्रणी जिलों में स्थित हमारी शाखाओं का कार्यनिष्पादन 99% रहा है, जबकि सभी बैंकों का कार्यनिष्पादन 82% है।
- ❖ विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में कार्य-निष्पादन की समीक्षा हेतु केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर हम अग्रणी बैंक प्रबंधकों के आवधिक समीक्षा सम्मेलन भी आयोजित करते हैं।
- ❖ प्रति वर्ष बेहतर कार्य-निष्पादक अग्रणी जिला प्रबंधकों को ट्रॉफी एवं नकद राशि के पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए, हमने वार्षिक कार्य-निष्पादन के आधार पर एक विशेष पुरस्कार/प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है।
- ❖ हमने सशक्तीकरण, युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण एवं ऋण संबद्धता के माध्यम से समन्वित विकास के लिए प्रत्येक अग्रणी जिले में एक-एक गांव का चयन किया है। सम्पूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए सभी विकासपरक गतिविधियों जैसे वित्तीय शिक्षा/ वित्तीय समावेशन कार्यक्रम आरसेटी में ग्रामीण बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह/कृषक क्लब/जेएलजी का गठन, ऋण गतिविधियों का पूर्ण क्रियान्वयन किया जा रहा है। अग्रणी जिले के अन्य गांवों में भी इनकी प्रतिकृति दर्शाई जा रही है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति :

- ❖ मध्य प्रदेश राज्य में हमारा बैंक एसएलबीसी का समन्वयक है। वर्ष 2013-14 के दौरान, विभिन्न एजेन्सियों द्वारा सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों सहित विभिन्न पैरामीटरों के अंतर्गत राज्य में की गई प्रगति की समीक्षा तथा उस पर निगरानी रखने हेतु पांच एसएलबीसी बैठकें आयोजित की गईं।
- ❖ इस राज्य के लिए हमारा विज़न है कि राज्य का ऐसा सर्वांगीण एवं समन्वित विकास, जिससे सभी नागरिकों का जीवन समृद्ध बने तथा उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ प्रयास करने के अवसर प्राप्त हों और वे राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें।
- ❖ एसीपी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न कार्यनीतियों पर चर्चा करने हेतु राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों की समीक्षा सम्मेलन/कार्यशाला के आयोजन, वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन तथा उद्देश्य प्राप्ति में इनकी एकीकृत भूमिका तथा दायित्वों की कार्य-योजना तैयार करने में हम निरंतर अग्रगामी रहे हैं।
- ❖ हमारा बैंक पहला ऐसा बैंक है, जिसने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित किया है। कुछ जिलों में विभिन्न प्रतिकूलताओं के बावजूद, राज्य का सीडी अनुपात 60% से अधिक रहा है। बैंकों को आबंटित सभी उप-कार्य क्षेत्रों को बैंकिंग आउटलेट जैसे-शाखा, बीसीए अथवा सीएससी द्वारा कवर किया गया है।

सरकार प्रायोजित कार्यक्रम (2013-14)

वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत निम्नानुसार ऋण स्वीकृत किए हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना	वर्ष 2013-14 के दौरान संवितरण	
		खाता	राशि
1	एनआरएलएम/एसजीएसवाई	31658	304.21
2	एसजेएसआरवाय	13195	201.64
3	पीएमईजीपी	7474	155.63

कमजोर वर्गों को अग्रिम

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा कमजोर वर्ग की विभिन्न श्रेणी के लोगों को ₹ 20953 करोड़ के ऋण संवितरित किए, जो एनबीसी का 11.70% है एवं जो सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य (10%) से अधिक है।

अल्पसंख्यक समुदायों को अग्रिम

बैंक ने विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के 6,69,940 लाभार्थियों को ₹ 8,988.00 करोड़ की विभिन्न ऋण सुविधाएं प्रदान की है, जो दिनांक 31.03.2014 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों का 13.09% है।



महिला लाभार्थियों को अग्रिम

महिला लाभार्थियों के ऋण संवितरण के अंतर्गत पिछले वर्ष के 679418 लाभार्थियों को ₹ 7,587.00 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 6,52,446 महिला लाभार्थियों को ₹ 11,313.00 करोड़ संवितरण की सुधारात्मक स्थिति रही है, यह एएनबीसी का 6.31% है जो भारिबैं द्वारा निर्धारित मानदंड न्यूनतम 5% से अधिक है.

विभेदक ब्याज दर (डीआरआई)

दिनांक 31 मार्च, 2014 को डीआरआई योजना के अंतर्गत ऋण ₹ 25.85 करोड़ थे.

सेंट्रल किसान क्रेडिट कार्ड (सीकेसीसी)

बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2014 तक 16,86,900 लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं, जिनमें ₹ 14,499.39 करोड़ की राशि बकाया है.

रुपे केसीसी डेबिट कार्ड का शुभारंभ :

दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 को, नई दिल्ली में भारत के माननीय वित्त मंत्री द्वारा हमारे प्रथम एटीएम समर्थित रुपे केसीसी कार्ड का शुभारंभ किया गया. दिनांक 31 मार्च, 2014 तक पात्र 484855 सीकेसीसी खाताधारकों को रुपे केसीसी डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं, जो कुल पात्र केसीसी खाताधारकों का 86% है.

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी)

- ◆ हमने 7 राज्यों में 50 एफएलसीसी खोले हैं, यथा मध्य प्रदेश(18), बिहार(10), महाराष्ट्र(8), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(4), राजस्थान(3) एवं छत्तीसगढ़(2).
- ◆ इन सभी केन्द्रों द्वारा 5343 आउटडोर विजिट की गई, जिसमें 319110 व्यक्तियों को साक्षरता/परामर्श प्रदान किया गया. इनके अंतर्गत जन-अभियान एवं व्यक्तिगत परामर्श दोनों ही शामिल हैं.
- ◆ लोगों में जागरूकता लाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति और जीवनयापन स्तर में सुधार के अवसर प्रदान करने के लिए बैंक ने उन्हें जन सम्पर्क प्रणाली युक्त गाड़ियां एवं बैंक द्वारा आरम्भ किये गए विभिन्न उत्पादों/योजनाओं को प्रचारित करने के लिए एलसीडी प्रदान किए हैं. इसके आलावा गांव के दौड़ों एवं परामर्श प्रदान करते समय शिक्षण सामग्री, किट, किताबें इत्यादि भी उपलब्ध कराई है.

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

- ◆ बैंक ने देश के 9 राज्यों में 46 आरसेटी की स्थापना की है अर्थात् मध्य प्रदेश(18), बिहार(9), महाराष्ट्र(6), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(3), छत्तीसगढ़(2), राजस्थान(1), ओडिसा(1) एवं असम(1).
- ◆ वर्ष 2013-14 के दौरान, आरसेटी ने 677 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये, जिनमें 18837 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया. इनमें से, 11490 (61%) प्रशिक्षु बैंक-ऋण से संबद्ध थे.
- ◆ देश में आरसेटी की स्थापना में अग्रसक्रिय भूमिका अदा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हमारे बैंक को 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' पुरस्कार प्रदान किया गया है.
- ◆ हमारे बैंक के 102वें स्थापना दिवस के अवसर पर, हम ने विशिष्ट कदम उठाते हुए ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षण एवं होस्टल के लिए स्वयं के भवन हेतु 21 आरसेटी केन्द्रों की आधारशिला रखी. 13 केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा दिनांक 30/09/2014 तक 4 आरसेटी के भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा.

हमारी पहलें

- ◆ आरसेटी तथा एफएलसीसी के प्रचालनों तथा कार्य-प्रणाली पर नियंत्रण एवं निगरानी रखने के लिए हमारे बैंक द्वारा 'सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान(सीबीआई-एसयूएपीएस)' नाम से एक सोसाइटी/ट्रस्ट की स्थापना की गई है.
- ◆ आरसेटी तथा एफएलसीसी के मामलों तथा कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण एवं निगरानी रखने हेतु, हमने एक उच्च स्तरीय प्रशासकीय परिषद का गठन किया है, इसमें हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, संरक्षक, कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष एवं महाप्रबंधकगण इसके सदस्य हैं.


- ❖ केन्द्रीय कार्यालय के स्तर पर हमने कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में व्यापक अनुभव एवं एक्सपोजर प्राप्त सेवानिवृत्त महाप्रबंधक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी-आरसेटी/एफएलसीसी के तौर पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।
- ❖ हमने पर्याप्त मानवशक्ति के साथ यथेष्ट दक्षता प्राप्त सेवानिवृत्त वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को आरसेटी निदेशक तथा एफएलसीसी परामर्शदाता के रूप में कार्य करने हेतु अनुबंधित करना प्रारम्भ कर दिया है।
- ❖ जिला स्तर पर सभी स्थानीय विकास संस्थानों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर स्थानीय सलाहकार समितियों तथा प्रशिक्षण समितियों का गठन किया गया है।
- ❖ सभी 46 आरसेटी के लिए भवन निर्माण हेतु, हमने एक मॉडल योजना तैयार की है। आरसेटी प्रशिक्षुओं के रोजगार की स्थिति की जानकारी रखने के लिए लाभार्थियों के वेब आधारित आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया जारी है।
- ❖ नियमित रूप से निदेशकों के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें इनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा के साथ-साथ बेहतर कार्य-संपादन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जाता है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां :

- ❖ जमाराशियां मार्च 2013 के ₹ 14549.47 करोड़ से बढ़कर ₹ 16425.15 करोड़ हो गईं, इनमें वार्षिक 12.89% की वृद्धि दर्ज हुई।
- ❖ अग्रिम राशियां मार्च 2013 के ₹ 7942.43 करोड़ से बढ़कर ₹ 9341.435 करोड़ हो गईं, इनमें वार्षिक 17.61% की वृद्धि दर्ज हुई।
- ❖ सकल एनपीए मार्च 2013 के ₹ 560.57 करोड़ से घटकर ₹ 554.14 करोड़ रह गया, इनमें वार्षिक 1.15% की कमी दर्ज हुई।
- ❖ शुद्ध लाभ मार्च 2013 के ₹ 66.90 करोड़ से बढ़कर ₹ 90.84 करोड़ हो गया, इसमें वार्षिक 35.78% की वृद्धि दर्ज हुई।
- ❖ बचत खाता ग्राहकों को 1.57 लाख से अधिक एटीएम/डेबिट कार्ड जारी किए गए।
- ❖ कृषकों को 36 हजार से अधिक केसीसी रुपे कार्ड/डेबिट कार्ड जारी किए गए।
- ❖ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने जिला मुख्यालय केन्द्रों के अलावा 18 एफएलसीसी खोले हैं।
- ❖ सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सीएसपी खोलकर/बीसी नियुक्त कर गांवों को कवर करते हुए वित्तीय समावेशन के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्य हासिल किए गए हैं। आधार कार्ड सम्बद्धता से डीबीटी लेनदेन भी प्रारंभ हो गए हैं।

वित्तीय समावेशन (एफआई)


- ❖ बैंक ने 2000 से अधिक की आबादी वाले 4330 गांव और 2000 से कम की आबादी वाले 6743 गांव कवर किए हैं। बैंक ने इन सभी गांवों को 5588 बीसी एजेंटों द्वारा कवर किया है। हमने बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में 215 शाखाएं भी खोली हैं।
1. बैंक ने अपनी 1427 बेस शाखाओं से संबद्ध अपनी सभी 3677 अति सूक्ष्म शाखाएं खोल दी है।
 2. हमने एनसीआर क्षेत्र में 17 तथा भोपाल क्षेत्र में 9 शहरी वित्तीय समावेशन केन्द्र खोले हैं।
 3. लेनदेनों की संख्या :






वित्तीय वर्ष 2013-14 में बीसी के माध्यम से खोले गए वित्तीय समावेशी खातों में लेनदेन बढ़कर 31.65 लाख हो गए, जो वित्तीय वर्ष 2012-13 में 22.44 लाख थे. (वर्ष दर वर्ष वृद्धि 41.17%).

4. लेनदेनों की राशि :



वित्तीय वर्ष 2013-14 में बीसी के माध्यम से खोले गए वित्तीय समावेशी खातों में लेनदेन की राशि बढ़कर ₹ 338.86 करोड़ हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 154.39 करोड़ थी. (वर्ष दर वर्ष वृद्धि 119.48%).


5. बीसी के माध्यम से व्यवसाय :



दिनांक 31 मार्च, 2014 में बीसी के माध्यम से व्यवसाय बढ़कर, ₹ 74.99 करोड़ हो गया, जो दिनांक 31 मार्च, 2013 में ₹ 24.67 करोड़ था : 204% की उल्लेखनीय वृद्धि



6. खाते खोलना :



दिनांक 31 मार्च, 2014 में बीसी के माध्यम खुले खातों की संख्या बढ़कर 51.00 लाख हो गई, जो दिनांक 31 मार्च, 2013 को 37.3 लाख थी : 36.73% की वृद्धि

7. बैंक ने बीसी एवं शाखाओं के माध्यम से 92.27 लाख बेसिक बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) खोले हैं। इन खातों में कुल शेष राशि ₹ 445.58 करोड़ है।
8. हमारे सभी एफआई खातों को बैंक के सीबीएस में अंतरित कर दिया गया है।
9. हमारे 70% ग्राहकों की उंगलियों के निशान, बैंक के सेंट्रल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सर्वर पर है।

हमने भारिबैं द्वारा एफआई ग्राहकों के लिए निर्धारित सभी चार मूल वित्तीय उत्पाद यथा सेन्ट बचत खाता, सेन्ट विकास खाता, सेन्ट स्मार्ट किसान क्रेडिट कार्ड, सेन्ट बेरिबल आवर्ती जमा योजना के रूप में प्रारंभ कर दिए हैं। हम संपूर्ण केवायसी उत्पाद, बेसिक बचत बैंक जमा खाता अर्थात सेन्ट वैभव एवं सेन्ट उन्नति भी मुहैया करा रहे हैं।

बैंक ने वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि. को नियुक्त किया है। वित्तीय समावेशन के लिए 14 प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता भी कार्य कर रहे हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

- ❖ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत, हम आठ जिलों यथा होशंगाबाद (म.प्र.), अमरावती (महाराष्ट्र), कूचबिहार (प.बं.), इटावा (उ.प्र.), जलगांव (महाराष्ट्र), जबलपुर (म.प्र.), कोरिया (छत्तीसगढ़) एवं कोटा (राजस्थान) में अग्रणी बैंक की भूमिका निभा रहे हैं।
- ❖ सरकार से प्राप्त 4.43 लाख डीबीटी लाभार्थियों की सूची में से, सभी 4.43 लाख (100%) लाभार्थियों के खाते बैंक द्वारा पहले ही खोले जा चुके हैं।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2014 को आधार समर्थित खातों की संख्या बढ़कर 27.5 लाख हो गई, जो दिनांक 31 मार्च, 2013 को 2.24 लाख थी. (12.23 गुना से अधिक की वृद्धि)
- ❖ बैंक के माध्यम से डीबीटी/एल (एपीबीएस) अंतरितों की संख्या दिनांक 31 मार्च, 2013 के 15,148 से बढ़कर, दिनांक 31 मार्च, 2014 को 22,10,883 हो गई है. (144.9 गुना से अधिक की वृद्धि)
- ❖ बैंक के माध्यम से डीबीटी लाभांतरण की राशि दिनांक 31 मार्च, 2013 के ₹ 75.8 लाख से बढ़कर, दिनांक 31 मार्च, 2014 को ₹ 141.71 करोड़ हो गई है।
- ❖ हमारे बैंक के लिए 1.15 करोड़ आधार कार्ड सृजित किए गए हैं, इनमें से 43.46 लाख आधार कार्ड वित्तीय वर्ष (2013-14) में सृजित किए गए हैं।




वित्तीय समावेशन (एफआई) की अभिनव पहलें

- ❖ आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) : आधार नम्बर पर आधारित लाभार्थी के खाते में प्रत्यक्ष नकदी अंतरण का कार्यान्वयन किया जा चुका है.
- ❖ आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) : हमारे एफआई विक्रेताओं द्वारा सूक्ष्म एटीएम के माध्यम से एईपीएस लेनदेन किए जा रहे हैं.
- ❖ क्रियॉस्क आधारित वित्तीय समावेशन मॉडल : बैंक द्वारा क्रियॉस्क वित्तीय समावेशन मॉडल के क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है. इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों को निधि-अंतरण, शेष राशि की जानकारी, लघु विवरणी, एईपीएस इत्यादि सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी. ये सेवाएं कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे सिस्टम प्रदाता मेसर्स टीसीएस है.
- ❖ आधार समर्थता एवं सम्बद्धता विभिन्न विकल्पों के साथ प्रारंभ की गई है 1) शाखा सीबीएस सिस्टम 2) शाखाओं से थोक अपलोड 3) आरएसएसएफ के उपयोग से 4) इंटरनेट बैंकिंग 5) एटीएम के माध्यम से. वर्तमान में बैंक के सीबीएस में 27.5 लाख से अधिक आधार नम्बर समर्थित एवं सम्बद्ध हैं जो एनपीसीआई मेपर से भी अद्यतन हैं.
- ❖ 15 में से 9 टीपीएस, एईपीएस ओनस एनेबल्ड हैं.
आधार के सफल सीडिंग पर एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से अलर्ट भेजे जाते हैं.
- ❖ शाखा से मेल के माध्यम से नामांकन आईडी विवरण प्राप्त होने पर आरएसएसएफ टूल से ई-आधार सृजित किया जाता है.
- ❖ शाखाओं को डी-क्लस्टर करने एवं उनकी उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत शाखाओं से, बीसी केन्द्रों को खाते अंतरित करना प्रारंभ कर दिया गया है.

रिटेल ऋण

रिटेल ऋण योजना के अंतर्गत, कुल बकाया राशियां दिनांक 31.03.2013 को ₹ 22209 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2014 को ₹ 28811 करोड़ हो गई, इस प्रकार ₹ 6602 करोड़ की समग्र वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2013 के ऊपर 29.73% की वृद्धि दर्ज की. बैंक के कुल अग्रिम में से रिटेल पोर्टफोलियो 15.72% है.

	31/03/2012	31/03/2013	31/03/2014
रिटेल ऋण	16915	22209	28811
कुल ऋण	150725	176234	183321
कुल ऋण का %	11.22%	12.60%	15.72%





विभाग की पहलें

i. उत्पाद/सेवाएं

- ❖ वर्तमान में रिटेल ऋण के अंतर्गत बैंक की 22 उत्पाद/योजनाएं परिचालन में हैं, जिनमें सेन्ट होम, सेन्ट व्हीकल, सेन्ट विद्यार्थी, सेन्ट मॉरगेज, सेन्ट ट्रेड, सेन्ट सहयोग, सेन्ट पर्सनल गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, रिवर्स मॉरगेज प्रमुख उत्पाद हैं।
- ❖ औद्योगिक मानकों एवं समकक्ष बैंकों के साथ कदम मिलाते हुए और ग्राहकों की विविध वित्तीय मांगों की पूर्ति हेतु हमारा विभाग वर्तमान ऋण योजनाओं में निरंतर संशोधन और उन्नयन कर रहा है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :

योजना	31/03/2013 से 31/03/2014 तक योजना में संशोधन
सेन्ट होम लोन	<ol style="list-style-type: none"> 1. मार्जिन ₹ 20 लाख तक के ऋण पर 10% 2. मार्जिन ₹ 20 लाख से अधिक एवं ₹75 लाख तक के ऋण पर 20% 3. मार्जिन ₹ 75 लाख से अधिक के ऋण पर 25% 4. निर्माण के लिए सीधे उधारकर्ता को ऋण सीमा ₹ 30 लाख तक 5. एनआरआई/पीआईओ कार्ड धारक एवं विदेशी पासपोर्ट के साथ ओसीआई को ऋण
सेन्ट व्हीकल	<ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय निर्मित अथवा विदेशी निर्मित नये चौपहिया वाहनों के लिए अधिकतम ऋण की प्रमात्रा बढ़ाकर ₹ 50.00 लाख तक कर दी गयी है। 2. व्हीकल ऋण आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गयी। 3. चुकौती की अवधि 84 माह तक अथवा उधारकर्ता की आयु 70 वर्ष होने तक, जो भी कम हो। 4. 60 वर्ष से अधिक आयु के उधारकर्ताओं के लिए सह उधारकर्ता आवश्यक है। 5. चौपहिया (नया अथवा पुराना) वाहन खरीदने के लिए कुल वार्षिक आय ₹ 2,40,000/- एवं 2 पहिया वाहन के लिए कुल वार्षिक आय ₹ 1,20,000/- से कम नहीं होनी चाहिए एवं पुनर्भुगतान क्षमता संतोषजनक होनी चाहिए।
सेन्ट मॉरगेज	<ol style="list-style-type: none"> 1. सेन्ट मॉरगेज योजना के अंतर्गत प्रस्तावों का दो अलग भागों में वर्गीकरण <ul style="list-style-type: none"> ❖ सेन्ट मॉरगेज-वैयक्तिक/संयुक्त (प्राथमिकता क्षेत्र/गैर प्राथमिकता क्षेत्र) अधिकतम ₹ 2 करोड़ ❖ सेन्ट मॉरगेज-वैयक्तिक के अलावा (प्राथमिकता क्षेत्र)- अधिकतम ₹ 5 करोड़। 2. ऐसे ग्रामीण केन्द्रों में स्थित अचल संपत्ति के विरुद्ध ऋण, जिनमें कृषि उद्देश्य के अलावा संपत्ति मॉरगेज रहित हो। 3. वेतनभोगियों के लिए ऋण आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष एवं अन्य के लिए 65 वर्ष। 4. वैयक्तिक उधारकर्ताओं के लिए न्यूनतम कुल वार्षिक आय ₹ 1,20,000/- से बढ़ाकर ₹2,00,000/- कर दी है। 5. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संपत्ति के लिए वैयक्तिक/संयुक्त के लिए अधिकतम ऋण की निर्धारित प्रमात्रा ₹50 लाख एवं अन्य क्षेत्रों के लिए ₹ 200 लाख। 6. इसी प्रकार, वैयक्तिक के अलावा अन्य हेतु ग्रामीण क्षेत्र में स्थित संपत्ति के लिए ऋण की निर्धारित प्रमात्रा ₹ 50 लाख एवं अन्य क्षेत्रों के लिए ₹ 500 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 7. प्रक्रिया प्रभार को निम्नानुसार संशोधित किया गया है: मियादी ऋण = ऋण राशि का 0.50% (अधिकतम ₹40000) ओ/डी = ऋण राशि का 0.50% (अधिकतम ₹20000) प्रति नवीकरण ₹5000
सेन्ट पर्सनल गोल्ड लोन	<ol style="list-style-type: none"> 1. आभूषणों के लिए अधिकतम ऋण सीमा प्रति ग्राम ₹ 1500 से बढ़ाकर ₹ 2000 कर दी है। 2. हमारे बैंक के स्वर्ण सिक्कों के लिए अधिकतम सीमा प्रति ग्राम ₹1600 से बढ़ाकर ₹ 2100 कर दी है।



सेन्ट ट्रेड	<ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राहक रेटिंग आधारित ब्याज दर का प्रारम्भ. सेन्ट ट्रेड योजना के अंतर्गत विद्यमान एवं नये सेन्ट खातों को स्कोर दिया जाएगा एवं इस स्कोर के आधार पर बीआर+2.25% से बीआर+3.00% की निश्चित सीमा में ब्याज दर निर्धारित की जाएगी . 2. ऋण की प्रमात्रा - नई इकाई जो 2 वर्ष तक पुरानी हैं के लिए अधिकतम ₹ 10 लाख जो ईकाइयां 2 वर्षों से अधिक से परिचालन / व्यवसाय में हैं - अधिकतम ₹ 500 लाख. 3. यदि किसी अन्य रिटेल ऋण के लिए संपत्ति पहले से ही मॉर्गेज है, तो इसे प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते विद्यमान ऋण खाता कम से कम 1 वर्ष से नियमित हो एवं इस योजना के अंतर्गत नये ऋण के साथ-साथ अपेक्षित ऋण को कवर करने के साथ-साथ अपेक्षित ऋण मूल्य अनुपात के लिए संपत्ति का पर्याप्त अवशिष्ट मूल्य हो. 4. मूल्यांकन ₹ 10 करोड़ तक की संपत्ति मूल्य के लिए, मूल्यांकन रिपोर्ट एक मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त की जाए. मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकित की गयी राशि विशेष तौर पर प्रक्रिया नोट पर शाखा प्रबंधक द्वारा स्वीकार्य/सहमत की जाए. 5. ऋण स्वीकृति के समय एवं उसके बाद प्रत्येक वर्ष निधि का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रैंडम आधार पर इकाई का निरीक्षण किया जाए.
सेन्ट रेंटल	<p>वैयक्तिकों के लिए :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उधारकर्ता से इस आशय का वचन पत्र कि जिस प्रयोजन विशेष के लिए यह सुविधा ली जा रही है, उसी के लिए निधि का उपयोग किया जाएगा, लिया जाए. स्वीकृति पश्चात निरीक्षण के दौरान कभी भी यह पाया गया कि उधारकर्ता ने निधि का दुरुपयोग किया है तो बैंक को उसके विरुद्ध स्वविवेकाधिकार से कानूनी कार्यवाही करने अथवा ऋण सीमा समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा. <p>वैयक्तिक के अलावा</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उधारकर्ता द्वारा जिस गतिविधि के लिए सेन्ट रेंटल के अंतर्गत ऋण लिया गया है, उस व्यवसाय विशेष संबंधी व्यवहार हमारे बैंक द्वारा किए जाएं. 2. समीक्षा के समय वित्तीय विवरणियां प्रस्तुत की जाए. 3. ऋण स्वीकृति के समय एवं उसके बाद प्रत्येक वर्ष निधि का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रैंडम आधार पर इकाई का निरीक्षण किया जाए. 4. उधारकर्ता से इस आशय का वचन पत्र कि जिस प्रयोजन विशेष के लिए यह सुविधा ली जा रही है, उसी के लिए निधि का उपयोग किया जाएगा, लिया जाए. स्वीकृति पश्चात निरीक्षण के दौरान कभी भी यह पाया गया कि उधारकर्ता ने निधि का दुरुपयोग किया है तो बैंक को उसके विरुद्ध स्वविवेकाधिकार से कानूनी कार्यवाही करने अथवा ऋण सीमा समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा.

II विचलन नीति लागू करना :-

- ❖ ग्राहकों की आवश्यकतानुरूप आपके उत्पाद तैयार करने के परिप्रेक्ष्य में लागू विचलन नीति का उद्देश्य अच्छे एवं योग्य ग्राहकों को बैंक से जोड़ना है ताकि ऐसे अच्छे प्रस्ताव, जिनमें ग्राहक की उचित परेशानी के कारण कुछ विशिष्ट पैरामीटरों में सामान्य योजना की अपेक्षा कुछ विचलन हों, उनको स्वीकृत न करने से बैंक की छवि धूमिल न हो.
- ❖ विचलन नीति के पूर्व, हमारे माननीय कार्यपालक निदेशक एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिटेल योजनाओं में विचलन के अधिकार प्राप्त थे. अब यह शक्तियां एचएलएलसी-2 एवं सीएसीबी को दी गयी हैं.

III चुनिन्दा रिटेल योजनाओं को बंद करना :

अत्यधिक सुधार की आवश्यकता/मांग में कमी को देखते हुए, निम्नलिखित रिटेल ऋण योजनाएं समाप्ति कर दी गयी हैं.

1. सेन्ट कम्प्यूटर
2. एलआईसी के कमीशन एजेंटों को वैयक्तिक ऋण



3. सेन्ट स्कूल
4. सेन्ट- कॉम्प एकजामिनेशन

IV तकनीकी पहलें एवं व्यवसाय प्रक्रिया का पुनर्विन्यास

ए. क्लास सॉफ्टवेयर:-

- ❖ हमारे बैंक ने रिटेल ऋणों की स्वीकृति में जोखिम न्यूनीकरण के कदमों का ध्यान रखते हुए गुणात्मक मूल्यांकन के लिए एक समान ऋण मूल्यांकन एवं निगरानी मॉड्यूल के रूप में एक स्वचालित सॉफ्टवेयर 'क्लास' प्रारंभ किया है। यह ऋण स्वीकृति के दिन से ही ऋण खातों की निगरानी में सहायक होता है और इस प्रकार यह नये स्लीपेज कम करने में मदद देता है।
- ❖ इस सॉफ्टवेयर ने ऋण प्रस्तावों को एकरूप तथा व्यवस्थित ढंग से मूल्यांकित करने में सहायता की है।
- ❖ इससे ऋण प्रस्तावों के टर्न राउंड टाइम (टीएटी) को भी काफी हद तक कम करने में मदद मिली है।
- ❖ सॉफ्टवेयर का मॉनीटरिंग मॉड्यूल ऋण खाता खुलने के दिन से ही ऋण खाते ट्रेक करने में सहायक होता है एवं एसएमए खातों के लिए चेतावनी भी देता है, जिससे एसएमए खातों में समय पर वसूली होती है। साथ ही, नये स्लीपेज को कम करने में भी सहायता प्राप्त होती है।
- ❖ सॉफ्टवेयर का ऑनलाइन मॉड्यूल हमारे बैंक की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन ऋण आवेदनों को सीधे एक्सेस प्रदान करता है एवं इन आवेदनों का उत्तर देने में लगने वाले टीएटी को कम करता है एवं ऐसे प्रस्तावों पर शाखाओं का ध्यानाकर्षण अविलम्ब सुलभ बनाता है। यह ऑनलाइन ऋण आवेदनों की प्रभावी मॉनीटरिंग करने में भी सहायता प्रदान करता है।
- ❖ सभी शाखाएं क्लास सॉफ्टवेयर से जुड़ चुकी हैं।
- ❖ सभी रिटेल उत्पाद परिचालन के लिए उपलब्ध किए गए हैं।
- ❖ मॉनीटरिंग मॉड्यूल सक्रिय किये जा चुके हैं एवं यह सभी शाखाओं के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।
- ❖ सीबीएस से /को डाटा का भेजना एवं लेना सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है एवं यह शाखाओं के उपयोग के लिए तैयार है।

बी. आरएबी के स्थान पर पुनः सीसीपीसी कार्यान्वित

- ❖ वित्तीय वर्ष 2010 में हमारे बैंक ने रिटेल ऋणों के प्रसंस्करण में समरूपता एवं धोखाधड़ी को रोकने के लिए केन्द्रीकृत साख प्रसंस्करण केन्द्र (सीसीपीसी) की संकल्पना प्रारम्भ की।
- ❖ प्रारम्भ में इन सीसीपीसी को प्रशिक्षित स्टाफ सदस्यों द्वारा परिचालित त्वरित निपटान के उद्देश्य के रूप में गैर ग्राहक इंटरफेस बैंक ऑफिस बनाया गया था।
- ❖ सीसीपीसी की कार्यप्रणाली का आकलन करने के पश्चात, सीसीपीसी को रिटेल आस्ति शाखा (आरएबी) के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया।
- ❖ इन आरएबी के कार्यनिष्पादन की मॉनीटरिंग करने के बाद एवं परिणामी निर्गत के संतोषजनक नहीं होने पर यह पाया गया कि यह उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अप्रभावी है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था।
- ❖ उच्च प्रबंधन स्तर पर इस मामले की चर्चा के उपरांत, यह निर्णय लिया गया कि आरएबी के स्थान पर सीसीपीसी के संशोधित मॉडल को पुनः क्रियान्वित किया जाए।
- ❖ हमारे विभाग ने सीसीपीसी की कार्यप्रणाली पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं एवं सीसीपीसी के 42 केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान की है।

डी. ऑन लाइन ऋण आवेदन सुविधा

- ❖ युवा पीढ़ी के ग्राहकों में पहुंच बढ़ाने हेतु सभी रिटेल ऋण उत्पादों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
- ❖ ऋण के आवेदन से लेकर स्वीकृति तक ऋण आवेदनों की ऑनलाइन ट्रेकिंग।



V पुरस्कार

- ❖ हमें आउट लुक मनी बेस्ट एजुकेशन लोन प्रोवाइडर एंड अवार्ड-2013 प्राप्त हुआ.
- ❖ हमें शैक्षणिक ऋण में उत्कृष्टता के लिए 'माय एफएम स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री अवार्ड' से पुरस्कृत किया गया.

VI अन्य पहलें

- ❖ दिनांक 01.09.2013 से उत्सव बोनान्जा प्रारंभ किया गया है.
- ❖ शैक्षणिक ऋणों के अंतर्गत शिकायतें कम करना तथा बिना किसी उचित कारण के किसी भी विद्यार्थी को शैक्षणिक ऋण से वंचित न किया जाना, सुनिश्चित करने के लिए हमने क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कार्यपालक नामित किए हैं तथा मुख्य प्रबंधक, रिटेल बैंकिंग की अध्यक्षता में शैक्षणिक ऋण शिकायत निवारण कक्ष का गठन किया है.

रिटेल ऋण की वृद्धि हेतु रणनीतियां

1. आवास ऋण :-

- ए. आवास ऋणों के अंतर्गत बाजार में हमारी हिस्सेदारी बढ़ाने तथा अपने उत्पाद को बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु रणनीतिक मूल्य निर्धारण.
 - बी. विद्यमान उत्पादों तथा योजना में सुधार एवं ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उत्पादों की विशेषताएं सुधारने के लिए उनकी सतत समीक्षा एवं संवर्धन.
 - सी. बिल्डर संस्थाओं, जैसे-एमसीएचआई एवं सीआरईडीएआई एवं मुम्बई तथा अन्य टियर 1 शहर जैसे चेन्नै, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता आदि में एनवायएटीआई, एमसीएचआई, लोढा, हीरानंदानी, रूस्तमजी, हंसमुखभाई पटेल समूह एवं गोदरेज प्रापर्टीज से गठबंधन.
 - डी. उत्सव बोनान्जा प्रस्ताव के अंतर्गत प्रक्रिया शुल्क में पूर्ण छूट.
 - ई. आवास ऋण उधारकर्ताओं के लिए पूर्व भुगतान दंड को हमने समाप्त किया है.
- एफ. चूकों को कम करने के लिए तकनीक का उन्नत :-
- । आवास ऋण उधारकर्ताओं के लिए हमारे बैंक ने ईसीएस डेबिट सुविधा का भी प्रारम्भ किया है.
 - । ऋण प्रस्तावों की स्वीकृति एवं मॉनीटरिंग के लिए क्लास सॉफ्टवेयर का आरम्भ.
 - जी. हमारी बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन संपत्ति खोजने की सुविधा की उपलब्धता.
 - एच. आवास ऋणों के लिए विशेषीकृत सलाह केन्द्रों की शुरुआत.

2. शिक्षा ऋण :-

- ❖ न्यूनतम ब्याज दर के साथ पूरे उद्योग जगत में हमारे शैक्षणिक ऋण उत्पाद को पूर्णतः स्वीकार्य उत्पाद के रूप में स्थापित करना.
- ❖ अपने शैक्षणिक ऋण पोर्टफोलियो में अभिवृद्धि के लिए शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक ऋण परामर्श केन्द्रों से गठबंधन किया गया है. हाल ही में हमने निम्नलिखित के साथ एमओयू किया है.
 - i हमने 160 से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं से गठबंधन किया है.
 - ii विदेशी शिक्षा ऋण के पोर्टफोलियो में अभिवृद्धि के लिए हमने विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं जैसे वार्विक विश्वविद्यालय, लंदन से भी गठबंधन किया है.
 - iii विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए हमने एडवाइज कंसलटेंसी एवं एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ गठबंधन किया है.
- ❖ शैक्षणिक संस्थानों के साथ सीधे सहभागिता, परस्पर चर्चा एवं संबंध निर्माण. हाल ही में, हमने विभिन्न आईआईएम तथा एक्सएलआरआई के विद्यार्थी उत्सवों को प्रायोजित किया है.
- ❖ वर्तमान युग के टेक्नोसेवी नौजवान ग्राहकों तक पहुंच बनाने हेतु सोशल मीडिया का उपयोग करना.



3. वैयक्तिक गोल्ड ऋण :-

- ❖ स्वर्ण ऋण खंड तथा स्वर्ण ऋण बाजार में हमारी हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी. वर्तमान में अधिकांश स्वर्ण ऋण भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में स्वीकृत किए जा रहे हैं देश के अन्य भागों में इस पोर्टफोलियो में वृद्धि हेतु हमने क्षेत्रीय प्रबंधकों को सभी प्रमुख केन्द्रों पर स्वर्ण मूल्यांककों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं ताकि ग्राहकों को स्वर्ण के विरुद्ध ऋणों की स्वीकृति तत्काल की जा सके.
- ❖ हमारे स्वर्ण ऋण उत्पाद को पूरे उद्योग में न्यूनतम ब्याज दर के साथ सर्वोत्तम स्वीकार्य बनाने के लिए आक्रामक रूप से कार्य करना. व्यक्तिगत उद्देश्य (गैर प्राथमिकता) के लिए स्वर्ण ऋण की वर्तमान ब्याज दरें हैं:
 - i. ओवरड्राफ्ट : आधार दर +2.00 %
 - ii. मांग ऋण: आधार दर +1.00 % मासिक चक्रवृद्धि आधार पर.
- ❖ फील्ड फंक्शनरियों को बिना किसी आशंका के स्वर्ण ऋण प्रस्तावों के प्रसंस्करण में सक्षम बनाने हेतु उन्हें इंस्टिट्यूट ऑफ जैम एण्ड ज्यूलरी, एमआईडीसी, अन्धेरी, मुम्बई में सोने की मात्रा एवं गुणवता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि स्वर्ण ऋण प्रस्तावों का प्रसंस्करण करने में शाखा प्रबंधकों के आत्मविश्वास में अभिवृद्धि हो सके.

4. वाहन ऋण :-

- ❖ वाहनों ऋणों के अंतर्गत बाजार में हमारी हिस्सेदारी बढ़ाने एवं उद्योग में अपने उत्पाद को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए रणनीतिक मूल्य निर्धारण.
- ❖ हमारे बैंक ने वाहन ऋण (नए चौपहिया एवं दुपहिया वाहन) की ब्याज दर में बीआर+1% = 11.25% से बीआर+0.40% = 1065% कर कमी की है एवं चुकौती की अवधि बढ़ा दी है, जिससे ईएमआई ₹3298/- प्रति लाख से घटकर ₹1859/ लाख हो गयी है.
- ❖ विद्यमान उत्पादों एवं योजनाओं में सुधार लाने के लिए हम सतत रूप से समीक्षा एवं ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप अपने उत्पादों में संशोधन भी कर रहे हैं. हाल ही में हमने निम्नलिखित उपाय किये हैं.
 - i. उत्सवी मौसम के दौरान हमने प्रक्रिया शुल्क पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है.
 - ii. हमने लीड को बढ़ाने एवं इसे व्यवसाय में परिवर्तित करने के लिए डीलर प्रोत्साहन एवं सेल्स एक्जिक्यूटिव कमीशन की शुरूआत की है.
- ❖ वाहन ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि हेतु प्रतिष्ठित वाहन निर्माताओं से गठबन्धन किया है. हाल ही में, हमने टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, बजाज ऑटोमोबाइल्स एवं टीवीएस मोटर्स आदि जैसे प्रतिष्ठित वाहन निर्माताओं से गठबन्धन किया है.
- ❖ हमारे बैंक की ब्रांड जागरूकता बढ़ाने तथा बाजार में वाहन ऋण उत्पाद को अधिक प्रचारित करने के लिए विभिन्न ऋण मेलों तथा ऑटो एक्सपो में सहभागिता.
- ❖ युवा पीढ़ी के ग्राहकों में हमारे वाहन ऋण उत्पाद को प्रचारित करने हेतु फेसबुक, लिंकेडिन आदि जैसे सोशल मीडिया के उपयोग में बढ़ोत्तरी.

प्रगति: वित्त वर्ष 2017-18 तक की पंचवर्षीय योजना

- ❖ हम अपने रिटेल पोर्टफोलियो को मार्च 2016 तक 75% तथा मार्च 2018 तक 150% बढ़ाकर, अपने बैंक को ग्राहक के अनुकूल रिटेल बैंक में परिवर्तित करना चाहते हैं.

	मार्च, 11	मार्च, 12	मार्च, 13	मार्च, 14	मार्च, 15	मार्च, 16	मार्च, 17	मार्च, 18
रिटेल ऋण	11962	16915	22209	28811	40000	51000	63000	75000
% वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)		41.41%	31.30%	29.67%	30.00%	23.08%	20.83%	22.41%

- ❖ हम अपने ग्राहक आधार को बढ़ाकर 1 मिलियन करने के प्रति भी आशान्वित हैं.



अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

- ❖ बैंक का विदेशी विनिमय व्यवसाय देशभर में फैली 116 प्राधिकृत डीलर शाखाओं द्वारा संपादित किया जाता है. परिचालनीय कुशलता के लिए मुम्बई में बैंक का एक केन्द्रीकृत डीलिंग रूम है तकि कोष प्रबन्धन व परिचालन सुविधा में बेहतरी हासिल की जा सके.
- ❖ चालू वित्त वर्ष में, बैंक का निर्यात ऋण पोर्टफोलियो दि.31.03.2013 के ₹ 5258 करोड़ से बढ़कर दि.31.03.2014 को ₹5509 करोड़ हो गया है.
- ❖ वित्तीय वर्ष 2012-13 के विदेशी विनिमय व्यापार टर्नओवर ₹ 36,758 करोड़ के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2013-14 में यह ₹ 47,783 करोड़ हो गया.
- ❖ एनआरई जमा राशि दिनांक 31.03.2013 को ₹1716.15 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹2485.28 करोड़ हो गई, जो गत वर्ष की तुलना में 44.82% की वृद्धि दर्शाती है.
- ❖ एफसीएनआर जमा राशि दिनांक 31.03.2013 को यूएसडी 117.82 मिलियन से बढ़कर दिनांक 31.03.2014 को यूएसडी 142.12 मिलियन हो गई, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है.
- ❖ बैंक ने देशभर की शाखाओं के उपयोग हेतु इंटरनेट पर ई-लर्निंग तथा निर्णय कार्यान्वयन सॉफ्टवेयर 'इंस्टेंट एनआरआई' एवं 'इंस्टेंट एलसी++' स्थापित किया है.
- ❖ बैंक ने नैरोबी, कीनिया रिपब्लिक एवं हांगकांग में अपने दो प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना की है एवं विनियामक से स्वीकृति के पश्चात इन कार्यालयों को पूर्ण रूप से शाखा में परिवर्तित करने की योजना है.

ट्रेजरी, निधि एवं निवेश

- ❖ बैंक का निवेश पोर्टफोलियो दिनांक 31 मार्च 2014 को बढ़कर ₹ 86384 करोड़ हो गया है, जो दिनांक 31 मार्च, 2013 में ₹ 72662 करोड़ था. इस प्रकार पिछले वर्ष के आधार पर इसमें 18.88% की वृद्धि दर्ज की गई है. दसवर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल दिनांक 31.03.2013 के 7.95% की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2014 को 8.83% पर बंद हुआ है.
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के अवमूल्यन को रोकने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें ओवरनाइट दरों में वृद्धि द्वारा मांग पर नियंत्रण शामिल है. अगस्त 2013 में एमएसएफ दरें रेपोरेट से 3% ऊपर, 10.25% तक बढ़ाई गयी थी एवं तत्पश्चात इसे पुनः बैंक दर के अनुरूप कर दिया गया.
- ❖ रेपो उधार सीमा डीटीएल के 0.50% तक कम की गई एवं तरलता प्रबंधन के उद्देश्य से मियादी रेपो प्रारम्भ की गयी. मियादी एलएएफ में बैंकों को नीलामी में बोली लगानी पड़ती है.
- ❖ ओवरनाइट रेपो मार्च 2013 के 7.50% से बढ़कर मार्च 2014 में 8.00% हो गई.
- ❖ अस्थिर बाजार एवं संकटग्रस्त तरलता प्रबंधन परिस्थितियों में, ट्रेजरी ने ₹455 करोड़ का व्यापार लाभ दर्ज किया, जोकि पिछले वर्ष ₹ 383 करोड़ के व्यापार लाभ की तुलना में काफी अधिक है. बाजार के अवसरों का उपयोग करने हेतु संसाधनों की रणनीतिक आयोजना तथा दक्षतापूर्वक व्यवसाय करने से प्राप्त किया जा सका. निवेश पर प्रतिफल 7.60% से बढ़कर 7.84% हुआ.
- ❖ अगस्त 2013 के दौरान जारी विशेष व्यवस्था सहित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुपालन में बैंक ने सरकार एवं राज्य सरकार की ₹11393.91 करोड़ की प्रतिभूतियां एएफएस से एचटीएम में अंतरित कर दीं एवं ₹ 121.78 करोड़ का मूल्यहास दर्ज किया.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2014 को बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का संघटन इस प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संघटन	31.03.2013	31.03.2014
1.	एसएलआर	60172.25	67951.69
2.	गैर एसएलआर	12489.37	18432.08
	कुल	72661.62	86383.77

- ❖ वर्ष के दौरान, बैंक अनुद्वत निवेश को विक्रय कर सका एवं उससे ₹ 52 करोड़ का लाभ अर्जित किया.



जोखिम प्रबन्धन

जोखिम प्रबन्धन प्रणाली/संगठनात्मक संरचना

बैंक में अब सुस्थापित जोखिम प्रबन्धन प्रणाली मौजूद है. ऋण, बाजार, तथा परिचालन जोखिमों के अंतर्गत बैंक की जोखिम प्रबन्धन नीतियों/प्रथाओं का निदेशक मंडल की जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जाता है. उत्पादों के कीमत निर्धारण तथा बाजार की घटनाओं से संबंधित जोखिम मॉडल के निर्धारण संबंधी नीतियों की समीक्षा के साथ समिति नए जोखिमों की पहचान व उनका नियंत्रण भी करती है. कॉरपोरेट स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम पैरामीटरों के अनुपालन पर भी समिति द्वारा नियमित निगरानी रखी जाती है.

जोखिम प्रबन्धन संरचना

- ❖ परिचालन स्तर पर विभिन्न समितियां, यथा बाजार जोखिम के लिए आस्ति देयता समिति(आल्को), ऋण जोखिम के लिए ऋण जोखिम नीति समिति(सीआरपीसी) तथा परिचालन जोखिम के लिए परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति(ओआरसीओ) गठित की गई है. जिसमें शीर्ष प्रबन्धतंत्र टीम के सदस्य शामिल हैं.
- ❖ ये समितियां बैंक विभिन्न परिचालनों के अंतर्गत जोखिम के स्तर के निगरानी एवं निर्धारण के लिए वर्ष भर नियमित बैठकें करती हैं तथा आवश्यकतानुरूप उचित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय लागू करती हैं.
- ❖ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंक ने वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक श्रेणी के अधिकारियों को 'जोखिम प्रबन्धक' के तौर पर अभिचिन्हित किया गया है. ये जोखिम प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबन्धन विभाग को विस्तारित भाग के तौर पर कार्य करते हैं. बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी भी अभिचिन्हित किए हैं, जो जोखिम प्रबन्धन से संबंधित आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण एवं जोखिम प्रबन्धन की सहायता के लिए 'नोडल अधिकारी' के रूप में कार्य करेंगे.

बाजार जोखिम प्रबन्धन

- ❖ बाजार की स्थिति, वित्तपोषण पद्धति की समीक्षा कर मिड-आफिस एक्सपोजर, अवधि, प्रतिपक्षीय सीमा एवं विभिन्न संवेदनशील पैरामीटरों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करता है तथा नियमित अंतराल पर शीर्ष प्रबन्धन को रिपोर्ट करता है.
- ❖ वीएआर के प्रबंधन तथा ड्यूरेशन विश्लेषण जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग, अल्पकाल में बैंक की एनआईआई के जोखिम के प्रबंधन तथा दीर्घकाल में इक्विटी मूल्य हेतु सतत आधार पर किया जाता है.
- ❖ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर सतत रूप से पूंजीगत प्रभार का अनुमान लगाने के लिए टीसीएस द्वारा बनाए गए मॉडल का क्रियान्वयन बाजार जोखिम के संबंध में बासल II के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है.
- ❖ बैंक ने विद्यमान निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति की समीक्षा की है. विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए प्रति-पक्ष सीमाओं को उनकी नवीनतम प्रतिष्ठा एवं बाजार में रेटिंग के अनुरूप तय/संशोधित किया गया है.

ऋण जोखिम प्रबन्धन

- ❖ बैंक में सुस्पष्ट लिखित एकीकृत ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति है. जिसकी पिछली समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 06.02.2014 को की गई.
- ❖ बैंक ने क्रिसिल लि. से पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिफल (आरएआरओसी), लॉस गिवन डिफॉल्ट (एलजीडी) एवं एक्पोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) निर्धारक साधनों सहित फेसिलिटी रेटिंग मॉड्यूल प्राप्त किया है. फेसिलिटी रेटिंग मॉड्यूल दिनांक 01.04.2012 से उपयोग में है.
- ❖ जहां वैयक्तिक ऋण एककों की रेटिंग सतत आधार पर व्यवहार्य नहीं है वहां बैंक ने रिटेल ऋण की ग्रेडिंग के लिए रेटिंग मॉडल्स (स्केवर कार्ड) विकसित किए हैं. रिटेल ऋणों की रेटिंग के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है.
- ❖ ऋण जोखिम प्रबन्धन की गतिविधियों की प्रगति की रिपोर्ट निगरानी हेतु, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली ऋण जोखिम नीति समिति को प्रस्तुत की जाती है.
- ❖ कॉरपोरेट एवं रिटेल दोनों पोर्टफोलियो के लिए विकसित दृष्टिकोण अपनाने की तैयारी करते हुए बैंक पीडी, ईएडी एंड एलजीडी की गणना हेतु मॉडल्स विकसित करने की प्रक्रिया में है.



ऋण जोखिम प्रोफाइल/रेटिंग माइग्रेशन

पिछले वर्ष की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2014 को बैंक का ऋण जोखिम प्रोफाइल निम्नानुसार प्रस्तुत है।

₹ करोड़ में.

जोखिम श्रेणीकरण	मार्च 2013		मार्च 2014	
	एक्सपोजर	श्रेणीकृत एक्सपोजर का %	एक्सपोजर-राशि	श्रेणीकृत एक्सपोजर का %
निम्न जोखिम	91451	56.14%	84211	53.25%
मध्यम जोखिम	66675	40.93%	67421	42.64%
उच्च जोखिम	4770	2.93%	6512	4.11%
कुल श्रेणीकृत एक्सपोजर	162896	100%	158144	100.00%
अश्रेणीकृत एक्सपोजर	4882	2.91%	13677	7.95%
कुल मानक अग्रिम	167778		171821	

- ❖ यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान यद्यपि कुछ खाते निम्न जोखिम से मध्यम जोखिम श्रेणी ऋण में माइग्रेट हुए हैं, फिर भी अश्रेणीकृत एक्सपोजर घटक मार्च, 2013 में 2.91% से बढ़कर मार्च, 2014 में 7.95% हो जाने से श्रेणीकृत खातों की समग्र हिस्सेदारी में उल्लेखनीय कमी हुई है। अश्रेणीकृत एक्सपोजर मुख्य रूप से स्टाफ के ऋण, साथ ही यहां तक सावधि जमा/एनएससी/केवीपी/बीमा पॉलिसी आदि के विरुद्ध है जो कि रेटिंग से मुक्त हैं।
- ❖ इसके अतिरिक्त, क्लास के माध्यम से खोले गये खातों की सीबीएस में रेटिंग अद्यतन नहीं है, इस त्रुटि की जानकारी बैंक को है एवं इस पर कार्यवाही की जा रही है। इस त्रुटि का निराकरण होते ही अश्रेणीकृत ऋण उल्लेखनीय रूप से कम हो जाएंगे।

परिचालन जोखिम प्रबन्धन

- ❖ बैंक में परिचालन जोखिम प्रबन्धन पूरी तरह से सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबन्धन नीति के द्वारा मार्गदर्शित है।
- ❖ परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति (ओआरसीओ) तिमाही अंतराल में बैंक की जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करती है एवं निदेशक मंडल द्वारा किया जाने वाला पर्यवेक्षण परिचालन जोखिम से संबंधित गुणात्मक पहलुओं को और मजबूत करता है।
- ❖ बैंक, उन्नत मापक दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए आरबीआई को आवेदन करने हेतु मॉडल विकसित कर रहा है तथा गुणात्मक एवं परिमाणमात्मक सूचनाएं बना रहा है। नए उत्पादों अथवा गतिविधियों से जुड़ी जोखिम को न्यून करने हेतु नई उत्पाद अनुमोदन नीति संरचना बैंक को मार्गदर्शन प्रदान करती है।

पूंजी आयोजना

- ❖ बैंक के पास सुदृढ़ आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) उपलब्ध है, बैंक के लिए पूंजी आवश्यकता का निर्धारण 5 वर्षों के समय अंतराल के लिए किया जाता है, पूंजी आवश्यकता का निर्धारण, न्यूनतम विनियामक पूंजी आवश्यकता को बनाए रखने के दृष्टिगत किया जाता है, पूंजी के समक्ष प्राक्कलनों की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है।

आस्ति एवं देयता प्रबन्धन पद्धतियां

- ❖ एएलएम प्रमुखतया बैंक के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से तरलता एवं ब्याज दर जोखिम के मापन एवं प्रबंधन से संबंधित है। आलको (आस्ति एवं देयता समिति) ने वर्ष के दौरान तरलता एवं अन्य संबंधित मामलों के संबंध में बैंक की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 26 बार बैठकें कीं।
- ❖ विनियामक रिपोर्टिंग के अलावा, जमाओं पर ब्याज निर्धारण करने के साथ-साथ आधार दर और बीपीएलआर का निर्धारण भी एएलएम द्वारा किया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान जमा ब्याज दरों को 6 बार और बेस रेट को दो बार संशोधित किया गया है।
- ❖ जमा एवं ऋण राशियों पर ब्याज दर के निर्धारण के लिए एएलएम विभाग विभिन्न विश्लेषण उच्च प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करता है।



बासल II दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2013 में नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन पर अद्यन परिपत्र जारी किया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2009 से बासल II अपनाया है तथा ऋण जोखिम हेतु 'मानकीकृत दृष्टिकोण' परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण' और बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत अवधि पद्धति के आधार पर पूंजी का प्रावधान किया है।
- ❖ बैंक ने संपूर्ण बैंक में बासल II मानदंडों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एसएसएस जोखिम प्रबन्धन समाधान के क्रियान्वयन हेतु एक समाधान प्रदाता की नियुक्त की है। उन्नत दृष्टिकोण तक उत्तरोत्तर बढ़ने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।
- ❖ सभी आवश्यक नीतियां, जैसे ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबन्धन नीति, बाजार अनुशासन तथा प्रगटीकरण नीति, आईसीएएपी इत्यादि. बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है।
- ❖ बैंक ने एफआईआरबी(फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड) दृष्टिकोण अपनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति मांगी है।

बासल III के लिए हमारे बैंक की तैयारी

- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 02 मई, 2012 को बासल III के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक, पूंजी और आवश्यक प्रणाली के आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में है। बैंक ने जून 2013 से बासल III के मानदंडों के अनुसार सीआरएआर का परिकलन प्रारम्भ कर दिया है।

वसूली

अनर्जक आस्तियों के प्रबन्धन के लिए बैंक में विस्तृत दिशानिर्देशोंयुक्त सुपरिभाषित वसूली नीति मौजूद है। इसमें एनपीए प्रबन्धन के सभी क्षेत्र, निगरानी, अनुवर्ती उपाय, समझौता निपटान, स्टाफ जवाबदेही, सरफेसी अधिनियम, प्रवर्तन वसूली एजेंसियों की नियुक्त, एआरबी को आस्तियों की बिक्री, इरादतन चूककर्ता तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली शामिल है। अर्थव्यवस्था में नवीनतम परिवर्तनों/गतिविधियों एवं एनपीए निपटान की प्रवृत्ति इत्यादि को समाहित करने के लिए इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

1. वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, यद्यपि, बैंक ने ₹ 1104 करोड़ की नकद वसूली, ₹ 766 करोड़ का अपग्रेडेशन, ₹ 1278 करोड़ की अनर्जक आस्तियों की बिक्री तथा ₹ 290 करोड़ की बढ़ाकृत खातों में वसूली के साथ कुल मिलाकर ₹ 3438 करोड़ का सुधार किया है परंतु उच्च राशियों के नए खातों (₹ 50.00 करोड़ एवं अधिक के 24 खाते राशि ₹ 4176 करोड़) के जुड़ जाने से कार्य निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।
 - ❖ सकल एनपीए का स्तर ₹ 8456 से बढ़कर ₹11500 करोड़ हो गया है।
 - ❖ शुद्ध एनपीए ₹ 4988 करोड़ से बढ़कर ₹6649 करोड़ हो गया है।
 - ❖ सकल एनपीए तथा शुद्ध एनपीए अनुपात में क्रमशः 4.80% से 6.27% तथा 2.90% से 3.75% की वृद्धि हुई है।
 - ❖ नकद वसूली ₹1581 करोड़ से घटकर ₹1104 करोड़ (43.21%) हो गई है।
2. ₹1.00 लाख तक बकाया एनपीए खातों के लिए विशेष एकमुश्त योजना के अंतर्गत ₹151 करोड़ (पिछले वर्ष ₹127 करोड़) की वसूली हुई है।
3. वर्ष के दौरान ₹1.00 लाख से अधिक एवं ₹10 लाख तक बकाया राशि वाले एनपीए खातों में सरलीकृत ओटीएस योजना के अंतर्गत बैंक ने ₹196 करोड़ (पिछले वर्ष ₹114 करोड़) वसूल किए।
4. वर्ष के दौरान कृषक राहत योजना के अंतर्गत ₹10.00 लाख तक की स्वीकृत सीमा वाले ट्रैक्टर/कृषि ऋणों के एनपीए खातों में ₹101 करोड़ (पिछले वर्ष ₹149 करोड़) की वसूली की गयी।
5. इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर ओटीएस प्रस्ताव के अंतर्गत सकल राशि ₹359 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹170 करोड़ वसूल किए जा चुके हैं।
6. वर्ष के दौरान बैंक ने ₹1533 करोड़ के एनपीए, एआरसी को बेच दिए, जहां बकाया शेष ₹1448 करोड़ है।



7. हमने सभी ऋणियों से संपर्क किए जाने हेतु निर्देश दिए हैं तथा हम वसूली के परिप्रेक्ष्य में प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप फील्ड फंक्शनरियों ने अधिकतम ऋणियों से मुलाकात की, इससे वसूली को बढ़ावा मिला।
8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/कार्यपालक निदेशक सहित वरिष्ठ कार्यपालकों ने विभिन्न अंचलों/क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उन्होंने समस्याग्रस्त ऋणियों से वसूली के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की। इसके अतिरिक्त, कार्यपालकों को वसूली शिविरों में सहभागिता हेतु फील्ड में प्रतिनियुक्त किया गया। जनवरी 2014 तक से मार्च 2014 सभी क्षेत्रों में बड़े वसूली शिविरों का आयोजन किया गया। ₹163.25 करोड़ के कुल 20659 खातों का निपटान किया गया, जिसमें मार्च 2014 तक ₹111.36 करोड़ की वसूली हुई।
9. डीआरटी मामलों की नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के उद्देश्य से, डीआरटी में प्रगति की रिपोर्टिंग के लिए ही एक समर्पित पोर्टल प्रारंभ किया गया एवं त्वरित निपटान हेतु मामलों को आगे बढ़ाया गया। बीआईएफआर/डीआरटी/डीआरएटी के मामलों की उप महाप्रबंधक विधि द्वारा निगरानी एवं त्वरित निपटान हेतु अनुवर्तन किया जाता है।
10. वसूली प्रक्रिया में गति लाने के लिए, सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत पहल, इरादन चूककर्ता के रूप में घोषणा एवं कानूनी कार्रवाईयां तेज की गईं।
11. दिनांक 31.03.2013 को 394108 खातों के कुल ₹8456 करोड़ की राशि में से ₹2203 करोड़ की राशि 198999 खातों में वसूल/अपग्रेड की गई तथा अन्य खातों में ₹554 करोड़ की कमी गई थी। ₹7568 करोड़ के नए स्लीपेज में से ₹1014 करोड़ की वसूली/अपग्रेड की गई। इस प्रकार वर्ष 2013-14 के दौरान कुल एनपीए वसूली 23.55% थी।

बैंकाश्युरेंस

हमारे बैंक द्वारा जीवन बीमा के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एवं गैर जीवन बीमा उत्पादों के लिए चोला एम एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कॉरपोरेट एजेंसी के अंतर्गत बीमा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

दिनांक 31.03.2014 तक कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

- ❖ हमारा बैंक बीमा पॉलिसियों की संख्या एवं बीमा प्रीमियम संग्रहण में भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी बैंकाश्युरेंस पार्टनरों में प्रथम स्थान पर रहा। बैंक ने 1,08,036 पॉलिसियां बेचकर ₹176.00 करोड़ की प्रीमियम राशि संग्रहित की।
- ❖ बैंक ने जनरल इंश्योरेंस व्यवसाय के तहत वर्ष दर वर्ष 27% की वृद्धि के साथ 5,59,846 पॉलिसियों से ₹105 करोड़ का प्रीमियम संग्रहित किया।
- ❖ बैंकाश्युरेंस व्यवसाय से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8% की वृद्धि के साथ ₹26.65 करोड़ की कुल आय प्राप्त हुई।

डिपॉजिटरी सेवाएं

- ❖ बैंक नोडल शाखा, केपीटल मार्केट सर्विसेस ब्रांच, मुम्बई के माध्यम से डिपॉजिटरी सेवाएं एवं भारत के बड़े केन्द्रों में स्थित शाखाओं के माध्यम से डीमेट सेवाएं उपलब्ध करा रहा है एवं बैंक के 24000 डीमेट खाता धारक हैं। सीएमसी लिमिटेड द्वारा प्रदत्त वेब आधारित सॉल्यूशन के माध्यम से सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लि.(सीडीएसएल) के साथ व्यवस्था के तहत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में डिपॉजिटरी सेवा मुहैया कराई जाती है।

ऑनलाइन ट्रेडिंग

बैंक, अपने ट्रेड नाम 'सेन्ट-ई-ट्रेड' के साथ 'श्री-इन-वन' ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है, जिन ग्राहकों का बैंक के पास खाता है तथा जो डीमेट खाता रखते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित ब्रॉकिंग फर्म एंजिल ब्रॉकिंग लि. के साथ टाई-अप व्यवस्था के जरिए इक्विटी शेयर्स एवं डेरीवेटिव्स में ट्रेडिंग करने हेतु ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा उपलब्ध कर रहा है। 31.03.2014 को, बैंक के पास ऑनलाइन ट्रेडिंग के 200 खाते हैं।

केवल केपीटल मार्केट सुविधाएं जैसे असबा, डी-मेट, क्लियरिंग बैंक, लाभांश/वारंट का भुगतान एवं ऋण/गारंटी सुविधाएं इत्यादि ब्रोकर को देने हेतु मुम्बई में केपीटल मार्केट सर्विसेस शाखा खोली गई है तथा यह ऑनलाइन ट्रेडिंग एवं असबा के लिए नियंत्रक शाखा है।

सूचना प्रौद्योगिक

1. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन:

- ❖ बैंक ने दिसम्बर 2010 में केन्द्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के अंतर्गत शाखाओं का 100% कवरेज हासिल कर लिया है।

कोर बैंकिंग सोल्यूशन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर मेसर्स टीसीएस के साथ दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 से 5 वर्ष के लिए संविदा का नवीनीकरण किया गया है। संविदा नवीनीकरण प्रक्रिया में आगामी व्यवसाय प्राकल्पों और अन्य सांविधिक तथा सुरक्षा अनिवार्यताओं के अनुरूप सीबीएस कार्यान्वयन के लिए, विद्यमान संगणना संसाधन अर्थात हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, सुरक्षा एवं अन्य सम्बद्ध आवश्यकताओं का संवर्धन/उन्नयन वस्तुतः शामिल है। अब, सितम्बर 2017 तक बैंक की आवश्यकता के अनुरूप संपूर्ण ढांचा व्यवस्थित हो चुका है।

- ❖ दिनांक 31.03.2014 को कुल शाखाएं 4551 + अन्य कार्यालय 218
1500 नई शाखाओं को ध्यान में रखते हुए अगले 5 वर्षों के अनुरूप बैंक की व्यावसायिक आवश्यकता पर आधारित सीबीएस तकनीकी स्थापित की गई है। इस नई सीबीएस संरचना से प्रतिदिन 8.5 मिलियन लेनदेनों का प्रसंस्करण तथा 125 मिलियन खातों को सेवा प्राप्त होंगी।
- ❖ इंटरनेट बैंकिंग सॉल्यूशन से लगभग 10000 संगामी उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकेगी, जो वर्तमान में 4400 संगामी उपयोगकर्ताओं की है।
- ❖ वर्तमान नवीनीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत, हमने हार्डवेयर रिफ्रेश एवं वर्चुलाइजेशन लायसेंस का नवीकरण एवं डीआर ऑटोमेशन टूल को पूर्ण कर लिया है।
- ❖ बैंक ने डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना की है तथा विनियामक दिशानिर्देशानुसार अनुपालन में बैंक की नीति के अनुरूप नियमित डिजास्टर ड्रिल आयोजित की जा रही है।
- ❖ शून्य डाटा हानि के साथ व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने नियर साइट पद्धति कार्यान्वित की है।
- ❖ सीबीएस प्रणाली में सतत आधार पर अन्य कई प्रणालियां कार्यान्वित की जा रही हैं।

जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :

- ❖ विद्यमान बचत खाते के सेन्ट सेलरी बचत खाते में परिवर्तन की सुविधा।
- ❖ बेनिफिशियल ओनर को जोड़ने की सुविधा।
- ❖ एक ग्राहक के विभिन्न खातों में एनपीए की एक समान तारीख।
- ❖ दैनिक आधार पर एनपीए की पहचान प्रणाली।
- ❖ खाते को पीए बनाने के लिए वसूल की जाने वाली निश्चित राशि का प्रदर्शन।
- ❖ पासबुक एवं टीडीआर में नामिति के नाम का मुद्रण।
- ❖ सेवा कर का नकद संग्रहण।
- ❖ ईएमआई अपरिवर्तित रखते हुए मियादी ऋण का विस्तारण,
- ❖ गोपालकृष्ण समिति के अनुसार पासवर्ड नीति।
- ❖ एनएसडीएल के साथ ऑन लाइन पैन की वैधता।

2. नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी

- ❖ बैंक के कॉरपोरेट नेटवर्क में शाखाओं, विस्तार पटलों, एआरबी, सेवा सहयोग शाखाओं, रिटेल आस्ति शाखाओं, सभी प्रशासनिक कार्यालयों, प्रशिक्षण कॉलेजों एवं आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों इत्यादि सहित कुल 4769 कार्यालय शामिल हैं।
- ❖ शाखा के कार्य घंटों के दौरान लगभग 100% अपटाइम के रखरखाव के लिए नियमित निगरानी तथा नियंत्रण की शुरुआत की गई है। विद्यमान वीसेट शाखाओं को लीज्ड लाइन में परिवर्तित करने की व्यवहार्यता सतत आधार पर की जा रही है एवं जब भी संभव हो, हम वीसेट शाखाओं को मुख्य लिंक के रूप में लीज्ड लाइन में एवं विद्यमान वीसेट लिंक को द्वितीय लाइन के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान व्यवहार्यता के आधार पर 358 वीसेट शाखाएं लीज्ड लाइन में परिवर्तित की जा चुकी हैं।



वैकल्पिक डिलीवरी चैनल :

3. इंटरनेट बैंकिंग

- ❖ इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को नये रूप और नये अनुभव के साथ हमारे ग्राहकों के लिए विस्तारित की गयी है, जो उत्पादों एवं सेवाओं की विशाल श्रेणी प्रदान करती हैं. इनमें रिटेल ग्राहकों के लिए पासवर्ड जनरेशन, निधि अंतरण, ऑनलाइन टैक्स क्रेडिट व्यू, यूटिलिटी बिल भुगतान, विभिन्न सरकारी संस्थाओं के लिए ऑनलाइन कर भुगतान, एयरलाइंस एवं सिनेमा के टिकट, शॉपिंग, मन्दिरों को दान, प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय राहत कोष के लिए दान, विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए शुल्क संग्रहण, सरकारी ई-भुगतान/प्राप्तियां, नियमित खातों के विवरण के साथ कस्टमाइज्ड खाता विवरणी, मिस्ड कॉल एलर्ट, एनआरआई/एनआरओ खातों सहित ऑनलाइन सावधि जमा की सुविधाएं शामिल हैं.
- ❖ कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिये आईएमपीएस लेनदेनों, आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग, ऑनलाइन रेलवे माल वाहन शुल्क बुकिंग के लिये ई-फ्रेट इत्यादि के साथ इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा भी उपलब्ध है और वर्तमान में आईएनबी द्वारा कॉर्पोरेट (गैर वैयक्तिक) आईएनबी ग्राहकों के लिए अनेक अपलोड सहित 24 घंटे एनईएफटी सेवा उपलब्ध है.
- ❖ बैंक ने ओडिसा तथा बिहार सरकार के लिए कर संग्रहण एवं प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिये भुगतान संग्राहक के माध्यम से एक बिल्कुल नया मोड्यूल नियोजित किया है, जिसमें 40 से भी अधिक बैंकों के ग्राहक कर का भुगतान कर सकते हैं. बैंक ने प्रशासनिक सेवा, खाद्य एवं अन्य ई-वेतन मंत्रालयों के लिये भुगतान प्रणाली का भी कार्यान्वयन किया है.
- ❖ ऑनलाइन भुगतान को सुलभ बनाने के लिए डीआईपीपी द्वारा आरंभ किए गए मिशन 'प्रोजेक्ट ई बिज' से जुड़ने वाला सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया प्रथम बैंक है.
- ❖ कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिये आवश्यकतानुरूप खाता विवरणी की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध है. कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत एनईएफटी के माध्यम से थोक राशि अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है. कॉर्पोरेट ग्राहक, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते समय अपनी सुविधानुसार विभिन्न विकल्पों को चुन सकते हैं.
- ❖ बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग में निम्नलिखित नई प्रक्रियाएं लागू की हैं:
 - ऑन लाइन बचत खाता खोलना
 - इंटरनेट बैंकिंग लेन-देन के लिए रिवाईर्ड पॉइन्ट (वर्तमान में संशोधन के अधीन)
 - 24*7 बैंकिंग के लिए नगद जमा कियोस्क मशीन.
 - यूएसएसडी के द्वारा आईएमपीएस एवं आईएनबी के द्वारा आईएमपीएस (व्यक्ति से खाता)
 - शाखाओं के माध्यम से आईएनबी उपयोगकर्ताओं को थोक अपलोड की सुविधा.
 - भुगतान गेटवे सेवा प्रदाता के माध्यम से ऑनलाइन फीस संग्रहण.

4. एसएमएस बैंकिंग:

- ❖ ग्राहकों द्वारा किए गए लेनदेन संबंधी रियल टाइम अलर्ट सहित उनके खातों की सूचना एसएमएस द्वारा उपलब्ध कराई जाती है. वर्तमान में ग्राहकों द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर 15 विभिन्न भारतीय भाषाओं में निम्नलिखित के लिए एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं. 1) बचत खाते में ₹1000/- से अधिक तथा चालू/ओडी खाते में ₹10,000/- से अधिक की जमा/नामे 2) समाशोधन चेक नकारे जाने पर 3) निर्धारित न्यूनतम स्तर से खाते की शेष राशि कम होने पर 4) सावधि जमा की परिपक्वता से 7 दिन से पूर्व सूचना
- ❖ शाखा प्रबन्धकों तथा उच्च अधिकारियों को भी एसएमएस भेजे जाते हैं ताकि वे एनपीए सहित अन्य खातों की निगरानी बेहतर हाउसकीपिंग तथा शाखाओं की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण रखा जा सके.

5. मोबाइल बैंकिंग :

- ❖ जीपीआरएस का उपयोग करते हुए पूछताछ तथा निधियों के अंतरण के परिचालनों हेतु मोबाइल बैंकिंग प्रारंभ की गई है. मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किए गए लेनदेन, एंड-टू-एंड इंस्क्रिप्शन और द्वि-स्तरीय प्रमाणन प्रक्रियाओं के साथ सुरक्षित होते हैं.
- ❖ बैंक ने दिसम्बर 2013 में निम्नलिखित सुविधाओं के साथ नया मोबाइल बैंकिंग सोल्यूशन प्रारम्भ किया है:



- ❖ प्रथम चरण के अंतर्गत सुविधाएं : निधि अंतरण, बकाया पूछताछ एवं लघु विवरणी.
- ❖ द्वितीय चरण के अंतर्गत अतिरिक्त सुविधाएं : बिल भुगतान, खाता खोलना, डी मेट, दान इत्यादि.
- ❖ एन्ड्रॉयड एवं जावा प्लेटफॉर्म पर उपलब्धता : एप्पल एवं ब्लैकबेरी वर्जन 10 के लिए पंजीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है (माह अप्रैल के अंत तक पूर्ण होगा)

6. फोन बैंकिंग:

- ❖ फोन बैंकिंग सॉल्यूशन का कार्यान्वयन अंग्रेजी एवं हिन्दी में आवाज की रिकार्डिंग के साथ किया जाता है और सीबीएस शाखाओं के सभी ग्राहकों को यह सुविधा उपलब्ध है.

7. मिस्ड कॉल अलर्ट:

- ❖ यह सुविधा हमारे कासा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, जिसके द्वारा ग्राहक शेष राशि की जानकारी और विशिष्ट नंबर पर मिस्ड कॉल देते हुए अंतिम तीन लेनदेनों की निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इस नई अभिनव ग्राहकोन्मुखी पहल के लिए हमें भारतीय बैंक संघ से प्रशंसा भी प्राप्त हुई है.

8. एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकड राशि (अस्बा):

- ❖ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने कंपनियों द्वारा शेयर्स के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम की विद्यमान प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया है और 'एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकड अमाउंट' (अस्बा) नामक पूरक प्रक्रिया शुरू की है. हम अपने सभी ग्राहकों के लिए अस्बा सुविधा प्रस्तुत करते हैं, जिसके द्वारा निवेशक उनके खाते में आवेदन राशि को ब्लॉक करने तथा उसके पश्चात आवंटन राशि प्रेषित करने के लिए बैंक को प्राधिकृत कर सार्वजनिक निर्गम का आवेदन कर सकते हैं.

9. कियोस्क बैंकिंग :

- ❖ नगद जमा, बैलेन्स इन्कायरी सुविधाओं के साथ बैंक ने 150 स्वयं सेवा कियोस्क मशीनें कार्यान्वित की हैं. अतिरिक्त 600 कियोस्क मशीनें (100 नगद जमा एवं 500 बहुक्रियात्मक) खरीदने के आदेश दिए जा चुके हैं एवं जून 2014 तक इनके कार्यान्वित हो जाने की आशा है.

अन्य परियोजनाएं

10. वेबसाइट :

- ❖ ग्राहकों की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए, वेबसाइट के आकर्षण एवं अनुभूति में नए परिवर्तन हो रहे हैं. वेबसाइट में ग्राहकों के लिए ऑन-लाइन शिकायत मॉड्यूल भी शामिल हैं. बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग तथा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं. सुरक्षा लेखापरीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है.

11. भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान गेटवे प्रणाली :

- ❖ स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) का उपयोग करते हुए सभी सीएबीएस शाखाओं को आरटीजीएस तथा एनईएफटी समर्थित किया गया है. दिनांक 31 मार्च, 2014 को 4648 शाखाएं/विस्तार पटल/एनबीओ/कार्यालयों को आरटीजीएस के लिए तथा 4668 शाखाओं/विस्तार पटल/एनबीओ/ कार्यालयों को एनईएफटी समर्थित किया है.
- ❖ रिटेल तथा कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा भी उपलब्ध है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी हमारे बैंक के भुगतान गेटवे के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए उप-सदस्य के तौर पर सहकारी बैंकों की ऑन बोर्डिंग को भी कार्यान्वित किया है..

12. पेमेंट इंटीग्रेटर सॉल्यूशन :

- ❖ बैंक ने विभिन्न बेच प्रसंस्करण कार्यों प्रोसेसिंग फंक्शनलिटी जैसे इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (एनईसीएस), सरकारी भुगतान(जीईपीजी) पेंशन प्रसंस्करण, ईएफएमएस, ग्रहणाधिकार हटाना एवं लेनदेन प्रसंस्करण के माध्यम से (आस्बा के माध्यम से) वेतन भुगतान के लिए एचआरएमएस एकीकरण, आवक स्विफ्ट संदेशों का एकीकरण (एमटी103), सहकारी बैंक एनईएफटी, त्वरित प्रेषण, एनजीआरटीजीएस, सीपीएसएमएस- डिजीटल सिग्नेचर वेलीडेशन, पैन वेलीडेशन (सीबीएस में सीआईएफ बनाने के समय) ई-प्रेषण (फ्लैश रेमीटेंस) इत्यादि के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु भुगतान एकीकरण सॉल्यूशन (एटीएम) स्थापित किया है.



13. चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस)

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, निम्नलिखित स्थानों पर चेक ट्रंकेशन प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा चुकी है:

- ❖ दक्षिण ग्रिड में सभी 27 केन्द्रों पर
- ❖ उत्तर ग्रिड में एनसीआर एवं अतिरिक्त 20 केन्द्रों पर
- ❖ पश्चिमी ग्रिड में 20 केन्द्रों में से 18 केन्द्रों पर

14. कॉल सेंटर

- ❖ बैंक ने दिनांक 6 जुलाई, 2011 से कॉल सेंटर की स्थापना की है तथा यह सुगमता से कार्य कर रहा है।
- ❖ वर्तमान में कॉल सेंटर विभिन्न सेवाएं जैसे बैंक के उत्पाद तथा सेवाओं की सूचना, शाखा/एटीएम लोकेशन की सूचना, ब्याज दर तथा सेवा प्रभारों पर सूचना, शेष जानकारी, लेनदेन जानकारी, चेक नंबर की जानकारी, डेबिट कार्ड हॉट-लिस्टिंग, ब्याज अर्जित/ब्याज भुगतान की जानकारी, टीडीएस जानकारी, लेनदेन विवरण, चेक जारी या जमा की स्थिति, सीडी/सीसी/ओडी एवं ब्याज जानकारी, बैंक की ग्राहक शिकायत प्रणाली एवं इनके निपटान हेतु उपयुक्त स्तर पर शिकायतों की रिकार्डिंग तथा फीडिंग की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।
- ❖ बैंक ने कॉल सेंटर में सीआरएम कार्यान्वित किया है।

15. सिंगल डाटा रिपोर्टिग (एसडीआर) :

बैंक ने सिंगल डाटा रिपोर्टिग की स्थापना कर एक महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया है, जो पूरे बैंक में सूचना/रिपोर्ट प्रदान करने का स्रोत होगा। यह उच्च प्रबंधन को सत्यता पूर्ण रिपोर्टिंग के विभिन्न डेशबोर्ड्स उपलब्ध कराते हुए रिपोर्टिंग की तारतम्यता सुनिश्चित करेगा, जिससे डिसीजन सपोर्ट प्रक्रिया में बढोत्तरी होगी।

यह आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में समस्त संस्थान के लिए डाटा भंडारण/डाटा मायनिंग का समाधान होगा। यह बैंक के स्वचालित डाटा प्रवाह, कॉर्पोरेट निष्पादन प्रबंधन समाधान, आस्ति देयता प्रबंधन, एमआईएस एवं एएलएम रिपोर्ट, कॉर्पोरेट कार्यनिष्पादन प्रबंधन इत्यादि में भी सहायक होगा। यह परियोजना, कार्यान्वयन के अंतिम चरणों में है।

16. एचआरएमएस:

बैंक ने सभी कार्यों जैसे कर्मचारी स्वयं सेवा, कार्य निष्पादन प्रबंधन, वेतन प्रबंधन, दौरा अनुमोदन एवं दावा प्रसंस्करण, एलएफसी का प्रबंधन, अवकाश एवं उपस्थिति प्रशासन, कर्मचारी सूचना प्रणाली, स्टाफ ऋण प्रसंस्करण, चिकित्सा सहायता का प्रबंधन, एचआरडी/विधि विभाग, अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रभाग (डीएडी), ग्रेच्युटी भुगतान, भविष्य निधि डाटा प्रबंधन एवं भुगतान, एनआरडब्ल्यू भुगतान प्रसंस्करण, रिहायशी क्वार्टर्स का आबंटन, समाचार पत्र प्रतिपूर्ति रिपोर्ट (स्टाफ शक्ति, पेट्रोल, फॉर्म 16, अवकाश, संगठन, वेतनवृद्धि रिपोर्ट) इत्यादि कार्य को शामिल करते हुए पीपुल सॉफ्ट के माध्यम से 'स्टेट ऑफ द आर्ट' एचआरएमएस समाधान (स्व-दर्पण) को क्रियान्वित किया है। एचआरएमएस द्विभाषी सुविधा कार्यान्वित की गई है।

17. इन-हाउस डेवलपमेंट :

- ❖ बैंक के पास एक सुदृढ़ आईटी डेवलपमेंट टीम है, जो बैंक के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर की आवश्यकताएं प्रभावी तौर पर पूर्ण करती है तथा यथासंभव उनकी आउटसोर्सिंग बचाती है। बैंक ने रेलवे, डिफेन्स तथा सिविल पेंशन के लिए केन्द्रीकृत पेंशन मॉड्यूल विकसित किये हैं, जो इस टीम की एक बड़ी उपलब्धि है। यह इन-हाउस टीम विभिन्न विभागों एवं प्रशासनिक कार्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिससे बाहरी वेन्डरों पर निर्भरता कम हो गई है।

18. बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी

- ❖ मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार समामेलन प्रक्रिया के पश्चात बैंक के वर्तमान में 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। सभी शाखाएं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंतर्गत हैं एवं प्रयास किए जा रहे हैं कि आरआरबी में भी तकनीकी पहलें बैंक के समकक्ष की जाएं।
- ❖ आरआरबी में निम्नलिखित प्रक्रियाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं।
 - आरआरबी ग्राहकों के लिए एटीएम कार्ड की सुविधा



- आरआरबी में एसएमएस अलर्ट प्रारम्भ
- एफआई लेन-देन के लिए ऑनलाइन इंटरफेस
- किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारम्भ
- सीपीएसएमएस का कार्यान्वयन
- अति सूक्ष्म शाखा का क्रियान्वयन
- एपीबीएस का प्रारम्भ
- सिबिल डाटा निकालना

19. वित्तीय समावेशन पहलें :

- ❖ आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) प्रारम्भ है
- ❖ डीबीटी कार्यान्वित
- ❖ आधार समर्थ भुगतान प्रणाली (ईपीएस) आरम्भ है
- ❖ बल्क आधार सीडिंग के लिए सुविधा
- ❖ वैकल्पिक माध्यमों से भी आधार सीडिंग एटीएम, एसएमएस एवं इंटरनेट बैंकिंग
- ❖ अभी तक कुल 27.60 लाख आधार सीड किए गए हैं.
- ❖ एफआई ग्राहकों के लिए केन्द्रीय बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन
- ❖ सामान्य आरएफपी के अनुसार ऑन लाइन पंजीकरण/लेनदेन का कार्यान्वयन (मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र में)
- ❖ 270 सीएससी स्थानों में कियोस्क मॉडल एफआई का कार्यान्वयन
- ❖ भोपाल अंचल की चिन्हित 5 शाखाओं में प्रतिगामी स्थानांतरण प्रगति में है.

20. आईटी गवर्नेंस.

- ❖ सूचना प्रौद्योगिकी की रणनीति, सूचना प्रौद्योगिकी स्टियरिंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन समिति के गठन के साथ बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस के लिए आधारभूत आवश्यक ढांचा तैयार किया है. पीसी, प्रिन्टर, एटीएम आदि के लिए हार्डवेयर डिस्पोजल नीति तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति का अनुमोदन, स्टियरिंग समिति के द्वारा किया गया था.
- ❖ संतुलित स्कोरकार्ड का निर्माण एवं प्रस्तुति नियमित आधार पर की जा रही है एवं आईटी कार्यनीति समिति की सलाह के अनुसार, आईटी परियोजना के विभिन्न पैरामीटर के अंतर्गत कार्यनिष्पादन की रेटिंग की जा रही है. आईएसओ-27001 प्रमाणन तथा बीएसएमएस-25999 प्रमाणन के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा एवं पर्यवेक्षण किया गया था.
- ❖ प्रतिगामी गैप विश्लेषण भी किया गया है एवं हमारा बैंक अपने समकक्ष बैंकों के साथ है.

21 सूचना सुरक्षा

- ❖ बैंक ने सूचना सुरक्षा संबंधित विषयों अर्थात नवीनतम सूचना सुरक्षा अद्यतन, सूचना सुरक्षा टिप्स एवं अन्य संबंधित सामग्री के लिए इंटरनेट सूचना सुरक्षा पोर्टल आरम्भ किया है.
- ❖ बैंक ने 'ई कैप्सूल' (सॉफ्ट वर्जन) नामक ई- पत्रिका आरम्भ की है, जो समकालीन सूचना सुरक्षा विषय/घटनाओं सहित हमारे सूचना सुरक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है.
- ❖ हमारे सूचना सुरक्षा पोर्टल पर उपलब्ध सूचना सुरक्षा संबंधी विषयों पर बैंक ने एक क्विज भी प्रारम्भ की है.
- ❖ बैंक ने हमारे डाटा सेन्टर एवं आपदा वसूली केन्द्र के लिए आईएसओ 27001: 2005 आईएसएमएस प्रमाण का नवीनीकरण कर लिया है.
- ❖ बैंक ने हमारे डाटा सेन्टर एवं आपदा वसूली केन्द्र के लिए आईएसओ 23001: 2012 बीसीएमएस प्रमाणन का नवीनीकरण कर लिया है



- ❖ बैंक को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
- ❖ बीएफएसआई डोमेन के अंतर्गत आई टी-सीनेट से ग्लोबल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट अवार्ड 2013
- ❖ सीआईएसओ प्लेटफॉर्म से टॉप 100 सीआईएसओ अवार्ड
- ❖ बैंक ने निम्नलिखित प्रक्रियाओं को कार्यान्वित किया है.
 - हमारी परिवर्तित प्रबंधन प्रक्रिया का ऑटोमेशन
 - आपदा वसूली प्रबंधन सॉल्यूशन के द्वारा डीआर ड्रिल का ऑटोमेशन
 - डीएम (डाटा बेस एक्टिविटी मॉनीटरिंग) का कार्यान्वयन, जो डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली (डीबीएमएस) की निगरानी करता है एवं बाहरी एवं आंतरिक कठिनाईयों से बचाता है.

22. सीबीएस प्रयोगकर्ताओं के लिए बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन (स्टाफ) :

- ❖ अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के रूप में बैंक बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन प्रणाली कार्यान्वित कर रहा है. अब सीबीएस प्रणाली में लॉग-इन बायोमेट्रिक उपकरणों के माध्यम से होगा एवं ज्यादातर शाखाएं इस हेतु पहले से समर्थ हैं एवं मई 2014 तक इसके पूर्णतः कार्यान्वयन होने की संभावना है.
- ❖ अनुपालन के एक भाग के रूप में, बैंक के सभी सिस्टम विन्डोज एक्सपी से विन्डोज 7 में परिवर्तित किए जा रहे हैं.
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, बैंक ने एनएसीएच कार्यान्वित किया है. अनुदेश प्रबंधन विकसित किया जा रहा है.
- ❖ सभी प्रशासनिक कार्यालयों, सीएफबीएस, जेडएसटीसी एवं सीबीओटीसी को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा विस्तारित की गई है.
- ❖ ऑफ साइट मॉनिटरिंग कार्यान्वित की गयी है.
- ❖ सेन्ट बैंक होम फायनेंस का ऑटोमेशन
- ❖ वेबसाइट के माध्यम से बचत खाता ऑन-लाइन खोलना.
- ❖ मोबाइल के माध्यम से सेन्टमेल कार्यान्वित. (एंड्रायड, ब्लैकबेरी, आईपैड आदि में उपलब्ध)

23. नकदी प्रबन्धन प्रणाली (सीएमएस) :

- ❖ सीएमएस के अंतर्गत हमारे ग्राहकों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप संग्रहण एवं भुगतान की सुविधा, तदनु रूप योजनाओं के द्वारा उपलब्ध की जा रही है.
- ❖ कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए हमारे पास विशेष योजनाएं है. त्वरित चेक संग्रहण (सेन्ट-क्यूसीसी), सेन्ट एक्सप्रेस, सेन्टइस्टेंट, गैरक्यूसीसी, स्थानीय चेक संग्रहण (एलसीसी), बल्क स्थानीय चेक संग्रहण(बीएलसीसी), केन्द्रीकृत समाशोधन सेवाएं (सीसीएस), सीधे नामे आदेश (ऑटो डेबिट मेंडेट), नकदी संग्रहण सुविधा, यूटिलिटी बिल्स संग्रहण, शुल्क संग्रहण, मांग ड्राफ्ट आहरण व्यवस्था, सममूल्य पर भुगतान-डीडी (पूर्व-निधियन), करेंसी चेस्ट से जुड़ी शाखाओं से नकद निकासी, लाभांश/वारंट ब्याज वारंट सुविधा का सममूल्य पर भुगतान आदि हमारे सीएमएस संग्रहण/भुगतान उत्पाद हैं.
- ❖ हमने टाटा समूह, एल.आई.सी., रेलवे, एमटीएनएल, फ्यूचर केपीटल होल्डिंग लि., समूह फार्मास्यूटिकल्स लि., जीएमआर समूह खाते आदि जैसे 85 कॉर्पोरेट खातों को सेवाएं प्रदान की है. बैंक वर्तमान सॉल्यूशन का नए कार्यों से उन्नयन कर रहा है.
- ❖ बैंक ने नया सीएमएस सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया है, जो प्रतिनिधि बैंक/कॉर्पोरेट को उनकी आवश्यकतानुसार सीएमएस उत्पाद के लिए, ऑन लाइन सीएमएम सुविधा उपलब्ध कराने में बैंक को समर्थ बनाता है.
- ❖ त्वरित चेक संग्रहण (सेन्ट-क्यूसीसी), सेन्ट एक्सप्रेस, सेन्टइस्टेंट, गैरक्यूसीसी, स्थानीय चेक संग्रहण (एलसीसी), बल्क स्थानीय चेक संग्रहण(बीएलसीसी), केन्द्रीकृत समाशोधन सेवाएं (सीसीएस), सीधे नामे आदेश (ऑटो डेबिट मेंडेट), नकदी संग्रहण सुविधा, यूटिलिटी बिल्स संग्रहण, शुल्क संग्रहण, मांग ड्राफ्ट आहरण व्यवस्था, सममूल्य पर भुगतान-डीडी (पूर्व-निधियन), करेंसी चेस्ट से जुड़ी शाखाओं से नकद निकासी, लाभांश/वारंट ब्याज वारंट सुविधा का सममूल्य पर भुगतान आदि हमारे सीएमएस संग्रहण/भुगतान उत्पाद हैं.



- ❖ हमारे पास कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए विशेष सीएमएस योजना है। टाटा समूह, कैपिटल फर्स्ट लि., ग्रुप फार्मा, जीएमआर ग्रुप, टीवीएस ग्रुप, एल एंड टी ग्रुप, एलआईसी, एमटीएनएल जैसे कॉर्पोरेट ग्राहक बैंक से सीएमएस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।
- ❖ बैंक का 5 राज्यों, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में सीएमएस सुविधा उपलब्ध कराने का बीएसएनएल से अनुबंध हुआ है।

19. डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस:

- ❖ बैंक के 71 क्षेत्रीय कार्यालयों की सभी शाखाओं के पात्र ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवा (डीएसबीएस) उपलब्ध की गई है।
- ❖ डीएसबीएस के अंतर्गत हमारे बैंक के कई ग्राहकों को नगद संग्रहण एवं नगद पेआउट सुविधा उपलब्ध की जा रही है।

20. करेंसी चेस्ट विभाग:

- ❖ वर्ष के दौरान एक नया करेंसी चेस्ट खोला गया। अगले 3 वर्षों में हमारा चरणबद्ध तरीके से 71 करेंसी चेस्ट खोलने का प्रस्ताव है।
- ❖ नगदी प्रसंस्करण केन्द्र आधुनिक एवं उपकरणों से सुसज्जित हैं।
- ❖ वर्ष के दौरान 23 क्राउन वेडिंग मशीन स्थापित की गयी है जिससे इनकी संख्या बढ़कर 69 हो गयी है। वर्ष 2014-15 के दौरान 500 और सीवीएम स्थापित करना प्रस्तावित है।
- ❖ करेंसी चेस्ट की कार्यकुशलता को बढ़ाने एवं नियंत्रक कार्यालय द्वारा इसकी मॉनिटरिंग किए जाने हेतु करेंसी चेस्ट परिचालन को ऑनलाइन किया गया है। फलस्वरूप सभी करेंसी चेस्ट, लाभ केन्द्रों में परिवर्तित हो गये हैं। पहली बार, करेंसी चेस्ट ने वर्ष के दौरान ₹1.00 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया है।
- ❖ हमने अपनी शाखाओं को करेंसी चेस्ट से जोड़ा है। क्षेत्र की ऐसी शाखाएं जहां करेंसी चेस्ट नहीं है, उन्हें हब एवं स्पोक मॉडल के अंतर्गत सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।


लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण

- ❖ दिनांक 31.03.2013 को बैंक की 2481 मध्यम जोखिम एवं 1648 निम्न जोखिम रेटिंग वाली शाखायें थीं। दिनांक 31.03.2014 को मात्र 13 उच्च जोखिम रेटिंग वाली शाखाओं के साथ 2245 मध्यम जोखिम रेटिंग वाली शाखाएं एवं 2130 निम्न जोखिम रेटिंग वाली शाखाएं हैं। अतः पूरे बैंक के स्तर पर शाखाओं के जोखिम आकलन में सुधार हुआ है।
- ❖ नियंत्रक कार्यालय वर्ष 2012-13 से प्रबंधन लेखा परीक्षा के स्थान पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस समीक्षा के अधीन है, जो स्वॉट विश्लेषण, नीतिगत पहलों पर सुझाव एवं सुधार हेतु की जाने वाली कार्रवाई से अवगत कराता है।
- ❖ वर्ष 2013 को 951 शाखाएं, संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत थीं। दिनांक 31.03.2014 को 135 शाखाएं और इसमें जुड़ कर कुल शाखाएं 1086 हो गयीं, जो जमा राशि का 67%, अग्रिम का 83.67% एवं कुल व्यवसाय का 74.27% कवर करता है। जिसमें से 7 सीएफबी, बैंक स्टाफ (मुप्र.) द्वारा संगामी लेखापरीक्षा के अंतर्गत हैं।
- ❖ डीएफएस दिशा निर्देशों के अनुसार ऑफ साइट मॉनीटरिंग प्रणाली कार्यान्वित की गयी है, वर्तमान में यह 28 परिदृश्यों के अंतर्गत है।

शाखा विस्तार

- ❖ दिनांक 31 मार्च 2014, को बैंक के नेटवर्क में कुल 4573 शाखाएं, 3677 अतिसूक्ष्म शाखायें, 3628 एटीएम, 29 सेटलाइट कार्यालय एवं 4 विस्तार पटल है। देश के सभी 28 राज्यों, 7 में से 6 केन्द्र शासित प्रदेशों, 561 जिला मुख्यालयों एवं 642 जिलों में से 568 जिलों में उपस्थिति के साथ बैंक का देशव्यापी विस्तार है।

शाखाओं का वर्गीकरण



● ग्रामीण ● अर्द्ध-शहरी ● शहरी ● महानगरीय

परिचालन

- ❖ बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंध नियम के अनुसार देश की सभी शाखाओं में सीटीएस -2010 चेक सुविधा आरम्भ की है।
- ❖ ग्राहकों संबंधी सभी नीतियां जैसे चेक संग्रहण नीति, क्षतिपूर्ति नीति, बैंक जमाराशि नीति, शिकायत निवारण प्रणाली को वर्ष के दौरान संशोधित एवं अद्यतन की गई।
- ❖ ग्राहकों के मध्य नामांकन सुविधा को लोकप्रिय बनाने के लिए सितम्बर 2013 को नामांकन माह के रूप से मनाया गया एवं इस अभियान के कारण लाखों ग्राहकों ने अपने खातों में नामांकन दर्ज किया।

ग्राहक शिकायतें

- ❖ ग्राहक की शिकायतों के बेहतर निवारण के लिए हमारे बैंक ने 24 x 7 घंटे टोल फ्री नंबर 1800 200 1911 सहित कॉल सेंटर प्रारंभ किया है। शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली को पूर्ण रूप ऑनलाइन किया गया है। सभी प्राप्त शिकायतों को ट्रैकिंग सुविधा सहित एक विशेष पहचान नंबर आबंटित किया जाता है।

व्यवसाय प्रक्रिया पुर्नविन्यास

वर्ष 2013-14 के दौरान बीपीआर विभाग द्वारा की गई मुख्य पहलें।

- 1. क्षेत्र/आंका की पुर्नसंरचना :** बैंक द्वारा वर्ष 2011 में की गई क्षेत्र/आंका के पुर्नसंरचना में कुछ कमियां देखी गयी। अतः हमने पूरी संरचना को पुनः देखा एवं संशोधित किया। संशोधित मॉडल के अनुसार एफजीएम/आंचलिक प्रबंधक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष उत्तरदायित्वों के साथ अब व्यवसाय स्वामी हैं एवं उनको नियंत्रण एवं व्यवसाय विस्तार में सहभागी की भूमिका निभानी है। नोडल क्षेत्रीय कार्यालय की संकल्पना को समाप्त कर दिया गया है। आंचलिक कार्यालयों को अंचल से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 'सूक्ष्म प्रबंधन' संभालना है।
- 2. ई वोव जांच के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग :** सप्लीमेंट्री की नियमित रूप से जांच नहीं की जा रही थी। हमने सप्लीमेंट्री के चेकरवार जनरेशन एवं ऑनलाइन जांच सुविधा वाला ई-वोव (ई वेरीफिकेशन ऑफ वाउचर) नामक प्रोग्राम विकसित किया है। इस प्रोग्राम के आरम्भ होने के पश्चात, यह देखा गया कि जांच करने का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। जांच प्रतिशत को 91% के अच्छे स्तर पर पहुंचाने के लिए हमने तीनों स्तरों (आंका/क्षेत्र/शाखा) पर प्रबल अनुवर्तन किया है।
- 3. केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ का आकलन :** केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में स्टाफ की आवश्यकता का उद्देश्यपरक एवं वैज्ञानिक आकलन किया गया एवं विभागवार एवं संवर्गवार स्टाफ की आधिक्यता रिपोर्ट मानव संसाधन विभाग को सौंपी है।



4. **सीएफएसएल का पुनर्गठन** : सीएफएसएल की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया गया एवं इसकी कार्यप्रणाली में सुधार हेतु पुनर्गठन उपाय सुझाए गए, जिसके आधार पर एक पृथक ऋण समूहन कक्ष बनाया गया।
5. **नेट बैंकिंग को लोकप्रिय बनाने के उपाय** : हमने अपने नेट बैंकिंग को अपेक्षित स्तर तक न पहुंचने के कारणों का अध्ययन किया एवं इसे लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं।
6. **ऑन लाइन पैन वेरीफिकेशन प्रोग्राम** : सिस्टम में पैन की त्वरित जांच के लिए एक सुलभ उपकरण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से, हमने सीबीएस/डीआईटी के सहयोग से प्रक्रिया बनाई है। सीआईएफ निर्माण स्क्रीन पर ऑनलाइन पैन वेरीफिकेशन सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। तदनुसार आयकर विभाग के अभिलेख के अनुसार एनएसडीएल के डाटा बेस में पैन धारक के नाम का ग्राहक द्वारा दिए गए नाम से मिलान किया जा सकता है। सिस्टम द्वारा कोई भी अवैध पैन स्वीकार नहीं किया जाता।
7. **फीड बैंक स्लिप के माध्यम से ग्राहक सेवा में सुधार** : हमने ग्राहकों से काउंटरवार/व्यक्ति विशेष के संबंध में दी जा रही सेवाओं का फीड बैंक, फीड बैंक पर्ची द्वारा प्राप्त करने की एक सरल प्रणाली बनायी है। हरी पर्ची प्रशंसा जबकि लाल पर्ची असंतोष को व्यक्त करती है। फीड बैंक देना ग्राहकों के लिए वैकल्पिक है। निश्चित समयांतराल में, इस फीड बैंक का अध्ययन किया जाएगा एवं अधिक लाल पर्ची प्राप्त करने वाले स्टाफ को समुचित परामर्श दिया जाएगा। इसी प्रकार, अधिकतम हरी पर्ची पाने वाले स्टाफ की प्रशंसा की जाएगी। यह सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों/व्यक्तियों को जानने में शाखा प्रबंधकों को समर्थ बनाएगा एवं स्टाफ सदस्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धा की भावना भी निर्मित करेगा।
8. **नेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक फीडबैक** : नेट बैंकिंग ग्राहक अपना संतोष अथवा असंतोष सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। जब कभी कोई ग्राहक नेट बैंकिंग में कोई उत्पाद विशेष देखता/लेता है, तो उक्त मॉड्यूल से बाहर होने से पूर्व **एक्सपीरियेंस** बटन क्लिक कर ग्राहक स्वयं द्वारा लिए गए उत्पाद/सेवाओं के बारे में अपने अनुभव बांट सकता है।
9. **एचएनआई व्यवसाय के विकास के लिए प्रोग्राम** : एचएनआई ग्राहकों को विशेष व्यवहार/वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करने के लिए, हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो अग्रणी पंक्ति के स्टाफ को एचएनआई ग्राहकों की त्वरित पहचान करने में समर्थ बनाएगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हॉट-की, एफ-9 को दबाने से ग्राहक का पूर्ण विवरण, एक पॉप अप संदेश के साथ कि 'ग्राहक एचएनआई ग्राहक है' प्रदर्शित होगा।

राजभाषा

- ❖ वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैंक को 'इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड' से सम्मानित किया गया है। यह शील्ड हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजीव ऋषि ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से प्राप्त की।
- ❖ बैंक को भाषिक क्षेत्र 'क' एवं 'ग' में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट अनुपालन के लिए, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया गवर्नर शील्ड भी प्राप्त हुई है।
- ❖ साथ ही, वर्ष 2013-14 के दौरान, हमें राजभाषा नीति के उत्कृष्ट अनुपालन के लिए महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंक समिति और गुजरात राज्य में गुजरात राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा पुरस्कारों से नवाजा गया है।
- ❖ वित्तीय वर्ष के दौरान, हमारे 28 आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/शाखाओं को राजभाषा नीति के उत्कृष्ट अनुपालन के लिए, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) द्वारा पुरस्कारों से नवाजा गया है।
- ❖ हम भोपाल, मद्रुरै, रायपुर, जलगांव, देवरिया तथा ग्वालियर स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के संयोजक बैंक हैं। इनमें से हमारी भोपाल एवं मद्रुरै नराकास को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कारों से नवाजा गया है।
- ❖ वर्ष के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति ने हमारे निम्नलिखित कार्यालयों का निरीक्षण किया :
 - केन्द्रीय कार्यालय
 - आणंद क्षेत्रीय कार्यालय
 - चम्पावत शाखा (देहरादून क्षेत्र)
 - कर्बी शाखा (झांसी क्षेत्र)



- ❖ हमारे बैंक द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों एवं किए गए प्रयासों को समिति द्वारा सराहा गया है।
- ❖ हमारे बैंक ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हिन्दी में कार्य करने की सुविधाएं प्रदान की हैं। हम अपने ग्राहकों को पासबुक, ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद तथा विवरणियां हिन्दी में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे ग्राहकों को एसएमएस, हिन्दी एवं विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भेजे जा रहे हैं।
- ❖ हम हिन्दी के प्रगामी प्रयोग सम्बंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के ऑन-लाइन प्रस्तुतीकरण हेतु, 'सेन्ट क्यूपीआर' वेब पोर्टल (इन-हाउस निर्मित) का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं।
- ❖ वर्ष के दौरान, 'कोच्चि' में अखिल भारतीय राजभाषा सेमिनार आयोजित किया गया।
- ❖ हमने अपने एचआरएमएस पोर्टल का द्विभाषीकरण कर दिया है।

कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन

बैंक ने वर्ष के दौरान, अपने उत्पादों एवं सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और बैंक के लिए नया व्यवसाय हासिल करने हेतु कॉर्पोरेट ब्रैंडिंग कार्यवाही के अंतर्गत अपने सतत प्रयास जारी रखे हैं। मार्केटिंग एवं ब्रैंड उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं आउटडोर मीडिया के साधनों का उपयोग करते हुए अभियान चलाए गए।

सतर्कता

- ❖ वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान, सतर्कता मामलों एवं शिकायतों का काफी शीघ्रता से निपटान किया गया है। दिनांक 31.03.2013 को छह माह की अधिक समय से बकाया मामलों की संख्या 60 से घटकर, दिनांक 31.03.2014 को 23 रह गई है।
- ❖ आंचलिक कार्यालयों में निरोधात्मक सतर्कता मुद्दों एवं सिस्टम की खामियों को दुरुस्त करने के प्रभावी उपायों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक तिमाही में धोखाधड़ी रोकथाम समिति की बैठक आयोजित की जाती है। इस समिति में आंचलिक प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक/सतर्कता अधिकारी तथा ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी/शहरी शाखाओं से एक शाखा प्रबंधक होते हैं।
- ❖ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से संपूर्ण भारत में सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2013 मनाया गया। सभी स्टाफ सदस्यों के लिए 'सेन्ट विज़िल' पोर्टल ऑनलाइन उपलब्ध है, ताकि वे कदाचारों की रिपोर्टिंग कर सचेतक के रूप में कार्य कर सकें।
- ❖ वर्ष के दौरान, बायोमेट्रिक लॉगिन सिस्टम जैसे नई पहल का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है।
- ❖ वर्ष 2013-2014 की प्रत्येक तिमाही में एक न्यूजलेटर प्रकाशित किया गया है। दिनांक 22.01.2014 को अधिप्राप्तियों पर एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई है।

मानव संसाधन विकास

1. मानवशक्ति :

मार्च 2014 की समाप्ति पर, बैंक में कर्मचारियों की संख्या 40,661 थी, जबकि गत वर्ष यह 37,113 थी। स्टाफ सदस्यों का श्रेणीवार विघटन निम्नानुसार है :

श्रेणी	मार्च 2014	मार्च 2013
अधिकारी	16,180	14,043
लिपिक	15,424	13,475
अधीनस्थ कर्मचारी	9,057	9,595
कुल योग	40,661	37,113

2. मानव संसाधन विकास :

(i) मानव संसाधन लेखापरीक्षा :

- ❖ विकासात्मक एचआर पहल के एक भाग के रूप में, विभिन्न पहलुओं के समाहन की सुसंस्थापित जांच-सूची युक्त सुगठित एचआर लेखापरीक्षा प्रणाली विकसित कर लागू की गई है, ताकि एचआरएम प्रणाली तथा समग्र कॉर्पोरेट व्यवसाय दर्शन के बीच यथेष्ट सामंजस्य सुनिश्चित किया जा सके एवं एचआरएम प्रणाली को ओर अधिक अनुकूल बनाया जा सके।



(ii) त्यागपत्र/वीआरएस पर संस्था त्यागने वाले कर्मचारियों के लिए साक्षात्कार की संकल्पना.

- ❖ विकासात्मक एचआर पहल के रूप में, एक नई प्रथा शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत त्यागपत्र अथवा वीआरएस के माध्यम से नौकरी त्यागने के इच्छुक कर्मचारी को त्यागपत्र/वीआरएस आवेदन के साथ अनिवार्यतः 'एग्जिट इंटरव्यू फॉर्म' संलग्न कर उसे सक्षम प्राधिकारी अर्थात केन्द्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा. यह फीडबैक संस्था के बेहतर संचालन के लिए, आवश्यकता पड़ने पर दृष्टिकोण, पद्धति, प्रक्रिया इत्यादि, में परिवर्तन के लिए उपयोगी रहेगा.

(iii) एचआर संबंधी विभिन्न मामलों पर सक्षम प्राधिकारियों की समीक्षा

- ❖ आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों के संगठनात्मक पुनर्गठन के परिणामस्वरूप स्टाफ संबंधी विभिन्न मामलों के लिए सक्षम प्राधिकारियों के संबंध में संशोधन किया गया है, ताकि स्टाफ दावों/शिकायतों के त्वरित निपटान करने में उन्हें और अधिक अनुकूल बनाया जा सके.

(iv) दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से अधिकारियों की किराया प्रतिपूर्ति की उच्चतम सीमा में पर्याप्त वृद्धि

अधिकारियों के कार्य जीवन की गुणवत्ता एवं उनकी खुशहाली में अभिवृद्धि के लिए अधिकारियों की किराया प्रतिपूर्ति सीमा में पर्याप्त वृद्धि की गई है.

(V) वेतनमान I, II, एवं III के अधिकारियों के लिए अंतर-क्षेत्र (अंचल के भीतर) अनुरोध स्थानान्तरण हेतु आवेदन के लिए अधिकारियों हेतु स्थानान्तरण मानदंडों में प्रावधान किए गए हैं.

(vi) हमारे बैंक के कर्मचारियों के लिए 'सर सोराबजी पोचखानावाला मेमारियल डेथ रिलीफ योजना' की शुरुआत.

- ❖ इस योजना का उद्देश्य बैंक में कार्यरत रहते दिवंगत होने वाले स्टाफ सदस्यों के शोकसन्तप्त परिवार के सदस्यों को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करना है. यह सभी स्टाफ सदस्यों का सामूहिक अंशदान है, जो संकट की घड़ी में सेन्ट्रलाइट साथियों की परोपकारिता की सामूहिक भावना को अभिव्यक्त करती है और शोकमग्न विधिक उत्तराधिकारियों को सान्त्वना के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है.

(vii) पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी कर्मचारियों हेतु, पहली बार पीपुलसॉफ्ट मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन-सह-स्वेच्छा प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

(viii) कार्यनिष्पादन मूल्यांकन में प्रविष्टियों का प्रकटीकरण

- ❖ कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन में उल्लिखित प्रविष्टियों/अंकों के संपूर्ण प्रकटीकरण की प्रणाली शुरू की गई है.

(ix) वित्तीय वर्ष के दौरान की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलें :

- ❖ एचआर नीतियों, विशेष तौर पर पदोन्नति एवं कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली नीति में प्रोत्साहक संशोधन कर इन्हें अधिकारी-अनुकूल बनाया गया है.
- ❖ एचआरएमएस प्रणाली को पूर्णतः परिचालित कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है एवं एचआर पद्धति एवं प्रक्रियाओं को और अधिक सिस्टम-संचालित बनाया गया है.
- ❖ रिपोर्टिंग वर्ष 2013-14 से अधिकारियों के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली ऑन-लाइन कर दी गई है.
- ❖ एचआर नीतियों में परिवर्तन कर उन्हें प्रतिभाएं रोकने एवं आकर्षित करने योग्य बनाया गया है
- ❖ वर्ष 2014-15 के लिए, मानवशक्ति आयोजना का निर्धारण, समिति दृष्टिकोण की संकल्पना के माध्यम से सर्वाधिक पारदर्शी एवं यथार्थपूर्ण किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है.

3. प्रशिक्षण:

स्वस्थ पदारोहण तैयार करने एवं सुदृढ़ प्रबंधकीय टीम के लिए, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण एक मूल बुनियाद है. तदनुसार, वर्ष 2013-14 के दौरान, 'प्रशिक्षण एवं विकास' कार्यक्रम पर बल देना जारी रखा गया. वर्ष 2013-14 को 'कैपेसिटी बिल्डिंग ईयर' के रूप में अभिचिन्हित किया गया. इस पृष्ठ भूमि और बैंक को 'लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन' के रूप में रूपांतरित करने के सतत प्रयासों को गति देने के लिए प्रशिक्षण गतिविधि की संपूर्ण व्यवस्था जिसमें प्रशिक्षण मॉड्यूलस, विषयवस्तु और डिलिवरी सिस्टम इत्यादि हैं. में अभिनव परिवर्तन किए गए हैं.

नए भर्ती हुए परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए, 24 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया. यह कार्यक्रम क्लासरूम एवं



जॉब प्रशिक्षण का संयुक्त स्वरूप है, जिसमें बैंकिंग के प्रत्येक पहलू पर बल दिया गया है। नए भर्ती हुए परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए सीईटीटीएम, मुंबई में 'श्रीजन' नामक 2 सप्ताह का सॉफ्ट स्किल पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें सॉफ्ट स्किल, सीआरएम एवं माध्यस्थता प्रक्रिया पर विशेष बल दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध वक्ताओं में से डब्बावाला एसोसिएशन के अध्यक्ष, विपसना विशेषज्ञ, रेकी विशेषज्ञ, हावर्ड के प्रोफेसर, नवोन्मेषक, बंधन उद्यमियों के संस्थापक, इत्यादि शामिल थे। साथही, एसपीबीटीसी, मुंबई, सीबीओटीसी, भोपाल, बीआरबीआरआईटी, जबलपुर एवं एनआईआरडी, हैदराबाद में पहली बार शाखा प्रबंधक बन रहे अधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। नए भर्ती हुए एएफओ, सीए, विधि अधिकारी एवं प्रौद्योगिक अधिकारी तथा एकल खिड़की परिचालकों के लिए 'प्रवेश पाठ्यक्रम' कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे अंचलों में विपणन कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। आईडीआरबीटी के अधिकारियों द्वारा एसपीबीटीसी में कार्यपालकों के लिए आईटी गवर्नेंस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। आईआईबीएफ द्वारा प्रवर्तित उन्नत प्रबंधन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। हमने इस पाठ्यक्रम में सहभागिता कर उनके कौशल को बढ़ाने हेतु 2 अधिकारियों को अनुमति प्रदान की।

वर्ष 2013-14 के दौरान, तीन प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा 16 आंचलिक कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्रों में 163687 कार्य-दिवस के क्लासरूम, लोकेशनल, आरआरबी तथा विशेष प्रशिक्षण सहित 1490 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 33179 सहभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा एनआईबीएम, सीएबी, आईआईबीएम, आईडीआरबीटी, बीआईआरडी, आईआईबीएफ इत्यादि जैसी बाहरी प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा आयोजित विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न वेतनमानों के 316 अधिकारियों को नामित किया गया। साथ ही, वर्ष 2013-14 में फेडआई, बैंकाश्युरेंस, लीडरशिप प्रोग्राम, एडवांस लीडरशिप प्रोग्राम, इनफॉर्मेशन सिक्यूरिटी, परिचालन जोखिम प्रबंधन, सीआरएम/एनालिटिक्स, उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम, उत्पद नवोन्मेषि उत्कृष्टता बैंकिंग एवं वित्त में उत्कृष्टता के लिए लीडरशिप, एनालिटिकल एवं क्रियेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए क्रिटिकल इंटरनेट रिसोर्सेज इनेबलर, एग्री बिजनेस एवं कृषि प्रसंस्करण पर अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रोग्रामों के लिए विभिन्न विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों/एक्सपोजर हेतु 54 अधिकारियों को भेजा गया था।

क्षमता निर्माण पहल :

- ❖ प्रत्येक स्टाफ सदस्य को प्रति वर्ष, कम-से-कम एक प्रशिक्षण दिया जाना।
- ❖ क्षेत्रीय प्रबंधकगण/आंचलिक प्रबंधकगण को तिमाही में 2 से 3 दिन के लिए और शाखा प्रबंधकों को छमाही में 4 से 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- ❖ ऐसे महाप्रबंधकगण/उप महाप्रबंधकगण, जिनकी शेष सेवा 2-3 वर्ष से अधिक है, उन्हें प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों जैसे आईएसबी, आईआईएम इत्यादि में उन्हें लीडरशिप, प्रबंधन विकास इत्यादि पर शीर्ष स्तर के बाहरी प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाएगा।
- ❖ प्रशिक्षण महाविद्यालय/केन्द्रों को कर्मचारियों द्वारा उनके दैनंदिन कार्यों में झेली जा रही व्यापवहारिक समस्याओं के निराकरण के लिए एक परामर्श केन्द्र एवं हल प्रदाता के रूप में विकसित करना।

4. भर्ती एवं पदोन्नति :

वर्ष 2013-14 में, परिवीक्षाधीन अधिकारियों, तकनीकी अधिकारियों-आईटी, वेतनमान-I एएफओ, विधि अधिकारी, वास्तुविद, सिविल इंजीनियर, वेतनमान-II के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वेतनमान-III के अनुसंधान विश्लेषक, लिपिकीय वर्ग इत्यादि के लिए 4253 पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई।

इन पदोन्नति प्रक्रियाओं को और अधिक प्रोत्साहक बनाया गया है तथा कॉर्पोरेट लक्ष्य के अनुरूप यह संकल्पन लिया गया है कि सभी वेतनमानों/संवर्गों के लिए, यथासंभव बारम्बार पदोन्नति प्रक्रियाएं की जाएं। तदनुसार, वर्ष 2013-14 के दौरान, अंतर-वेतनमान एवं अंतर-संवर्ग पदोन्नति प्रक्रियाएं आयोजित की गईं तथा लगभग 3524 से अधिक कर्मचारियों/ अधिकारियों (मुख्यधारा एवं विशेषज्ञ श्रेणी) को उच्चतर संवर्ग/वेतनमान में पदोन्नत किया गया।

5. आरक्षण नीति का कार्यान्वयन :

आरक्षण नीति में अजा/अजजा/अपिव/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत छूट एवं रियायतें बैंक द्वारा उन्हें प्रदान की जा रही हैं तथा इस सम्बंध में भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन/दिशानिर्देशों का बैंक द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के माननीय सदस्य श्री शिवन्ना ने दिनांक 25.10.2013 को कोलकाता अंचल के अंतर्गत भुवनेश्वर क्षेत्र का दौरा किया और आरक्षण नीति के कार्यान्वयन एवं अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा पर हमारे बैंक के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की।



6. स्टाफ कल्याण योजनाएं:

‘स्टाफ एवं उनके परिवार का कल्याण’ प्रबंधन का प्रतिबद्ध प्रयास बना हुआ है एवं इसे बैंक की एचआर कार्यसूची में शीर्ष स्थान पर रखा जाता है. तदनुसार, वर्ष 2013-14 में विभिन्न स्टाफ कल्याण योजनाओं के लिए ₹ 25 करोड़ आवंटित किए गये हैं.

यह राशि कुछ योजनाओं की मौद्रिक एवं गुणात्मकता में सुधारकर, विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित की गयी है. स्टाफ कल्याण के लिए 3 अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा स्वास्थ्य शिक्षा एवं आराम एवं स्वास्थ्य लाभ (कार्य जीवन संतुलन) पर जोर दिया जाना जारी है.

7. औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान, औद्योगिक संबंध आमतौर पर सौहार्द्रपूर्ण रहे.

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

दिनांक 31 मार्च, 2014 को बैंक का क्रेडिट कार्ड आधार 52289 का एवं प्रीपेड कार्ड आधार 847753 का है.

बैंक प्रमुख कार्ड एसोसिएशन अर्थात मास्टरकार्ड एण्ड वीसा के सहयोग से क्रेडिट कार्ड जारी करता है.

अंतर्राष्ट्रीय उपयोग की इच्छा रहने वाले ग्राहकों के लिए प्रीपेड कार्ड, मास्टर कार्ड के सहयोग से जारी किए जाते हैं. बैंक ईएमवी चिप आधारित क्रेडिट कार्ड भी जारी करता है.

एटीएम/डेबिट कार्ड परिचालन

दिनांक 31 मार्च, 2014 को बैंक के 3628 सक्रिय एटीएम हैं, जो दिनांक 31 मार्च, 2013 को 2529 थे. वर्ष के दौरान, 1099 एटीएम जोड़े गए हैं.

लेह, मणिकरन एवं बोध गया में हमने अपने एटीएम की उपस्थिति दर्ज कराई है.

नवम्बर 2013 में लेनदेन की संख्या प्रति दिन 1 मिलियन तक हो गई है. .

वर्तमान में अपटाइम 98% है, जिसे सुधारकर 99% करने का लक्ष्य है.

औसत हिट्स प्रतिदिन बढ़ रहे हैं.

औसत नकद आहरण लगभग ₹ 40 करोड़ प्रतिदिन है.

पीओएस लेनदेन ₹ 559.54 करोड़ है.

सहायक एवं संयुक्त उद्यम

(i) सेन्टबैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

शेयरधारकों को राइट इश्यू शेयर आबंटन के कारण, स्वामित्व निधि मार्च 2013 के ₹ 64.01 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2014 को ₹ 82.82 करोड़ हो गई.

वर्ष के दौरान, कंपनी के कुल अग्रिम मार्च 2013 के ₹ 401.60 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2014 को ₹ 487.60 करोड़ हो गए, इसमें वर्ष दर वर्ष 21.41% की वृद्धि हुई. आवास ऋण, मार्च 2013 के ₹ 289.11 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2014 को ₹ 356.03 करोड़ हो गए, इसमें 64.60% की वृद्धि दर्ज हुई है. गैर-आवास ऋण ₹ 112.49 करोड़ से बढ़कर ₹ 131.38 करोड़ हो गए, इसमें 16.79% की वृद्धि दर्ज हुई.

रिटेल जमाएं एवं संस्थागत जमाएं मार्च 2013 के ₹ 227.60 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2014 को ₹ 315.65 करोड़ हो गई, इसमें वर्ष दर वर्ष 38.68% की वृद्धि दर्ज हुई.

वर्ष 2013-14 के लिए, कंपनी का शुद्ध लाभ ₹ 11.29 करोड़ रहा, जो वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 10.06 करोड़ था. नए संवितरण से ब्याज आय में वृद्धि होने से लाभ में यह वृद्धि हुई.

प्रति शेयर आय ₹ 48.41 (₹ 100 प्रति शेयर) गत वर्ष ₹ 50.32 रही, वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी प्रदत्त पूंजी ₹ 20.00 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 25.00 करोड़ की है.

एनपीए मार्च 2014 में ₹ 16.02 करोड़ रहा, जो मार्च 2013 में ₹ 14.86 करोड़ था.



मार्च 2014 को शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए 1.12% है.

आस्तियों पर प्रतिफल 2.41% है. गत वर्ष 2.45%

दिनांक 31 मार्च, 2014 को सीएआर 24.27% है.

(ii) **सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**

सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अनिवार्यतः अनुषंगी कॉर्पोरेट वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करा रही है. व्यवसाय के निम्नलिखित क्षेत्रों में सीएफएसएल कार्यरत है :

परियोजना मूल्यांकन एवं ऋण समूहन

पूंजी बाजार लेनदेन (इक्विटी एवं कर्ज दोनों)

कॉर्पोरेट परामर्शदात्री सेवाओं में एमएण्डए और कर्ज पुनर्गठन, परियोजना सलाहकार, प्रतिभूतीकरण, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय मूल्यांकन, निजी इक्विटी तथा टीईवी रिपोर्ट शामिल है.

न्यासधारिता सेवाएं, जिसमें डिबेंचर/सुरक्षा न्यास, निष्पादक न्यास, प्रबंध चेरीटेबल ट्रस्ट शामिल हैं.

वित्तीय अद्यतन जानकारी :

कंपनी ने मार्च 2014 में ₹ 2.82 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो गत वर्ष ₹ 7.88 करोड़ था.

समूहन से आय, गत वर्ष के ₹ 10.31 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013-14 में ₹ 4.51 करोड़ हुई. समूहन शुल्क में कमी का प्रमुख कारण, विपरीत बाजार परिस्थितियों का होना था.

वर्तमान वित्तीय वर्ष में परामर्शदात्री वर्टिकल से, कंपनी ने ₹ 2.85 करोड़ का शुल्क अर्जित किया, इसमें अन्य टीईवी रिपोर्ट के अलावा, कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्गठन कार्यों से ₹ 1.50 करोड़ और राइट इश्यू कार्य से ₹ 60.00 लाख शामिल है, जबकि वित्तीय वर्ष 2013 में यह ₹ 77 लाख था.

ट्रस्टी शिप वर्टिकल से कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 1.61 करोड़ की तुलना में इस वर्ष ₹ 2.13 करोड़ का शुल्क अर्जित किया.

iii. **इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड**

जाम्बिया सरकार तथा भारत के तीन बैंकों अर्थात सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जाम्बिया में बैंक का संयुक्त उद्यम स्थगित किया गया है. इसमें इन तीनों भारतीय बैंकों में से प्रत्येक की 20% इक्विटी है, जबकि शेष 40% इक्विटी जाम्बिया गणराज्य सरकार की है.

बैंक सभी पैरामीटरों में बेहतर कार्यनिष्पादन दर्शा रहा है और ₹ 2634 करोड़ के कुल व्यवसाय मिश्र के साथ अभी जाम्बिया का छठा सबसे बड़ा बैंक है.

बैंक ने दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उद्यम में ₹ 60 लाख के कुल निवेश से ₹ 37.69 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया. पिछले पांच वर्षों के दौरान केवल हमारे बैंक द्वारा ₹ 440 लाख से अधिक का कुल लाभांश अर्जित किया है.

iv. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

हमारे बैंक के 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हैं. इस नेटवर्क में दिनांक 31 मार्च, 2013 को देश के 5 राज्यों के 54 जिलों में स्थित 1799 शाखाएं हैं.

आरआरबी के समामेलन के कारण, 2 आरआरबी अर्थात बलिया इटावा ग्रामीण बैंक का दिनांक 01.04.2013 को विलय कर पूर्वांचल बैंक (एसबीआई द्वारा प्रवर्तित) बनाया गया तथा दिनांक 02.09.2013 को विलय कर सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक (एसबीआई द्वारा प्रवर्तित) बनाया गया. इस प्रकार इन दो बैंकों में हमारा प्रवर्तन समाप्त हो गया है.

अब, हमारे पास दिनांक 31 मार्च, 2014 को 3 आरआरबी हैं, जिनका 3 राज्यों के 46 जिलों में 1609 शाखाओं का नेटवर्क है.



क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वार कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

आरआरबी एवं मुख्यालय का नाम	जिलों एवं शाखाओं की संख्या	कुल जमाराशियां	कुल अग्रिम	सकल एनपीए	शुद्ध लाभ
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (म.प्र.)	25/451	5329.55	3101.36	287.22	10.00
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक(मुजफ्फरपुर) बिहार	18/1020	9342.85	5164.31	114.39	65.21
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कूचबिहार (प.बंगाल)	3/138	1752.75	1075.76	152.53	15.63
कुल	46/1609	16425.15	9341.43	554.14	90.84

विशिष्टताएं :

हमारे सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 100% शाखाएं सीबीएस सुविधाएं युक्त हैं.

हमारे सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने बचत खाता/चालू खाता ग्राहकों को एटीएम सुविधा उपलब्ध कराते हैं.

हमारे सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने केसीसी खाताधारकों को केसीसी रूपे कार्ड उपलब्ध कराते हैं.

हमारे सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने ग्राहकों को एनईएफटी सुविधा उपलब्ध कराते हैं.

हमारे सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाभप्रद हैं.

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के 18 एफएलसीसी हैं.

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

सीएसआर, कार्यबल एवं उनके परिवारों के साथ साथ समुदाय एवं समाज के जीवन स्तर में सुधार लाते हुए अर्थव्यवस्था के विकास में व्यवसाय की सतत प्रतिबद्धता है.

सीएसआर के अंतर्गत निर्धन, समाज के वंचित वर्ग के शिक्षा, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने प्राकृतिक आपदाओं एवं समाज के समग्र कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्था/ट्रस्ट के माध्यम से आर्थिक दान देना हमारी सतत प्रतिबद्धता है.

चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत बैंक का बजट ₹ 5.00 करोड़ था. उपर्युक्त बजट में से शिक्षा, स्वास्थ्य, बधिर एवं नेत्रहीनों, बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं को राहत तथा वंचित वर्ग हेतु अन्य गतिविधियों में संलग्न विभिन्न संगठनों/चेरिटेबल संस्थानों को कुल ₹ 1.59 करोड़ का दान स्वीकृति किया गया.

वित्तवर्ष 2013-14 के दौरान सीएसआर गतिविधियों की विशिष्टताएं निम्न प्रकार रहीं:

❖ सीएसआर पहल के अंतर्गत इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक को अति सुसज्जित तथा पूर्ण उपस्कृत एम्बुलेंस भेंट की गई. यह ध्यान में रखते हुए कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदिवासी इलाके में स्थित है जहां बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र अध्ययन करते हैं, परंतु वहां स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, अतः इस पावन उद्देश्य से प्रदत्त इस एम्बुलेंस का जिस आदिवासी इलाके में उपयोग होगा वहां हमारे बैंक का प्रचार भी होगा.

❖ सीएसआर पहल के अंतर्गत कोलकाता हार्ट क्लीनिक एवं हॉस्पिटल को एक डायलिसिस मशीन दानस्वरूप भेंट दी गई. सीएसआर की इस सहायता के कारण हॉस्पिटल को क्रिफायती लागत पर जरूरतमन्दों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

बैंक ने इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन (आईएफआरएफ) को मुंबई के विभिन्न नगरनिगम के विद्यालयों में अपवंचित बच्चों को मिड-डे भोजन की आपूर्ति के लिए महिन्द्रा मैक्जिमो III मॉडल का एक वाहन दानस्वरूप भेंट दिया. इस्कॉन रिलीफ फुड फाउंडेशन(आईएफआरएफ) ने वाहन में हमारे बैंक के कुछ उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में 'सहायतार्थ सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया' के रूप में बैंक का नाम / लोगो प्रदर्शित करने के लिए अपनी सहमति दी. इससे बैंक का अच्छा प्रचार-प्रसार होगा.

❖ श्री नारायण मन्दिर समिति माध्यमिक वर्ग (अंग्रेज़ी माध्यम) अर्थात कक्षा VI से X तक के विद्यार्थियों को स्कूल यूनीफार्म प्रदान की गई. इस यूनीफार्म में दो जोड़ी ड्रेस, बेल्ट और टाई शामिल है. समिति ने यूनीफार्म पर बैंक का लोगो दर्शाने की सहमति प्रदान की है जो बैंक प्रचार को बढ़ाएगा.



- ❖ उल्हासनगर, कल्याण (पू.), विठ्ठलवाडी, शहाड इत्यादि इलाकों की झोपड़पट्टियों में रह रहे अथवा गरीब तबके के बच्चों में संवितरित करने के लिए उमंग फाउंडेशन को 1,250 स्टेशनरी किट सहायता स्वरूप प्रदान किए गए. फाउंडेशन ने 10,000 नोटबुकों के अंतिम कवर पर बैंक का लोगों छापने की सहमति दर्शाई है जिन्हें 1250 कम नसीब बच्चों में बांटा जाएगा. इससे बैंक का काफी प्रचार होगा क्योंकि ये विभिन्न स्कूलों के 1250 बच्चों को वितरित की जाएगी.
- ❖ कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत उत्तराखण्ड के बाढ़ पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए बैंक ने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री को सहायता राशि भेंट की है.
- ❖ कुष्ठ रोग के साए में जीवन बिता रहे बच्चे सभी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है, जो उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ साथ उनके शैक्षिक जीवन को भी अत्यंत प्रभावित कर रहा है. कुष्ठ रोग के साए में जीने वाले ऐसे बच्चों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण संस्थान एक विकास कार्यक्रम चला रहा है. इस परियोजना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण संस्थान ने भावी सहायता के विचार से आनंदवन कुष्ठ वसाहट, दापोली, पुणे में कुष्ठ रोग पीड़ित 25 बच्चों को पंजीकृत किया है. यह प्रस्ताव आनंदवन कुष्ठ वसाहट, दापोली एवं पुणे के 114 परिवारों के 25 बच्चों को एक वर्ष की सहायता के लिए तैयार किया गया है जिसे उनकी संतोषजनक प्रगति के आधार पर बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया जाएगा.
- ❖ सीएसआर के अंतर्गत सरस्वती शिशु मन्दिर शिक्षा समिति स्कूल को जनरेटर सेट एवं दो वाटर कूलर भेंट किए गए. यह समिति समाज के गरीब एवं उपेक्षित तबके के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करती है. विद्यार्थियों का पंजीकरण मुख्यतः गरीब परिवारों से होता है. उनके स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 2202 है जिसमें से लगभग 47% अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के हैं. 40% से अधिक विद्यार्थियों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है.
- ❖ हमारे बैंक ने तीन ऐसी लड़कियों को सहायता दी है, जिनके पास अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कोई वित्तीय स्रोत उपलब्ध नहीं था. गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को प्रदत्त सीएसआर सहायता हमारी भविष्य की निधि है, जो कि बैंक की छवि को बनाने में हमारी सहायता करेगी.
- ❖ 'हेलन केलर इंस्टीट्यूट फॉर डेफ एंड डेफ ब्लाइंड' रोग निदान केन्द्र मूक, बधिर एवं दृष्टिहीन एवं अन्य अक्षमताओं वाले व्यक्तियों को शिक्षा, व्यावसायिक एवं पुनर्वास प्रशिक्षण तथा बधिरों, नेत्रहीन बधिरों एवं नेत्रहीनों के लिए कम्प्यूटराईज्ड मिनी ब्रेल प्रेस की स्थापना द्वारा सेवा प्रदान करता है. सामाजिक कार्यों हेतु स्टैण्डर्ड चार्टर्ड मुम्बई मैराथन 2014 में सहभागिता के लिए इंस्टीट्यूट को सीएसआर सहयोग प्रदान किया गया.
- ❖ जरूरतमन्द मरीजों को आपात चिकित्सीय सहायता पहुंचाने हेतु इंडियन रेडक्रास सोसायटी की जिला शाखा रायगढ़ को टाटा सूमो एम्बुलेंस भेंट की गई.

नई पहल :

- ❖ ग्रीन ट्रीज़ : एक अभिनव संकल्पना-इसके माध्यम से हमने प्रोटीज़.कॉम के साथ मिलकर देश की बंजर जमीन पर एक विशिष्ट संख्या में वृक्षारोपण करने वालों को स्मृतिचिन्ह के स्थान पर प्रमाणपत्र दिया जाना प्रारम्भ किया.
- ❖ हरित पहल उपाय-यथा निदेशकों में बोर्ड एजेंडा पेपर का इलेक्ट्रॉनिक मोड में परिचालन. कागज के दोनों ओर मुद्रण इत्यादि.
- ❖ राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महत्व के सभी त्योहारों पर बैंक के ग्राहकों को शुभकामना सन्देश एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करना.
- ❖ 'ग्राहक आनन्द प्रदायक पहल' हमारे 'सेन्ट प्रीमियम ग्राहकों' के जन्मदिन पर गुलदस्ता भेजा जाना.
- ❖ विशेषीकृत बचत उत्पाद-वैतनिक वर्ग हेतु अंतर्निहित पेशकश, विशेष छूट एवं ओवरड्राफ्ट सुविधा तथा 'वंडर कार्ड' सहित सेन्ट सेलरी सेविंग स्कीम.
- ❖ इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन सावधि खाता खोलने की सुविधा प्रदान करना. इस तरह की सुविधा देने वाला देश का पहला राष्ट्रीय बैंक.
- ❖ शाखाओं, एटीएम, कियोस्क, लिफ्ट, एवं दरवाजों की स्टैण्डर्ड ब्रांडिंग.
- ❖ 500 टैब कैब के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन बसों की ब्रांडिंग.
- ❖ सेन्ट संस्कृति के अंतर्गत स्वास्थ्य कल्याण, शिक्षा, वृद्ध एवं निस्सहायों का कल्याण, सूखाग्रस्त इलाकों में राहत आदि क्षेत्रों में विभिन्न



सीएसआर गतिविधियां सम्पूर्ण देश की प्रतिष्ठित एनजीओ संस्थाओं के सहयोग से की गईं.

- ❖ बैंक द्वारा एक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड उत्पाद एस्पायर क्रेडिट कार्ड का शुभारम्भ. यह कार्ड बैंक में ग्राहक की सावधि जमा द्वारा सुरक्षित है.
- ❖ को-ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड सुविधा का शुभारम्भ.
- ❖ मिस्ड कॉल के माध्यम से पूछताछ सुविधा का शुभारम्भ एवं एसएमएस आधारित क्रेडिट कार्ड की हॉट लिस्टिंग.
- ❖ वैतनिक वर्ग के बचत खाताधारक ग्राहकों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने डेबिट कार्ड उत्पाद के एक नए प्रकार 'वंडर कार्ड' का शुभारम्भ किया है. इस उत्पाद में अंतर्निहित ऋण सुविधा उपलब्ध है.
- ❖ शुल्क आधारित आय के माध्यम से व्यवसायिक अवसरों को बढ़ाने एवं बजाज एलायंज (हमारे ग्राहकों सहित) के सभी पॉलिसीधारकों को हमारे सीबीएस नेटवर्क के माध्यम से नवीनीकरण प्रीमियम प्रेषण का विकल्प उपलब्ध कराने हेतु, हमने एकीकृत प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समयाधारित संग्रहण प्रक्रिया एवं b@ncs24 में यथानुरूप पृथक स्क्रीन स्थापित किया है. इससे स्व-आगत व्यवसाय भी प्राप्त होगा; जो हमारी कासा जमाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा.
- ❖ बैंक ई-ट्रेजरी सोल्यूशन के विद्यमान वर्जन को फिलहाल अपग्रेड कर रहा है, ताकि सभी नई विशेषताओं एवं टीसीएस द्वारा सुदृढ़ बाजार जोखिम सोल्यूशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके.
- ❖ बैंक, ऋण एवं परिचालनात्मक जोखिमों के आधुनिक दृष्टिकोणयुक्त समाधान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है.
- ❖ बैंक, नए एएमएल समाधान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, जिसके लिए 31 इंफोटेक को अदायगी आदेश जारी किए जा चुके हैं.
- ❖ बैंक, ई-टीडीएस समाधान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, जिसके लिए मे. रिलयॉन सॉफ्टवेयर को अदायगी आदेश जारी किए जा चुके हैं.

उपलब्धियां

- ❖ वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 1099 नए एटीएम स्थापित किए गए जिन्हें मिलाकर कुल 3628 एटीएम हो गए हैं.
- ❖ वर्ष के दौरान कुल लेन देन में ई-लेन देन 30% से बढ़कर 39% हो गए.
- ❖ दिनांक 31 मार्च 2014 को बैंक का डेबिट कार्ड आधार 42 लाख से बढ़कर 72 लाख हो गया.
- ❖ वर्ष के दौरान 225% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज करते हुए इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक आधार 6.02 लाख से बढ़कर 19.62 लाख हो गया.
- ❖ एलआईसी के सभी बैंक एश्यूरेंस भागीदारों में हमारा बैंक बीमा प्रीमियम एवं पॉलिसी संख्या संग्रहण में प्रथम रहा है. बैंक ने ₹ 176 करोड़ के प्रीमियम के साथ 1,08,036 पॉलिसियां संग्रहित की. बैंक एश्यूरेंस व्यवसाय वर्ष दर वर्ष 8% की वृद्धि के साथ ₹ 26.65 करोड़ रहा.
- ❖ सामान्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत, बैंक ने वर्ष दर वर्ष 27% की वृद्धि के साथ 5,59846 पॉलिसियों में ₹105 करोड़ के प्रीमियम का संग्रहण किया.
- ❖ एसएमएस द्वारा डेबिट/क्रेडिट कार्ड की हॉट लिस्टिंग का कार्यान्वयन किया गया.
- ❖ क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल सुविधा का कार्यान्वयन.
- ❖ बजाज एलायंस के लिए हमारी शाखाओं में प्रीमियम संग्रहण का कार्यान्वयन.
- ❖ मोबाइल बैंकिंग का शुभारम्भ
- ❖ 150 शाखाओं में नगद जमा कियोस्क (सीडीके) की स्थापना.
- ❖ बैंक द्वारा प्रीपेड कार्ड पर छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति कार्यक्रम क्रियान्वित कर दिया है. इसका दूसरा चरण कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है.

बढ़ते कदम

- ❖ कासा जमाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी.
- ❖ कॉर्पोरेट एवं नॉन कॉर्पोरेट के कर्मचारियों के लिए सेन्ट सेलरी जमा योजना नियोक्ता के कॉर्पोरेट खाते को लाने में प्रेरणा शक्ति का काम करेगी.



- ❖ विद्यमान उत्पादों विशेष रूप से ऑन लाइन उत्पादों में इंडस्ट्री की प्रथाओं के अनुसार उन्नयन हमारा मुख्य लक्ष्य है ऑन लाइन बचत खाता खोलने से इसकी शुरुआत की गई है
- ❖ नई प्रारम्भ की गई आवर्ती जमा योजना सेन्ट लखपति 'जब चाहो लखपति बनो' में उल्लेखनीय जमा का संग्रहण.
- ❖ गिफ्ट कार्ड के विपणन पर ध्यान केन्द्रित करना-आधार को 50000 तक विस्तारित करना.
- ❖ बैंक के कुल एनपीए को 5.50% एवं शुद्ध एनपीए को 3.00% से कम करने का सुदृढ कार्य.
- ❖ वित्तीय वर्ष 2014-15 में 2022 नए एटीएम स्थापित कर कुल एटीएम की संख्या 5650 करना. इससे हमारी सभी शाखाओं में एटीएम की उपलब्धता हो जाएगी.
- ❖ अतिरिक्त व्यवसाय के लिए ट्रांजेक्शन बैंकिंग गतिविधियों पर विशेष ध्यान.
- ❖ विद्यमान उत्पादों विशेष रूप से ऑन लाइन उत्पादों में इंडस्ट्री की प्रथाओं के अनुसार उन्नयन हमारा मुख्य लक्ष्य है. ऑन लाइन बचत खाता खोलने से इसकी शुरुआत की गई है.
- ❖ वित्तीय वर्ष 2014-15 में बैंक एश्यूरेंस के माध्यम से शुल्क आधारित आय में 40% की वृद्धि हासिल करना.
- ❖ बैंक एश्यूरेंस व्यवसाय में गति के लिए 2650 विशिष्ट व्यक्तियों का पूल तैयार करना.
- ❖ सभी शाखाओं/उपयोगकर्ताओं को बायोमेट्रिक प्रणाली में कवर करना.
- ❖ ई-केवायसी का कार्यान्वयन.
- ❖ इस वित्तीय वर्ष में 600 बहुकार्यात्मक कियोस्क (एमएफके) एवं नगद जमा कियोस्क (सीडीके) की स्थापना.

पुरस्कार एवं प्रशंसा

- ❖ भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए 'नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एमएसएमई लेंडिंग' के लिए द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया. पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के करकमलों द्वारा प्रदान किया गया.
- ❖ ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा बैंक को प्रशिक्षण एवं लर्निंग प्रणाली तथा प्रथाओं में उत्कृष्टता हासिल करने हेतु 'प्रशिक्षण एक्सीलेंस' (गोल्ड अवार्ड) के लिए 'एचआर अवार्ड' प्रदान किया गया.
- ❖ बैंक को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा सार्वजनिक सेवा क्षेत्र (बड़ा) श्रेणी में : 'एक्सीलेंस इन कॉस्ट मेनेजमेंट' से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया
- ❖ बैंक को सीएनबीसी टीवी एवं म्युच्युल फंड द्वारा 'बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर अवार्ड अंडर पीएसयू कैटेगरी' प्रदान किया गया.
- ❖ बैंक को 'ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड' प्रदान किया गया.
- ❖ बैंकॉन 2013 के दौरान, बैंक ने 'मोस्ट इनोवेटिव ब्रॉड बेस्ड प्रॉडक्ट ऑफरिंग' श्रेणी के अंतर्गत विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार प्राप्त किया.
- ❖ चेम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा आयोजित भव्य समारोह में बैंक ने दो श्रेणियों उत्कृष्ट बैंकिंग अवार्ड यथा 1) ईको- तकनीकी अवार्ड रनर अप एवं 2) नवीन पहलों के लिए ज्यूरी अवार्ड, डॉ. मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, माननीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री जे.डी. सलीम, माननीय राज्य वित्त मंत्री एवं श्री अरूण मैरा, सदस्य योजना आयोग की उपस्थिति में प्रदान किए गए.



कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य:

- ❖ बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के संचलन में नैतिक संव्यवहार से शेयरधारकों की आय में वृद्धि करना तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुसरण करना है। बैंक ने सर्वोत्तम संव्यवहार को अपनाया है एवं गवर्नेंस के मानकों की निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है। कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य-निष्पादन में सुधार एवं शेयरधारकों की आय में वृद्धि हेतु बोर्ड, कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाएं हैं।
- ❖ बैंक के इक्विटी शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. में सूचीबद्ध है। हालांकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, किन्तु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के तहत निगमित निकाय है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। अतः बैंक स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्ध करार के खंड 49 के प्रावधानों के उस सीमा तक, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन करेगा।
- ❖ इक्रा लिमिटेड ने हमारे बैंक को कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के लिए “सीजीआर3+” (उदघोषित सीजीआर 3 प्लस) रेटिंग प्रदान की है। इस रेटिंग से यह प्रकट होता है कि इक्रा की वर्तमान राय यह है कि रेटिंग प्रदत्त कंपनी ने इस तरह की प्रथाएं, परम्परा एवं संहिता को स्वीकार करते हुए अपनाया है, जिससे वह कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गुणवत्ता पर अपने वित्तीय स्टेकधारकों को आश्वासन का उच्च स्तर प्रदान कर सके।

निदेशक मंडल

- ❖ बैंक का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा-संशोधित), के अनुरूप किया गया है। सामान्य देखरेख, दिशानिर्देश एवं बैंक के व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं, जिनकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।
- ❖ बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के द्वारा अधिशासित होता है।
- ❖ समीक्षाधीन वर्ष अर्थात 2013-14 के दौरान, निदेशक मंडल का संयोजन निम्नवत था:



क्र.	नाम	पद स्थिति	अवधि (से- तक)	दिनांक 31.03.2014 का बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषतः का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2014 को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बोर्ड की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता		दिनांक 31.03.2014 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 29 जून 2013 की अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
1.	श्री एम.वी. टांकसाले	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(29.06.2011- 31.07.2013)	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआईजीसी, आईएफआरएस आईटीपीए, वीआईजी, सीएसी, एचआर एमआरसी	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईएफआरएस, आईटीपीए, वीआईजी, सीएसी, पीसी, पीएसी	i) सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. ii) इन्डो-ज़ाम्बिया बैंक लि. iii) लाइफ इन्श्योरेंस कापेरेशन ऑफ़ इंडिया iv) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि.	हाँ
2.	श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(01.08.2013 से)	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफ सी सीएससी, आईटीएस, एसआईजीसी, आईएफ आरएस, आईटीपीए, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी,	एमसी बी, आरएमसी एलवीएफसी, सीएससी, आईएफआरएस, आईटीपीए, वीआईजी, सीएसी, पीसी, पीएसी	इन्डो -ज़ाम्बिया बैंक लि.	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
3.	श्री मलय मुखर्जी	कार्यपालक निदेशक	(05.11.2012- 11.12.2013)	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीपी, एसआईजीसी, आईएफआरएस, आईटीपीए, सीएसी, सीआरसी, एमआरसी, एचआर	निरंक	सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	हाँ



क्र.	नाम	पद स्थिति	अवधि (से- तक)	दिनांक 31.03.2014 का बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषतः का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2014 को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बोर्ड की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता		दिनांक 31.03.2014 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 29 जून 2013 की अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
4	श्री आर.के.गोयल	कार्यपालक निदेशक	(11.01.2013 से)	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफ सी सीएससी, आईटीएस, एसआईजीसी, आईएफआरएस आईटीपीए, सीएसी, एचआर, एमआरसी,	निरंक	- सेंट्र बैंक होम फाइनेंस लि. - सेंट्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	हाँ
5	श्री अनिमेष चौहान	कार्यपालक निदेशक	(05.08.2013 से)	निरंक	बैंकिंग	एमसी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफ सी सीएससी, आईटीएस, एसआईजीसी, आईएफ आरएस, आईटीपीए, सीएसी, एचआर, एमआरसी,	निरंक	सेन्ट्र बैंक होम फाइनेंस लि.	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
6	श्री बी.के. दिवाकर	कार्यपालक निदेशक	(23.01.2014 से)	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआईजीसी, आईएफ आरएस, आईटीपीए, सीएसी, एचआर, एमआरसी,	निरंक	- सेंट्र बैंक होम फाइनेंस लि. - सेंट्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
7	श्री आलोक टंडन,	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	(15.11.2011- 25.07.2013)	निरंक	प्रशासन	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफ सी आरसी, वीआईजी, एमआरसी, एचआर,	आरसी	निरंक	नहीं



क्र.	नाम	पद स्थिति	अवधि (से- तक)	दिनांक 31.03.2014 का बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषतः का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2014 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता		दिनांक 31.03.2014 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 29 जून 2013 की अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
8	डॉ. के.पी. कृष्णन	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	(26.07.2013-18.02.2014)	निरंक	प्रशासन	एसीबी, आरएफसी, एलवीएफसी आरसी, वीआईजी, एमआरसी, एचआर,	आरसी	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
9	डॉ. सौरभ गर्ग	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	(19.02.2014 से)	निरंक	प्रशासन	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी आरसी, वीआईजी, एमआरसी, एचआर,	आरसी	दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ट्रस्ट	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
10	श्री सलीम गंगाधरन	भारिबैं सरकार द्वारा नामित निदेशक	(30.07.2010-12.03.2014)	निरंक	बैंकिंग	एमसी, एसीबी, आरसी, वीआईजी	निरंक	निरंक	नहीं
11	श्री शेखर भटनागर	भारिबैं द्वारा नामित निदेशक	(13.03.2014 से)	निरंक	बैंकिंग	एमसी, एसीबी, आरसी, वीआईजी	निरंक	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
12	प्रो. एन. बालकृष्णन	शेयरधारक निदेशक	(20.11.2008-19.11.2011 एवं 10.01.2012 से)	160	सूचना प्रौद्योगिकी	आरएमसी, सीएससी, आईटीएस, एसआईजीसी	आईटीएस, एसआईजीसी	I) सी-डॉट अल्का टेल रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. II) डाटा सिक्युरिटी कॉउन्सिल ऑफ इंडिया	हाँ
13	श्री गुमान सिंह	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	(08.08.2011 से)	निरंक	सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी	एमसी, एसीबी, सीएससी, आईएफ आरएस	निरंक	निरंक	हाँ
14	श्री एम.पी. शोरावाला	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	(03.01.2013 से)	निरंक	वकील	एसआईजीसी, आरसी, आईएफ आरएस	एनसी	विश्व लक्ष्मी एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लि.	हाँ



क्र.	नाम	पद स्थिति	अवधि (से- तक)	दिनांक 31.03.2014 का बैंक के धारित इकिटी शेयर की संख्या	विशेषतः का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2014 को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बोर्ड की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता		दिनांक 31.03.2014 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 29 जून 2013 की अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
15	श्री कृष्ण सेठी	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	(28.02.2013 से)	निरंक	व्यवसायिक	एसीबी, आईटीएस, एसआईजीसी, आरसी, आईएफ आरएस, आईटीपीए, एनसी	निरंक	निरंक	हाँ
16	श्री एस.बी.रोडे	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	(02.04.2013 से)	133	बैंकर	एमसी, आरएमसी, आईटीपीए	निरंक	निरंक	हाँ
17	श्री गुरबख्श कुमार जोशी	कर्मकार कर्मचारी निदेशक	(10.07.2013 से)	निरंक	बैंकर	आरएमसी, एलवीएफसी	निरंक	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
18	श्रीमती एन. एस. रत्नप्रभा	रत्नप्रभा, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	(19.12.2013 से)	निरंक	समाजसेवा	एमसी, एलवीएफ सी, सीएससी, एनसी	निरंक	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशकगण बैंक के पूर्णकालिक निदेशक हैं.

- एमसीबी - बोर्ड की प्रबंधन समिति
- एसीबी - बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- आरएमसी - जोखिम प्रबंधन समिति
- एलवीएफसी - उच्च मूल्य की धोखाधड़ी संबंधी समिति
- सीएससी - ग्राहक सेवा समिति
- आईटीएस - सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
- एसआईजीसी - शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति
- आरसी - पारिश्रमिक समिति
- आईएफआरएस - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक समिति
- आईटीपीए - आंतरिक प्रशिक्षण नीति परामर्श समिति
- वीआईजी - सतर्कता समिति
- सीएसी - ऋण अनुमोदन समिति
- एचआर - मानव संसाधन समिति
- एमआरसी - वसूली समिति की निगरानी
- एनसी - नामांकन समिति

नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय:

1. श्री राजीव ऋषि, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जन्मतिथि दि. 30.08.1959)

श्री राजीव ऋषि, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से विधि स्नातक हैं तथा वे विश्वविद्यालय के रैंक होल्डर, राष्ट्रीय मेरिट स्कॉलर रहे हैं. आप



स्पोर्ट्स से जुड़े व्यक्ति है और आपने टेबल टेनिस में अपने कॉलेज का तथा राष्ट्रीय रौलर स्केटिंग प्रतियोगिता में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है.

बैंक में दिनांक 01.08.2013 से सीएमडी के रूप में अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व आप इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक थे और यह उत्तरदायित्व, वे अक्तूबर 2010 से वहन कर रहे थे.

आपने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत दिनांक 12.05.1979 को ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की एवं 3 दशकों तक आपने विभिन्न पदों एवं स्थानों पर कार्य किया. आपको शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य करने का 25 वर्षों का वृहद अनुभव है. आप वर्ष 2005 से 2010 तक मानव संसाधन, तृतीय पक्ष उत्पाद विपणन एवं बोर्ड सचिवालय में महाप्रबंधक रहे. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में विलय पर आपने मानव संसाधन समन्वयन का कार्य अत्यंत सफलतापूर्वक संपादित किया.

आप आईबीए की एचआर पर स्थायी समिति के सदस्य हैं. आप द्विपक्षीय समझौते हेतु आईबीए द्वारा गठित वर्तमान राष्ट्रीय समझौता वार्ता समिति के कोर ग्रुप के सदस्य भी हैं.

2. श्री अनिमेष चौहान, कार्यपालक निदेशक (जन्मतिथि दि. 30.06.1957)

श्री अनिमेष चौहान ने दिनांक 17 जनवरी 1979 को अपने करियर की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा में डीआरओ के रूप में की. अपने वर्तमान पदभार से पूर्व आप जयपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के राजस्थान अंचल के महाप्रबंधक/अंचल प्रधान के रूप में कार्यरत थे. आप द नैनिताल बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं तथा आपने लंदन मुख्य कार्यालय के प्रमुख एवं यूके परिचालन के मुख्य अनुपालन अधिकारी के पद पर भी कार्य किया है.

आपने गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान एवं विदेशों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है.

आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछले दो वर्षों से राजस्थान राज्य की राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के पद पर भी कार्य किया है.

3. श्री बी. के. दिवाकर, कार्यपालक निदेशक (जन्मतिथि 17.07.1960)

श्री दिवाकर, सनदी लेखाकार, लागत लेखाकार एवं कंपनी सचिव है. आपने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1986 से कॉर्पोरेशन बैंक में कंपनी सचिव के रूप में की. आप वर्ष 1997 में मुख्य प्रबंधक, वर्ष 2000 में सहायक महाप्रबंधक, वर्ष 2007 में उपमहाप्रबंधक तथा वर्ष 2010 में महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत हुए. आप दिनांक 23.01.2013 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त हुए. आपने कॉर्पोरेट प्रतिबंध, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजभाषा नीति कार्यान्वयन, सहायक सेवाएं, एटीएम प्रबंधन, क्रेडिट रेटिंग, शुल्क आय, सीडीआर, ऋण समूहन आदि जैसे विभिन्न पोर्टफोलियो में कार्य करने के साथ आंचलिक प्रधान के रूप में भी कार्य किया है.

4. डॉ. के. पी. कृष्णन, भारत सरकार नामिती निदेशक (जन्मतिथि 29.12.1959)

डॉ कृष्णन कर्णाटक राज्य से वर्ष 1983 बैच के आईएएस है. राज्य संवर्ग में कार्य करने के उपरांत आप वर्ष 1991 में कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन विभाग, नई दिल्ली में अवर सचिव के पद पर नियुक्त हुए. आपने वर्ष 1994-1997 के दौरान कार्यपालक निदेशक (विश्व बैंक) के सलाहकार, वर्ष 1997-99 के दौरान कर्णाटक राज्य शासन के सचिव- वित्त विभाग जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो में कार्य किया है. आप वर्ष 2002- 2005 के दौरान कर्णाटक शहरी आधारभूत संरचना विकास वित्त में एमडी के पद पर भी रहे. तत्पश्चात वर्ष 2005-10 के दौरान भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के पूंजी बाजार संविभाग में संयुक्त सचिव के पद पर रहे. वर्ष 2010-12 के दौरान आप प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में सचिव के पद पर रहे. आप जुलाई 2013 से भारत सरकार, नई दिल्ली, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग में डीजी एवं अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं. आप वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों जैसे सेबी/पीएफआरडीए एवं बड़े पीएसबी यथा इलाहाबाद बैंक एवं केनरा बैंक के बोर्ड पर वित्त मंत्रालय के नामिनी भी रह चुके हैं.

अन्य उपलब्धियों के साथ प्रतिभूतीकरण के लिए नई विधिक संरचना का संसद से अनुमोदन, विनियामक संरचना में आधारभूत सुधार सहित भारतीय वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु रूपरेखा तैयार करने जैसी आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं.

5. डॉ सौरभ गर्ग, भारत सरकार नामिती निदेशक- (28.07.1964)

डॉ. सौरभ गर्ग एक प्रतिष्ठित विद्वान है. आपने आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग-बायो टेक्नॉलॉजी में बी टेक डिग्री प्राप्त की है. आपने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए (वित्त प्रबंधन) किया है. आपको लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, लंदन, यूके से



वैश्वीकरण एवं शहरी विकास में प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। आपने पॉल निजे स्कूल ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन, यूएसए से पीएचडी की है।

डॉ गर्ग ओडिसा से 1991 कैडर के आईएएस हैं। ओडिसा राज्य कैडर में कार्य करने के उपरांत, आपने अप्रैल 2002 में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के उप सचिव की नियुक्त पाई। अपने राज्य कैडर के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1993-98 की अवधि में आपने विभिन्न महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जैसे परियोजना निदेशक, डीआरडीए, कालाहांडी एवं परियोजना निदेशक, ऊर्जा विभाग में कार्य किया है। आप वर्ष 1996-98 के दौरान आईडीसीओएल, सीमेंट लिमिटेड के एमडी रह चुके हैं। आपने बरगढ़ एवं केरोंझर जिले के जिलाधीश एवं वाटरशेड विकास विभाग के निदेशक के पद पर भी कार्य किया है। आप दिनांक 04.05.2012 से संयुक्त सचिव व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के पद पर कार्य कर रहे हैं।

डॉ गर्ग को प्राप्त पुरस्कारों का विवरण :

1988 - शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु गोल्ड स्वर्ण पदक

1993-1991 के आईएएस बैच में सर्वश्रेष्ठ आल राउंड परिवीक्षार्थी

उनके प्रकाशनों का विवरण :-

2000 (लोक प्रशासन)

सरकारी वितरण प्रणाली 2010 (वित्त) के माध्यम से सेवाओं में सुधार हेतु कुछ दखल एवं अनुभव

भारत की बुनियादी संरचना संबंधी दूरदर्शिता वित्तपोषण की चुनौतियां

6. श्री शेखर भटनागर, आरबीआई नामित निदेशक- (17.07.1958)

श्री भटनागर, बी.एस.सी., एम.ए. (लखनऊ विश्वविद्यालय) एवं एफ.एम.एस., नई दिल्ली से एमबीए (वित्त) हैं। आपने वर्ष 1984 में भारतीय रिज़र्व बैंक में एक अधिकारी (ग्रेड 'बी') के पद पर कार्यग्रहण किया एवं भा.रि.बैं. के मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग एवं गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग जैसे विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वर्तमान में आप भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत है।

7. श्री एस.बी. रोडे, अधिकारी-कर्मचारी निदेशक (जन्म तिथि 15.03.1957)

श्री रोडे, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (एफ) के अंतर्गत अधिसूचना की तारीख (02.04.2013) से 3 वर्षों की अवधि के लिए अथवा बैंक के अधिकारी-कर्मचारी के पद से पदभार से मुक्त होने तक कर्मचारी-अधिकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं।

8. श्री गुरुबख्श कुमार जोशी, कर्मकार कर्मचारी निदेशक (जन्मतिथि 10.07.1958)

श्री जोशी, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) के अंतर्गत अधिसूचना की तारीख (10.07.2013) से 3 वर्षों की अवधि के लिए अथवा बैंक के कर्मकार कर्मचारी के पद से पदभार से मुक्त होने तक वर्कमैन कर्मचारी निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए है।

श्री जोशी ने दिनांक 27.07.1981 को बैंक में कार्यग्रहण किया है एवं वे अखिल भारतीय सेन्ट्रल बैंक कर्मचारी फेडरेशन के उपाध्यक्ष पद पर हैं।

9. सुश्री एन.एस. रत्नप्रभा (जन्मतिथि दि. 19.07.1962)

सुश्री रत्नप्रभा एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता एवं एआईसीसी की सदस्या हैं। आप केपीसीसी की महासचिव भी हैं। आप कर्णाटक राज्य सरकार के उपक्रम - कर्णाटक हस्तशिल्प विकास निगम लि. की अध्यक्ष भी रह चुकी है।

अन्य निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

1. श्री मोहन वी. टांकसाले, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जन्मतिथि 31.07.1953)

श्री मोहन वी. टांकसाले ने दिनांक 29 जून, 2011 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। दिनांक 31 जुलाई, 2013 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।



2. श्री मलय मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक (जन्म तिथि 26.07.1955)

श्री मलय मुखर्जी ने वर्ष 1976 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद पर इंडियन बैंक में कार्यग्रहण किया और उन्हें बैंकिंग उद्योग की सेवा में 36 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है।

श्री मुखर्जी ने दिनांक 5 नवम्बर, 2012 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यग्रहण किया था और आईएफसीआई लि. के सीईओ एवं प्रबन्ध निदेशक के पद पर पदोन्नत होने के कारण दिनांक 11.12.2013 को कार्यभार से मुक्त हो गए।

3. श्री आर.के.गोयल, कार्यपालक निदेशक (जन्म तिथि 01.01.1957)

श्री राज कुमार गोयल ने दिनांक 12 मई, 1977 को बैंक ऑफ इंडिया में कार्यग्रहण किया। आप एक करियर बैंकर और सम्पूर्ण रूप से व्यावसायिक बैंकर हैं। आपने पिछले 36 वर्षों के दौरान विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपके विभिन्न पोर्टफोलियो में सामान्य परिचालन, ऋण, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग एवं मानव संसाधन विभाग शामिल है। आपने ऋण, विशेष तौर पर बड़े ऋण में बहुत ही सक्रियता से कार्य किया और सफलतापूर्वक बैंक ऑफ इंडिया की तीन बड़ी कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखाओं के प्रभारी रहे। आपके कार्यकाल में बैंक ऑफ इंडिया की लंदन शाखा के 4 वर्ष शामिल है। आपने ऋण समूहन एवं निवेश सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो में सफलतापूर्वक कार्य किया। आपको प्रशासकीय क्षमता के लिए जाना जाता है और आप सदैव टीम वर्क में विश्वास रखते हैं।

श्री गोयल ने पदोन्नत होकर दिनांक 11 जनवरी, 2013 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यग्रहण किया।

4. श्री सलीम गंगाधरन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (जन्म तिथि 13.10.1953)

आप एमए, सीएआईआईबी हैं तथा 30 वर्ष से भी अधिक समय से भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यरत थे तथा आप भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय निदेशक भी रह चुके हैं। श्री गंगाधरन दिनांक 30.07.2010 से दिनांक 12.03.14 तक हमारे बैंक के निदेशक मंडल में भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक के पद पर कार्यरत रहे।

5. श्री गुमान सिंह, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि 24.03.1937)

श्री गुमान सिंह को दिनांक 08.08.2011 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप एक सेवानिवृत्त रेल अधिकारी हैं और वर्तमान में आप नेशनल फैडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के प्रेसिडेंट - इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस, राजस्थान राज्य के प्रेसिडेंट, नेशनल कौन्सिल (ज्वाइंट कन्सल्टेटिव मशीनरी), नई दिल्ली की स्थायी समिति के सदस्य तथा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (राष्ट्रीय स्तर) के सचिव हैं।

6. पद्मश्री प्रोफेसर एन.बालकृष्णन, शेरधरकर निदेशक (जन्म तिथि 01.06.1950)

प्रो. एन.बालकृष्णन, शेरधरकर निदेशक सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक हैं। आप मद्रास विश्वविद्यालय से बी.ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स में) हैं और वर्ष 1979 में आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स से पी.एच.डी. की है। इस समय आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स के सहयोगी निदेशक और डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं। भारत का पहला सुपर कम्प्यूटर केन्द्र बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल एवं परिषदों में आपके 200 से अधिक प्रकाशन प्रकाशित हुए हैं। वर्ष 2002 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति से पद्मश्री पुरस्कार, वर्ष 2004 में एप्लाइड साइंस के लिए होमी जे. भाभा अवार्ड व वर्ष 2007 में जे.सी.बोस.नेशनल फेलोशिप, जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुके हैं। इस समय आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। सूचना प्राद्योगिकी आयोजन तथा सूचना सुरक्षा से संबंधित अनेक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवर्तनों में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में शेरधरकर निदेशक के रूप में आप 20 नवम्बर, 2008 को निर्वाचित हुए तथा दिनांक 19 नवम्बर, 2011 तक इस पद पर रहे। आप दिनांक 10.01.2012 से तीन वर्ष की अवधि के लिए शेरधरकर निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं।

7. श्री एम.पी.शोरावाला, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि 15.10.1947)

श्री शोरावाला माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एडवोकेट-ऑन-रेकॉर्ड के रूप में पिछले 26 वर्ष से कार्यरत हैं। आपने भारत संघ के लिए महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल), सॉलिसिटर जनरल एवं अन्य विधि अधिकारियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सहयोग प्रदान किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न स्थानीय निकायों का भी प्रतिनिधित्व किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशिष्ट मामलों को देखने के अलावा, आपने विवाचन, संविदाओं/करारों के मसौदे, पेटेन्ट्स एंड ट्रेड मार्क, सायबर लॉ, विदेशी निवेश, फेरा, आपराधिक मामले, कस्टम्स, कॉर्पोरेट मामले, कंपनी लॉ बोर्ड, संयुक्त उद्यम, संपत्ति संबंधी मामले, बैंकिंग, आईटीएटी, इलेक्ट्रीसिटी, कराधान, औद्योगिक



एवं श्रम विवाद और अन्य सभी विधिक एवं आपराधिक मामलों का कार्य भी सम्पन्न किया है।

श्री एम.पी.शोरावाला को दिनांक 03.01.2013 से हमारे बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर नामित किया गया।

8. श्री कृष्ण सेठी, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि 10.05.1954)

श्री सेठी पिछले 33 वर्षों से सनदी लेखाकार के रूप में कार्यरत हैं। आप सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के लिए वित्तीय प्रबंधन, लेखा परीक्षा, कर परामर्शदाता, विवाचन कार्य कर रहे हैं। आपकी फर्म का नाम मेसर्स गुप्ता वर्मा एंड सेठी है, जो विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में पिछले 32 वर्षों से संगामी लेखा परीक्षा/निरीक्षण/स्टॉक लेखा परीक्षा/राजस्व लेखा परीक्षा का कार्य कर रही है।

श्री कृष्ण सेठी को दिनांक 28.02.2013 से हमारे बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर नामित किया गया है।

बोर्ड बैठकों का आयोजन

वर्ष के दौरान, बोर्ड की 15 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

09.05.2013	23.07.2013	26.09.2013	29.11.2013	06.02.2014
31.05.2013	30.07.2013	30.10.2013	20.12.2013	20.02.2014
29.06.2013	27.08.2013	11.11.2013	27.01.2014	15.03.2014

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से-तक)
श्री मोहन वी.टांकसाले	05	05	01.04.2013-31.07.2013
श्री राजीव ऋषि	10	10	01.08.2013-31.03.2014
श्री मलय मुखर्जी	10	10	01.04.2013-11.12.2013
श्री आर.के.गोयल	14	15	01.04.2013-31.03.2014
श्री अनिमेष चौहान	10	10	05.08.2013-31.03.2014
श्री बी.के.दिवाकर	04	04	23.01.2014-31.03.2014
श्री आलोक टंडन	04	04	01.04.2013-25.07.2013
डॉ. के.पी.कृष्णन	07	09	26.07.2013-18.02.2014
डॉ. सौरभ गर्ग	01	02	19.02.2014-31.03.2014
श्री सलीम गंगाधरन	04	14	01.04.2013-12.03.2014
श्री शेखर भटनागर	00	01	13.03.2014-31.03.2014
प्रो. एन.बालकृष्णन	10	15	01.04.2013-31.03.2014
श्री गुमान सिंह	15	15	01.04.2013-31.03.2014
श्री एम.पी.शोरावाला	13	15	01.04.2013-31.03.2014
श्री कृष्ण सेठी	15	15	01.04.2013-31.03.2014
श्री एस.बी.रोड़े	15	15	02.04.2013-31.03.2014
श्री गुरबख्श कुमार जोशी	12	12	10.07.2013-31.03.2014
सुश्री एन.एस.रत्नप्रभा	04	05	19.12.2013-31.03.2014

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

- निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 सहपठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार किया गया है एवं यह बोर्ड में निहित उच्च मूल्य ऋण प्रस्तावों की स्वीकृति समझौते/बट्टे खाते प्रस्तावों, परिसर निवेश एवं वाद दायर/अपील इत्यादि संबंधी शक्तियों का प्रयोग करती है, दिनांक 31.03.2014 को इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक एवं 3 गैर कार्यालयीन अंशकालीन निदेशकगण सहित 8 सदस्य हैं।



❖ वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की इस प्रबंधन समिति की निम्नानुसार 15 बैठकें आयोजित की गईं :

27.04.2013	29.06.2013	01.10.2013	05.12.2013	20.02.2014
31.05.2013	13.07.2013	30.10.2013	20.12.2013	15.03.2014
21.06.2013	27.08.2013	29.11.2013	05.02.2014	25.03.2014

❖ सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	प्रबंधन समिति की अवधि (से-तक)
श्री मोहन वी.टांकसाले	05	05	01.04.2013-31.07.2013
श्री राजीव ऋषि	10	10	01.08.2013-31.03.2014
श्री मलय मुखर्जी	10	10	01.04.2013-11.12.2013
श्री आर.के.गोयल	13	15	01.04.2013-31.03.2014
श्री अनिमेष चौहान	10	10	05.08.2013-31.03.2014
श्री बी.के.दिवाकर	04	04	23.01.2014-31.03.2014
श्री सलीम गंगाधरन	05	13	01.04.2013-12.03.2014
श्री शेखर भटनागर	01	02	13.03.2014-31.03.2014
श्री गुमान सिंह	09	09	16.03.2013-15.09.2013 07.02.2014-06.08.2014
प्रो. एन.बालकृष्णन	02	03	22.12.2012-21.06.2013
श्री एम.पी.शोरावाला	07	08	22.06.2013-21.12.2013
श्री कृष्ण सेठी	08	08	16.09.2013-15.03.2014
श्री एस.बी.रोड़े	04	04	22.12.2013-21.06.2014
सुश्री एन.एस.रत्नप्रभा	01	01	16.03.2014-15.09.2014

ऋण अनुमोदन समिति:

❖ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 में जोड़े गये नये खंड 13ए के अनुसार, दिनांक 31.01.2012 से निदेशक मण्डल की एक ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है. ₹ 400.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव, ₹10.00 करोड़ तक के समझौता/बट्टे खाते, ₹15.00 लाख तक के प्रतिवर्ष (ग्रामीण क्षेत्र), ₹ 25.00 लाख तक के प्रतिवर्ष (अर्धशहरी क्षेत्र), ₹50.00 लाख तक के प्रतिवर्ष (शहरी क्षेत्र) एवं ₹ 1.00 करोड़ तक के प्रतिवर्ष (मेट्रो क्षेत्र) के परिसर प्रस्ताव संबंधी बोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करती है. वर्तमान समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन) एवं ऋण के प्रभारी महाप्रबंधक, वित्त विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक, परिसर के प्रभारी महाप्रबंधक एवं वसूली के प्रभारी महाप्रबंधक शामिल हैं.

वर्ष के दौरान, ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 32 बैठकें आयोजित की गईं:

20-22.04.2013	22.06.2013	07.10.2013	28.12.2013	11.03.2014
27.04.2013	02.07.2013	24.10.2013	31.12.2013	24-26.03.2014
30.04.2013	16.07.2013	07.11.2013	09.01.2014	28.03.2014
11.05.2013	26.07.2013	19.11.2013	16.01.2014	29.03.2014
30.05.2013	17.08.2013	30.11.2013	25.01.2014	
08.06.2013	07.09.2013	14.12.2013	10.02.2014	
12.06.2013	28.09.2013	21.12.2013	25.02.2014	

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति(एसीबी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है. एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन पद्धति तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है.लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें हैं:

- ❖ अंतर-शाखा समायोजन खातों,अंतर-बैंक एवं नॉस्ट्रो खातों में लंबे समय से बकाया पुरानी प्रविष्टियों, बही संतुलन का पुराना बकाया कार्य, धोखाधड़ी एवं हाउसकीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा,आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा की समीक्षा;
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार, बैंक में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना तथा उनकी समीक्षा करना;
- ❖ बोर्ड को प्रस्तुत करने के पूर्व लेखा परीक्षकों के अवलोकनों सहित स्वतंत्र लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की समीक्षा और तिमाही, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा करना;
- ❖ तिमाही/अर्द्ध-वार्षिक/वार्षिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पूर्ण सांविधिक लेखा परीक्षा के संबंध में, लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गये समस्त मुद्दों एवं बाह्य लेखा परीक्षकों से चर्चा करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- ❖ लेखों, लेखांकन नीतियों एवं प्रकटीकरणों की नियमित समीक्षा;
- ❖ प्रबंधतंत्र के निर्णय की कार्रवाई पर आधारित प्रमुख प्रविष्टियों की समीक्षा एवं लेखा परीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण समायोजनों की समीक्षा करना;
- ❖ मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कमियां;
- ❖ लेखा परीक्षा के पश्चात किसी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य क्षेत्र का पता लगाने के लिये लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना;
- ❖ आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र आवश्यकता और बारंबारता निश्चित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- ❖ जहां तक लागू हो, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू स्टॉक एक्सचेंज की विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;
- ❖ सांविधिक, अनुबंधित अथवा विनियामकों की अपेक्षाएं पूरी करने के कार्य लेखा परीक्षा समिति देखेगी;

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार के नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक एवं दो गैर सरकारी गैर-कार्यपालक निदेशक, जिनमें से कम से कम एक सनदी लेखाकार होना चाहिये, शामिल होंगे. स्टाफ निदेशक एसीबी में शामिल नहीं किये जायेंगे.

दिनांक 31.03.2014 को लेखा परीक्षा समिति का संयोजन निम्नानुसार है:

1	श्री गुमान सिंह	अध्यक्ष
2	श्री आर.के.गोयल	सदस्य
3	श्री अनिमेष चौहान	सदस्य
4	श्री बी.के.दिवाकर	सदस्य
5	डॉ. सुभाष गर्ग	सदस्य
6	श्री शेखर भटनागर	सदस्य
7	श्री कृष्ण सेठी	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, श्री गुमान सिंह, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक, दिनांक 23-04-2013 से लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं.



वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की निम्नलिखित 8 बैठकें आयोजित हुईं:

09.05.2013	23.07.2013	30.10.2013	04.12.2013
31.05.2013	21.09.2013	11.11.2013	06.02.2014

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि (से-तक)
श्री गुमान सिंह	08	08	01.04.2013-31.03.2014
श्री मलय मुखर्जी	07	07	01.04.2013-11.12.2013
श्री आर.के.गोयल	07	08	01.04.2013-31.03.2014
श्री अनिमेष चौहान	05	05	05.08.2013-31.03.2014
श्री बी.के.दिवाकर	01	01	23.01.2014-31.03.2014
श्री आलोक टंडन	03	03	01.04.2013-25.07.2013
डॉ. के.पी.कृष्णन	04	05	26.07.2013-18.02.2014
श्री सलीम गंगाधरन	03	08	01.04.2013-2.03.2014
श्री कृष्ण सेठी	08	08	01.04.2013-31.03.2014

बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणाम और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की समीक्षा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई तथा निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी.

जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं.डीबीओडी नं.डीपी(एससी)बीसी/98/21.04.103/39 दिनांक 7 अक्टूबर, 1999 एवं दिनांक 20.04.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/01/2002-03/3.2 तथा दिनांक 25.11.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/09/2002-03/3.9 के अनुसार बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक एवं तीन गैर-कार्यालयीन अंशकालिक निदेशक शामिल है. वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों को 4 बैठकें आयोजित की गईं:

29.06.2013	26.09.2013	20.12.2013	15.03.2014
------------	------------	------------	------------

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि (से तक)
श्री एम.वी.टांकसाले	01	01	01.04.2013-31.07.2013
श्री राजीव ऋषि	03	03	01.08.2013-31.03.2014
श्री मलय मुखर्जी	02	02	01.04.2013-11.12.2013
श्री आर.के.गोयल	04	04	01.04.2013-31.03.2014
श्री अनिमेष चौहान	03	03	05.08.2013-31.03.2014
श्री बी.के.दिवाकर	01	01	23.01.2014-31.03.2014
श्री गुमान सिंह	03	03	01.04.2013-28.02.2014
श्री एम.पी.शोरावाला	03	03	01.04.2013-28.02.2014
श्री कृष्ण सेठी	03	04	01.04.2013-15.03.2014
प्रो. बालाकृष्णन	01	01	01.03.2014-31.03.2014
श्री एस.बी.रोड़े	01	01	01.03.2014 31.03.2014
श्री जी.के.जोशी	निरंक	निरंक	16.03.2014-31.03.2014



पारिश्रमिक समिति

- पूर्ण-कालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए, निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन वित्त मंत्रालय के संप्रेषण एफ.नं.20.1.2005-बीओ-1 दिनांक 09.03.2007 के अनुसार किया गया. इस समिति में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक एवं 2 स्वतंत्र निदेशक शामिल है.
- वित्त वर्ष 2013-14 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन देने पर विचार करने के लिए पारिश्रमिक समिति की बैठक का आयोजित दिनांक 29.06.2013 एवं 23.07.2013 को किया गया.

निदेशकों का पारिश्रमिक :

- गैर-कार्यालयीन स्वतंत्र निदेशकों / गैर कार्यपालक निदेशकों को मण्डल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए ₹ 10,000/- बैठक फीस एवं बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 5,000/- बैठक फीस का भुगतान किया जाता है, जो कि सामान्य यात्रा एवं विराम भत्ता व्यय के अलावा है. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं निदेशकगणों, जो भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जाता है.
- वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को कुल वेतन, भत्ते एवं परिलब्धियों के रूप में निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है:

क्र.सं	नाम	₹ लाख में
1.	श्री एम.वी.टांकसाले (भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक)	18.36
2.	श्री राजीव ऋषि (अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेश)	11.57
3.	श्री मलय मुखर्जी (भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक)	14.15
4.	सुश्री वी.आर.अय्यर (भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक)	2.40
5.	श्री आर.के.दुबे (भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक)	3.15
6.	श्री राज कुमार गोयल (कार्यपालक निदेशक)	18.37
7.	श्री अनिमेष चौहान (कार्यपालक निदेशक)	9.81
8.	श्री बी. के. दिवाकर (कार्यपालक निदेशक)	2.78

- समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹ 8,40,000/- (रु. आठ लाख चालीस हजार मात्र) तथा बोर्ड की उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹ 4,90,000/- (रु. चार लाख नब्बे हजार मात्र) के बैठक शुल्क का भुगतान किया.

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों के तहत सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होने इत्यादि से संबंधित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिये शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समिति का गठन किया गया है. वर्ष के दौरान निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है/निपटान किया जा चुका है. सामान्यतः निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई, सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कर ली जाती है. इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं दो स्वतंत्र निदेशक हैं. वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष बैंक के एक स्वतंत्र गैर कार्यालयीन निदेशक प्रो. एन.बालकृष्णन हैं.

दिनांक 31.03.2014 को शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की स्थिति निम्नानुसार थी:

1	प्रो. एन. बालकृष्णन	अध्यक्ष
2	श्री राजीव ऋषि	सदस्य
3	श्री आर.के.गोयल	सदस्य
4	श्री अनिमेष चौहान	सदस्य



5	श्री बी.के.दिवाकर	सदस्य
6	श्री एम.पी. शोरावला	सदस्य
7	श्री कृष्ण सेठी	सदस्य

वर्ष के दौरान, समिति की निम्नलिखित 4 बैठकें आयोजित हुई :

29.06.2013	26.09.2013	05.12.2013	15.03.2014
------------	------------	------------	------------

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख निम्नानुसार है:

निदेशकों का नाम	उपस्थिति संख्या	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	समिति की समयावधि(से-तक)
श्री एम.वी.टांकसाले	01	01	01.04.2013-31.07.2013
श्री राजीव ऋषि	03	03	01.08.2013-31.03.2014
श्री मलय मुखर्जी	03	03	01.04.2013-11.12.2013
श्री आर.के.गोयल	03	04	01.04.2013-31.03.2014
श्री अनिमेष चौहान	03	03	05.08.2013-31.03.2014
श्री बी.के.दिवाकर	01	01	23.01.2014-31.03.2014
श्री गुमान सिंह	04	04	01.04.2013-15.03.2014
प्रो. एन.बालकृष्णन	02	04	01.04.2013-31.03.2014
श्री एम.पी. शोरावाला	00	01	21.12.2013-31.03.2014
श्री कृष्ण सेठी	00	00	16.03.2013-31.03.2014

वर्ष 2013-14 (दि.01.04.2013 से दि. 31.03.2014 तक) के दौरान निवेशक शिकायत निपटान का विवरण निम्न प्रकार है:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	निरंक
2	अप्राप्त शेयर प्रमाणपत्र	02
3	अप्राप्त लाभांश वारंट	152
4	अप्राप्त वार्षिक रिपोर्ट	46
5	अप्राप्त धनवापसी आदेश	05
6	धनवापसी लिखत में सुधार	05
7	अन्य	निरंक
8	एनएसई	01
9	बीएसई	01
10	सेबी	05
11	प्राप्त कुल शिकायतें	217
12	निपटाई गई कुल शिकायतें	217
13	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	निरंक

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशक की कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक अवधि हेतु बिना ध्यान दिए/लंबित नहीं रही है.

अनुपालन अधिकारी

श्री आनंद कुमार दास, सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव, स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए इक्विटी सूचीकरण करार के अनुसार बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं.

सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमान निर्गमों इत्यादि से प्राप्तियां.

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत सरकार को 30,58,62,361 इक्विटी शेयर्स के आबंटन से, अधिमान आधार पर, ₹10/- अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर, ₹ 58.85 प्रति इक्विटी निर्गम मूल्य (प्रति इक्विटी शेयर ₹ 48.85 के प्रीमियम सहित) शेयर्स के आबंटन से ₹1800.00 करोड़ (प्रीमियम



सहित) जुटाए हैं। साथ ही, बैंक ने बासल III अनुपालित टियर II बॉण्ड्स (सीरीज I) के रूप में ₹1000 करोड़ भी जुटाए हैं। निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य टियर-I एवं टियर-II पूंजी बढ़ाकर पूंजी पर्याप्तता अनुपात मजबूत करना तथा बैंक के दीर्घावधि स्रोतों में अभिवृद्धि करना है। जुटाई गई निधियों का उपयोग उपर्युक्त उद्देश्यों हेतु किया जा रहा है।

संप्रेषण के माध्यम :

तिमाही वित्तीय परिणाम (गैर-लेखापरीक्षित; परंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम सामान्यतया इकॉनामिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, पुढारी (मराठी), इत्यादि जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी एवं अनेक स्थानीय भाषा के विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे। इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया।

आचार संहिता

- ❖ बैंक ने निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र के लिए आचार संहिता अपनाई है। इसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध है। समीक्षाधीन वर्ष के लिए, सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है और अनुपालन की पुष्टि का प्रमाणपत्र अनुलग्नक I में दिया गया है।
- ❖ बैंक की प्रतिभूति में इनसाइड ट्रेडिंग रोकने के लिए, बैंक ने अपने निदेशकों एवं नामित कर्मचारियों के लिए आचार संहिता बनाई है।

अन्य प्रकटीकरण

- ❖ बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहारों के अलावा, बैंक ने इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधतंत्र, उनकी सहायक कंपनियों अथवा रिश्तेदारों इत्यादि से ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है, जिससे कि बैंक के व्यापक हितों पर प्रतिकूलता संभावित हो। वर्ष के दौरान, बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशकों के बीच कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुआ है।
- ❖ बैंक में यह सुस्थापित प्रथा है कि जिन निदेशक, जिनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित जब कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता है, तब वे बोर्ड एवं बोर्ड की उप-समितियों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं।
- ❖ बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य सांविधिक प्राधिकारी को लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया है। समीक्षा वर्ष के दौरान, पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी अथवा किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।
- ❖ बैंक ने सूचीकरण करार के खंड 49 की अनुबद्ध आवश्यकताओं का, जहां तक खंड की आवश्यकताओं से, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, प्रावधानों, विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन किया है।

गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं (सूचीकरण करार का अनुलग्नक I डी)

बैंक ने सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुलग्नक-I डी में निर्दिष्ट गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को वर्तमान में अंगीकार नहीं किया है।

क्र.सं.	गैर-अनिवार्य	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के कार्यालय का कंपनी के खर्चों पर रखरखाव	लागू नहीं, चूंकि अध्यक्ष कार्यपालक है
2.	बोर्ड द्वारा पुरस्कार समिति बनाई जाए, जो कार्यपालक निदेशकों हेतु कंपनी का पुरस्कार पैकेज निर्माण करें।	लागू नहीं, चूंकि कार्यपालक निदेशकगण भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन आहरित करते हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में कार्यपालक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन पुरस्कार समिति कार्यरत है।
3.	गत छह माह में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार के साथ वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्द्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को प्रेषित करना है।	बैंक ने दिनांक 30.09.2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज भेजे हैं एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किए हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक की वेबसाइट पर भी वित्तीय परिणाम अपलोड किए थे।



4.	कंपनी गैर-सापेक्ष वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था अपना सकती है.	बैंक ने गैर-सापेक्ष वित्तीय विवरणियों की प्राप्ति हेतु प्रयास करने की पहल की है.
5.	व्यवसाय मॉडल साथ ही कंपनी के व्यवसाय पैरामीटर के जोखिम प्रोफाइल में, निदेशक के रूप में उत्तरदायित्व एवं इसके निर्वहन के उचित उपायों के लिए बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षित कर सकती है.	निदेशक मंडल द्वारा अंगीकार आचार संहिता सहित व्यवसाय मॉडल एवं जोखिम प्रोफाइल के संपूर्ण वितरण से बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को अवगत कराया गया है. बैंक, निदेशकों को भारिबैं, मुम्बई के केन्द्रों पर एडवांस्ड वित्तीय रिसर्च एवं प्रशिक्षण तथा अन्य विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में नामित करता है.
6.	बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा गैर-कार्यपालक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों की निदेशिता को जारी रखने अथवा समाप्त करने का निर्णय लेना.	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार एक नामांकन समिति का गठन किया गया है तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9(3) (i) के अंतर्गत चयनित निदेशक उपयुक्त एवं उचित है.
7.	कंपनी ने अनैतिक व्यवहारों, सन्देशास्पद कपट की वास्तविकता इत्यादि के बारे में प्रबन्धन के विचारों की रिपोर्टिंग हेतु चेतावनीसूचक नीति स्थापना करना.	लोकहित प्रकटीकरण एवं सूचनादाताओं के संरक्षण(पीआईडीपी) अधिसूचना के अंतर्गत चेतावनी सूचक शिकायतों पर बैंक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है. सभी स्टाफ सदस्यों के लिए, बैंक के पास ऑन लाइन 'सेंट विजिल' पोर्टल भी है, जिस पर वे कदाचार रिपोर्टिंग कर सकते हैं.

सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की 7वीं वार्षिक साधारण बैठक:

दिन एवं दिनांक : सोमवार, 30 जून, 2014 को सुबह 11.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056

1. साधारण वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष 2013-14 से संबंधित है.
2. बही-बंदी की तारीख : 21 जून, 2014 से 30 जून, 2014 (दोनों दिवस सहित)
3. लाभांश भुगतान तारीख : दिनांक 30 जुलाई, 2014 को अथवा उससे पूर्व

साधारण बैठक :

क्र.सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान
1.	छठी वार्षिक साधारण बैठक	29 जून, 2013, सुबह 11.00 बजे	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056
2.	पांचवीं वार्षिक साधारण बैठक	27 जून, 2012, अपरान्ह 4.00 बजे	-----तदैव-----
3.	चौथी वार्षिक साधारण बैठक	29 जुलाई, 2011, अपरान्ह 3.00 बजे	-----तदैव-----

स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण :

बैंक के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दोनों में सूचीबद्ध किए जाते हैं. स्क्रिप कोड निम्नवत है:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	CENTRALBK
आईएसआईएन नंबर	आईएनई 483A01010

दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है.



बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड (टियर-II पूंजी) जारी की हैं. तत्संबंधी बकाया विवरण निम्नवत है:

दिनांक 31.03.2014 को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बॉण्ड्स-टियर-II पूंजी की स्थिति:

सीरीज विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	आईएसआईएन
लोअर टियर II-सीरीज IX	08.10.2004	200.00	आईएनई 48309138
लोअर टियर II- सीरीज X	28.03.2006	578.20	आईएनई 48309146
लोअर टियर II- सीरीज XI	04.10.2006	700.00	आईएनई4 8309153
लोअर टियर II- सीरीज XII	03.03.2008	389.10	आईएनई 48309161
लोअर टियर II- सीरीज XIII	10.02.2009	270.00	आईएनई 48309187
लोअर टियर II- सीरीज XIV	21.12.2011	500.00	आईएनई 48309245
अपर टियर II- सीरीज I	14.11.2008	300.00	आईएनई 48309179
अपर टियर II- सीरीज II	17.02.2009	285.00	आईएनई 48309195
अपर टियर II- सीरीज III	23.06.2009	500.00	आईएनई 48309203
अपर टियर II- सीरीज IV	20.01.2010	500.00	आईएनई 48309211
अपर टियर II- सीरीज V	11.06.2010	1000.00	आईएनई 48309229
अपर टियर II- सीरीज VI	21.01.2011	300.00	आईएनई 48308015
लबासल III अनुपालित क्र. I	08.11.2013	1000.00	आईएनई 48309260
कुल		6522.30	

ये सभी बॉण्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड अथवा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए हैं. बैंक ने वर्ष 2014-15 के लिए एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है.

बाजार मूल्य आंकड़े:

मासिक उच्च एवं न्यून भाव एवं एनएसई पर शेयरों के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की एनएसई निफ्टी से तुलना सहित) निम्नवत है:

माह	एनएसई				एनएसई निफ्टी	
	अधिकतम मूल्य (₹)	न्यूनतम मूल्य (₹)	शेयर्स की संख्या	अधिकतम	न्यूनतम	
अप्रैल, 2013	72.30	64.65	40,06,577	5962.30	5477.20	
मई, 2013	76.40	65.05	1,83,20,423	6229.45	5910.95	
जून, 2013	68.40	59.60	43,65,843	6011.00	5566.25	
जुलाई, 2013	65.35	53.00	68,60,697	6093.35	5675.75	
अगस्त, 2013	58.40	48.75	49,89,180	5808.50	5118.85	
सितम्बर, 2013	63.40	49.65	79,88,641	6142.50	5318.90	
अक्तूबर, 2013	56.25	50.00	88,36,656	6309.05	5700.95	
नवम्बर, 2013	68.50	51.30	2,26,25,172	6342.95	5972.45	
दिसम्बर, 2013	54.80	49.25	77,18,832	6415.25	6129.95	
जनवरी, 2014	53.30	44.30	80,26,882	6358.30	6027.25	
फरवरी, 2014	48.50	43.60	57,20,043	6282.70	5933.30	



मार्च, 2014	52.20	43.25	98,76,016	6730.05	6212.25
-------------	-------	-------	-----------	---------	---------

मासिक उच्च एवं निम्न भाव एवं बीएसई पर शेयर्स के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की सेंसेक्स से तुलना सहित) निम्नवत है:

बीएसई					
माह	अधिकतम मूल्य (₹)	न्यूनतम मूल्य (₹)	शेयर्स की संख्या	सेंसेक्स	
				अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल, 2013	72.30	64.75	14,14,921	19623	18144
मई, 2013	76.40	65.10	50,60,959	20444	19451
जून, 2013	68.50	59.75	12,45,299	19860	18467
जुलाई, 2013	65.30	53.00	19,52,899	20351	19127
अगस्त, 2013	58.40	48.90	12,66,950	19569	17449
सितम्बर, 2013	63.85	49.70	18,72,739	20740	18166
अक्टूबर, 2013	56.30	50.00	31,55,343	21205	19265
नवम्बर, 2013	68.75	50.60	77,16,257	21322	20138
दिसम्बर, 2013	54.70	49.30	20,64,328	21484	20569
जनवरी, 2014	53.35	44.50	21,34,071	21410	20344
फरवरी, 2014	48.40	43.05	15,72,679	21141	19963
मार्च, 2014	52.15	43.25	30,35,705	22467	20921

शेयर अंतरण एवं शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, धन-वापसी आदेश, लाभांश भुगतान एवं निवेशकों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है. इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायतों/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्न पते पर संपर्क करने का अनुरोध है:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड

एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम)

मुंबई-400 078

टेली.: 022-25946970

फैक्स: 022-25946969

ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक से पत्राचार करने का पता:

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

9वीं मंजिल, चंद्रमुखी

नरीमन पॉइंट

मुंबई-400 021

संपर्क नं. 022- 6638 7818

फैक्स : 022- 2283 5198



ई-मेल आईडी: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in

दिनांक 31.03.2014 को शेयरधारिता का संवितरण

शेयरधारिता का संवितरण (शेयर्स)				
शेयर्स की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयर्स	कुल का प्रतिशत
1-500	176060	91.76	21177879	1.57
501-1000	8802	4.59	6865681	0.51
1001-2000	3824	1.99	5741694	0.42
2001-3000	1147	0.60	2911498	0.22
3001-4000	580	0.30	2084065	0.15
4001-5000	338	0.18	1587454	0.12
5001-10000	591	0.31	4289936	0.32
10001 एवं इससे अधिक	519	0.27	1305781108	96.69
कुल	191861	100	1350439315	100.00

सार्वजनिक की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है
सार्वजनिक की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है,
को दर्शाने वाला विवरण

शेयरधारक का नाम	शेयर्स की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	73420914	5.44

सार्वजनिक की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है
सार्वजनिक की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है,
को दर्शाने वाला विवरण

शेयरधारक का नाम	शेयर्स की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	73420914	5.44

दिनांक 31.03.2014 को शेयरधारिता का स्वरूप

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयर्स की संख्या		शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर्स	धारिताका %
	डीमेट	भौतिक	डीमेट	भौतिक		
केन्द्र सरकार	1196959325	0	1	0	1196959325	88.63
क्लियरिंग सदस्य	1911965	0	465	0	1911965	0.14
अन्य कॉर्पोरेट निकाय	7623540	90	1232	1	7623630	0.56
कॉर्पोरेट निदेशकगण	160	0	1	0	160	0.00
वित्तीय संस्थाएं	73420914	0	16	0	73420914	5.44
विदेशी निवेशक संस्थाएं	11833770	0	40	0	11833770	0.88
सरकारी कम्पनियां	700	0	1		700	0.00
हिंदू अविभाजित परिवार	101822	0	2	0	101822	0.01
म्युच्युअल फंड	12517	0	2	0	12517	0.00
राष्ट्रीयकृत बैंक	1025176	0	7	0	1025176	0.08
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	517479	0	5	0	517479	0.04
अनिवासी भारतीय	1224459	69600	1053	1	1294059	0.09



अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय)	174809	0	284	0	174809	0.01
जनसामान्य	50099868	15957	188600	125	50115825	3.71
ट्रस्ट	112925	0	20	0	112925	0.01
जीआईसी एवं उसकी अनुषंगियां	5334239	0	5	0	5334239	0.40
कुल	1350353668	85647	191734	127	1350439315	100.00

रुद्ध शेयर्स के ब्यौरे दर्शाता विवरण

क्र.सं.	शेयरधारकों के नाम	रुद्ध शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स के प्रतिशत के रूप में रुद्ध शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) का योग
1	भारत के राष्ट्रपति	1196959325	88.63
	कुल	1196959325	88.63

डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण

क्र.सं.	बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर आदि) के प्रकार	बकाया डीआर की संख्या	बकाया डीआर के विचाराधीन शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण, जहां विचाराधीन शेयर्स, कुल शेयर्स के 1% से अधिक है.

क्र.सं.	डीआर धारक का नाम	बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर इत्यादि) के प्रकार	विचाराधीन बकाया डीआर शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

शेयर्स का डिमेटेरियलाइजेशन

बैंक के शेयर्स का क्रय-विक्रय अनिवार्यतः डीमेट रूप में किया जाता है, बैंक ने पहले से ही शेयर्स के डिमेटेरियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरीज़ लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है.

दिनांक 31.03.2014 को शेयरधारकों द्वारा डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में धारित शेयर्स के विवरण निम्नानुसार है :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयर्स की संख्या	धारिता का %
भौतिक स्वरूप में	127	85647	0.01
एनएसडीएल	122470	132365442	9.80
सीडीएसएल*	69264	1217988226	90.19
कुल	191861	1350439315	100.00



* केन्द्र सरकार द्वारा डीमेट रूप से धारित 1196959325 (88.63%) सहित.

कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारण्ट अथवा परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है.

अदावाकृत उचंत खातों में शेयर्स:

सूचीकरण करार के खण्ड 5ए की शर्तों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2014 को “अदावाकृत उचंत खाता” में बकाया शेयर्स निम्नवत हैं:

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की समग्र संख्या	समग्र बकाया शेयर्स
(i)	वर्ष के प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाता में समग्र शेयरधारकों की संख्या एवं बकाया शेयर्स	264	34,851
(ii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने अदावाकृत उचंत खातों से शेयर्स के अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क किया.	2	126
(iii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें अदावाकृत उचंत खातों से शेयर अंतरित किए गए.	2	126
(iv)	वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खातों में बकाया कुल शेयरधारकों एवं शेयर्स की संख्या.	262	34,725

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है.

अनुलग्नक I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है.

(राजीव ऋषि)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 10 मई, 2014



सूचीकरण करार के खंड 49 के अंतर्गत प्रमाणन

प्रति,

निदेशक मंडल

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

ए. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय वर्ष 2013-14 के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की जांच की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

- i. इन विवरणियों में तथ्यतः कोई गलत विवरण अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छूटा है अथवा ऐसा विवरण नहीं है, जोकि भ्रामक है.
- ii. ये विवरण समग्र रूप में बैंक की कार्य-पद्धति का सत्य एवं सही चित्रण करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों के अनुसार हैं.

बी. हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण, अवैधानिक अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.

सी. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित एवं इसे व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हम स्वीकारते हैं तथा यह कि वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के सम्बंध में हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को प्रक्रिया अथवा परिचालन की आंतरिक नियंत्रण की खामियां, यदि कोई है, जिससे हम परिचित हैं, का प्रकटन किया तथा इन कमियों को दूर करने के लिए उन उपायों की जानकारी दी, जिन्हें हमने किया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति का ध्यान निम्न पर आकृष्ट किया है:

- i. वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- ii. लेखांकन नीतियों में वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों में भी किया गया है; एवं
- iii. धोखाधड़ियों की अहम घटनाएं, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है, की संलिप्तता, यदि कोई हो.

मो. जावेद

महाप्रबंधक एवं सीएफओ

राजीव ऋषि

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 10 मई, 2014



प्रमाण पत्र

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण,

हमने दिनांक 31 मार्च 2014, को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कथित कंपनी के सूचीकरण-करार के खंड 49 में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधतंत्र का है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी यह जांच सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही उन पर अभिव्यक्ति है।

हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, हम यह प्रमाणित करते हैं कि उल्लिखित सूचीकरण करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का कंपनी ने अनुपालन किया है।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि शेयरधारक समिति द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी के विरुद्ध कोई भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है।

साथ ही, हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधतंत्र द्वारा बैंक के कारोबार संबंधी उनके कौशल तथा प्रभाविता का आश्वासन है।

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-004135एस

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000561एन

(सीए सुनील जैन)
भागीदार
सदस्यता सं. 080990

(सीए एस. वेंकटकृष्णन)
भागीदार
सदस्यता सं. 023488

(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081810

कृते एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई

कृते एन. चौधरी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301032ई

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 321095ई

(सीए एम. राय)
भागीदार
सदस्यता सं. 012940

(सीए अनूप विश्वास)
भागीदार
सदस्यता सं. 050708

(सीए एस.एस.मोहपात्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 061619

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 10 मई, 2014



कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशियेट्स
बी-12 (भूतल)
कालिन्दी कॉलोनी,
महारानी बाग के पास
नई दिल्ली 110 065
एन.सरकार एण्ड कं.
21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट
द्वितीय तल
कोलकाता 700 072
पश्चिम बंगाल

पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
11-5-23, कार्तिक कॉम्प्लेक्स
विजया बैंक के ऊपर, ब्रेस्टवारपेठ
रायचूर - 584 101,
कर्नाटक.
एन. चौधरी एण्ड कं.
10 ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट
द्वितीय तल, रूम नं. 61
कोलकाता 700 001
पश्चिम बंगाल

दूगड़ एण्ड एसोशियेट्स
13, कम्युनिटी सेंटर,
ईस्ट ऑफ कैलाश
नई दिल्ली 110 065
बी.एन. मिश्रा एण्ड कं.
एस-29, मैत्री विहार,
फेज-II
सत्यम डवलपमेंट सेंटर के सामने
भुवनेश्वर - 751 023
ओडीसा

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

भारत के महामहिम राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

- हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की दिनांक 31 मार्च, 2014 की संलग्न वित्तीय विवरणियों जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2014 का तुलन-पत्र, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सन्निहित हैं, की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में कुल 4550 शाखाओं एवं 80 क्षेत्रीय कार्यालयों में से हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं, 38 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियां, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1441 शाखाओं/ सेवा सहयोग शाखाओं की विवरणियां समाहित है। इसके अलावा इनमें उन 3089 शाखाओं, 42 क्षेत्रीय कार्यालयों के तुलन-पत्र एवं लाभ हानि खाते भी शामिल हैं, जो कि लेखा परीक्षाधीन नहीं है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में कुल अग्रिमों का 9.98%, जमाओं का 38.61%, ब्याज आय का 8.78% तथा ब्याज व्यय की 31.70% हिस्सेदारी है। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

वित्तीय विवरणियों के प्रति प्रबंधतंत्र का दायित्व

- बैंक का प्रबंधतंत्र इन वित्तीय विवरणियों, जो बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अनुसरण तथा समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन का सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित करने के लिए तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है, जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा किसी भी प्रकार के त्रुटिवश अथवा कपटता से महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

- हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखा परीक्षा इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित अश्वासन प्रकट हो सके।
- एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है। इन जोखिमों



के आकलनों में लेखा परीक्षा की समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण में बैंक के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते हैं, जोकि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर मत के प्रकटीकरण के उद्देश्य के बिना प्रदत्त परिस्थितियों में इस प्रकार की उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए हैं, जो सही एवं निष्पक्ष चित्रण कर सकें. एक लेखा परीक्षा में अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है.

5. हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के पर्याप्त एवं उपयुक्त होने के लिए आधार उपलब्ध करता है.

विषय का महत्व

6. लेखा परीक्षण (एसए) 706 विषय का महत्व पैरा पर मानक के अनुसार अपने मत के प्रकटीकरण के बिना आपका ध्यानाकर्षण करते हैं-
 - (i) हम समेकित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 के नोट सं.10(सी) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो बैंक की पेंशन देता एवं ग्रेच्युटी देयता के आस्थगन के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प पुनः खुलना तथा ग्रेच्युटी सीमाओं में वृद्धि विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार पर कर्मचारी लाभ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र संख्या डीबीओपी.बीपी.बीसी./80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के माध्यम से लेखांकन मानक (एस) 15 कर्मचारियों के लाभार्थ के प्रावधानों को लागू करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त छूट के अनुसरण में हैं, की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं. तदनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को अपरिशोधित राशि ₹590.77 करोड़ में से बैंक ने ₹239.98 करोड़ पेंशन के लिए तथा ₹55.40 करोड़ ग्रेच्युटी के लिए परिशोधित किए हैं, जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए आनुपातिक राशि है तथा पेंशन के लिए शेष ₹239.98 करोड़ तथा ग्रेच्युटी के लिए शेष ₹55.40 करोड़ को आगामी वर्षों में परिशोधित किया जाएगा.
 - (ii) समेकित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 का नोट संख्या 10 (जी), जो कि दिनांक 20 दिसम्बर 2013 के भा.रि.बैं. के परिपत्र सं. डीबीओडी.एनओ.बीपी.बीसी.77/21.04.018/2013-14 के आलोक में 31 मार्च 2013 के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विषेय प्रारक्षित पर आस्थगित कर देयताओं के सृजन पर व्यय के लेखांकन उपचार का वर्णन करता है.

अभिमत

7. बैंक की पुस्तकों में यथा प्रदर्शित एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे अभिमत में हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - (i) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र एक संपूर्ण एवं निष्पक्ष तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण समाहित हैं, जो समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यता स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2014 को बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित किया जा सके.
 - (ii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि खाता भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप उस वर्ष कवर किये गए लेखों में हानि की सही स्थिति दर्शाता है.
 - (iii) नकद प्रवाह विवरणी उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही एवं निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है.

अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाएं

8. तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि खाता, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः फॉर्म ए एवं फॉर्म बी में तैयार किये गए हैं.
9. उपयुक्त पैरा 1 से 5 में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा उनमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - (ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे तथा वे संतोषप्रद पाए गए.



(बी) हमारे संज्ञापन में आए बैंक के लेनदेन बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं।

(सी) प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के साथ बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाया गया।

10. हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ हानि खाता एवं नकद प्रवाह विवरणी लागू लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए सुनील जैन)
भागीदार
सदस्यता सं. 080990

कृते एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई

(सीए एम. राय)
भागीदार
सदस्यता सं. 012940

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-004135एस

(सीए एस. वेंकटकृष्णन)
भागीदार
सदस्यता सं. 023488

कृते एन. चौधरी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301032ई

(सीए अनूप विश्वास)
भागीदार
सदस्यता सं. 050708

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000561एन

(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081810

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 321095ई

(सीए एस.एस.मोहपात्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 061619

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 10 मई, 2014



दिनांक 31 मार्च, 2014 को तुलन-पत्र

(000' को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2014 को ₹	31 मार्च 2013 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	29,674,393	26,615,769
आरक्षित एवं आधिक्य	2	128,211,183	126,512,743
जमाएं	3	2,400,689,887	2,260,383,148
उधार	4	220,797,760	183,055,117
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	115,589,021	84,728,713
कुल		2,894,962,244	2,681,295,490
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगदी एवं शेष	6	119,266,293	135,601,667
बैंको के पास शेष एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	4,514,037	5,320,449
निवेश	8	861,351,399	726,037,937
अग्रिम	9	1,773,151,717	1,719,358,433
अचल आस्तियां	10	28,043,893	26,847,546
अन्य आस्तियां	11	108,634,905	68,129,458
कुल		2,894,962,244	2,681,295,490
आकस्मिक देयताएं	12	885,525,147	595,190,339
संग्रहण के लिए बिल	-	76,717,357	60,955,707
प्रमुख लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

उक्त सन्दर्भित अनुसूचियां तुलन-पत्र का महत्वपूर्ण भाग है.

बी. के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

अनिमेष चौहान
कार्यपालक निदेशक

आर. के. गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

गुमान सिंह
निदेशक

प्रो. एन. बालकृष्णन
निदेशक

एम.पी. शोरावाला
निदेशक

कृष्ण सेठी
निदेशक

सुश्री एन.एस. रत्नप्रभा
निदेशक

एस.बी. रोडे
निदेशक

गुरबख्श कुमार जोशी
निदेशक



कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए सुनील जैन)
भागीदार
सदस्यता सं. 080990

कृते एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई

(सीए एम. राय)
भागीदार
सदस्यता सं. 012940

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-004135एस

(सीए एस. वेंकटकृष्णन)
भागीदार
सदस्यता सं. 023488

कृते एन. चौधरी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301032ई

(सीए अनूप विश्वास)
भागीदार
सदस्यता सं. 050708

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000561एन

(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081810

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 321095ई

(सीए एस.एस.मोहपात्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 061619

हमारे अद्यतन के रिकार्ड के अनुसार

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 10 मई, 2014



दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाता

(000 को छोड़कर)

विवरण	सूची सं.	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष ₹
i. आय			
अर्जित ब्याज	13	244,275,497	218,606,505
अन्य आय	14	19,225,805	16,673,296
कुल		263,501,302	235,279,801
ii. व्यय			
व्यय ब्याज	15	179,331,646	161,230,808
परिचालन व्यय	16	51,789,354	42,323,273
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		45,008,721	21,576,125
कुल		276,129,721	225,130,206
iii. लाभ/हानि			
वर्ष का शुद्ध लाभ		(12,628,419)	10,149,595
लाभ आगे ले जाया गया		15,779	14,789
कुल		(12,612,640)	10,164,384
iv. विनियोजन			
को अंतरित :			
सांविधिक आरक्षित		-	2,537,399
निवेश आरक्षित		425,368	375,216
विशेष आरक्षित		-	-
स्टाफ कल्याण निधि		-	404,700
राजस्व आरक्षित		-	2,000,000
बीमा के रूप में निधि		-	20,000
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी पूंजी		-	1,504,993
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी		-	2,611,442
लाभांश कर		-	694,855
तुलन पत्र में आगे ले जाया गया शेष		(13,038,008)	15,779
कुल		(12,612,640)	10,164,384
ईपीएस (प्राथमिक एवं अकुशल)		(11.10)	11.24
प्रधान लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		
उक्त फॉर्म की निर्देशित सूची तुलन पत्र का अभिन्न अंग है			

बी. के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

अनिमेष चौहान
कार्यपालक निदेशक

आर. के. गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

गुमान सिंह
निदेशक

प्रो. एन. बालकृष्णन
निदेशक

एम.पी. शोरावाला
निदेशक

कृष्ण सेठी
निदेशक

सुश्री एन.एस. रत्नप्रभा
निदेशक

एस.बी. रोडे
निदेशक

गुरबख्श कुमार जोशी
निदेशक



दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाता

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन
(सीए सुनील जैन)
भागीदार
सदस्यता सं. 080990
कृते एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई
(सीए एम. राय)
भागीदार
सदस्यता सं. 012940

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-004135एस
(सीए एस. वेंकटकृष्णन)
भागीदार
सदस्यता सं. 023488
कृते एन. चौधरी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301032ई
(सीए अनूप विश्वास)
भागीदार
सदस्यता सं. 050708

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000561एन
(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081810
कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 321095ई
(सीए एस.एस.मोहपात्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 061619

हमारे अद्यतन के रिकार्ड के अनुसार

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 10 मई, 2014



दिनांक 31 मार्च 2014 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31/03/2014 को		दिनांक 31/03/2013 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		30,000,000		30,000,000
प्रत्येक ₹ 10/- के 300,00,00,000 शेयर				
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :				
इक्विटी शेयर	13,504,393		10,445,769	
प्रत्येक ₹ 10/- के 1,35,04,39,315 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1,04,45,76,954 इक्विटी शेयर) (सहित जिनमें केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/- के 119,69,59,325 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 89,10,96,964 इक्विटी शेयर) शामिल हैं				
बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयरपूंजी (प्रत्येक ₹10/- के 161,70,00,000 के अधिमानी शेयर)	16,170,000		16,170,000	
(अनुसूची - 18 में नोट - 1 का संदर्भ लें)				
कुल		29,674,393		26,615,769
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	19,119,879		16,582,480	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		2,537,399	
		19,119,879		19,119,879
II. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	18,675,821		18,969,569	
वर्ष के दौरान कटौती	274,617		293,748	
		18,401,204		18,675,821
ii) निवेश प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	4,445,717		4,070,501	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	425,368		375,216	
		4,871,085		4,445,717
III. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	59,442,517		38,467,132	
वर्ष के दौरान परिवर्धन /समायोजन	14,941,376		20,975,385	
		74,383,893		59,442,517



दिनांक 31 मार्च 2014 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31/03/2014 को		दिनांक 31/03/2013 को	
	₹	₹	₹	₹
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
i) राजस्व प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	23,813,030		21,879,633	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		2,000,000	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	339,900		66,603	
		23,473,130		23,813,030
V. आयकर अधिनियम की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत		1,000,000		1,000,000
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		(13,038,008)		15,779
कुल		128,211,183		126,512,743
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंकों से	17,122,616		10,147,875	
ii) अन्य से	118,247,237		134,764,060	
		135,369,853		144,911,935
II. बचत बैंक जमाराशियां		664,737,461		590,904,649
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंकों से	47,083,332		51,165,883	
ii) अन्य से	1,553,499,241		1,473,400,681	
		1,600,582,573		1,524,566,564
कुल		2,400,689,887		2,260,383,148
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		2,400,689,887		2,260,383,148
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		-		-
अनुसूची 4 : उधार राशियां				
I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	63,389,835		55,430,752	
ii) अन्य बैंक	31,904		136,960	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	42,674,021		46,625,904	
iv) अरक्षित प्रतिदेय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	26,373,000		26,373,000	
v) अपर टियर II बॉन्ड्स	28,850,000		28,850,000	
vi) नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत	10,830,000		10,830,000	
vii) अरक्षित प्रतिदेय एनसी बासल II बॉन्ड्स (टियर II)	10,000,000		-	
		182,148,760		168,246,616
II. भारत के बाहर उधार राशियां		38,649,000		14,808,501
कुल		220,797,760		183,055,117



दिनांक 31 मार्च 2014 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31/03/2014 को		दिनांक 31/03/2013 को	
	₹	₹	₹	₹
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधार राशियां		निरंक		निरंक
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल		7,655,224		7,021,299
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		-		-
III. उपचित ब्याज		16,609,209		13,694,287
IV. आस्थगित कर देयता		5,966,000		2,587,500
V. अन्य (प्रावधान सहित)		85,358,588		61,425,627
कुल		115,589,021		84,728,713
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा सहित)		13,631,661		17,578,283
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	104,634,632		117,023,384	
अन्य खातों में	1,000,000		1,000,000	
कुल		105,634,632		118,023,384
अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
I) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	2,580,999		4,177,351	
बी) अन्य जमा खातों में	23,510		74,397	
II) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	-		500,000	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	-		-	
कुल		2,604,509		4,751,748
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	1,909,528		568,701	
बी) अन्य जमा खातों में	-		-	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
कुल		1,909,528		568,701
कुल		4,514,037		5,320,449



दिनांक 31 मार्च 2014 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31/03/2014 को		दिनांक 31/03/2013 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश*				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	678,911,210		601,302,467	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		440,080	
iii) शेयर्स	14,005,581		14,316,332	
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	98,190,467		44,411,987	
v) अनुषंगियां एवं प्रायोजित संस्थान	3,039,987		2,629,150	
vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स आदि	67,197,560		62,931,327	
		861,344,805		726,031,343
II. भारत के बाहर निवेश**				
विदेशों में अनुषंगियां एवं एसोशिएट्स		6,594		6,594
कुल		861,351,399		726,037,937
* भारत में निवेश				
सकल मूल्य	863,831,177		726,609,642	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	2,486,372		578,299	
शुद्ध मूल्य		861,344,805		726,031,343
** भारत के बाहर निवेश				
सकल मूल्य	6,594		6,594	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	-		-	
शुद्ध मूल्य		6,594		6,594
अनुसूची 9 : अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल	22,349,315		22,996,755	
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	666,721,579		627,468,995	
iii) मीयादी ऋण	1,084,080,823		1,068,892,683	
कुल		1,773,151,717		1,719,358,433
बी. अग्रिमों का विवरण				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,551,805,889		1,408,205,658	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	1,968,784		95,109,944	
iii) अरक्षित	219,377,044		216,042,831	
कुल		1,773,151,717		1,719,358,433
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				



दिनांक 31 मार्च 2014 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31/03/2014 को		दिनांक 31/03/2013 को	
	₹	₹	₹	₹
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	614,219,801		500,284,418	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	208,482,642		218,917,588	
iii) बैंक	3,093		3,527,637	
iv) अन्य	950,446,181		996,628,790	
कुल		1,773,151,717		1,719,358,433
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-
अनुसूची 10 : अचल आस्तियां				
I. परिसर				
(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	24,731,464		23,973,412	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	15,866		758,052	
कुल	24,747,330		24,731,464	
इस दिनांक को मूल्यहास	4,742,356		4,390,842	
कुल		20,004,974		20,340,622
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एव जुड़नार सहित)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	17,075,169		13,734,595	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	3,957,602		3,931,801	
कुल	21,032,771		17,666,396	
वर्ष के दौरान कमी/ समायोजन	602,345		591,227	
कुल	20,430,426		17,075,169	
इस दिनांक को मूल्यहास	12,391,507		10,568,245	
कुल		8,038,919		6,506,924
कुल (I & II)		28,043,893		26,847,546
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	17,575,083		13,799,194	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	28,499,710		20,934,746	
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	177,997		136,105	
IV. दावों की पूर्ति से अर्जित				
गैर बैंकिंग आस्तियां	-		-	
V. अंतर कार्यालय समायोजन	30,889,755		9,021,695	
VI. अन्य	31,492,360		24,237,718	
कुल		108,634,905		68,129,458



दिनांक 31 मार्च 2014 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31/03/2014 को		दिनांक 31/03/2013 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. (ए) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.		1,196,346		635,671
(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		14,005,895		9,126,021
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता				
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		640,602,389		357,696,828
IV. ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	103,363,304		92,483,533	
बी) भारत के बाहर	5,673,489		8,313,332	
		109,036,793		100,796,865
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		112,332,617		126,372,490
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		8,351,107		562,464
कुल		885,525,147		595,190,339



दिनांक 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष ₹	दिनांक 31 मार्च 13 को समाप्त वर्ष ₹
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	186,199,927	169,225,350
II. निवेशों पर आय	57,638,523	47,786,609
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों शेष राशि पर ब्याज	328,388	786,862
IV. अन्य	108,659	807,684
कुल	244,275,497	218,606,505
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	8,216,712	8,156,681
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	4,553,669	3,828,750
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि)	-	-
IV. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि)	(11,930)	(6,536)
V. विनिमय लेन देनों पर लाभ (शुद्ध)	1,987,237	608,772
VI. भारत/विदेशों में अनुषंगियों एवं एसोशिएट्स से लाभांश इत्यादि के रूप में अर्जित आय	27,850	27,850
VII. विविध आय	4,452,267	4,057,779
कुल	19,225,805	16,673,296
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	163,745,653	149,398,880
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	3,808,835	1,745,635
III. अन्य	11,777,158	10,086,293
कुल	179,331,646	161,230,808
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	35,370,097	28,915,488
II. किराया, कर एवं बिजली	3,335,613	2,664,709
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	471,832	303,976
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	265,435	286,938
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	2,085,474	1,844,497
IV. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	8,981	8,751
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	173,454	108,159
VIII. विधि प्रभार	184,823	147,406
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	528,537	366,654
X. मरम्मत एवं रखरखाव	587,688	573,950
XI. बीमा	1,961,264	1,712,403
XII. अन्य व्यय	6,816,156	5,390,342
कुल	51,789,354	42,323,273



अनुसूची 17 – मुख्य लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन रीतियां :

परिसर के पुनर्मूल्यन द्वारा संशोधन के अलावा वित्तीय विवरणियां परंपरागत लागत आधार पर लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए तैयार की गई हैं तथा सभी तात्त्विक पहलुओं से, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जो लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी उद्घोषणाओं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं को समाविष्ट करती हैं।

2. विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :

- 2.1 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।
- 2.2 आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है।
- 2.3 विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं।
- 2.4 बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

3. निवेश :

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को “परिपक्वता तक धारित”, “व्यापार हेतु धारित” तथा ‘विक्रय के लिए उपलब्ध’ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

- i) सरकारी प्रतिभूतियां
- ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- iii) शेयर्स
- iv) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स
- v) अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थान, एवं
- vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स, वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स)।

3.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

- i) परिपक्वता तक धारित
इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है।
- ii) व्यापार हेतु धारित
प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनः बिक्री के लिए रखी जाती हैं।
- iii) विक्रय के लिए उपलब्ध
वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं।

3.3 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण :

निवेशों की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण/बदलाव अंतरण की तारीख पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य तथा बाजार मूल्य, इनमें से जो कम है, पर लेखागत किया जाता है. ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, तो उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है.

3.4 मूल्यांकन :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य का आधिक्य शेष परिपक्वता की शेष अवधि के ऊपर परिशोधित किया जाता है.

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर बाजार में, स्ट्रिपवार निम्नवत अंकित किया जाता है :

i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	बाजार मूल्य पर स्टॉक एक्सचेंज/ एफआईएमएमडीए / पीडीएआई द्वारा निकाले गए कोटेशन के अनुसार
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड	परिपक्वता के आधार पर उचित आय के अनुसार
iii)	ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर
iv)	इक्विटी शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से पुराना नहीं) तुलन पत्र उपलब्ध हो, या ₹ 1.00 प्रति कंपनी, यदि, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो.
v)	अधिमानी शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vi)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vii)	म्यूच्युअल फंड	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य (जहां पुनः क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii)	उद्यम के लिए पूंजी	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के विश्लेषित आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) के लिए ₹1/-.

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा यदि कोई मूल्य वृद्धि है, तो उसे गणना में नहीं लिया गया है.

सी) व्यापार हेतु धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा यदि कोई मूल्य वृद्धि है, तो उसे गणना में नहीं लिया गया है.



3.5 लागत निर्धारण :

भारत औसत लागत पद्धति के आधार पर निवेश लागत निर्धारित की गई है।

3.6 आय निर्धारण :

- i) निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। तथापि 'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि 'पूंजी प्रारक्षित निधि' में विनियोजित की गयी है।
- ii) निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है। अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं।
- iii) यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिम को अवमानक/संदिग्ध/हानि के रूप में, जैसा भी मामला हो, वर्गीकृत किया गया है तथा विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हैं।
- iv) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त दलाली, प्रोत्साहन राशि, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क आदि को निवेशों की लागत में से घटाया गया है।
- v) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए खर्चों जैसे दलाली, फीस, कमीशन या करों को आय में प्रभारित किया गया है।
- vi) प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि का ब्याज, आय मद माना गया है।

4. डेरिवेटिव्स

वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है।

- i) दैनिक बाजार-मूल्य - जहां अभिचिन्हित आस्तियां/देयताएं दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित की गई हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।
- ii) जहां अभिचिन्हित आस्तियां/देयताएं दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है।
- iii) स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

5. अग्रिम :

5.1 अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं।

5.2 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में प्राप्त वसूली पहले दि. 30 जून 2013 तक के ब्याज के लिए समायोजित की गई एवं दि. 1 जुलाई 2013 से एनपीए खातों में प्राप्त वसूली दावा दायर, डीक्री खाते एवं समझौता प्रस्तावों मामलों को छोड़कर, जहां वसूली पहले मूल राशि या डीक्री/समझौते की शर्तों पर समायोजित की जाती है, पहले अनियमित मूल राशि में समायोजित की गई है।

5.3 अग्रिम प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं।

मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान - (अन्य) में शामिल हैं।

5.4 बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

5.4.1 यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है।

5.4.2 यदि एसी/आरसी को विक्रय एनबीवी (अर्थात प्रावधान घटाकर बही मूल्य) से कम राशि में हो, तो उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में कमी नामित की जाएगी।

5.4.3 यदि विक्रय नकद आधार पर एनबीवी से अधिक हो तो अधिशेष राशि लाभ-हानि खाते में जमा की गई है।

5.4.4 यदि एससी/आरसी को विक्रय एनबीवी से अधिक राशि पर हो तो नकद वसूली तक का अतिरिक्त प्रावधान लाभ-हानि खाते में जमा किया गया है एवं शेष अतिरिक्त प्रावधान को एससी/आरसी को बेची गई अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय पर होने वाली कमी/हानि हेतु प्रयोग में लाए जाने हेतु रखा गया है।

6. अचल आस्तियां/मूल्यहास :

6.1 अचल आस्तियों (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यहास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है) का मूल्यहास 'मूल्यहासित मूल्य प्रणाली' के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है :

i)	परिसर	अनुमानित जीवन पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii)	फर्नीचर, लिफ्ट,	10%
iii)	वाहन	20%
iv)	वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v)	सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर (अभिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है.)	33.33%

6.2 उन आस्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास पुनर्मूल्यन राशि पर किया गया है तथा वृद्धिशील मूल्यहास, जो पुनर्मूल्यन राशि के लिए उत्तरदायी है, उसे 'पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि' में समायोजित किया गया है।

6.3 दि. 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। दि. 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा दि. 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्ध वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।

6.4 पट्टेवाली भूमियों का मूल्य पट्टे की अवधि पर परिशोधन किया जाता है। पुनर्मूल्यन के मामले में, मूल लागत और पुनर्मूल्यन मूल्यों के अंतर को पट्टे की बाकी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है और 'पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि' में समायोजित किया गया है।

6.5 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां सम्मिश्रित लागत पर मूल्यहास लगाया गया है।

7. कर्मचारी - लाभ :

7.1 ग्रेच्युटी, पेंशन निधि एवं अवकाश नकदीकरण हेतु वार्षिक अंशदान, वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लिया गया है एवं वास्तविक रूप से अनुमानित देयताओं के आधार पर राशि बैंक की लेखा बहियों में ली गई है।

7.2 उन कर्मचारियों के सम्बंध में जिन्होंने भविष्य निधि योजना हेतु विकल्प दिया है, समतुल्य का अंशदान किया गया है।

8. आय एवं व्यय का निर्धारण :

8.1 विनियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर आय को छोड़कर आय/व्यय की गणना सामान्यतः उपचित आधार पर की जाएगी।

8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, यदि कोई भी मद जो लाभ एवं हानि लेखे में लेखागत किए कुल आय/कुल खर्चे के एक प्रतिशत से अधिक है तो उसका अवधि पूर्व प्रकटीकरण किया जाता है।

8.3 अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रावधान किए जाते हैं।

9. आय कर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, जो कर योग्य आय तथा लेखा आय के बीच समय अंतर की पहचान करते हैं, जो एक समय में प्रारंभ होते हैं तथा एक या अधिक तदनन्तर अवधि में प्रत्यावर्तित होते हैं। आस्थगित कर आस्तियों की तब तक पहचान नहीं की जाती है जब तक कि वास्तविक निश्चित न हो, पर्याप्त भावी कर योग्य आय, ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की वसूली के समक्ष उपलब्ध होगी। निर्धारण/अपीलीय प्रक्रिया की सम्पूर्णता के वर्ष में विवादित कर देयताओं की गणना की गई है एवं इस समय तक इसे आकास्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाएगा।



बी. के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

अनिमेष चौहान
कार्यपालक निदेशक

आर. के. गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

गुमान सिंह
निदेशक

प्रो. एन. बालकृष्णन
निदेशक

एम.पी. शोरावाला
निदेशक

कृष्ण सेठी
निदेशक

सुश्री एन.एस. रत्नप्रभा
निदेशक

एस.बी. रोडे
निदेशक

गुरबख्श कुमार जोशी
निदेशक

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए सुनील जैन)
भागीदार
सदस्यता सं. 080990

कृते एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई

(सीए एम. राय)
भागीदार
सदस्यता सं. 012940

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-004135एस

(सीए एस. वेंकटकृष्णन)
भागीदार
सदस्यता सं. 023488

कृते एन. चौधरी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301032ई

(सीए अनूप विश्वास)
भागीदार
सदस्यता सं. 050708

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000561एन

(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081810

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 321095ई

(सीए एस.एस.मोहपात्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 061619

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 10 मई, 2014



अनुसूची 18 – लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां

1. पूंजी :

भारत सरकार को ₹58.85/- प्रति शेयर प्रीमियम पर जारी ₹ 305.86 करोड़ के नए इक्विटी शेयर्स के कारण चुकता इक्विटी शेयर पूंजी गत वर्ष के ₹ 1044.58 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2014 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 1350.44 करोड़ हो गई है.

2. बहियों का समतुलन / मिलान :

निम्नलिखित मदों का समतुलन प्रगति पर है

- अंतर शाखा/कार्यालय शेष
- सरकारी (केन्द्र एवं राज्य) लेन-देन के लिए खाते
- अंतर बैंक खाते
- प्रणाली उचंत खाता
- उचंत खाता
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते
- सेन्ट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए मिरर खाते
- पुनर्गठित खातों के विवरणों का प्रकटीकरण नोट सं. 6डी(ii)

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होगा.

3. आय कर / आस्थगित कर :

- 3.1 वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद किया गया है.
- 3.2 अन्य आस्तियां अनुसूची 11 (ii) में ₹ 1400.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 912.60 करोड़) शामिल हैं, जो बैंक द्वारा भुगतान किए गए या आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर के संदर्भ में हैं. ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों/काउंसल के मतों के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया.
- 3.3 विवाद के अंतर्गत भुगतान किए गए ₹ 1400.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 912.60 करोड़) के कर में से, विभिन्न निर्धारण वर्षों से सम्बंधित विवादों में शामिल ₹ 490.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.98 करोड़) की कर राशि, अपीलकर्ता प्राधिकारियों द्वारा बैंक के पक्ष में निर्णीत की गई है. इसके लिए अपील का प्रभाव लम्बित है.

4. परिसर :

बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में ₹ 55.22 करोड़ मूल्य (पिछले वर्ष ₹ 39.93 करोड़) की पुनर्मूल्यांकन कीमत, जिसके पंजीकरण की औपचारिकताएं अभी भी प्रक्रियाधीन हैं.

5. अग्रिम / प्रावधान :

- 5.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पतियों / आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के



पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा.

- 5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बैंक ने फ्लोटिंग प्रावधान से ₹ 103.09 करोड़ एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान से ₹ 46.63 करोड़ जो इन खातों में बकाया राशियों के 33% के समान है, का उपयोग अनर्जक आस्तियों के विशेष प्रावधान के लिए किया है. बैंक ने शुद्ध एनपीए की गणना के लिए शेष फ्लोटिंग प्रावधान ₹ 209.34 करोड़ (गत वर्ष ₹ 312.43 करोड़) एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान की राशि ₹ 94.67 करोड़ (गत वर्ष ₹ 141.30 करोड़) को सकल एनपीए में से घटाया है.
- 5.3 अच्छे एवं रक्षित माने गए अग्रिमों में आईबीए द्वारा जारी (गैर प्राथमिकता क्षेत्र) यूनिफॉर्म कोड गवर्निंग इंटर बैंक पार्टिसिपेशन द्वारा अधिशासी आईबीपीसी में ₹ 2200 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2515 करोड़) एवं आरआरबी द्वारा जारी आईबीपीसी में कुल ₹ 2200 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2515 करोड़) प्राथमिकता क्षेत्र/प्रत्यक्ष कृषि का निवेश शामिल है.

6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

ए. पूंजी

क्र.सं. मदें	31.03.2014	31.03.2013
1. सीआरएआर (%)		
बासल-II	11.96	11.49
बासल -III	9.87	लागू नहीं
2. सीआरएआर -टियर-I पूंजी (%)		
बासल -II	8.12	8.09
बासल -III	7.37	लागू नहीं
3. सीआरएआर -टियर- II पूंजी (%)		
बासल -II	3.84	3.40
बासल -III	2.50	लागू नहीं
4. भारत सरकार की इक्विटी शेयर धारिता का प्रतिशत	88.63%	85.31%
5. वर्ष के दौरान प्राप्त की गई अपर टियर-II लिखतों की राशि (₹ करोड़ में)	1000	-
6. वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी के रूप में प्राप्त की गई नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतों (आईपीडीआई) की राशि (₹ करोड़ में)	निरंक	500
7. क्यूआईपी रूट के माध्यम से इक्विटी शेयरों का निर्गम (₹ करोड़ में)	निरंक	निरंक
शेयर पूंजी		
शेयर प्रीमियम		

उपर्युक्त आंकड़ों का संकलन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश और तुलनपत्र में शामिल होने वाली कुछ मदों में प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए अनुमानों के आधार पर किया गया है और लेखा परीक्षकों ने इस पर विश्वास किया है. बासल II के संदर्भ में प्रणालीगत कमियां/ध्यान में आई/रिपोर्ट की गई आंकड़ों की त्रुटियां केन्द्रीय कार्यालय को बताई गई हैं. अपनाई गई व्यापक कार्य प्रणाली के आधार पर बैंक का मत है कि असंशोधित कमियां, यदि कोई हैं, तो उनका महत्वपूर्ण प्रभाव रिपोर्ट की गई समग्र पूंजी पर्याप्तता पर नहीं होगा.



बी.(i) निवेश

(₹ करोड़ में)

		मदें	31.3.2014	31.3.2013
1)	निवेश मूल्य			
	i)	सकल निवेश मूल्य	86383.78	72661.62
		ए) भारत में	86383.12	72660.96
		बी) भारत के बाहर	0.66	0.66
	ii)	मूल्यहास हेतु प्रावधान	248.63	57.82
		ए) भारत में	219.31	57.82
		वर्तमान मूल्यांकन से मूल्यहास (स्थानांतरण के समय आधारित) के प्रावधान का आधिक्य	29.32	
		बी) भारत के बाहर	0.00	0.00
	iii)	शुद्ध निवेश मूल्य	86164.47	72603.80
		ए) भारत में	86163.81	72603.14
		बी) भारत के बाहर	0.66	0.66
2)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी			
	i)	प्रारंभिक शेष	139.36	333.94
	ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	371.14	128.16
	iii)	घटाएं : बढ़े खाते डाले गए	261.87	404.28
	iv)	अंतिम शेष	248.63	57.82

(ii) रेपो लेन-देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि. 31 मार्च, 2014 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	8000.00	1387.38	1220.00
ii. कॉरपोरेट उधारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
ii. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	1500.00	14.86	0.00
ii. कॉरपोरेट उधारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00



iii) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता-वार संकलन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन सीमा	'निवेश श्रेणी से कम सीमा' तक प्रतिभूतियां	'गैर-श्रेणीकृत' प्रतिभूतियां	गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5487.68	4819.43	2042.12	2777.31	4319.43
ii)	वित्तीय संस्थाएं	1088.22	0.00	45.90	0.00	45.90
iii)	बैंक	453.59	0.00	72.68	0.00	0.00
iv)	निजी कॉर्पोरेट	2918.71	2425.26	800.06	365.34	112.12
v)	अनुषंगियां/ संयुक्त उद्यम	304.00	304.00	0.00	304.00	304.00
vi)	अन्य	8179.88	6956.31	0.00	7924.25	7266.46
	आरआईडीएफ/ आरएचडीएफ/ सिडबी	6275.00	6275.00	0.00	6275.00	6275.00
	सीपी/सीडी/ आईबीपीसी/एसआर	373.24	252.12	0.00	235.36	373.24
	म्यूच्युअल फंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उद्यम पूंजी	110.12	110.12	0.00	110.12	110.12
	शेयर (ट्रस्टी शेयरों सहित)	1421.52	319.07	0.00	1303.77	508.10
योग		18432.08	14505.00	2960.76	11370.90	12047.91
घटायें :	मूल्यहास के लिए प्रावधान	103.39				
शुद्ध		18328.69	14505.00	2960.76	11370.90	12047.91

कॉलम संख्या 4, 5, 6 एवं 7 के अधीन सूचित राशियां पारस्परिक रूप से अलग नहीं हैं.

(iv) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(परिपक्व निवेशों सहित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2014	31.3.2013
प्रारंभिक शेष	96.29	15.77
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	113.82	114.87
वर्ष के दौरान कमी	84.21	34.35
अंतिम शेष	125.90	96.29
धारित कुल प्रावधान	55.35	14.82



सी. डेरिवेटिव्स

(i) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

मदें		31.3.2014	31.3.2013
i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन	775.00	775.00
ii)	करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि.	निरंक	निरंक
iii)	स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	-	-
iv)	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का केंद्रीकरण		
	- विदेशी बैंक	712.50	712.50
	- घरेलू बैंक	62.50	62.50
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	(-) 14.92	(-) 26.18

शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	राशि	राशि
		31.03.2014	31.03.2013
i)	वर्ष के दौरान, शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स के लिए लिया गया आनुमानिक मूलधन) लिखत-वार ए) आईआरएफ बी) मुद्रा फ्यूचर्स सी) मुद्रा विकल्प	475.25 1846.95 0.22	निरंक निरंक निरंक
ii)	दि. 31मार्च, 2013 को शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	निरंक	निरंक
iii)	शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि तथा जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं थी (लिखत-वार)	निरंक	निरंक
iv)	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की बकाया शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स तथा जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं रहीं (लिखत-वार)	निरंक	निरंक

डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

iii) गुणात्मक प्रकटीकरण

- वायदा बाजार में बचाव व्यवस्था / व्यापार में डेरिवेटिव लिखतों के प्रयोग पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ट्रेजरी जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है.
- बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में स्थायी ब्याज दर, शून्य कूपन तथा अस्थायी ब्याज दरों के वैशिष्ट्य वाली आस्तियां शामिल है और वह ब्याज दर जोखिम के अधीन है. बैंक के पास ब्याज दर स्वैप हेतु टियर II बॉण्ड भी हैं, जिनमें निकास विकल्प उपलब्ध नहीं हैं. यह नीति इस देयता पर ब्याज दर जोखिम के लिए बचाव व्यवस्था भी अनुमत करती है.
- वायदा दर करार, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा -वायदे तथा ब्याज दर वायदों का निवेश पोर्टफोलियो में प्रयोग ब्याज दर जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए और बाजार बढ़ाने के लिए भी उनका उपयोग किया जाता है.
- निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, जोखिम प्रबंधन नीतियां तथा प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे हानि रोध सीमाएं, काउन्टर पार्टी एक्सपोजर सीमाएं इत्यादि, मौजूद हैं. इन जोखिमों की निगरानी तथा समीक्षा नियमित रूप से की जाती है. प्रबंध सूचना प्रणाली/रिपोर्ट जोखिम प्रबंधन समिति को आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है.



वित्तीय हानि से बचाव की स्थिति

- ब्याज दर स्वैप आईआरएस पर ब्याज खर्च/आय के कारण उपचय को लेखागत किया जाता है तथा आय/व्यय के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है.
- यदि स्वैप को परिपक्वता के पूर्व समाप्त किया जाता है, तो दैनिक एमटीएम हानि/लाभ तथा उपचय के ऐसे आंकड़ों का ब्याज दर स्वैप पर प्रदत्त/प्राप्त ब्याज के तहत व्यय/आय के रूप में लेखा-जोखा किया जाता है.

व्यापारिक स्थिति

- एमसीएक्स-एक्स तथा एनएसई के विनियम दिशानिर्देशों के अनुसार, मुद्रा वायदे तथा ब्याज दर वायदे दैनिक आधार पर बाजार मूल्य की स्थिति पर अंकित किए जाते हैं.
- मार्जिन खाते को दैनिक आधार पर जमा/नामे करते हुए एमटीएम लाभ/हानि का लेखा किया जाता है तथा उसे बैंक के लाभ एवं हानि खाते में लेखागत किया जाता है.
- व्यापारिक स्वैप को थोड़े-थोड़े अंतरालों में बाजार मूल्य की स्थिति के अनुसार अंकित किया जाता है. कोई भी एमटीएम हानियां लेखागत तथा लाभ, यदि कोई है का हिसाब नहीं रखा जाता है.
- स्वैप के खत्म होने पर लाभ अथवा हानि को उपर्युक्त शीर्ष में तत्काल आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है.

iv) गुणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	करेंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
i)	डेरिवेटिव्स (आनुमानिक मूल धन राशि)		
	ए) बचाव व्यवस्था के लिए	निरंक	525.00
	बी) व्यापार के लिए	निरंक	250.00
ii)	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की स्थिति (1)		
	ए) आस्ति (+)	-	2.52
	बी) देयता (-)	-	17.46
iii)	ऋण जोखिम (2)	-	5.27
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)		0.16
	ए) बचाव व्यवस्था पर डेरिवेटिव्स	-	0.10
	बी) व्यापार पर डेरिवेटिव्स	-	0.06
v)	वर्ष के दौरान नोट किए गए अधिकतम एवं न्यूनतम 100*पीवी01		
	ए) बचाव व्यवस्था पर	-	0.1433-0.1417
	बी) व्यापार पर	-	0.0799-0.0766



डी. आस्ति गुणवत्ता

(i) गैर-निष्पादक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

मदें		31.3.2014	31.3.2013
i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	3.75%	2.90%
ii)	एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी (सकल)		
	ए) प्रारंभिक शेष	8456	7273
	बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	7569	5125
	सी) वर्ष के दौरान कमी	4525	3942
	डी) अंतिम शेष	11500	8456
iii)	शुद्ध एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी		
	ए) प्रारंभिक शेष	4988	4600
	बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	4045	3676
	सी) वर्ष के दौरान कमी	2383	3288
	डी) अंतिम शेष	6649	4988
iv)	शुद्ध एनपीए हेतु प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
	ए) प्रारंभिक शेष**	2931	2220
	बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3524	1449
	सी) बट्टे खाते डाले गए/प्रतिलेखन/अंतरण	2001	738
	डी) अंतिम शेष**	4454	2931

* उधारकर्ता समायोजन लंबित रहते ईसीजीसी एवं कोर्ट से प्राप्त एवं सांकेतिक खातों में रखी राशि ₹ 93.03 करोड़ (गत वर्ष ₹ 84.00 करोड़) की नेटिंग करने के पश्चात.

** अस्थाई प्रावधान ₹ 209.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 312.43 करोड़) एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान ₹ 94.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 141.30 करोड़) छोड़कर.



(ii) पुनर्गठित खातों के ब्योरे :

Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2014																								
NAME OF THE BANK: CENTRAL BANK OF INDIA											(Rs. in Crore)													
Sr No	Type of Restructuring → Asset Classification → Details ↓	Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Type of Restructuring → Asset Classification → Details ↓	Others					TOTAL						
		Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total		Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total		
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	No. of borrowers	41	1	4	0	46	354	45	72	0	471	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	No. of borrowers	11273	1080	2303	0	14656	11668	1126	2379	0	15173
		Amount outstanding	4451.56	269.29	198.11	0.00	4918.96	113.53	10.13	76.64	0.00	200.30		Amount outstanding	15577.29	309.33	1675.00	0.00	17561.62	20142.38	588.75	1949.75	0.00	22680.88
		Provision thereon	628.49	21.73	2.14	0.00	652.36	6.55	0.33	6.65	0.00	13.53		Provision thereon	206.34	3.02	31.25	0.00	240.61	841.38	25.08	40.04	0.00	906.50
2	Fresh restructuring during the year*	No. of borrowers	16	2	2	0	20	0	0	0	0	0	Fresh restructuring during the year	No. of borrowers	4759	137	462	0	5358	4775	139	464	0	5378
		Amount outstanding	2132.79	115.27	380.80	0.00	2628.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Amount outstanding	6320.94	48.23	224.18	0.00	6593.35	8453.73	163.50	604.98	0.00	9222.21
		Provision thereon	170.64	19.50	23.13	0.00	213.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Provision thereon	181.29	1.39	11.20	0.00	193.88	351.93	20.89	34.33	0.00	407.15
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be	No. of borrowers	0					2				2	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be	No. of borrowers	14				14	16	0	0	0	16
		Amount outstanding	0.00					2.80				2.80		Amount outstanding	541.48				541.48	544.28	0.00	0.00	0.00	544.28
		Provision thereon	0.00					0.03				0.03		Provision thereon	6.54				6.54	6.57	0.00	0.00	0.00	6.57
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-5	3	2	0	0	-5	4	0	1	0	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-906	906	0	0	0	-916	913	2	1	0
		Amount outstanding	-480.83	346.47	194.36	0.00	0.00	-12.56	9.52	0.00	3.04	0.00		Amount outstanding	-533.34	533.34	0.00	0.00	0.00	-1026.73	889.33	134.36	3.04	0.00
		Provision thereon	-64.51	54.29	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Provision thereon	-17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	-82.07	71.85	10.22	0.00	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)**	No. of borrowers	45	5	4	0	54	955	523	2344	1	3823	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)**	No. of borrowers	13461	1989	6427	4	21861	14461	2497	8775	5	25738
		Amount outstanding	5354.74	461.74	459.12	0.00	6275.60	96.16	35.89	133.62	3.04	268.71		Amount outstanding	18739.79	705.67	957.24	407.87	20810.57	24190.69	1203.30	1549.98	410.91	27354.88
		Provision thereon	561.41	54.29	33.79	0.00	649.49	1.76	4.70	7.90	0.00	14.36		Provision thereon	538.57	3.75	32.79	0.03	575.14	1101.74	62.74	74.48	0.03	1238.99

*The increase in outstanding amount in existing restructured accounts are included in column of fresh restructuring during the year.

**Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

** Provision held is figure of sacrifice provision

NOTE:

The closing balance as at 31st March 2014 is not tallying arithmetically with opening balance + fresh restructuring +/- adjustment for movement across asset categories-reductions due to write offs/sale/recoveries etc since some accounts were not picked up by system in earlier years

(iii) आसि पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठित कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण



(₹ करोड़ में)

मदें		31.3.2014	31.3.2013
i)	खातों की संख्या	32	8
ii)	एससी/आरसी को बिक्रीत खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	907.32	11.36
iii)	कुल प्रतिफल	1532.79	44.00
iv)	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के लिए आगत अतिरिक्त प्रतिफल	निरंक	निरंक
v)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	625.47	32.64

(iv) अन्य बैंकों से खरीदी/को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. क्रय की गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण : निरंक

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.3.2014	31.3.2013
1	ए वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	बी कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2	ए इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	बी कुल बकाया	निरंक	निरंक

बी. बिक्री की गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

मदें		31.3.2014	31.3.2013
1	खातों की संख्या	निरंक	निरंक
2	कुल बकाया	निरंक	निरंक
3	प्राप्त कुल प्रतिफल	निरंक	निरंक

(v) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

मदें		31.3.2014	31.3.2013
धारित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		657.94	665.28

ई. व्यावसायिक अनुपात

मदें		2013-14	2012-13
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय *	9.18	9.46
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय *	0.72	0.72
(iii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ *	1.22	1.37
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल **	(0.47)	0.44
(v)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय *** (जमा + अग्रिम) (₹ लाख में)	1025.48	1067.39
(vi)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ लाख में)	(3.11)	2.73

* कार्यशील निधि में वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर) शामिल है.

** कार्यशील निधियों में कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर) शामिल है.

*** जमाओं (अंतर-बैंक जमाओं को छोड़कर) एवं अग्रिम के पाक्षिक औसत के आधार पर

ई. आस्ति देयता प्रबंधन



भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार विविध परिपक्वता अवधि समूह के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2014 को कुल घरेलू जमाओं, घरेलू उधार, घरेलू अग्रिमों एवं कुल निवेश का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

	एक दिन	2 दिन से 7 दिन	8 दिन से 14 दिन	15 दिन से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से अधिक व 6 माह तक	6 माह से अधिक व 12 माह तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
कुल घरेलू जमाएं	2016.21	5508.12	2138.48	5667.59	18890.13	17463.65	41986.83	86525.45	29591.48	29273.60	239061.54
कुल घरेलू अग्रिम	5596.32	2057.88	1567.30	446.06	6058.13	5063.79	12894.34	81543.84	23927.19	36298.74	175453.59
कुल निवेश	31.00	413.82	12.00	997.58	1289.24	350.38	1660.19	7014.30	18752.46	55614.17	86135.14
कुल घरेलू उधारी*	4493.55	354.00	0.00	0.00	0.24	1937.39	621.31	3101.76	87.04	14.28	10609.57
विदेशी मुद्रा में आस्तियां	243.56	0.00	7.11	136.94	748.02	630.50	36.27	114.80	112.28	75.67	2105.15
विदेशी मुद्रा में देयताएं	286.84	8.20	12.89	11.85	1451.29	2283.29	442.49	375.32	113.29	0.00	4985.46

नोट : - * टियर II पूंजी में सम्मिलित किए गए के अलावा

उपर्युक्त आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं प्रबंधन के प्रमुख अनुमानों के आधार पर संकलित किए गए हैं तथा लेखा-परीक्षकों द्वारा इन पर विश्वास व्यक्त किया गया है।

एफ. एक्सपोजर

(i) स्थावर सम्पदा क्षेत्र सम्बंधी एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

श्रेणी		31.3.2014	31.3.2013
ए)	प्रत्यक्ष निवेश		
	(i) आवासीय मार्गेंज - आवासीय सम्पत्ति पर बंधक के द्वारा ऋण पूरी तरह से रक्षित है, अर्थात या तो उधारकर्ता द्वारा कब्जे में है अथवा किराये पर है : (उपर्युक्त में शामिल व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने के लिए पात्र हैं)	11288.28 (7389.77)	7698.84 (6042.96)
	(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा - वाणिज्यिक स्थावर संपदा के मार्गेंज से प्रत्याभूत ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुदृशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा वेयर हाउस स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, निर्माण एवं विकास इत्यादि.) एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सीमाएं भी शामिल होंगी :	9402.00	11131.37
	(iii) मार्गेंज आधारित प्रतिभूतियां (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश - आवासीय, वाणिज्यिक स्थावर संपदा.	0.00 0.00	1.35 0.00
बी)	अप्रत्यक्ष निवेश		
	(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित निवेश. (ii) अन्य	2367.06 0.00	4684.08 123.38
स्थायर संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर		23057.34	23639.02

(ii) पूंजी बाजार एक्सपोजर



(₹ करोड़ में)

मदें	31.3.2014	31.3.2013
i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई हो.	773.17	917.88
ii) वैयक्तिकों को शेयर/बॉण्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा गैर-प्रतिभूति आधार पर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं म्यूच्युअल फंड की इक्विटी उन्मुख इकाइयों में निवेश हेतु अग्रिम.	1.88	4.27
iii) किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु अग्रिम जिनमें शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	0.00	0.00
(iv) अन्य प्रयोजन के लिए शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की सीमा तक रक्षित अग्रिम अर्थात जहां पर शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिट अग्रिमों को पूरी तरह रक्षित नहीं करती हैं.	339.42	527.77
(v) स्टॉक-ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक-ब्रोकरों एवं गौण बाजार के प्रमुख की ओर से जारी गारंटियां.	360.01	312.38
vi) कॉर्पोरेट को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा बेजमानती आधार पर प्रवर्तकों के भावी संसाधनों की प्रत्याशा के तहत उनके इक्विटी अंशदान को पूरा करने के लिए स्वीकृत ऋण.	0.00	0.00
vii) इक्विटी प्रवाह/निर्गम की प्रत्याशा के समक्ष कंपनियों को पूरक वित्त.	0.00	0.00
viii) शेयरों के प्राथमिक निर्गम अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों के सम्बंध में बैंकों द्वारा लिए गए हामीदारी वायदे.	0.00	0.00
ix) स्टॉक-ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण	0.00	0.00
x) उद्यम पूंजी फंड (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) सम्बंधित सभी निवेश, इक्विटी के साथ सममूल्य पर माने जाएंगे, अतः इसका पूंजी बाजार निवेश की उच्चतम सीमा (अप्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के साथ अनुपालन हेतु गणना में लिया जाएगा.	169.04	141.81
पूंजी बाजार का कुल एक्सपोजर	1643.52	1904.11

(iii) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर :

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	दिनांक 31मार्च, 2014 को निवेश (शुद्ध)	दिनांक 31मार्च, 2014 को धारित प्रावधान	दिनांक 31 मार्च, 2013 को निवेश (शुद्ध)	दिनांक 31 मार्च, 2013 को धारित प्रावधान
अप्रयोज्य	1579.71	निरंक	1326.72	निरंक
निम्न	815.91	निरंक	1503.71	निरंक
मध्यम	225.81	निरंक	204.80	निरंक
उच्च	113.23	निरंक	208.13	निरंक
अत्यधिक	4.88	निरंक	391.32	निरंक
सीमित	1.40	निरंक	0.94	निरंक
ऋणेत	0	निरंक	0.00	निरंक



योग	2740.94	3635.62
-----	---------	---------

चूंकि वर्ष हेतु बैंक का निवल निधि निवेश, विदेशी विनिमय लेनदेन के सम्बंध में बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम है, अतः प्रावधान आवश्यक नहीं है.

(iv) ऋण जोखिम का विवरण, जहां वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण मानदंडों से अधिक निवेश किया है तथा जिसके लिए बोर्ड का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया.

ए. बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता ऋण सीमा का अतिक्रमण

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	उधारकर्ता का नाम	दिनांक 31.3.2014 को ऋण एक्सपोजर		दिनांक 31.03.2014 को बकाया		दिनांक 31.03.14 को निवेश	दिनांक 31.03.14 को कुल एक्सपोजर
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित	निधि आधारित	गैर निधि आधारित		
1.	उत्तर प्रदेश पॉवर कोर्पोरेशन लि. (यूपीपीसीएल)	3445.04	0.00	3390.05	0.00	1747.11	5192.15

बी. बैंक द्वारा समूह उधारकर्ता ऋण सीमा का अतिक्रमण: निरंक

(v) ऋण एवं अग्रिमों का विवरण जोकि अमूर्त आस्तियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन आदि द्वारा रक्षित है, जो कि अनुसूची-9 में आरक्षित किया गया है.

निरंक के ऋण (गत वर्ष ₹ 495.74 करोड़), जिनका प्रभार अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन इत्यादि पर है, उन्हें अरक्षित माना गया है.

अमूर्त प्रतिभूतियों का मूल्य ₹ निरंक करोड़ (गत वर्ष ₹ 232.74 करोड़) है.

7. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरोपित दण्डों का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके मानदंडों की अनुपालन न करने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत बैंक को ₹ 305.27 लाख से दण्डित किया है.

8. जमाओं, अग्रिम, एक्सपोजर एवं एनपीए के संकेन्द्रण से संबंधित प्रकटीकरण :

8.1 जमाओं का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

(ए) बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	26178
(बी) बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का बैंक की कुल जमा में प्रतिशत	10.90

8.2 अग्रिमों का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

(ए) बीस बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	38272.70
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम का बैंक के कुल अग्रिम में प्रतिशत	20.59%

8.3 एक्सपोजर का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

(ए) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्स पोजर	41959.54
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोजर का बैंक के कुल एक्सपोजर में प्रतिशत	15.41

8.4 एनपीए का केन्द्रीकरण



(₹ करोड़ में)

(ए) शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल एकसपोजर	1806
--	------

II. क्षेत्रवार एनपीए

क्र.सं.	क्षेत्र	इस क्षेत्र के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत
1	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	4.64
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	11.52
3	सेवाएं	8.85
4	व्यक्तिगत ऋण	5.65

III. एनपीए में संचलन

ए)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
*दिनांक 1 अप्रैल, 2013 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	8456	7273
वर्ष के दौरान जुड़ा (नया एनपीए)	7569	5125
उप-योग (ए)	16025	12398
घटाएं:-		
(i) अपग्रेडेशन	766	1751
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)*	2383	1581
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते	1029	574
(iv) उपर्युक्त (iii) के अतिरिक्त बट्टे-खाते	347	36
उप-योग (बी)	4525	3942
31 मार्च, 2014 को सकल एनपीए (इति शेष) (ए-बी)	11500	8456

* ₹ 1278 करोड़ (गत वर्ष ₹ निरंक) के एनपीए की बिक्री सहित

बी. तकनीकी बट्टे-खाते तथा वसूली :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
दि. 1 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खातों का प्रारंभिक शेष	985.20	411.49
जुड़ा: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खाते	1405.95	701.73
उप-योग (ए)	2391.15	1113.22
घटा: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खातों में की गई वसूली (बी)	*377.14	128.02
दिनांक 31 मार्च को इति शेष (ए-बी)	2014.01	985.20

* नियमित बट्टे-खाते में ₹ 221.05 करोड़ (गत वर्ष ₹ निरंक) के रूपांतरण सहित

IV. ओवरसीज आस्तियां, एनपीए तथा आय

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
कुल आस्तियां	निरंक
कुल एनपीए	निरंक
कुल आय	निरंक

V. तुलन-पत्र बाह्य प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुरूप समेकित करना जरूरी है.)



प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	विदेशी
निरंक	निरंक

VI. प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण :

क्र.सं.	विवरण	सं. / राशि ₹ करोड़ में
1.	प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी से *	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक
3.	तुलनपत्र की तारीख को एमआरआर के अनुपालन में रोके गए एक्सपोजर की राशि	निरंक
	ए) तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	बी) तुलनपत्र एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के एक्सपोजर की राशि	निरंक
	ए) इतर तुलनपत्र एक्सपोजर	
	i) स्वयं के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	
	हानि	
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	
	हानि	
	बी) तुलनपत्र एक्सपोजर	
	i) स्वयं के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	
	हानि	
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	
	हानि	

* बकाया प्रतिभूतीकरण लेनदेनों से संबंधित एसपीवी की ही रिपोर्ट की जाए.

9. अन्य प्रकटीकरण

वर्तमान वर्ष के दौरान बैंकाश्युरैन्स व्यवसाय के सम्बंध में शुल्क/परिलब्धियां निम्नानुसार रहीं.

(₹ करोड़ में)

	2013-14		2012-13	
	पॉलिसियों की संख्या	राशि	पॉलिसियों की संख्या	राशि
जीवन	108036	14.58	149668	15.22
गैर जीवन बीमा	559846	11.56	189956	9.02
योग		26.14		24.24

10. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जारी लेखा मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित की गई है:

ए) लेखांकन मानक - 5

एनपीए की वसूली :

- दिनांक 01.07.2013 से एनपीए की वसूलियों का समायोजन पहले ब्याज की बजाय मूलधन की अनियमितताओं में करने सम्बन्धी समेकित वित्तीय विवरणी की लेखांकन नीति सं. 5.2 में हुए परिवर्तन होने के कारण वर्ष में ब्याज आय एवं ऋण कम है तथा हानि ₹ 223.50 करोड़ से अधिक है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.भारिबैं/2013-14/502, दिनांक 26.02.2014 के आलोक में, एनबीवी से अधिक मूल्य पर एससीआरसी को बिक्री के मामले में, ₹ 77 करोड़ की नकद वसूली के तुल्य प्रावधान आधिक्य को लाभ-हानि खाते में डाला गया है, जो वर्तमान लेखांकन नीति के अनुसार प्रावधान आधिक्य में रखा जाएगा. इसका परिणामी प्रभाव यह है कि वर्ष का लाभ ₹ 77 करोड़ अधिक हुआ है और प्रावधान उसी के समान राशि से कम हुआ है.

बी) लेखांकन मानक - 9

मूल लेखांकन नीति क्र. 8 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की गई है. तथापि, कथित आय को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है.

सी) लेखांकन मानक - 15 (संशोधित) मूल बैंक

वर्ष 2010-11 में, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं डीबीओडी सं बीपी:बीसी:80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के अनुसार, बैंक ने उन विद्यमान कर्मचारियों, जिन्होंने पूर्व में पेंशन का विकल्प नहीं लिया था, उन्हें पुनः पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर दिया था एवं ग्रेच्युटी में अभिवृद्धि से उत्पन्न अतिरिक्त देयता को दि. 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष से 5 साल की अवधि में परिशोधन करने का बैंक ने विकल्प चुना है. तदनुसार, दि. 01 अप्रैल, 2013 को अपरिशोधित राशि ₹ 590.77 करोड़ में से बैंक ने ₹ 239.99 करोड़ पेंशन के लिए एवं ग्रेच्युटी के लिए ₹ 55.40 करोड़ दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान आनुपातिक आधार पर परिशोधित की है. शेष पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिए भविष्य में परिशोधित की जाने वाली राशि पेंशन के लिए ₹ 239.98 करोड़ एवं ग्रेच्युटी के लिए ₹ 55.40 करोड़ है.

कर्मचारी लाभ :

बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	उपदान	पेंशन	उपदान
दिनांक 31 मार्च, 2014 को सुपरिभाषित लाभ दायित्व देयताएं				
प्रारंभिक दायित्व	7190.56	978.11	6537.56	891.22
सेवा लागत	166.74	30.01	127.74	41.25
ब्याज लागत	600.80	79.31	578.91	73.98
बीमांकिक (लाभ)/हानि	758.99	126.30	412.20	95.94
प्रदत्त लाभ	(578.07)	(150.10)	(465.85)	(124.28)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)			-	-
गत सेवा लागत (निहित लाभ)			-	-
देयता अंतरण			-	-
दिनांक 31 मार्च, 2014 को दायित्व	8139.02	1063.63	7190.56	978.11

(₹ करोड़ में)



विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	उपदान	पेंशन	उपदान
दिनांक 31 मार्च, 2014 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां				
उचित मूल्य पर प्रारंभिक योजना आस्तियां	6629.78	884.31	5349.39	855.53
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	654.74	91.42	510.12	68.92
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(28.78)	(1.91)	(23.88)	15.99
अंशदान	1185.00	241.50	1260.00	68.15
प्रदत्त लाभ	(578.07)	(150.10)	(465.85)	(124.28)
अन्य न्यास से अंतरण			-	-
दिनांक 31 मार्च, 2014 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	7862.67	1065.22	6629.78	884.31

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	उपदान	पेंशन	उपदान
दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लागत				
सेवा लागत	166.74	30.01	127.74	41.25
ब्याज लागत	600.80	79.31	578.91	73.98
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(654.74)	(91.42)	(510.12)	(68.92)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)	240.00	55.40	240.00	55.40
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि	787.77	128.21	436.08	79.95
शुद्ध लागत	1140.57	201.51	872.61	181.66

पूर्वधारणाएं :

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	उपदान	पेंशन	उपदान
ब्याज दर	9.27%	9.35%	8.50%	8.50%
वेतन वृद्धि दर	5%	5%	4%	4%
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की अनुमानित दर	8.70%	8.70%	8.70%	8.70%

डी) लेखांकन मानक 17 - खंडवार रिपोर्टिंग



- i) भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है. द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है.

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए खंडवार रिपोर्ट			
		(₹ करोड़ में)	
क्रम सं.	विवरण	दिनांक 31.03.14 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.13 को समाप्त वर्ष
ए.	खंडवार आय		
	1. ट्रेजरी परिचालन	6323.29	5188.80
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	6921.97	5816.99
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	13094.00	12441.42
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0
	5. गैर आबंटित	10.87	80.77
	कुल	26350.13	23527.98
बी.	खंडवार परिणाम		
	1. ट्रेजरी परिचालन	307.88	515.16
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	856.07	290.86
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	(2048.52)	545.96
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	(884.57)	1351.98
सी.	गैर -आबंटित आय / (व्यय)	(109.97)	(32.22)
डी.	परिचालन लाभ	(994.54)	1319.76
ई.	आय कर	268.31	304.80
एफ.	शुद्ध लाभ	(1262.84)	1014.96
	अन्य जानकारी		
जी.	खंडवार आस्तियां		
	1. ट्रेजरी परिचालन	100820.38	86328.74
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	65548.89	56488.33
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	118749.13	121574.44
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	5. गैर-आबंटित आस्तियां	4377.82	3738.03
	कुल	289496.22	268129.54
एच.	खंडवार देयताएं		
	1. ट्रेजरी परिचालन	101081.13	86459.29
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	61185.53	52686.49
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	110844.41	113412.16
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	00.00
	5. गैर-आबंटित देयताएं	596.60	258.75
	6. नियोजित पूंजी	15788.54	15312.85
	कुल	289496.22	268129.54

- ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं.



- iii) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश सहित) की सीमा तक के सभी निवेश शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, ग्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक निवेश के अधीन है।
- iv) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं।
- v) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।
- vi) सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियों के लिए पूरक का कार्य करता है।
- vii) लागत का आबंटन :
 - ए) एक विशिष्ट खंड से संबंधित खर्चे सीधे उस खंड को आबंटित किए जाते हैं।
 - बी) एक विशिष्ट खंड से सीधे संबंध न रखने वाले खर्चों को नियोजित फंड में विवेकपूर्ण आधार पर आबंटित किया जाता है।

ई) लेखा मानक 18 के अनुसार संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण - सम्बद्ध पार्टी

1 सम्बद्ध पार्टियों की सूची :

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

	नाम	पद
i)	श्री राजीव ऋषि (दिनांक 01/08/2013 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii)	श्री एम.वी.टांकसाले (दिनांक 29/06/2011 से दिनांक 31/07/2013 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
iii)	श्री मलय मुखर्जी (दिनांक 5/11/2012 से दिनांक 11/12/2013 तक)	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री आर.के. गोयल (दिनांक 11/01/2013 से)	कार्यपालक निदेशक
v)	श्री अनिमेष चौहान (दिनांक 05/08/2013 से)	कार्यपालक निदेशक
vi)	श्री बी.के. दिवाकर (दिनांक 23/01/2014 से)	कार्यपालक निदेशक

(ब) अनुषंगियां

- i) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड.
- ii) सेन्ट बैंक फाइनेन्शियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस लिमिटेड.

(सी)सहयोगी

- (I) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -
 - i) सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
 - ii) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
 - iii) उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार
- (II) इंडो - जाम्बिया बैंक लिमिटेड.

2. सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन :



(ए)

(₹ लाख में)

मदें	प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी	
	2013-14	2012 -13
प्रदत्त पारिश्रमिक	80.62	64.55

(बी)सम्बद्ध पार्टियों के लेनदेन का विवरण

STATEMENT OF RELATED PARTIES TRANSACTION AS ON 31.03.2013 & 31.03.2014														
(Rs. in crore)														
S.No.	Related Parties	As on	Investment		Purchase of Loan Assets		Sale of Loan Assets		Line of credit to RRBs		Participation under IBPC			
			Cumulative	Maximum during the year	Amount O/s	Interest Received	Amount Sold	Interest Paid	Amount	Interest received	Sale of Direct Agri. Assets to Sponsor Bank		Purchase of Non Priority Sector Portfolio from Sponsor Bank	
											Amt. O/s	Intt. Paid to Sponsor Bank	Amt. O/s	Intt. received from Sponsor Bank
1	Central M P G B	31.03.13	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	31.07	630.00	35.73
		31.03.14	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.00	4.39	727.00	5.03
2	Surguja KGB	31.03.13	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4.93	100.00	5.67
		31.03.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Uttar Bihar GB	31.03.13	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	69.04	1400.00	79.40
		31.03.14	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1397.00	8.43	1397.00	9.66
4	Ballia Etawah GB	31.03.13	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	7.15	145.00	8.22
		31.03.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Uttarbanga KGB	31.03.13	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1.97	40.00	2.27
		31.03.14	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.47	76.00	0.54
6	Vidharbha KGB	31.03.13	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	9.87	200.00	11.34
		31.03.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		31.03.13	263.70	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2515.00	124.03	2515.00	142.63
		31.03.14	277.11	277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	13.29	2200.00	15.23

- Central Bank of India has infused our share (35%) of Rs. 33.92 Crore in capital of Central Madhya Pradesh GB along with other stake holders.
- Surguja KGB has been merged to form Chhattisgarh Rajya GB on 02/09/2013 & our share in capital of Rs.2.57 Crore has been received back.
- Ballia Etawah GB has been merged to form Purvanchak Bank on 01/04/2013 & our share in capital of Rs.11.72 Crore has been received back.

सी) सम्बंधित पार्टियों के सम्बंध में कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो एएस-18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार सरकारी नियंत्रणाधीन उद्यम हैं। साथ ही, एएस-18 के पैरा 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधतंत्र कार्मिक एवं प्रमुख प्रबंधतंत्र कार्मिक रिश्तेदार सहित, बैंकर-ग्राहक सम्बंध की प्रकृति के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

एफ) लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय निम्नानुसार हुई है :

	31.3.2014	31.3.2013
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	(1262.84)	838.88
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	1137592631	746256617
प्रति शेयर मूल आय (₹)	(11.10)	11.24
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	(11.10)	11.24
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10.00	10.00

जी) लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (समूह का)



बैंक ने आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं मान्य की हैं.

आस्थगित कर आस्तियां एवं आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

	31.3.2014	31.3.2013
आस्थगित कर आस्तियां :		
व्यवसायिक हानि	575.14	--
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	154.57	113.01
पेंशन एवं ग्रेच्युइटी के लिए प्रावधान	--	59.20
निवेश पर मूल्यहास	--	6.72
अन्य	--	33.99
स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास	--	--
योग (ए) :	729.71	212.92
आस्थगित कर देयताएं :		
स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास	5.87	2.64
उपचित ब्याज; परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं	562.21	469.03
पेंशन एवं ग्रेच्युइटी के लिए प्रावधान	17.35	--
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि.	33.99	--
निवेश पर मूल्यहास	706.89	--
योग (बी):	1326.31	471.67
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	596.60	258.75

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.77/21.04.018/2013-14, दिनांक 20-12-2013 के अनुपालन में बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत आस्थगित कर देयताओं के लिए विशेष आरक्षी निधि सृजित की है. भारतीय रिज़र्व बैंक के कथित परिपत्र की अपेक्षा के अनुसार, विशेष आरक्षी निधि पर सृजित आस्थगित कर देयताओं की दिनांक 31 मार्च, 2013 को नियत व्यय राशि ₹33.99 करोड़, जो पूर्व में लाभ-हानि खाते को प्रभारित नहीं की गई थी उसे अब सीधे आरक्षी निधि से समायोजित किया गया.

एच) लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां है, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक - 28 लागू नहीं है. प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2014 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है. जिसे मान्य करने की आवश्यकता है.

आई) प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर - लेखांकन मानक 29

(i) ऋण के रूप में न माने गए दावों के प्रावधान में संचलन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2013 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रत्यावर्तित/ समायोजित प्रावधान	दिनांक 31.03.2014 को अंतिम शेष
उधार के रूप में पहचान न किए गए दावों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान	4.41	--	--	4.41

(ii) अतिरिक्त प्रकटीकरण



प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ-हानि खाते के शीर्ष 'व्यय' के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का ब्रेक-अप	31.3.2014	31.3.2013
निवेश पर प्रावधान/हास	257	(162)
एनपीए हेतु प्रावधान	3292	1358
मानक आस्ति हेतु प्रावधान	(7)	91
कर हेतु किए गए प्रावधान	268	305
पुनर्गठित ऋणों पर प्रावधान	697	572
अन्य प्रावधान	(6)	(6)
कुल	4501	2158

(iii) **अस्थायी प्रावधान**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2014	31.3.2013
ए	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	312.43	312.43
बी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	--	--
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	103.09	--
डी	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	209.34	312.43

(iv) **प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर :**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2014	31.3.2013
ए	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	141.30	141.30
बी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	--	--
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	46.63	--
डी	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	94.67	141.30

(₹ करोड़ में)

(v) **देयताओं हेतु प्रावधान में कमी/बढ़ोत्तरी :**

	31.3.2014	31.3.2013
		अन्य विधिक मामले
प्रारंभिक शेष	4.41	3.90
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	0.51
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-
अंतिम शेष	4.41	4.41
परिणामी आउटप्लो का समय	लागू नहीं	लागू नहीं

11. शिकायतों का विवरण



	ग्राहकों की शिकायतें	शिकायतों की संख्या	
		31.03.2014	31.03.2013
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	153	234
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	7906	5992
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	7825	6073
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	234	153

	बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय	संख्या	
		31.03.2014	31.03.2013
ए)	वर्ष की शुरुआत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की संख्या	3	3
सी)	वर्ष के दौरान लागू अधिनिर्णयों की संख्या	2	3
डी)	वर्ष के अंत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	1	0

प्रबंधन द्वारा समेकित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किए गए अनुसार.

	निवेशकों की शिकायतें	शिकायतों की संख्या	
		31.03.2014	31.03.2013
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	0	0
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	217	240
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	217	240
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	0	0

एटीएम लेनदेनों के सम्बन्ध में शिकायतें

	विवरण	सीबीआई के एटीएम पर किए गए एटीएम लेनदेन सम्बन्धी शिकायतें	अन्य बैंकों के एटीएम पर किए गए लेनदेन सम्बन्धी शिकायतें	शिकायतों की कुल संख्या
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	59	803	862
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	19633	24910	44543
सी)	वर्ष के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	19194	25134	44328
डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	498	579	1077

12. दिनांक 31.03.2014 को जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र एवं बकाया राशि का विवरण

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष 2013-14 के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र	2289.15
वर्ष 2013-14 के दौरान परिपक्व/निरस्त चुकौती आश्वासन पत्र	2442.39
दिनांक 31.03.2014 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	2343.80

उपर्युक्त उल्लेखित चुकौती आश्वासन पत्र स्वीकृत व्यापार साख सीमा के तहत जारी किए गए हैं

13. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)



- पीसीआर (प्रावधान-सकल एनपीए अनुपात) 50.68%(गत वर्ष 40.62%) था.
14. प्रबंधतंत्र द्वारा संकलित सूचना के अनुसार वेंडर्स, जिनकी सेवाएं बैंक द्वारा उपयोग में ली गईं एवं जिनसे खरीद की गई है, वे व्यष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत नहीं हैं. इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.
15. सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ. आईटीसी.बीसी.सं.6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार सीबीएस में धोखाधड़ियों की नीतियां निर्धारित की है, जिनकी प्रबंधतंत्र द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है.
16. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण हो सके.

बी. के. दिवाकर कार्यपालक निदेशक	अनिमेष चौहान कार्यपालक निदेशक	आर. के. गोयल कार्यपालक निदेशक	राजीव ऋषि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सौरभ गर्ग निदेशक	शेखर भटनागर निदेशक	गुमान सिंह निदेशक	
प्रो. एन. बालकृष्णन निदेशक	एम.पी. शोरावाला निदेशक	कृष्ण सेठी निदेशक	
सुश्री एन.एस. रत्नप्रभा निदेशक	एस.बी. रोडे निदेशक	गुरबख्श कुमार जोशी निदेशक	
कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000131एन (सीए सुनील जैन) भागीदार सदस्यता सं. 080990	कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.-004135एस (सीए एस. वेंकटकृष्णन) भागीदार सदस्यता सं. 023488	कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000561एन (सीए मुकेश गोयल) भागीदार सदस्यता सं. 081810	
कृते एन. सरकार एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301075ई (सीए एम. राय) भागीदार सदस्यता सं. 012940	कृते एन. चौधरी एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301032ई (सीए अनूप विश्वास) भागीदार सदस्यता सं. 050708	कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 321095ई (सीए एस.एस.मोहपात्रा) भागीदार सदस्यता सं. 061619	

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 10 मई, 2014



दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की नकद प्रवाह विवरणी

		(करोड ₹)	
क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2014	31-03-2013
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	करों पूर्व लाभ	(994.55)	1,319.76
I	समायोजन हेतु :		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	208.55	184.45
	निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	256.56	(169.28)
	गैर निष्पादन आस्तियों के मामलों में अशोध्य कर्ज अपलिखित कर्ज	3,292.01	1,358.26
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	689.57	662.63
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	(5.57)	1.19
	आयकर पर ब्याज (शुद्ध)	(10.87)	(80.77)
	अचल आस्तियों (शुद्ध) की बिक्री पर लाभ/हानि	1.19	(0.65)
	गौण ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान/प्रावधान (अलग से माना जाएं)	642.26	582.86
	अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	(2.79)	(2.79)
	जेएनवाई कूपन पर ब्याज	5.17	-
	उप योग	4,081.53	3,855.66
II	समायोजन हेतु :		
	जमा में वृद्धि (कमी)	14,030.67	29,864.98
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	3,774.26	5,385.91
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	3,285.57	14.24
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(9,360.91)	(26,443.88)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(13,777.91)	(13,191.24)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(3,355.52)	(437.53)
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी का शुद्ध आदि)	(700.54)	(156.86)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद(ए)	(6,104.37)	(4,964.38)
	परिचालन गतिविधियों से नकद शुद्ध प्रवाह	(2,022.84)	(1,108.72)
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	49.45	1.27
	अचल आस्तियों की खरीद	(405.01)	(425.95)
	सहयोगी/अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	2.79	2.79
	सहयोगी/अनुषंगियों में निवेश	(10.00)	
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(362.77)	(421.89)
सी	वित्तपोषित गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	शेयर पूंजी	1,799.99	2,406.00
	गौण ऋण की प्राप्तियां /पुनः प्राप्ति टियर II पूंजी	-	-
	अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर्स	(411.64)	(275.81)
	लाभांश कर	(69.49)	(44.45)
	जेएनवाई स्वैप कूपन पर ब्याज	(5.17)	(6.66)
	गौण कर्ज पर ब्याज	(642.26)	(582.86)
	वित्तपोषित गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	671.43	1,496.22



दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की नकद प्रवाह विवरणी

		(करोड ₹)	
क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2014	31-03-2013
डी	नकद एवं नकद तुल्य (ए+बी+सी) या (एम -ई) में शुद्ध वृद्धि	(1,714.17)	(34.39)
ई	वर्ष के प्रारंभ पर नकद तथा नकद तुल्य		
	नकद एवं भारिबै के साथ शेष	13,560.17	13,114.18
	बैंक में तथा मांग पर धन एवं अल्प सूचना में शेष	532.04	1,012.42
	वर्ष के प्रारंभ पर शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष	14,092.21	14,126.60
एम	वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समकक्ष		
	नकद एवं भारिबै के साथ शेष	11,926.63	13,560.17
	बैंक एवं मांग पर धनराशि तथा अल्प सूचना में शेष	451.40	532.04
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष	12,378.03	14,092.21

बी. के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

अनिमेष चौहान
कार्यपालक निदेशक

आर. के. गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

गुमान सिंह
निदेशक

प्रो. एन. बालकृष्णन
निदेशक

एम.पी. शोरावाला
निदेशक

कृष्ण सेठी
निदेशक

सुश्री एन.एस. रत्नप्रभा
निदेशक

एस.बी. रोडे
निदेशक

गुरबख्श कुमार जोशी
निदेशक

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन
(सीए सुनिल जैन)
भागीदार

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-004135एस
(सीए एस. वेंकटकृष्णन)
भागीदार

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000561एन
(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार

कृते एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई
(सीए एम. राय)
भागीदार
सदस्यता सं. 012940

कृते एन. चौधरी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301032ई
(सीए अनूप विश्वास)
भागीदार
सदस्यता सं. 050708

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 321095ई
(सीए एस.एस.मोहपात्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 061619

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 10 मई, 2014



तालिका डीएफ 1

1. संभावित प्रयोज्य क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण:

ए. मूल बैंक: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

इस शीट में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एकल आधार में प्रकटीकरण है.

बी. समेकित खातों में, बैंक की अनुषंगी/सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार है:

(बी i) बैंक की अनुषंगी: बैंक की अनुषंगियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	अनुषंगी का नाम	स्वामित्व
1	सेन्ट बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड	64.40%
2	सेन्ट बैंक फाइनेशियल सर्विसेज़ लिमिटेड	100%

मूल बैंक की अनुषंगियों का समेकन, मूल बैंक की संबंधित मदों के समान अनुषंगियों की आस्तियों, देयताएं, आय एवं खर्चों के मदवार समामेलन में से लेखांकन नीतियों की पुष्टि करने के लिए अंतः समूह शाखाओं/लेनदेनों, गैर वसूले लाभ/हानि आवश्यक समायोजनों, अनुषंगियों से संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर किया गया है. अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग तारीख मूल बैंक के अनुसार ही अर्थात् 31 मार्च, 2014 रखी गई है. अनुषंगियों के वित्तीय विवरणियों के समेकन में एएस-21 लेखांकन मानक अपनाए गए हैं.

(बी ii) सहयोगी संस्थाएं: बैंक की सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	स्वामित्व
I	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
1	सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक	35%
3	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर	35%
4	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार	35%
II	इंडो-जाम्बिया बैंक लि., जाम्बिया.	20%

समेकित वित्तीय विवरणियों में एसोशिएट्स में निवेशों के लेखाकरण के लिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मान एएस-23 अपनाए गए हैं.

इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड एक एसोशिएट्स के वित्तीय विवरण अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एक एसोशिएट्स वित्तीय संस्थाओं की प्रकृति की है.

बैंक के सीआरएआर की गणना के लिए, अनुषंगियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, बैंक के निवेश को टियर I एवं टियर II पूंजी में से समान रूप से घटाया गया है.

सीआरएआर की गणना बैंक के एकल आधार पर की गई है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(सी) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि, जो समेकन में शामिल नहीं है अर्थात् जो घटाई गई है तथा ऐसी अनुषंगियों के नाम :
निरंक

(डी) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की समग्र राशि (उदाहरणार्थ वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारिता वाले है तथा उनके नाम, निगमन अथवा निवास के उनके देश, स्वामित्व हित का समानुपात और, यदि अलग है, इस संस्थानों में मताधिकार का समानुपात है: निरंक



तालिका डीएफ 2

1. पूंजी विन्यास

गुणात्मक प्रकटीकरण

ए) इक्विटी पूंजी

दिनांक 31 मार्च, 2014 को बैंक की अधिकृत पूंजी ₹ 3000.00 करोड़ है; बैंक द्वारा जारी ₹10 मूल्य के 1350439315 शेयरों के साथ, अभिदत्त तथा प्रदत्त इक्विटी पूंजी ₹ 1350.44 करोड़ है. दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति को उक्त में से 88.63% शेयरधारिता भारत सरकार के अधीन है, जिसमें कुल 1196959325 शेयर्स हैं.

ऋण पूंजी लिखत

2.2.1 टियर I पूंजी का विवरण

टियर I पूंजी	जारी तिथि	अवधि माह में	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
आईपीडीआई	30.03.2009	अविरत	अविरत	583.00	सरकारी प्रतिभूति + 250 बीपीएस प्रति वर्ष, मार्च में पुनर्मूल्यांकित
पीडीआई (सीरीज़ II)	28.09.2012	अविरत	अविरत	500.00	9.40% वार्षिक
पीएनसीपीएस	26.11.2006	अविरत	अविरत	800.00	रेपो+100 बीपीएस प्रति वर्ष एक संगत तिथि में पुनर्मूल्यांकित
पीएनसीपीएस	30.03.2009	अविरत	अविरत	117.00	रेपो+100 बीपीएस प्रति वर्ष एक संगत तिथि में पुनर्मूल्यांकित
पीएनसीपीएस	31.03.2010	अविरत	अविरत	450.00	रेपो+100 बीपीएस प्रति वर्ष एक संगत तिथि में पुनर्मूल्यांकित
पीएनसीपीएस	04.06.2010	अविरत	अविरत	250.00	रेपो+100 बीपीएस प्रति वर्ष एक संगत तिथि में पुनर्मूल्यांकित
कुल				2700.00	

2.2.2 अपर टियर II बॉण्ड का विवरण

सीरीज़	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
अपर टियर-II (सी I)	14.11.2008	14.11.2023	300.00	11.45% वार्षिक 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 11.95%)
अपर टियर-II (सी II)	17.02.2009	17.02.2024	285.00	9.40% वार्षिक 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.90%)
अपर टियर-II (सी III)	23.06.2009	23.06.2024	500.00	8.80% वार्षिक 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.30%)
अपर टियर-II (सी IV)	20.01.2010	20.01.2025	500.00	8.63% वार्षिक 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.13%)
अपर टियर-II (सी V)	11.06.2010	11.06.2025	1000.00	8.57% वार्षिक 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.07%)
अपर टियर-II (सी VI)	21.01.2011	21.01.2026	300.00	9.20% वार्षिक प्रतिदेय तक
		कुल	2885.00	



2.2.3 गौण बॉण्ड का विवरण

सीरीज़	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
IX	08.10.2004	08.06.2014	200.00	7.05% वार्षिक
X	28.03.2006	28.06.2015	578.20	8.15% वार्षिक
XI	04.10.2006	04.10.2016	700.00	8.95% वार्षिक
XII	03.03.2008	03.05.2017	389.10	9.20% वार्षिक
XIII	10.02.2009	10.04.2018	270.00	9.35% वार्षिक
XIV	21.12.2011	21.12.2026	500.00	9.33% वार्षिक
		कुल	2637.30	

2.2.4 बासल III अनुपालित बांड का विवरण टियर 2

टियर II सीरीज़	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
एसआर I	08.11.2013	08.11.2023	1000.00	9.90% प्र.व.
		कुल	1000.00	

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

₹ करोड़ में

(बी) टियर 1 पूंजी	14849
निम्न के अलग प्रकटीकरण के साथ:	
• प्रदत्त शेयर पूंजी	1350
• आरक्षित निधियां	10960
• नवोन्मेष लिखत: आईपीडीआई	1083
पीएनसीपीएस	1617
• टियर 1 पूंजी से घटाई गई राशि	152
निवेश-	9
अमूर्त अस्तियां -	
(सी) टियर 2 पूंजी (टियर 2 पूंजी में से कटौतियों का शुद्ध):	7020
(डी) अपर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखत	
• कुल बकाया राशि	2885
• इसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान उगाही गई राशि-	निरंक
• पूंजी कोष के रूप में परिकल्पित की जाने वाली पात्र राशि	2885
(ई) लोअर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र गौण ऋण	
• कुल बकाया राशि	3637
• इसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान उगाही गई राशि-	1000
• पूंजी कोष के रूप में परिकल्पित की जाने वाली पात्र राशि	2291
(एफ) पूंजी से अन्य कटौतियां	152
(जी) कुल पात्र पूंजी	21869

तालिका डीएफ 3

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(ए) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंक की पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा का सारांश: पूंजी जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए बैंक नियमित रूप से समय-समय पर पूंजी की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है. व्यवसाय वृद्धि तथा सीआरएआर को ध्यान में रख कर पूंजी आयोजना की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है.

बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया.

बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया है जो बैंक को उसके व्यवसाय प्रक्षेपण के संबंध में आनेवाली पूंजी आवश्यकताओं की योजना के लिए तथा व्यवसाय में निहित जोखिमों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है. आईसीएएपी प्रयास का प्रमुख उद्देश्य है उन जोखिमों की पहचान तथा निर्धारण करना जो पिलर I में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात के अंतर्गत पूरी तरह से पकड़ में न आएँ, ऐसे जोखिम जो पिलर के तहत बिल्कुल ध्यान में न ली गई तथा जो बैंक के बाहरी घटक हो तथा इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिमों के लिए पूंजी का प्रावधान करना तथा बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में आंतरिक पूंजी के उपयुक्त स्तर को मापना. बैंक ने पिलर II के अंतर्गत अपने सीआरएआर पर प्रतिकूल दबाव के प्रभाव को मापने के लिए स्ट्रेस परीक्षण नीति लागू की है.

बैंक आईसीएएपी की समीक्षा तिमाही आधार पर कर रहा है.

₹ करोड़ में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
(बी) 9% ऋण जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	
● निधि आधारित	13241
● गैर-निधि आधारित	1097
● प्रतिभूति एक्सपोजर	निरंक
(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
● मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण:	
- ब्याज दर जोखिम	776
- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	4
- इक्विटी जोखिम	328
(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	1005
● मूल संकेतक दृष्टिकोण	
(ई) कूल पूंजी अनुपात-	11.96%
टियर 1 पूंजी अनुपात	8.12%

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता

निदेशक मंडल की एक समिति बैंक के विविध जोखिम के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन नीतियों/कार्यप्रणाली का नियमित रूप से अवलोकन करती है जैसे ऋण, परिचालन, बाजार आदि, बैंक ने प्रत्येक जोखिम के समझौते के लिए शीर्ष प्रबंधतंत्र की जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक समिति निदेशक को टीम में शामिल करते हुए अलग समिति का गठन किया है, जैसे आस्तियां देयता प्रबंधन समिति, ऋणनीति समिति, परिचालन जोखिम समिति. इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत जोखिम स्तर का निर्धारण तथा मॉनिटरिंग करने हेतु पूरे वर्ष नियमित बैठकें की जाती हैं तथा जहां आवश्यक हो, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किए जाते हैं.



केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग के शीर्षस्थ मुख्य महाप्रबंधक हैं, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंड नियंत्रण तथा जोखिम की सीमा के अंदर प्रबंध कराना है तथा विविध समितियों द्वारा निर्धारित जोखिम पैरामीटर के साथ अनुपालन कराते हैं। मुख्य महाप्रबंधक को उप महाप्रबंधक, एवं सहायक महाप्रबंधकों, मुख्य प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रबंधकों एवं प्रबंधकों की टीम द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

कुछ चिन्हित क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम प्रबंधकों को, केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित भुजाओं के रूप में नियुक्त किया जाता है

बैंक में विविध नीतियां हैं जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियां, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, समन्वित जोखिम प्रबंधन नीति, स्ट्रेस टेस्ट नीति, प्रकटीकरण नीति, परिचालन जोखिम नीति, एएलएम नीति तथा निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति।

इसके अलावा, ऋण नीति शासी ऋण कार्य-पद्धति के बृहद मापदंड, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं मूल्यमापन, प्रत्यायोजित प्राधिकारी के ऋण अधिकारों, प्रकटीकरण मानदंड, विवेकपूर्ण सीमाएं तथा ऋण पोर्टफोलियो दस्तावेजीकरण की निगरानी एवं नियंत्रण पर दिशानिर्देश भी सुव्यवस्थित हैं।

महाप्रबंधक द्वारा प्रशासित ऋण मॉनिटरिंग विभाग ऋण प्रस्तावों की गुणवत्ता, विशेष उल्लिखित खतों की पहचान एवं उनके सुधारक उपाय को मॉनिटर करते हैं। ऋण प्रस्ताव की समीक्षा प्रणाली भी विभाग द्वारा तैयार की जाती है।

बैंक ने खुदरा ऋण प्रणाली के साथ उधारग्रहिताओं के विविध खंडों के लिए रेटिंग मॉडल की शुरुआत की है, जो कि काउंटर ग्राहक के साथ जोखिम की जांच करती है तथा ऋण एवं मूल्य निर्धारण में मदद करती है। बड़े ऋणी के मामले में ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल काउंटर ग्राहक के वित्तीय जोखिम, उद्योग जोखिम, प्रबंधन जोखिम तथा व्यवसाय जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा प्रत्येक ऐसे जोखिम का पृथक रूप से मूल्यांकन करती है तथा फिर समग्र रेटिंग, काउंटर पार्टी को प्रदान की जाती है। ऋण सुविधा रेटिंग टूल भी रेटिंग टूल में ही शामिल है।

तालिका डीएफ 4

ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम

गत देय तथा अनर्जक की परिभाषाएं

अनर्जक आस्तियां वह हैं जहां ऋण या अग्रिम-

- मियादी ऋण के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त बकाया रहे;
- 90 दिनों के लिए खाता अनियमित रहे,
- खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता हो,
- कृषि के उद्देश्य से स्वीकृत अग्रिम के मामले में
 - अल्पावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो,
 - दीर्घावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज एक फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो।
- प्रतिभूतिकरण पर दिनांक 1 फरवरी 2006 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के सम्बन्ध में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए बकाया रहती हो।
- डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक बाज़ार चिन्हित मूल्य को व्यक्त करती अतिदेय प्राप्ति यदि ये भुगतान की निर्धारित तिथि से 90 दिनों की अवधि तक अदत्त रहती हों

अनियमित:

कोई खाता तब 'अनियमित' दर्शाया जाता है, जब बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से कम हो, परंतु तुलन-पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं हो या इस अवधि में नामे ब्याज को कवर करने योग्य पर्याप्त जमा न हो।



अतिदेय:

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय कहलाएगी, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि को अदा नहीं की जाती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट ऋण जोखिम नीति को अपनाया है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है:

- ऋण जोखिम निर्धारण, नीति एवं कार्यनीति
- जोखिम पहचान तथा मापन,
- जोखिम श्रेणीकरण तथा समेकीकरण,
- ऋण जोखिम रेटिंग, रूपरेखा तथा रिपोर्टिंग
- जोखिम नियंत्रण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- न्यूनीकरण तकनीक,
- लक्ष्य बाजार तथा आर्थिक गतिविधियों के प्रकार,
- ऋण अनुमोदन प्राधिकारी,
- किसी देश में किसी बैंक का ऋण एवं मुद्रा,
- परिपक्वता का स्वरूप, विविधीकरण का स्तर,
- अर्थव्यवस्था का चक्रीय पहलू,
- ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में ऋण जोखिम,
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रियाएं
- अंतर बैंक एक्सपोजर में ऋण जोखिम प्रबंधन,
- किसी देश में किसी बैंक के ऋण तथा परिचालन सम्बंधी मामले.

(₹ करोड़ में)

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(ए) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:	
निधि आधारित:	274024
गैर-निधि आधारित:	43311
(बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण:	
▪ विदेशी	191
▪ घरेलू	317144

(सी) उद्योग का नाम	निधि	गैर-निधि
ए. खनन एवं उत्खनन (ए.1 + ए.2)	387	32
ए.1 कोयला	110	24
2 अन्य	277	8
बी. खाद्य प्रसंस्करण (बी1 से बी5 तक)	5822	1471
बी.1 चीनी	2258	137
बी.2 वनस्पति तेल एवं वनस्पति	1003	414



बी.3 चाय	291	1
बी.4 कॉफी	18	0
बी.5 अन्य	2251	919
सी. पेय (चाय एवं कॉफी के अतिरिक्त) एवं तम्बाकू	4	4
जिसमें से तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	0	0
डी. टेक्सटाईल (ए से एफ तक)	6036	1033
ए. सूती	1353	116
बी. जूट	89	10
सी. हस्तशिल्प /खादी (गैर-प्राथमिकता)	6	0
डी. सिल्क	43	3
ई. ऊनी कपड़ा	263	28
एफ. अन्य	4282	875
डी. में से (अर्थात, कुल कपड़ा) कताई मिल को	0	0
ई. चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	106	7
एफ. लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	221	13
जी. कागज एवं कागज के उत्पाद	635	128
एच. पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) एवं न्यूक्लियर ईंधन	954	100
आई. रसायन एवं रसायन उत्पाद (डाई, पेंट इत्यादि) (आई1 से आई4 तक)	2812	714
आई.1 उर्वरक	935	12
आई.2 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	1524	481
आई.3 पेट्रो कैमिकल्स (बुनियादी संरचना के अंतर्गत)	193	83
आई.4 अन्य	160	138
जे. रबर प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	294	128
के. कांच एवं कांच के सामान	46	5
एल. सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	1645	10
एम. मूल धातु एवं धातु के उत्पाद (एम.1 + एम.2)	9898	2645
एम.1 लोहा एवं स्टील	8554	1884
एम.2 अन्य धातु एवं धातु	1344	761
एन. सभी अभियांत्रिकी (एन.1 + एन.2)	3686	3347
एन.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	617	131
एन.1 अन्य	3069	3216
ओ. वाहन, वाहन पार्ट एवं परिवहन उपस्कर	1127	1001
पी. रत्न, एवं आभूषण परिवहन उपस्कर	1954	918
क्यू. निर्माण	4936	1461
आर. बुनियादी संरचना (ए से डी तक)	58027	5728
ए. परिवहन (ए.1 से ए.5 तक)	14151	1393
ए.1 रेलवे	749	105
ए.2 रोडवेज	9982	1133
ए.3 विमानन	1364	35
ए.4 जलमार्ग	2055	120
ए.5 अन्य	0	0



बी. ऊर्जा (बी1 से बी6 तक)	36138	2800
बी.1 विद्युत (उत्पादन)	17601	2523
बी.1.1 केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	948	0
बी.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	8618	2344
बी.1.3 निजी क्षेत्र	8035	179
बी.1 विद्युत (परिचालन)	896	0
बी.2.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	0	0
बी.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	547	0
बी.2.3 निजी क्षेत्र	348	0
बी.1 विद्युत (वितरण)	16991	278
बी.3.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	613	0
बी.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	15235	278
बी.3.3 निजी क्षेत्र	1142	0
बी.4 तेल (भंडारण एवं पाइप लाईन)	86	0
बी.5 गैस/एलएनजी (भंडारण एवं पाइप लाईन)	283	0
बी.6 अन्य	281	0
सी. दूरसंचार	2889	1347
डी. अन्य	4849	188
जिसमें से पानी स्वच्छता	323	0
जिसमें से सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी संरचना	1012	59
एस. अन्य उद्योग	19191	3303
सभी उद्योग (ए से एस तक)	117784	22047
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (कुल अग्रिम से मिलान के लिए)	95235	3113
कुल ऋण एवं अग्रिम	213018	25161
(डी) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता संबंधी विश्लेषण:		
1 दिन :		5871
02 दिनों से 07 दिनों तक:		2472
08 दिनों से 14 दिनों तक:		1586
15 दिनों से 28 दिनों तक:		1581
29 दिनों से 3 महीनों तक:		8095
3 महीनों से अधिक, परंतु 6 महीनों तक:		6045
6 महीनों से अधिक, परंतु 12 महीनों तक:		14591
12 महीनों से अधिक, परंतु 36 महीनों तक:		88673
36 महीनों से अधिक, परंतु 60 महीनों तक:		42792
60 महीनों से अधिक :		91989
कुल		263695



(ई) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल)		11500
▪ अवमानक		5066
▪ संदिग्ध		6136
▪ हानि		298
(एफ) निवल अनर्जक आस्तियां		6649
(जी) अनर्जक आस्तियों का अनुपात		
▪ सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां		6.27%
▪ निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां		3.75%
(एच) अनर्जक अस्तियों (सकल) में संचलन अनुपात		
▪ प्रारम्भिक शेष		8456
▪ परिवर्धन		7569
▪ कमियां		4525
▪ अनर्जक आस्तियां (सकल)		11500
(आई) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों (शुद्ध) में परिवर्तन		
▪ प्रारम्भिक शेष		2931
▪ अवधि के दौरान किया गया प्रावधान		3524
▪ बढ़ा खाता		2001
▪ अपलिखत अतिरिक्त प्रावधान		-
▪ अंतिम शेष		4454
(जे) अनर्जक निवेश की राशि		126
(के) अनर्जक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि		55
(एल) निवेश पर प्रावधान/मूल्यहास में परिवर्तन:		
▪ प्रारम्भिक शेष		34
▪ इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान		43
▪ बढ़ा खाता		-
▪ अपलिखत अतिरिक्त प्रावधान		22
▪ अंतिम शेष		55

तालिका डीएफ 5

ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण जोखिम के लिये पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है, ये दिशानिर्देश विभिन्न आस्ति वर्गीकरण के लिये अलग-अलग जोखिम भारिता प्रदान करते हैं, जिन्हें विधिवत रूप से लागू किया गया है।
- (बी) बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अभिचिन्हित बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियों यथा, क्रिसिल लि. केयर, इक्रा लि. तथा फिच रेटिंग (आई) लि. समेरा एवं ब्रिकवर्क द्वारा की गई ऋण रेटिंग को स्वीकार किया है
- (सी) ये एजेंसियां सभी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर की रेटिंग करती हैं, इन एजेंसियों द्वारा बैंक के ग्राहकों को प्रदत्त रेटिंग, जोखिम भारिता निर्धारित करने के लिये स्वीकार की जाती हैं..
- (डी) कॉर्पोरेट के किसी विशिष्ट निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में, रेटिंग एजेंसी की विशिष्ट निर्गम रेटिंग की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय स्थिति पैमाने के अनुसार की जायेगी।



₹ करोड़ में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर राशि के लिये, बैंक की बकाया (श्रेणीकृत तथा अश्रेणीकृत) राशि तथा वे, जिनमें कटौती की जाती है, निम्न तीन जोखिम श्रेणियों में निम्नवत है:	
▪ 100 % जोखिम भारिता से कम:	195375
▪ 100 % जोखिम भारिता:	82784
▪ 100 % जोखिम भारिता से अधिक:	39176
▪ घटाई गई राशि - सीआरएम	12223

तालिका डीएफ 6

ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण 1 के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

- **संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिये नीतियां एवं प्रक्रियायें;**
बैंक के पास सुपरिभाषित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, नकदी तथा नकदीतुल्य प्रतिभूतियां, भूमि एवं भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक हैं.
- **बैंक द्वारा ली जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक का विवरण;**
बैंक द्वारा, व्यक्तिगत गारंटियां, कॉर्पोरेट गारंटियां तथा शासन एवं बैंकों द्वारा जारी गारंटियां स्वीकार की जाती हैं. नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नियमित अंतराल में उचित बाजार मूल्य पर किया जाता है.
ऋण जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में विभिन्न प्रकार वित्तीय संपार्श्विक को मान्यता प्रदान की गई हैं इन दिशानिर्देशों में गारंटियों को भी ऋण जोखिम न्यूनीकारक माना गया है. इस प्रकार के तत्व हासिल करने के लिए बैंक ने उचित नीतिगत उपाय किये हैं.

₹ करोड़ में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिये, कुल एक्सपोजर कवर किया गया है:	
• हेयरकट्स अनुप्रयोग के बाद; पात्र वित्तीय संपार्श्विक-	
निधि आधारित	11903
गैर-निधि आधारित	320



तालिका डीएफ 7

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

निरंक

₹ करोड़ में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	निरंक
बैंकिंग बही	निरंक
(डी) बैंक द्वारा प्रतिभूतित एक्सपोजर की कुल राशि.	
(ई) एक्सपोजर प्रकृति द्वारा विखंडित वर्तमान अवधि, (अर्थात् क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादि अंतर्निहित प्रतिभूति) में चिन्हित एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियां	निरंक
(एफ) एक वर्ष के भीतर आस्तियों की राशि को प्रतिभूतित किए जाने की मंशा.	निरंक
(जी) उपर्युक्त (एफ), में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर सृजित की गई आस्तियों की राशि	निरंक
(एच) प्रतिभूतित एक्सपोजर (एक्सपोजर के प्रकार द्वारा) की कुल राशि तथा एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर गैर अभिचिन्हित लाभ या हानियां	
(i) निम्न की समेकित राशि :	निरंक
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं-	
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(j) रोकी गई अथवा क्रय की गई तथा सहायक पूंजी प्रभागों के बीच विभाजित किया गया और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम भारिता समूहों में विभाजित, ऐसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की समेकित राशि.	
ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई/ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजर को घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	निरंक
ट्रेडिंग बही :	
(के) बैंक द्वारा प्रतिभूतित समेकित एक्सपोजर राशि, जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रोके हैं एवं जो एक्सपोजर टाइप द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं,	निरंक
(l) निम्न की समग्र राशि :	निरंक
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए प्रकार के, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं	
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एम) निम्न के लिए पृथक से रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की कुल राशि :	निरंक
विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर तथा :	
- विभिन्न जोखिमों के विभिन्न भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एन) निम्न की समग्र राशि :	
- विभिन्न जोखिम भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए अपेक्षित पूंजी	निरंक
- ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई /ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों से घटाया गया(एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक



तालिका डीएफ-8 ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के पास सुस्पष्ट निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है। जो बाजार जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है।

बैंक, बाजार जोखिम को व्यापार-प्रक्रिया में गतिविधियों विशेष रूप से, ब्याज दरों में परिवर्तन, विनिमय दरों तथा इक्विटी एवं पण्य मूल्यों में परिवर्तन से तुलन पत्र तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों में हानि होने की जोखिम के रूप में परिभाषित करता है।

बाजार जोखिम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी की आवश्यकता के मापन हेतु बैंक ने मानक अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

बैंक ने बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है। जो बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोगी है, आस्ति-देयता प्रबंधन नीति एवं विदेशी विनिमय परिचालन नीति, ऐसी अन्य नीतियां है जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। नीतियों में विभिन्न विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समुचित बाजार जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम के समक्ष बैंक को अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिचालन यथास्थिति में है।

आस्ति-देयताएं प्रबंधन :

एएलएम नीति, एएलएम प्रक्रिया की एक रूपरेखा है। बैंक के तुलनपत्र में वित्तीय जोखिम के विभिन्न स्तरों के एक्सपोजर का मिश्रण है। बैंक का लक्ष्य अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना है, परन्तु इसे इस तरीके से किया गया, जिससे बैंक को जोखिम के उन अत्यधिक स्तरों का सामना न करना पड़े, जो अन्तोगत्वा लाभप्रदता पर प्रभाव डालते हैं। यह नीति, जोखिम सीमा के प्रमुख उपायों के लिए, उन सीमाओं को परिभाषित करती है, जो विशेष रूप से बैंक की एकमेव शेषराशि जटिलता, नीतिगत दिशा तथा जोखिम प्रवृत्ति के समायोजन के लिए बनाई गई है।

तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम का प्रबंध आस्तियों तथा देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता /स्थिति पर आधारित अंतर विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। बैंक के पास अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि व्यवस्था योजना प्रणाली मौजूद है। बैंक की कुशल आस्ति देयता प्रबंधन तरलता प्रोफाइल हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता निर्धारण अवधि के लिए विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई है। इन्हें विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से भी बैंक की तरलता प्रोफाइल की जांच की जाती है।

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम का प्रबंध दर-संवेदी आस्तियों एवं देयताओं के अंतर विश्लेषण से किया जाता है एवं विवेकसम्मत सीमाओं के द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं शुद्ध ब्याज आय पर प्रभाव के मूल्यांकन हेतु ब्याज दर में विपरित परिवर्तन के सापेक्ष भी बैंक जोखिम का आवधिक प्राक्कलन करता है

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता	पूंजी प्रभार
ब्याज दर जोखिम	₹ 776 करोड़
इक्विटी की स्थिति- जोखिम	₹ 328 करोड़
विदेशी मुद्रा का जोखिम	₹ 4 करोड़
योग	₹ 1108 करोड़



तालिका डीएफ 9

परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम, हानियों से संबंधित जोखिम है, जो बाहरी घटनाओं से अथवा आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्तियों तथा प्रणालियों की विफलता अथवा अपर्याप्तता से प्रकट होती है। परिचालन जोखिम में विधि जोखिम शामिल होता है, परंतु इसमें नीतिगत एवं प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं होते। बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है, जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। बैंक ने परिचालन जोखिम के तहत समुन्नत दशा में पहुंचने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने हेतु अनुकूल सकारात्मक कदम उठाए हैं तथा हानि आंकड़ा प्रबंधन, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) एवं परिस्थितियों के विश्लेषण के माध्यम से परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है। बैंक बाह्य हानि डाटा आधार के लिए हानि डाटा कंसोर्टियम 'कोरडेक्स' का सदस्य भी है।

बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए पहले से ही आरबीआई से संपर्क साधा हुआ है और एडवांस मेजरमेंट एप्रोच अपनाने के लिए सीधे प्रयासरत है।

बैंक ने मूल संकेतक संकल्पना के अनुसार परिचालन जोखिम हेतु पूंजी उपलब्ध कराई है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2014 को परिचालन जोखिम के लिए ₹ 1005 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता है।

तालिका डीएफ -10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम का मापन एवं निगरानी करने की दो पद्धतियां हैं:

1. जोखिम पर आय (परम्परागत अंतर विश्लेषण)

इस पद्धति के अंतर्गत शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और यील्ड कर्व पद्धति से इसकी गणना की जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत 1% का समानान्तर अंतरण, आस्तियों एवं देयताओं दोनों में ही मान लिया जाता है।

2. इक्विटी का आर्थिक मूल्य:

इक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि का अलग से परिकलन किया जाता है। इक्विटी के आर्थिक मूल्य की गणना के लिए यील्ड कर्व में 200 बेसिस पाइंट का समानान्तर अंतरण मान लिया जाता है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

परिवर्तन के पैरामीटर	₹ करोड़ में
1. समग्र आस्ति एवं देयता की ब्याज दर में 100 बीपीएस की वृद्धि पर आय पर प्रभाव	188
2. इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बीपीएस का परिवर्तन	-747

डॉ. एस.के. मिश्रा
उप महाप्रबंधक

(बी.के. दिवाकर)
कार्यपालक निदेशक

(अनिमेष चौहान)
कार्यपालक निदेशक

(आर.के.गोयल)
कार्यपालक निदेशक

प्रदीप कुमार
उप महाप्रबंधक
(राजीव ऋषि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 23.05.2014



दिनांक 31.03.2014 को पिलर 3 (बासल III) प्रकटीकरण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

तालिका डीएफ-1 : संभावित प्रयोज्य क्षेत्र

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण :

इस शीट में सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का एकल आधार में प्रकटीकरण है.

समेकित खातों (वार्षिकतः प्रकट) में बैंक की अनुषंगी/ सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार है:

ए. समेकन में शामिल समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश	क्या निकाय को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है. (हां/नहीं)	समेकन की विधि बताएं	क्या निकाय समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की विधि बताएं	समेकन की विधियों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	कारण बताएं यदि समेकन के क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत समेकन किया गया है.
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि./भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -21 के अनुसार समेकन .	नहीं	ला.न.	ला.न.	पूंजी से निवेशों की कटौती
सेन्ट बैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लि. / भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -21 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	पूंजी से निवेशों की कटौती
सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्राबैं/भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां



इन्डो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड/ जाम्बिया	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारत आस्तियां
---------------------------------------	-----	---	------	-------	-------	---------------------

बी. समेकन की लेखांकन एवं नियामक दोनों ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकन हेतु स्वीकार न किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश	निकाय की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय के पूंजी साधनों में बैंक के निवेशों का नियमन	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)
ऐसा कोई निकाय नहीं					

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

सी. समेकन हेतु स्वीकार की गई समूह इकाइयों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश (उक्त (i)ए.में दर्शाए अनुसार)	निकाय की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) ₹ मिलियन में	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) ₹ मिलियन में
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि./भारत	कंपनी का प्रमुख उद्देश्य आवास ऋण प्रदान करना है.	250	5121
सेन्ट बैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लि. / भारत	कॉर्पोरेट ग्राहकों को निवेश बैंकिंग उत्पाद/सेवाएं प्रदान करना है.	50	424
सेन्ट्रल मध्यप्रदेश प्राबैं/भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2464	68913
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4545	129652
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1028.31	22410.19

डी. सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि, जो समेकन में शामिल नहीं है अर्थात् जो घटाई गई है तथा ऐसी अनुषंगियों के नाम : निरंक

ई. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की समग्र राशि (उदाहरणार्थ वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारिता वाले है: निरंक

एफ. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतर या नियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध या रूकावट: निरंक



तालिका -2: पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(ए) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंक की पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा का सारांश:

पूंजी जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए बैंक नियमित रूप से समय-समय पर पूंजी की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है. व्यवसाय वृद्धि तथा सीआरएआर को ध्यान में रख कर पूंजी आयोजना की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है.

बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया.

बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया है जो बैंक को उसके व्यवसाय प्रक्षेपण के संबंध में आने वाली पूंजी आवश्यकताओं की योजना के लिए तथा व्यवसाय में निहित जोखिमों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है. आईसीएएपी प्रयास का प्रमुख उद्देश्य है उन जोखिमों की पहचान तथा निर्धारण करना जो पिलर I में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात के अंतर्गत पूरी तरह से पकड़ में न आएँ, ऐसे जोखिम जो पिलर के तहत बिल्कुल ध्यान में न ली गईं तथा जो बैंक के बाहरी घटक हो तथा इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिमों के लिए पूंजी का प्रावधान करना तथा बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में आंतरिक पूंजी के उपयुक्त स्तर को मापना. बैंक ने पिलर II के अंतर्गत अपने सीआरएआर पर प्रतिकूल दबाव के प्रभाव को मापने के लिए स्ट्रेस परीक्षण नीति लागू की है.

बैंक आईसीएएपी की समीक्षा तिमाही आधार पर कर रहा है.

बैंक ने जोखिम भारत आस्तियों की गणना के लिए नवीनतम दृष्टिकोण की ओर जाने हेतु पहल की है, बैंक इस हेतु सॉफ्टवेयर क्षमता को प्राप्त करने की प्रक्रिया में है.

परिमाणुत्मक प्रकटीकरण	
(बी) ऋण जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं :	
<ul style="list-style-type: none"> • मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो @9% • प्रतिभूति एक्सपोजर 	₹ 145363 मिलियन निरंक
(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
<ul style="list-style-type: none"> • मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण: - ब्याज दर जोखिम - - विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) - - इक्विटी जोखिम - 	₹ 7866 मिलियन ₹ 41 मिलियन ₹ 3285 मिलियन
(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
<ul style="list-style-type: none"> • मूल संकेतक दृष्टिकोण 	₹ 10047 मिलियन
(ई) सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूंजी अनुपात	
<ul style="list-style-type: none"> • सामान्य इक्विटी टियर 1 • टियर 1 • कुल पूंजी अनुपात 	6.47% 7.37% 9.87%

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता

निदेशक मंडल की एक समिति बैंक के विविध जोखिम के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन नीतियों/ कार्यप्रणाली का नियमित रूप से अवलोकन करती है जैसे ऋण, परिचालन, बाजार आदि, बैंक ने प्रत्येक जोखिम के समझौते के लिए शीर्ष प्रबंधतंत्र की जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक समिति निदेशक को टीम में शामिल करते हुए अलग समिति का गठन किया है, जैसे आस्तियां देयता प्रबंधन समिति, ऋण नीति समिति, परिचालन जोखिम समिति. इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत जोखिम स्तर का निर्धारण तथा मॉनिटरिंग करने हेतु पूरे वर्ष नियमित बैठकें की जाती हैं तथा जहां आवश्यक हो, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किए जाते हैं.



केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग के शीर्षस्थ मुख्य महाप्रबंधक हैं, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंड नियंत्रण तथा जोखिम की सीमा के अंदर प्रबंध कराना है तथा विविध समितियों द्वारा निर्धारित जोखिम पैरामीटर के साथ अनुपालन कराते है. मुख्य महाप्रबंधक को सहायक महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक एवं प्रबंधकों की टीम के साथ उप महाप्रबंधक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है.

क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर ये अभिनिर्धारित जोखिम प्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित भुजाओं के रूप में कार्य करेंगे.

बैंक में विविध नीतियां है जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियां, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, समं वित्त जोखिम प्रबंधन नीति, स्ट्रैस टेस्ट नीति, प्रकटीकरण नीति, परिचालन जोखिम नीति, एएलएम नीति तथा निवेश एवं बाजार जोखिम नीति.

इसके अलावा, ऋण नीति शासी ऋण कार्य-पद्धति के बृहद मापदंड, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं मूल्यमापन, प्रत्यायोजित प्राधिकारी के ऋण अधिकारों, प्रकटीकरण मानदंड, विवेकपूर्ण सीमाएं तथा ऋण पोर्टफोलियो दस्तावेजीकरण की निगरानी एवं नियंत्रण पर दिशानिर्देश भी सुव्यवस्थित है.

ऋण मॉनिटरिंग विभाग के प्रमुख महाप्रबंधक हैं, जो ऋण प्रस्तावों की गुणवत्ता, विशेष उल्लिखित खतों की पहचान एवं उनके सुधारक उपाय को मॉनिटर करेंगे. ऋण प्रस्ताव की समीक्षा भी विभाग द्वारा की जाएगी.

बैंक ने खुदरा ऋण प्रणाली के साथ उधारग्रहिताओं के विविध खंडों के लिए रेटिंग मॉडल की शुरुआत की है, जो कि काउंटर ग्राहक के साथ जोखिम की जांच करती है तथा ऋण एवं मूल्य निर्धारण में मदद करती है. बड़े ऋणी के मामले में ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल काउंटर ग्राहक के वित्तीय जोखिम, उद्योग जोखिम, प्रबंधन जोखिम तथा व्यवसाय जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा प्रत्येक ऐसे जोखिम का पृथक रूप से मूल्यांकन करती है तथा फिर समग्र रेटिंग, काउंटर पार्टी को प्रदान की जाती है. सुविधा रेटिंग टूल भी रेटिंग टूल में ही शामिल है.

तालिका डीएफ 3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम

गत देय तथा अनर्जक की परिभाषाएं

अनर्जक आस्तियां वह है जहां ऋण या अग्रिम-

- मियादी ऋण के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त बकाया रहे;
- 90 दिनों के लिए खाता अनियमित रहे,
- खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता हो,
- कृषि के उद्देश्य से स्वीकृत अग्रिम के मामले में
 - अल्पावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो,
 - दीर्घावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज एक फसल मौसल तक अतिदेय रहती हो.
- दिनांक 1 फरवरी 2006 के प्रतिभूतिकरण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए बकाया रहेगी.
- डेरिवेटिव परिचालन के संबंध में अतिदेय प्राप्तियां डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक दैनिक बाजार मूल्य को व्यक्त कर रही है यदि ये भुगतान की निर्धारित तय तिथि से 90 दिनों की अवधि तक अदत्त रहती है.

अनियमित:

कोई खाता तब 'अनियमित' दर्शाया जाता है, जब बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से कम हो, परंतु तुलन-पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं हो या इस अवधि में नामे ब्याज को कवर करने योग्यन पर्याप्त जमा न हो.



अतिदेय:

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय कहलाएगी, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि को अदा नहीं की जाती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट ऋण जोखिम नीति को अपनाया है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. यह नीति निम्न लिखित क्षेत्रों में कार्य करती है:

- ऋण जोखिम निर्धारण, नीति एवं कार्यनीति
- जोखिम पहचान तथा मापन,
- जोखिम श्रेणीकरण तथा समेकीकरण,
- ऋण जोखिम रेटिंग, रूपरेखा तथा रिपोर्टिंग
- जोखिम नियंत्रण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- न्यूननीकरण तकनीक,
- लक्ष्य बाजार तथा आर्थिक गतिविधियों के प्रकार,
- ऋण अनुमोदन प्राधिकारी,
- किसी देश में किसी बैंक का ऋण एवं मुद्रा,
- परिपक्वता का स्वरूप, विविधीकरण का स्तर,
- अर्थव्यवस्था का चक्रीय पहलू,
- ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में ऋण जोखिम,
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रियाएं
- अंतर बैंक एक्सपोजर में ऋण जोखिम प्रबंधन,
- किसी देश में किसी बैंक के ऋण तथा परिचालन सम्बंधी मामले.

(₹ मिलियन में)	
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(ए) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:	
निधि आधारित:	2778167
गैर-निधि आधारित:	417310
(बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण:	
• विदेशी	1909
• घरेलू	3193568

सी

उद्योग का नाम	निधि	गैर-निधि
ए. खनन एवं उत्खनन (ए.1 + ए.2)	3865	324
ए.1 कोयला	1097	244
ए.2 अन्य	2768	80
बी. खाद्य प्रसंस्करण (बी1 से बी5 तक)	58223	14712



बी.1 चीनी	22584	1366
बी.2 वनस्पति तेल एवं वनस्पति	10033	4143
बी.3 चाय	2912	12
बी.4 कॉफी	179	0
बी.5 अन्य	22514	9192
सी. पेय (चाय एवं कॉफी के अतिरिक्त.) एवं तम्बाकू	38	39
जिसमें से तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	0	0
डी. टेक्सटाईल (ए से एफ तक)	60356	10329
ए. सूती	13529	1163
बी. जूट	887	100
सी. हस्तशिल्प/खादी (गैर-प्राथमिकता)	61	0
डी. सिल्क	429	32
ई. ऊनी कपड़ा	2634	285
एफ. अन्य	42816	8749
डी में से (अर्थात्, कुल कपड़ा) कताई मिल को	0	0
ई. चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	1062	67
एफ. लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	2215	133
जी. कागज एवं कागज के उत्पाद	6353	1283
एच. पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) एवं न्यूक्लियर		
ईंधन	9539	999
आई. रसायन एवं रसायन उत्पाद (डाई, पेंट इत्यादि) (आई1 से आई4 तक)	28122	7136
आई.1 उर्वरक	9353	117
आई.2 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	15244	4806
आई.3 पेट्रो कैमिकल्स (बुनियादी संरचना के अंतर्गत)	1929	832
आई.4 अन्य	1596	1381
जे. रबर प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	2941	1276
के. कांच एवं कांच के सामान	462	49
एल. सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	16454	100
एम. मूल धातु एवं धातु के उत्पाद (एम.1 + एम.2)	98977	26450
एम.1 लोहा एवं स्टील	85537	18835
एम.2 अन्य धातु एवं धातु	13441	7614
एन. सभी अभियांत्रिकी (एन.1 + एन.2)	36864	33469
एन.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	6171	1309
एन.2 अन्य	30694	32159
ओ. वाहन, वाहक पार्ट एवं परिवहन उपस्कर	11272	10015
पी. रत्न, एवं आभूषण परिवहन उपस्कर	19544	9178
क्यू. निर्माण	49362	14611
आर. बुनियादी संरचना (ए से डी तक)	580274	57279
ए. परिवहन (ए.1 से ए.5 तक)	141513	13929
ए.1 रेलवे	7493	1050
ए.2 रोडवेज	99824	11327



ए.3 विमानन	13642	352
ए.4 जलमार्ग	20553	1200
ए.5 अन्य	0	0
बी. ऊर्जा(बी1 से बी6 तक)	361377	28001
बी.1 विद्युत (उत्पादन)	176005	25225
बी.1.1 केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	9476	0
बी.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	86181	23437
बी.1.3 निजी क्षेत्र	80349	1788
बी.2 विद्युत (परिचालन)	8956	0
बी.2.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	0	0
बी.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	5475	0
बी.2.3 निजी क्षेत्र	3482	0
बी.3 विद्युत (वितरण)	169905	2776
बी.3.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	6133	0
बी.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	152351	2776
बी.3.3 निजी क्षेत्र	11421	0
बी.4 तेल (भंडारण एवं पाइप लाईन)	863	0
बी.5 गैस/एलएनजी (भंडारण एवं पाइप लाईन)	2832	0
बी.6 अन्य	2815	0
सी. दूरसंचार	28890	13470
डी. अन्य	48495	1880
जिसमें से पानी स्वच्छ	3227	0
जिसमें से सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी संरचना	10123	588
एस. अन्य उद्योग	191912	33025
सभी उद्योग (ए से एस तक)	1177836	220475
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (कुल अग्रिम से मिलान के लिए)	952345	31132
कुल ऋण एवं अग्रिम	2130181	251606

कुल एकस्पोजर के 5% से अधिक वाले एकस्पोजर

	वित्त पोषित	गैर वित्त पोषित
बुनियादी संरचना	580274	57279
अन्य उद्योग	191912	33025

(डी) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता संबंधी विश्लेषण :

1 दिन :	58709
02 दिनों से 07 दिनों तक:	24717
08 दिनों से 14 दिनों तक:	15864
15 दिनों से 28 दिनों तक:	15806
29 दिनों से 3 महीनों तक:	80954
3 महीनों से अधिक, परंतु 6 महीनों तक:	60447
6 महीनों से अधिक, परंतु 12 महीनों तक:	145908
12 महीनों से अधिक, परंतु 36 महीनों तक:	886729



36 महीनों से अधिक, परंतु 60 महीनों तक:	427919
60 महीनों से अधिक :	919886
कुल	2636939
(ई) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल)	115000
▪ अवमानक	50659
▪ संदिग्ध 1	37402
▪ संदिग्ध 2	21514
▪ संदिग्ध 3	2443
▪ हानि	2982
(एफ) निवल अनर्जक आस्तियां	66486
(जी) अनर्जक आस्तियों का अनुपात	
▪ सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	6.27%
▪ निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	3.75%
(एच) अनर्जक आस्तियों (सकल) में संचलन	
▪ प्रारम्भिक शेष	84561
▪ परिवर्धन	75690
▪ कमियां	45250
▪ अनर्जक आस्तियां (सकल)	115000
(आई) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों (शुद्ध) में संचलन	
▪ प्रारम्भिक शेष	29310
▪ अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	35240
▪ बट्टा खाता	20010
▪ अपलिखत अतिरिक्त प्रावधान	20010
▪ इति शेष	44540
(जे) अनर्जक निवेश की राशि	1259
(के) अनर्जक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि	553
(एल) निवेश पर प्रावधान/मूल्याह्रास में परिवर्तन:	
▪ प्रारम्भिक शेष	337
▪ इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	431
▪ बट्टा खाता	-
▪ अपलिखत अतिरिक्त प्रावधान	215
▪ इति शेष	553

तालिका डीएफ - 4

ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण जोखिम के लिये पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है, ये दिशानिर्देश विभिन्न आस्ति वर्गीकरण के लिये अलग-अलग जोखिम भारिता प्रदान करते हैं, जिन्हें विधिवत रूप से लागू किया गया है।
- (बी) बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अभिचिह्नित बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों यथा क्रिसिल लि. केयर, इक्रा लि. तथा फिच रेटिंग (आई) लि. समेरा एवं ब्रिकवर्क के साथ वाह्य ऋण रेटिंग के लिए बैंक की सहमति बनी है।



(सी) ये एजेन्सियां सभी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर की रेटिंग करती हैं, इन एजेन्सियों द्वारा बैंक के ग्राहकों को प्रदत्त रेटिंग, जोखिम भारिता निर्धारित करने के लिये स्वीकार की जाती हैं।

(डी) कॉर्पोरेट के किसी विशिष्ट निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में, रेटिंग एजेंसी की विशिष्ट निर्गम रेटिंग की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय स्थिति पैमाने के अनुसार की जायेगी।

₹ मिलियन में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर राशि के लिये, बैंक की बकाया (श्रेणीकृत तथा अश्रेणीकृत) राशि तथा वे, जिनमें कटौती की जाती है, निम्न तीन जोखिम श्रेणियों में निम्नवत है:	
▪ 100 % जोखिम भारिता से कम :	1965266
▪ 100 % जोखिम भारिता	827842
▪ 100 % जोखिम भारिता से अधिक	402370
▪ घटाई गई राशि - सीआरएम	122229

तालिका डीएफ-5

ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण 1 के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिये नीतियां एवं प्रक्रियायें;
बैंक के पास सुपरिभाषित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, नकदी तथा नकदी तुल्य प्रतिभूतियां, भूमि एवं भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक हैं।
- बैंक द्वारा ली जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक का विवरण;
बैंक द्वारा, व्यक्तिगत गारंटियां, कॉर्पोरेट गारंटियां तथा शासन एवं बैंकों द्वारा जारी गारंटियां स्वीकार की जाती हैं। नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नियमित अंतराल में उचित बाजार मूल्य पर किया जाता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार वित्तीय संपार्श्विक का अभिनिर्धारण करते हैं, साथ ही, ये दिशानिर्देश गारंटी को एक ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं इस प्रकार के तत्वों का पता लगाने के लिये बैंक ने उचित नीतिगत उपाय किये हैं।

₹ मिलियन में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिये, कुल एक्सपोजर कवर किया गया है:	
हेयरकट्स अनुप्रयोग के बाद; पात्र वित्तीय संपार्श्विक-	
निधि आधारित	119030
गैर-निधि आधारित	3199



तालिका डीएफ -6

प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

निरंक

₹ करोड़ में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	निरंक
बैंकिंग बही	निरंक
(डी) बैंक द्वारा प्रतिभूतित एक्सपोजर की कुल राशि.	
(ई) एक्सपोजर प्रकृति द्वारा विखंडित वर्तमान अवधि, (अर्थात् क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादि अंतर्निहित प्रतिभूति) में चिन्हित एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियां	निरंक
(एफ) एक वर्ष के भीतर आस्तियों की राशि को प्रतिभूतित किए जाने की मंशा.	निरंक
(जी) उपर्युक्त (एफ), में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर सृजित की गई आस्तियों की राशि	निरंक
(एच) प्रतिभूतित एक्सपोजर (एक्सपोजर के प्रकार द्वारा) की कुल राशि तथा एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर गैर अभिचिन्हित लाभ या हानियां	
(i) निम्न की समेकित राशि :	निरंक
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं-	
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(ii) रोकी गई अथवा क्रय की गई तथा सहायक पूंजी प्रभारों के बीच विभाजित किया गया और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम भारिता समूहों में विभाजित, ऐसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की समेकित राशि.	
ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई/ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	निरंक
ट्रेडिंग बही :	
(के) बैंक द्वारा प्रतिभूतित समेकित एक्सपोजर राशि, जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रोके रखे हैं एवं जो एक्सपोजर टाइप द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं,	निरंक
(ख) निम्न की समग्र राशि :	निरंक
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए प्रकार के, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं	
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एम) निम्न के लिए पृथक से रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की कुल राशि :	निरंक
विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर तथा :	
- विभिन्न जोखिमों के विभिन्न भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एन) निम्न की समग्र राशि :	
- विभिन्न जोखिम भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए अपेक्षित पूंजी	निरंक
- ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई /ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों से घटाया गया(एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक

तालिका डीएफ - 7 ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के पास सुस्पष्ट निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है। जो बाजार जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है।

बैंक, बाजार जोखिम को व्यापार-प्रक्रिया में गतिविधियों विशेष रूप से, ब्याज दरों में परिवर्तन, विनिमय दरों तथा इक्विटी एवं पण्य मूल्यों में परिवर्तन से तुलन पत्र तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों में हानि होने की जोखिम के रूप में परिभाषित करता है।

बाजार जोखिम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी की आवश्यकता के मापन हेतु बैंक ने मानक अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

बैंक ने बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है, जो बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोगी है, आस्ति-देयता प्रबंधन नीति एवं विदेशी विनिमय परिचालन नीति, ऐसी अन्य नीतियां हैं जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित हैं।

नीतियों में विभिन्न विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समुचित बाजार जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम के समक्ष बैंक को अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिचालन यथास्थिति में है।

आस्ति-देयताएं प्रबंधन :

एएलएम नीति, एएलएम प्रक्रिया की एक रूपरेखा है। बैंक के तुलनपत्र में वित्तीय जोखिम के विभिन्न स्तरों के एक्सपोजर का मिश्रण है। बैंक का लक्ष्य अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना है, परन्तु इसे इस तरीके से किया गया, जिससे बैंक को जोखिम के उन अत्यधिक स्तरों का सामना न करना पड़े, जो अन्ततोगतवा लाभप्रदता पर प्रभाव डालते हैं। यह नीति, जोखिम सीमा के प्रमुख उपायों के लिए, उन सीमाओं को परिभाषित करती है, जो विशेष रूप से बैंक की एकमेव शेषराशि जटिलता, नीतिगत दिशा तथा जोखिम प्रवृत्ति के समायोजन के लिए बनाई गई है।

तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम का प्रबंध आस्तियों तथा देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता /स्थिति पर आधारित अंतर विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। बैंक के पास अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि व्यवस्था योजना प्रणाली मौजूद है। बैंक की कुशल आस्ति देयता प्रबंधन तरलता प्रोफाइल हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता निर्धारण अवधि के लिए विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इन्हें विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से भी बैंक की तरलता प्रोफाइल की जांच की जाती है।

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम का प्रबंध दर-संवेदी आस्तियों एवं देयताओं के अंतर विश्लेषण से किया जाता है एवं विवेकसम्मत सीमाओं के द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं शुद्ध ब्याज आय पर प्रभाव के मूल्यांकन हेतु ब्याज दर में विपरीत परिवर्तन के सापेक्ष भी बैंक जोखिम का आवधिक प्राकलन करता है

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता	पूंजी प्रभार (₹ मिलियन में)
ब्याज दर जोखिम	7866
इक्विटी का स्थिति- जोखिम	3285
विदेशी मुद्रा का जोखिम	41
योग	11192



तालिका डीएफ - 8

परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम, हानियों से संबंधित जोखिम है, जो बाहरी घटनाओं से अथवा आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्तियों तथा प्रणालियों की विफलता अथवा अपर्याप्तता से प्रकट होती है। परिचालन जोखिम में विधि जोखिम शामिल होता है, परंतु इसमें नीतिगत एवं प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं होते। बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है, जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। बैंक ने परिचालन जोखिम के तहत समुन्नत दशा में पहुंचने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने हेतु अनुकूल सकारात्मक कदम उठाए हैं तथा हानि आंकड़ा प्रबंधन, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) एवं परिस्थितियों के विश्लेषण के माध्यम से परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है। बैंक बाह्य हानि डाटा आधार के लिए हानि डाटा कंसोर्टियम कोरडेक्स का सदस्य भी है।

बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए पहले से ही आरबीआई से संपर्क साधा हुआ है और एडवांस मेजरमेंट एप्रोच अपनाने के लिए सीधे प्रयासरत है।

बैंक ने मूल संकेतक संकल्पना के अनुसार परिचालन जोखिम हेतु पूंजी उपलब्ध कराई है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2014 को परिचालन जोखिम के लिए रु. 10047 मिलियन की पूंजी की आवश्यकता है।

तालिका डीएफ - 9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम का मापन एवं निगरानी करने की दो पद्धतियां हैं :

1. जोखिम पर आय (परम्परागत अंतर विश्लेषण)

इस पद्धति के अंतर्गत शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और यील्ड कर्व पद्धति से इसकी गणना की जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत 1% का समानान्तर अंतरण, आस्तिओं एवं देयताओं दोनों में ही मान लिया जाता है।

2. इक्विटी का आर्थिक मूल्य:

इक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि का अलग से परिकलन किया जाता है।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य की गणना के लिए यील्ड कर्व में 200 बेसिस पाइंट का समानान्तर अंतरण मान लिया जाता है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

परिवर्तन के पैरामीटर	₹ मिलियन में
1. समग्र आस्ति एवं देयता की ब्याज दर में 100 बीपीएस की वृद्धि पर आय पर प्रभाव	1878
2. इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बीपीएस का परिवर्तन	-7468



तालिका डीएफ-10

प्रतिपक्षीय साख जोखिम से संबंधित ऋण के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	(ए)	<p>बैंक प्रतिपक्षीय ऋणों के लिए पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, आय उपार्जन, तरलता एवं प्रबंधन गुणवत्ता के आधार पर ऋणी सीमा का निर्धारण करता है।</p> <p>बैंक की निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति अच्छी तरह से परिभाषित है।</p> <p>बैंक विविध डेरिवेटिव उत्पादों एवं ब्याज दर स्वीप में व्यवहार करता है। बैंक अपनी तुलन-पत्र मदों, साथ ही व्यवसाय उद्देश्य से बचाव-व्यवस्था हेतु डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करता है।</p>		
मात्रात्मक प्रकटीकरण	(बी)			₹ मिलियन में
		विवरण		राशि
		संविदा का सकल सकारात्मक मूल्य		15307
		शुद्ध लाभ		0
		शुद्ध चालू साख ऋण		28674
		संपार्श्विक प्रतिभूति		0
		शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्सपोजर		28674
	(सी)			₹ दस लाख में
		मद	काल्पनिक राशि	वर्तमान ऋण एक्सपोजर
		फारवर्ड विदेशी विनिमय संविदा	640602	28121
		क्रास करेंसी ब्याज दर स्वाप सहित क्रास करेंसी स्वाप	5000	500
		ब्याज दर संविदाएं	2750	53

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संयोजन

भाग II: दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व उपयोग किया जाने के लिए टेम्पलेट (अर्थात् बासल II विनियामक समायोजनों की परिचालन अवधि के दौरान)

(₹ मिलियन में)

बासल III विनायामक समायोजनों के परिचालन के दौरान उपयोग किया जाने वाला सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात् दि. 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसम्बर, 2017 तक)			बासल III पूर्व के अधीन राशि	संदर्भ सं.
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान				
1	प्रत्यक्ष निर्गमित अर्हक सामान्य शेयर पूंजी एवं संबंधित स्टाक अधिशेष	13504	ए1	
2	प्रतिधारित उपार्जन	0		
3	संचित अन्य व्यापक उपार्जन (एवं अन्य प्रारक्षित निधि)	109597		
4	प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी जो सीईटी 1 से बाहर की गई (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों 1 हेतु लागू)	0		
	दि.1 जनवरी, 2018 तक के लिए प्रविष्टि सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी	0		
5	अनुबंधितों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि)	0		



6	विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी	123101		
	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0	0	0
8	गुडविल (संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	0	0
9	मॉर्गेज के अलावा अमूर्त-सर्विसिंग राइट (संबंधित शुद्ध कर देयता)	35	53	0
10	आस्थगित कर आस्ति	0	0	0
11	नकद-प्रवाह बचाव प्रारक्षित	0	0	0
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी	0	0	0
13	विक्रय पर प्रतिभूति वृद्धि	0	0	0
14	शुद्ध मूल्यांकित देयताओं पर अधिलाभ एवं हानि स्वयं के साख जोखिम में परिवर्तन के कारण	0	0	0
15	परिभाषित लाभ पेंशन निधि शुद्ध आस्तियां	2954	0	0
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन-पत्र पर चुकता पूंजी से पहले ही कम न की गई हो)	0	0	0
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिता	27	41	0
18	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	192	288	0
19	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शुद्ध अधिविक्रय की स्थिति (10% सीमा से अधिक की राशि)	108	161	0
20	मॉर्गेज सर्विसिंग राइट्स (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	0	0
21	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर देयताएं (10% की सीमा से अधिक की राशि, संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	0	0
22	15% सीमा से अधिक की राशि	0	0	0
23	जिसमें से: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0	0	0
24	जिसमें से: मॉर्गेज सर्विसिंग राइट	0	0	0
25	जिसमें से: अस्थाई अंतरों से उत्पन्न उन्नयन आस्थगित कर आस्तियां	0	0	0
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	0	0	0
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	0	0	0
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर वित्तीय की इक्विटी पूंजी में निवेश	0	0	0
26सी	जिसमें से: बहुसंख्य मालिकाना वित्तीय निकायों की इक्विटी पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित न की गई हो.	0	0	0
26डी	जिसमें से: अमूर्तिकृत पेंशन निधि व्यय	0	0	0
	बासल III पूर्व के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी टीयर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन	0	0	0
	जिसमें से: समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें	0	0	0
	जिसमें से: समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें	0	0	0
	जिसमें से: समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें	0	0	0



27	कटौती को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टीयर 1 एवं टीयर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टीयर 1 को लागू विनियामक समायोजन	0	0	0
28	सामान्य इक्विटी टीयर 1 हेतु विनियामक समायोजन	3316	543	
29	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1)	119785		
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : लिखत				
30	टीयर 1 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखत एवं संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	0		
31	जिसमें से लागू लेखांकन मानकों के अधीन इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थाई गैर-संचयी अधिमानी शेयर)			
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अधीन देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थाई उधार लिखत)			
33	अतिरिक्त टीयर 1 से बाहर किए गए प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखत	17600		बी1+बी2
34	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टीयर 1 लिखत (एवं सीईटी 1 लिखते जो रो 5 में शामिल नहीं है) (समूह एटी 1 में अनुमत राशि)			
35	जिसमें से: बाहर किए जाने के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखते			
36	विनायामक समायोजनों के पहले अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	17600		
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन				
37	स्वयं के अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में निवेश	0	0	
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0	0	
39	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	51	22	
40	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शुद्ध अधिविक्रय की स्थिति)	81	81	
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	781		
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में निवेश			
41बी	बहुलांश मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है, की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी			
	बासल III पूर्व के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी टीयर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन	781	0	
	जिसमें से: अमूर्त आस्तियां	53		
	जिसमें से: अर्थात् सामान्य इक्विटी के संबंध में बासल III पूर्व के अधीन पारस्परिक प्रति धारिता, अतिरिक्त टीयर 1 एवं टीयर 2	728	0	
	जिसमें से: समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें	0		
42	कटौती कवर करने हेतु अपर्याप्त टीयर 2 के कारण अतिरिक्त टीयर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन			
43	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन	913		
44	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (एटी1)	16687		
44ए	पूंजी पर्याप्तता हेतु मान्य अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	16687		
45	टीयर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)	136472		
टीयर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान				



46	टीयर 2 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखतें एवं संबंधित स्टाक अधिशेष	10000		सी3
47	टीयर 2 से बाहर किए जाने के अधीन प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखते	34902		सी1+सी2
48	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित टीयर 2 लिखते (एवं सीईटी 1 एवं एटी 1 लिखते, जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) (टीयर 2 समूह में अनुमत राशि)	0		
49	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा बाहर किए जाने के अधीन जारी लिखते	0		
50	प्रावधान	19957		
51	विनियामक समायोजनों से पूर्व टीयर 2 पूंजी	64859		
52	स्वयं की टीयर 2 लिखतों में निवेश			
53	टीयर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिता	1162	498	
54	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	156	67	
55	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शुद्ध अधिविक्रय की स्थिति (10% सीमा से अधिक की राशि)	81	0	
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	186		
56ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में निवेश			
56बी	बहुलांश मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है, की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में कमी			
	बासल III पूर्व के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी टीयर 2 हेतु लागू विनियामक समायोजन	186		
	जिसमें से: पारस्परिक प्रति-धारित सामान्य इक्विटी	20	0	
	जिसमें से: टीयर 1 एवं टीयर 2 में सामान्य इक्विटी के 10% से अधिक निवेश	166		
57	टीयर 2 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन	1585		
58	टीयर 2 पूंजी (टी2)	63275		
58ए	पूंजी पर्याप्तता हेतु मान्य टीयर 2 पूंजी	46278		
58बी	टीयर 2 पूंजी के रूप में मान्य अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी का आधिक्य	0		
58सी	पूंजी पर्याप्तता के लिए अनुमत कुल टीयर 2 पूंजी (58ए + 58बी)	46278		
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)	182750		
	बासल III पूर्व के अधीन राशि के संबंध में जोखिम भारत आस्तियां			
	जिसमें से: समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें			
	जिसमें से:			
60	कुल जोखिम भारत आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	1851120		
60ए	जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारत आस्तियां	1615146		
60बी	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारत आस्तियां	124344		
60सी	जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारत आस्तियां	111630		
	पूंजी अनुपात			
61	सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारत आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	6.47%		
62	टीयर 1 (जोखिम भारत आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	7.37%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारत आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	9.87%		



64	संस्था विशेष बफर आवश्यकताएं (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकताओं के साथ पूंजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रिय बफर अवश्य बताएं)	5.00%		
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण न बफर आवश्यकता	0.00%		
66	जिसमें से: बैंक विशेष प्रतिचक्री बफर आवश्यकता	0.00%		
67	जिसमें से: जी-एस.आईबी बफर आवश्यकता	0.00%		
68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	0.00%		
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासल III से अलग हो)				
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	5.50%		
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	7.00%		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	9.00%		
कटौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोखिम भारिता से पहले)				
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश			
73	वित्तीय निकायों की सामान्यक पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश			
74	मॉर्गेज सर्विसिंग राइट (संबंधित शुद्ध कर देयता)			
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित शुद्ध कर देयता)			
टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि पर लागू सीमाएं				
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में प्रविष्टि हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)			
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की सीमा			
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में प्रविष्टि के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)			
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की सीमा.			
फेस-आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखते (केवल दि.31 मार्च, 2017 एवं 31 मार्च, 2022 के मध्य लागू)				
80	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन सीईटी लिखतों पर वर्तमान सीमा	ला.न.		
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	ला.न.		
82	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन एटी1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	ला.न.		
83	सीमा के कारण एटी1 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	ला.न.		
84	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन टी2 लिखतों पर वर्तमान सीमा	ला.न.		
85	सीमा के कारण टी2 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	ला.न.		



तालिका डीएफ-12: पूंजी का संघटन- समायोजन अपेक्षाएं

		(₹ मिलियन में)	
		वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन-पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र
		दि. 31.03.2014 को	दि. 31.03.2014 को
ए	पूंजी एवं देयताएं		
i	चुकता पूंजी	29674	
	जिसमें से: सीइटी 1 हेतु पात्र राशि	13504	ए1
	जिसमें से: एटी 1 हेतु पात्र राशि	16170	बी1
	प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	128211	
	अल्पसंख्य हित	0	
	कुल पूंजी	157885	
ii	जमा राशियां	2400690	
	जिसमें से: बैंकों से जमा	64206	
	जिसमें से: ग्राहकों से जमा	2218237	
	जिसमें से: अन्य जमाएं (कृपया निर्दिष्ट करें)	118247	
iii	उधार राशियां	220798	
	जिसमें से: आरबीआई से	63390	
	जिसमें से: बैंकों से	32	
	जिसमें से: अन्य संस्थाओं एवं संस्थानों से	42674	
	जिसमें से: अन्य (भारत से बाहर)	38649	
	जिसमें से: गौण ऋण	26373	31
	जिसमें से: अपर टीयर 2	28850	32
	जिसमें से: असुरक्षित मोचनीय एनसी बासल III बाण्ड (टीयर2)	10000	33
	जिसमें से: नवोन्मेष स्थायी उधार लिखत	10830	बी2
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	115589	
	कुल	2894962	
बी	आस्तियां		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	119266	
	बैंकों में जमा एवं भाग व अल्प सूचना पर राशि	4514	
ii	निवेश:	861351	
iii	ऋण एवं अग्रिम	1773152	
	जिसमें से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	3	
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1773149	
iv	अचल आस्तियां	28044	
v	अन्य आस्तियां	108635	
	जिसमें से: गुडविल एवं अमूर्त आस्तियां	89	
	जिसमें से: आस्थगित कर देयताएं	0	
vi	समेकन पर गुडविल		
vii	लाभ-हानि खाते में नामे शेष	13038	
	कुल आस्तियां	2894962	



तालिका डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं
टीयर-1 पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

विवरण	इकिटी
जारीकर्ता	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूटमबर्ग पहचानकर्ता)	INE48301010
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बासल III नियम	सामान्य इकिटी टीयर 1
परिवर्तन पश्चात III नियम	सामान्य इकिटी टीयर 1
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	सामान्य शेयर
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलियन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	13504
लिखत की सममूल्य राशि	₹ 10 प्रति शेयर
लेखांकन वर्गीकरण	शेयरधारक की इकिटी
जारीकरण की मूल तिथि	विविध
स्थायी या दिनांकित	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि	ला.न.
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	अस्थायी
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	ला.न.
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	ला.न.
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.
अवलेखन विशेषता	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ताओं एवं अन्य ऋणियों, बाण्ड्स एवं पीएनसीपीएस
गैर-अनुपालित परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषताएं बताएं	



श्रृंखला वर्णन	पीएनसीपीएस	पीएनसीपीएस	पीएनसीपीएस	पीएनसीपीएस
जारीकर्ता	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE48304014	INE48304022	INE48304030	INE48304048
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार				
परिवर्ती बासल III नियम	अतिरिक्त टीयर 1	अतिरिक्त टीयर 1	अतिरिक्त टीयर 1	अतिरिक्त टीयर 1
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर	स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर	स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर	स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	6400	936	3600	2000
लिखत की सममूल्य राशि	₹10 प्रति शेयर	₹10 प्रति शेयर	₹10 प्रति शेयर	₹10 प्रति शेयर
लेखांकन वर्गीकरण	शेयरधारक की इक्विटी	शेयरधारक की इक्विटी	शेयरधारक की इक्विटी	शेयरधारक की इक्विटी
जारीकरण की मूल तिथि	13.11.2006	30.03.2009	31.03.2010	03.06.2010
स्थायी या दिनांकित	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश				
स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	अस्थिर	अस्थिर	अस्थिर	अस्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	रेपो+100 बीपीएस, प्रतिवर्ष संबंधित तिथि पर पूनर्मूल्य	रेपो+100 बीपीएस, प्रतिवर्ष संबंधित तिथि पर पूनर्मूल्य	रेपो+100 बीपीएस, प्रतिवर्ष संबंधित तिथि पर पूनर्मूल्य	रेपो+100 बीपीएस, प्रतिवर्ष संबंधित तिथि पर पूनर्मूल्य
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य		इक्विटी शेयर पर लाभांश के भुगतान से पूर्व अनिवार्य	इक्विटी शेयर पर लाभांश के भुगतान से पूर्व अनिवार्य	इक्विटी शेयर पर लाभांश के भुगतान से पूर्व अनिवार्य



मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उसका प्रकार	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषता	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य ऋणी, बाण्ड्स	सभी जमाकर्ता एवं अन्य ऋणी, बाण्ड्स	सभी जमाकर्ता एवं अन्य ऋणी, बाण्ड्स	सभी जमाकर्ता एवं अन्य ऋणी, बाण्ड्स
गैर-अनुपालित परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषताएं बताएं	बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं



श्रृंखला वर्णन	आईपीडीआई	श्रृंखला II पीडीआई
जारीकर्ता	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूआमबर्ग पहचानकर्ता)	INE48309237	INE483109252
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार		
परिवर्ती बासल III नियम	अतिरिक्त टीयर 1	अपठनीय
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपठनीय	अपठनीय
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	स्थायी उधार लिखत	स्थायी उधार लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	4664	0
लिखत की सममूल्य राशि	₹ 1.00 मिलियन	₹ 1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	30.03.2009	28.09.2012
स्थायी या दिनांकित	स्थायी	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि		
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.	28.09.2022
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश		
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	अस्थायी	स्थायी
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	जी.सेक + 250 बीपीएस, प्रतिवर्ष मार्च के पूनर्मूल्य	9.40% प्र.व.
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य		अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.	ला.न.



यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-अनुपालित परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषाएं बताएं	बासल III हानि अवशेषण विशेषता नहीं	पूर्णतः अमान्य, बासल III हानि अवशेषण विशेषता नहीं

उच्च टियर -2 पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएं की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार

श्रृंखला विवरण	उच्च टियर II (श्रृंखला I)	उच्च टियर II (श्रृंखला II)	उच्च टियर II (श्रृंखला III)	उच्च टियर II (श्रृंखला IV)	उच्च टियर II (श्रृंखला V)	उच्च टियर II (श्रृंखला VI)
जारीकर्ता	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483109179	INE48309195	INE48309203	INE48309211	INE48309229	INE48308015
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार						
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	उच्च टियर 2 पूंजी लिखत	उच्च टियर 2 पूंजी लिखत	उच्च टियर 2 पूंजी लिखत	उच्च टियर 2 पूंजी लिखत	उच्च टियर 2 पूंजी लिखत	उच्च टियर 2 पूंजी लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	2400	2280	4000	4000	8000	2400
लिखत की सममूल्य राशि	₹ 1.00 मिलियन	₹ 1.00 मिलियन	₹ 1.00 मिलियन	₹ 1.00 मिलियन	₹ 1.00 मिलियन	₹ 1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	14.11.2008	17.02.2009	23.06.2009	20.01.2010	11.06.2010	21.01.2011
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	14.11.2023	17.02.2024	23.06.2024	20.01.2025	11.06.2025	21.01.2026
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	14.11.2018	17.02.2019	23.06.2019	20.01.2020	11.06.2020	21.01.2021
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश						



स्थिर या अस्थिर लाभांश/ कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	11.45%	9.40%	8.80%	8.63%	8.57%	9.20%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर- परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषता	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार



गैर-अनुपालित परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषताएं बताएं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं

गौण उधार पूंजी लिखितों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है

श्रंखला विवरण	निम्न टीयर II श्रंखला IX	निम्न टीयर II श्रंखला X	निम्न टीयर II श्रंखला XI	निम्न टीयर II श्रंखला XII	निम्न टीयर II श्रंखला XIII	निम्न टीयर II श्रंखला XIV
जारीकर्ता	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया					
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09138	INE483A09146	INE483A09153	INE48A309161	INE4831A09187	INE483A09245
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार						
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	0	1041	2520	2101	2160	4000
लिखत की सममूल्य राशि	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	08.10.2004	28.03.2006	04.10.2006	03.03.2008	10.02.2009	21.12.2011
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	08.06.2014	28.06.2015	04.10.2016	03.05.2017	10.04.2018	21.12.2026
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	21.12.2021
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश						
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	7.05%	8.15%	8.95%	9.20%	9.35%	9.33%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उसका प्रकार	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्यज लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्यज लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्यज लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्यज लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्यज लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्यज लेनदार
गैर-अनुपालित परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
यदि हाँ, तो गैर परिवर्तनीय विशेषाएं बताएं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं



बासल III अनुपालन टीयर 2 बाण्ड की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:

	बासल III अनुपालित टीयर II बाण्ड
	श्रृंखला I
जारीकर्ता	
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE48309260
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	पठनीय
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	टीयर 2 उधार लिखत
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूबर्ग पहचानकर्ता)	10000
लिखत की सममूल्य राशि	₹.1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	08.11.2013
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	08.11.2023
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.90%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.
अवलेखन विशेषता	हाँ
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्पों पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर (पीओएनवी ट्रिगर) कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.



यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	अंशतः
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	अस्थायी
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	1) पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाएगा. 2) एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित है, यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है. 3) एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	-

तालिका डीएफ-14: विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण नियम एवं शर्तें

क्र.सं.	पूंजी का प्रकार	लिखत	पूर्ण नियम एवं शर्तें
1.	इक्विटी	इक्विटी	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
2.	अतिरिक्त टीयर 1	पीएनसीपीएस	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
3.	अतिरिक्त टीयर 1	आईपीडीआई	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
4.	टीयर 2	उच्च टीयर 2 बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
5.	टीयर 2	गौण बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
6.	टीयर 2	बासल III अनुपालित बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है

डॉ. एस.के. मिश्रा

उप महाप्रबंधक

(राजीव ऋषि)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(बी.के. दिवाकर)

कार्यपालक निदेशक

(अनिमेष चौहान)

कार्यपालक निदेशक

प्रदीप कुमार

उप महाप्रबंधक

(आर.के.गोयल)

कार्यपालक निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 23.05.2014



कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
बी-12 (भूतल)
कालिन्दी कॉलोनी,
नई दिल्ली 110 065

पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
11-5-23, कार्तिक कॉम्प्लेक्स
विजया बैंक के ऊपर, ब्रेस्टवारपेट
रायचूर - 584 101,
कर्नाटक.

दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
13, कम्युनिटी सेंटर,
ईस्ट ऑफ़ कैलाश
नई दिल्ली 110 065

एन.सरकार एण्ड कं.
21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट
द्वितीय तल
कोलकाता 700 072
पश्चिम बंगाल

एन. चौधरी एण्ड कं.
10 ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट
द्वितीय तल, रूम नं. 61
कोलकाता 700 001
पश्चिम बंगाल

बी.एन. मिश्रा एण्ड कं.
एस-29, मैत्री विहार,
फेज-II
सत्यम डवलपमेंट सेंटर के सामने
भुवनेश्वर - 751 023
ओडीसा

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का निदेशक मंडल

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (द बैंक), इसकी अनुषंगियों और एसोशिएट्स (सामूहिक रूप से इन्हें समूह के रूप में संबोधित किया गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2014 का समेकित तुलन-पत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ हानि खाता एवं समेकित नकद प्रवाह विवरणी एवं प्रमुख लेखांकन नीतियां एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं, का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें निम्नलिखित समाहित है :

- हमारे द्वारा लेखापरीक्षित सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ('दि बैंक') के लेखापरीक्षित लेखे.
- अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा इसकी 2 अनुषंगियों, एवं 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जो सभी अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हुए हैं.
- नौ माह की अवधि के लिए एसोशिएट्स का अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित तथा 31 मार्च 2014 को समाप्त तिमाही के लिए उक्त एसोशिएट्स का अलेखापरीक्षित लेखे.

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

2. प्रबंधतंत्र इन समेकित वित्तीय विवरणियों, जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्रण करती हैं, तथा जो भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुसरण में तैयार की गई हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है तथा जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा जो किसी भी प्रकार के कपट अथवा त्रुटिवश महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3.1 हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है. हमने हमारी लेखा परीक्षा 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है. ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्ति होने का समुचित आश्वासन विदित हो सके.

3.2 एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें. इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटपूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है. उन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक, प्रदत्त परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण में, उन समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण में बैंक की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करता है. लेकिन समूह की आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं. एक लेखा परीक्षा में, अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं



प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ, समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

3.3 हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के पर्याप्त एवं उपयुक्त होने के लिए आधार उपलब्ध कराता है।

अभिमत

4. हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा अनुषंगियों व एसोशिएट्स की वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की नीचे दी गई रिपोर्टों के अवलोकन के आधार पर ये समेकित विवरणियां भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुरूप एक सही व निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करती हैं :

- समेकित तुलन-पत्र के मामले में दिनांक 31 मार्च, 2014 को समूह के क्रियाकलापों की स्थिति,
- समेकित लाभ-हानि खाता के मामले में उक्त तारीख को वर्ष की हानि
- समेकित नकद प्रवाह विवरणी के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह

विषय का महत्व

5. लेखांकन (एसए) 706 के मानक पर मानक के अनुसार “विषयवस्तु पैराग्राफ पर बल” हमारी राय को परिवर्तित किए बिना, हम निम्नानुसार ध्यान आकर्षित करते हैं:

- हम समेकित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 के नोट सं.5.3.1 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो बैंक की पेंशन देयता एवं ग्रेच्युटी देयता के आस्थगन के संबंध में “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प पुनः खुलना तथा ग्रेच्युटी सीमाओं में वृद्धि विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार” पर कर्मचारी लाभ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र संख्या डीबीओडी. बीपी.बीसी./80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के माध्यम से लेखांकन मानक (एसए) 15 “कर्मचारियों के लाभार्थ” के प्रावधानों को लागू करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त छूट के अनुसरण में हैं। तदनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को अपरिशोधित राशि ₹590.77 करोड़ में से बैंक ने ₹239.99 करोड़ पेंशन के लिए तथा ₹55.40 करोड़ ग्रेच्युटी के लिए परिशोधित किए हैं, जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए आनुपातिक राशि है तथा पेंशन के लिए शेष ₹239.98 करोड़ तथा ग्रेच्युटी के लिए शेष ₹55.40 करोड़ को आगामी वर्षों में परिशोधित किया जाएगा।
- समेकित वित्तीय विवरणी, जिसमें एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (सीएमपीजीबी, एक एसोशिएट) के लाभ की हिस्सेदारी ₹5.95 करोड़ शामिल है, पर केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक ने अपनी राय को सीमित किए बिना, कुछ अग्रिमों पर अपर्याप्त प्रावधान, दो क्षेत्रों के व्यायों का प्रावधान न करने, आयकर/सेवाकर का अपर्याप्त प्रावधान के कारण सीएमपीजीबी की वित्तीय विवरणी पर हुए शुद्ध प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका है।

6. अन्य मामले

हमने अग्रलिखित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा नहीं की है (i) दो अनुषंगियां, जिनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च, 2014 को कुल आस्तियां ₹554.53 करोड़ तथा कुल राजस्व ₹66.98 करोड़ तथा शुद्ध नकद प्रवाह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹1.28 करोड़ दर्शाया गया है तथा (ii) एसोशिएट्स (3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं 1 अन्य एसोशिएट), जिनका उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ ₹138.14 करोड़ (बैंक की हिस्सेदारी ₹ 42.31 करोड़) दर्शाया गया है। ये वित्तीय विवरणियां अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हैं तथा जिनकी रिपोर्टें हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, तथा हमारी राय उन अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर पूर्णतः आधारित है। इस मामले में हमारी रिपोर्ट सीमित नहीं है।

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-004135एस

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000561एन

(सीए आर. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

(सीए एस. वेंकटकृष्णन)
भागीदार
सदस्यता सं. 023488

(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081810

कृते मे. एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई

कृते मे. एन. चौधरी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 301032ई

कृते मे. बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 321095ई

(सीए एम. राय)
भागीदार
सदस्यता सं. 012940

(सीए अनूप विश्वास)
भागीदार
सदस्यता सं. 050708

(सीए एस.एस.मोहपात्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 061619

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 20 मई, 2014



दिनांक 31 मार्च, 2014 को समेकित तुलन-पत्र

(000' को छोड़कर)

विवरण	सूची सं.	31 मार्च 2014 को ₹	31 मार्च 2013 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	29,674,393	26,615,769
प्रारक्षित एवं आधिक्य	2	130,427,581	128,768,583
अल्पसंख्यक हित	2ए	308,198	271,405
जमा राशियां	3	2,403,445,261	2,262,190,697
उधार राशियां	4	221,365,547	183,952,887
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	115,725,456	84,858,697
कुल		2,900,946,436	2,686,658,038
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगदी एवं शेष राशि	6	119,266,308	135,601,691
बैंको के पास शेष एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	4,596,854	5,323,134
निवेश	8	862,624,043	727,513,600
ऋण एवं अग्रिम	9	1,777,546,083	1,723,060,366
अचल आस्तियां	10	28,054,454	26,858,796
अन्य आस्तियां	11	108,769,798	68,242,443
समेकन पर गुडविल		88,896	58,008
कुल		2,900,946,436	2,686,658,038
आकस्मिक देयताएं	12	885,557,167	595,346,678
संग्रहण हेतु बिल		76,717,357	60,955,707
प्रमुख लेखांकन नीतियां	17	- 88,896	
लेखांकन पर नोट	18		

उक्त सन्दर्भित अनुसूची तुलनपत्र का अनिवार्य भाग है.

बी. के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

अनिमेष चौहान
कार्यपालक निदेशक

आर. के. गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

गुमान सिंह
निदेशक

प्रो. एन. बालकृष्णन
निदेशक

कृष्ण सेठी
निदेशक

एम.पी. शोरावाला
निदेशक

सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

सुश्री एन.एस. रत्नप्रभा
निदेशक

एस.बी. रोडे
निदेशक

गुरबख्श कुमार जोशी
निदेशक

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-004135एस

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000561एन



(सीए आर.के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

कृते एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई

(सीए एम. राय)
भागीदार
सदस्यता सं. 012940

(सीए एस. वेंकटकृष्णन)
भागीदार
सदस्यता सं. 023488

कृते एन. चौधरी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301032ई

(सीए अनूप विश्वास)
भागीदार
सदस्यता सं. 050708

(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081810

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 321095ई

(सीए एस.एस.मोहपात्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 061619

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 20 मई, 2014



दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष समेकित लाभ एवं हानि खाता

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2014 को ₹	31 मार्च 2013 को ₹
i. आय			
अर्जित ब्याज एवं लाभांश	13	244,783,154	218,967,604
अन्य आय	14	19,313,772	16,766,667
कुल		264,096,926	235,734,271
ii. व्यय			
प्रदत्त ब्याज	15	179,630,840	161,490,047
परिचालन व्यय	16	51,900,768	42,399,793
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें		45,080,439	21,624,267
कुल		276,612,047	225,433,107
iii. लाभ/हानि			
अल्पसंख्यक ब्याज के पूर्व मूल्य एवं अनुषंगियों का वर्ष का समेकित शुद्ध लाभ		(12,515,121)	10,301,164
घटायें : अल्पसंख्यक ब्याज		(40,216)	(40,759)
घटायें : सीबीएचएफ में अतिरिक्त शेयरों के अधिग्रहण पूर्व लाभ		(1,471)	-
अल्पसंख्यक ब्याज को घटाने के पश्चात वर्ष का समेकित-शुद्ध लाभ		(12,556,808)	10,260,405
जोड़ें : एसोशिएट्स की आय में हिस्सेदारी		423,089	413,425
समूह के लिए स्रोतजन्य वर्ष का समेकित लाभ		(12,133,719)	10,673,829
जोड़ें : समूह के स्रोतजन्य वर्ष का समेकित लाभ आगे लाया गया.		2,413,667	2,298,889
घटायें : एसोशिएट्स में निवेश के अन्तरण के कारण आगे लाए गए समेकित लाभ में कमी		(526,148)	(372,142)
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		(10,246,200)	12,600,576
iv. विनियोजन			
को अंतरण :			
सांविधिक आरक्षित		-	2,537,399
निवेश आरक्षित		425,368	375,216
राजस्व आरक्षित		7,900	2,011,600
स्टाफ कल्याण निधि		-	404,700
बीमा के स्थान पर निधि		-	20,000
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी शेयर पूंजी		-	1,504,993
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी शेयर पूंजी		-	2,611,442
लाभांश पर कर		7,995	699,372
विशेष आरक्षित U/S 36 (1) (viii)		31,270	22,187
शेष तुलन पत्र में लाया गया		(10,718,733)	2,413,667
कुल		(10,246,200)	12,600,576
प्रति शेयर आय (₹ में) मूल		(10.67)	11.94
प्रति शेयर आय (₹ में) तनूकृत		(10.67)	11.94
विशेष लेखांकन नीतियां	17		
लेखा पर टिप्पणियां	18		
उपयुक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का आवश्यक भाग है.			

बी. के. दिवाकर कार्यपालक निदेशक	अनिमेष चौहान कार्यपालक निदेशक	आर. के. गोयल कार्यपालक निदेशक	राजीव ऋषि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
गुमान सिंह निदेशक	प्रो. एन. बालकृष्णन निदेशक	कृष्ण सेठी निदेशक	
एम.पी. शोरावाला निदेशक	सौरभ गर्ग निदेशक	शेखर भटनागर निदेशक	
सुश्री एन.एस. रत्नप्रभा निदेशक	एस.बी. रोडे निदेशक	गुरबख्श कुमार जोशी निदेशक	
कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000131एन	कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.-004135एस	कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000561एन	
(सीए सुनील जैन) भागीदार सदस्यता सं. 080990	(सीए एस. वेंकटकृष्णन) भागीदार सदस्यता सं. 023488	(सीए मुकेश गोयल) भागीदार सदस्यता सं. 081810	
कृते एन. सरकार एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301075ई	कृते एन. चौधरी एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301032ई	कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 321095ई	
(सीए एम. राय) भागीदार सदस्यता सं. 012940	(सीए अनूप विश्वास) भागीदार सदस्यता सं. 050708	(सीए एस.एस.मोहपात्रा) भागीदार सदस्यता सं. 061619	

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 20 मई, 2014



दिनांक 31 मार्च 2014 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31/03/2014 को ₹	दिनांक 31/03/2013 को ₹
अनुसूची 1 : पूंजी		
प्राधिकृत पूंजी	30,000,000	30,000,000
प्रत्येक ₹ 10/- के 300,00,00,000 शेयर		
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :		
इक्विटी शेयर	13,504,393	10,445,769
प्रत्येक ₹ 10/- के 1,35,04,39,315 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1,04,45,76,954 इक्विटी शेयर) (सहित केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/- के 119,69,59,325 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 89,10,96,964 इक्विटी शेयर)		
बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयरपूंजी	16,170,000	16,170,000
(प्रत्येक ₹10/- के 161,70,00,000 के अधिमानी शेयर)		
(अनुसूची - 18 में नोट - 1 का संदर्भ लें)	29,674,393	26,615,769
कुल	29,674,393	26,615,769
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष		
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	19,233,031	16,695,632
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	2,537,399
	19,233,031	19,233,031
II. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां		
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	18,675,821	18,969,569
वर्ष के दौरान कटौती	(274,616)	293,748
	18,401,205	18,675,821
ii) निवेश प्रारक्षित निधियां		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	4,445,717	4,070,501
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	425,368	375,216
	4,871,085	4,445,717
III. शेयर प्रीमियम		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	59,442,517	38,467,132
वर्ष के दौरान परिवर्धन /समायोजन	14,941,376	20,975,385
	74,383,893	59,442,517
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां		
i) राजस्व प्रारक्षित निधियां		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	23,518,583	21,573,586



दिनांक 31 मार्च 2014 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31/03/2014 को ₹	दिनांक 31/03/2013 को ₹
वर्ष के दौरान परिवर्धन	7,900	2,011,600
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	(339,900)	66,603
जोड़े : अन्य योग	0	0
	23,186,583	23,518,583
V. विशेष प्रारक्षित निधियां आयकर अधिनियम के यू/एस 36 (1) (viii)	1,070,517	1,039,247
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि	(10,718,733)	2,413,667
कुल	130,427,581	128,768,583
अनुसूची 2ए : अल्पसंख्यक हित		
मूल/अनुषंगी के संबन्धों के अस्तित्व में आने की तारीख को अल्पसंख्यक हित	24,500	24,500
परिणामस्वरूप वृद्धि/कमी	283,698	246,905
तुलनपत्र की दिनांक को मासिक ब्याज	308,198	271,405
अनुसूची 3 : जमाराशियां		
ए. I. मांग जमाराशियां		
i) बैंकों से	17,122,616	10,147,875
ii) अन्य से	118,154,911	134,573,476
	135,277,527	144,721,351
II. बचत बैंक जमाराशियां	664,737,461	590,904,649
III. सावधि जमाराशियां		
i) बैंकों से	49,810,188	53,180,836
ii) अन्य से	1,553,620,085	1,473,383,861
	1,603,430,273	1,526,564,697
कुल	2,403,445,261	2,262,190,697
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	2,403,445,261	2,262,190,697
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	-	-
अनुसूची 4 : उधार राशियां		
I. भारत में उधार राशियां		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	63,389,835	55,430,752
ii) अन्य बैंक	31,904	136,960
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	43,251,808	47,533,674
iv) असुरक्षित प्रतिदेय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	26,363,000	26,363,000
v) अपर टियर II बॉन्ड्स	28,850,000	28,850,000
vi) नवोपेक्षी बेमियादी ऋण लिखत	10,830,000	10,830,000
vii) असुरक्षित पुनर्मोचनीय एनसी बासल III बॉन्ड्स (टियर II)	10,000,000	-
	182,716,547	169,144,386
II. भारत के बाहर उधार राशियां	38,649,000	14,808,501



दिनांक 31 मार्च 2014 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31/03/2014 को		दिनांक 31/03/2013 को	
	₹	₹	₹	₹
कुल	221,365,547		183,952,887	
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधारराशियां	निरंक		निरंक	
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल	7,655,224		7,021,299	
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-		-	
III. उपचित ब्याज	16,610,029		13,684,968	
IV. आस्थगित कर देयता	5,966,707		2,589,499	
V. अन्य (प्रावधान सहित)	85,493,496	115,725,456	61,562,931	84,858,697
कुल	115,725,456		84,858,697	
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा सहित)	13,631,676		17,578,307	
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	104,634,632		117,023,384	
अन्य खातों में	1,000,000		1,000,000	
	105,634,632		118,023,384	
कुल	119,266,308		135,601,691	
अनुसूची 7 : बैंकों में जमा राशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
I) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	2,583,816		4,180,036	
बी) अन्य जमा खातों में	103,510		74,397	
	2,687,326		4,254,433	
II) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	-		500,000	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	-		-	
			500,000	
कुल I	2,687,326		4,754,433	
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	1,909,528		568,701	
बी) अन्य जमा खातों में	-		-	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
कुल II	1,909,528		568,701	
कुल (I + II)	4,596,854		5,323,134	



दिनांक 31 मार्च 2014 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31/03/2014 को ₹	दिनांक 31/03/2013 को ₹
अनुसूची 8 : निवेश		
I. भारत में निवेश*		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	678,946,602	601,337,859
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0	440,080
iii) शेयर्स	14,005,581	14,279,474
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	98,190,467	44,411,987
v) अनुषंगियां एवं प्रायोजित संस्थान	3,753,227	3,625,943
vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स आदि	67,197,562	62,968,187
	862,093,439	727,063,530
II. भारत के बाहर निवेश**		
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. एसोशिएट्स में निवेश	530,604	450,070
	530,604	450,070
कुल	862,624,043	727,513,600
* भारत में निवेश		
निवेश का सकल मूल्य	864,579,811	727,641,829
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	2,486,372	578,299
शुद्ध मूल्य	862,093,439	727,063,530
** भारत के बाहर निवेश		
निवेश का सकल मूल्य	530,604	450,070
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	-	-
शुद्ध निवेश	530,604	450,070
अनुसूची 9 : ऋण एवं अग्रिम		
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल	22,349,315	22,996,755
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	666,587,527	627,471,580
iii) मीयादी ऋण	1,088,609,241	1,072,592,031
	1,777,546,083	1,723,060,366
कुल	1,777,546,083	1,723,060,366
बी. अग्रिमों का विवरण		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,556,322,287	1,411,883,095
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	1,833,661	95,109,944
iii) अरक्षित	219,390,135	216,067,327
	1,777,546,083	1,723,060,366



दिनांक 31 मार्च 2014 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31/03/2014 को ₹	दिनांक 31/03/2013 को ₹
कुल	1,777,546,083	1,723,060,366
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण		
(I) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	617,468,736	502,913,365
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	208,482,642	218,917,588
iii) बैंक	3,093	3,527,637
iv) अन्य	951,591,612	997,701,776
कुल	1,777,546,083	1,723,060,366
अनुसूची 10 : अचल आस्तियां		
I. परिसर		
(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)		
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	24,731,464	23,973,412
वर्ष के दौरान परिवर्धन	15,866	758,052
कुल	24,747,330	24,731,464
इस दिनांक को मूल्यहास	4,742,356	4,390,842
कुल ... I	20,004,974	20,340,622
II. अन्य अचल आस्तियां		
(फर्नीचर एव जुड़नार सहित)		
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	17,101,857	13,756,360
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	3,960,641	3,938,680
कुल	21,062,498	17,695,040
वर्ष के दौरान कमी/ समायोजन	603,895	593,183
कुल	20,458,603	17,101,857
इस दिनांक को मूल्यहास	12,409,123	10,583,683
कुल ... II	8,049,480	6,518,174
कुल (I + II)	28,054,454	26,858,796
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां		
I. उपचित ब्याज	17,600,526	13,799,726
II. अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	28,571,817	21,004,273
III. स्टेशनरी एवं स्टॉम्प	177,998	136,105
IV. दावों की पूर्ति से अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियां	-	-
V. अंतर कार्यालय समायोजन	30,889,755	9,021,695
VI. अन्य	31,529,702	24,280,644



दिनांक 31 मार्च 2014 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31/03/2014 को		दिनांक 31/03/2013 को	
	₹	₹	₹	₹
		108,769,798		68,242,443
कुल		108,769,798		68,242,443
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. (ए) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.		1,196,346		635,671
(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		14,005,894		9,282,360
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		0		0
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		640,602,389		357,696,828
IV. ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	103,363,304		92,483,533	
बी) भारत के बाहर	5,673,489		8,313,332	
		109,036,793		100,796,865
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		112,332,617		126,372,490
VI. अन्य मद्दे, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		8,383,128		562,464
कुल		885,557,167		595,346,678



दिनांक 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां
(000' को छोड़कर)

विवरण	दि. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष ₹	दि. 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष ₹
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	186,695,640	169,573,745
II. निवेशों पर आय	57,650,526	47,789,672
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज	328,388	796,810
IV. अन्य	108,600	807,377
कुल	244,783,154	218,967,604
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	8,216,847	8,162,556
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	4,553,669	3,828,750
III. विनमय लेन देनों पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	1,987,237	608,772
IV. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि)	(11,930)	(6,471)
V. निवेशों का पुनर्मूल्यांकन लाभ/(हानि)	-	-
VI. भारत/विदेशों में अनुबंधित एवं एसोशिएट्स से लाभांश इत्यादि के रूप में अर्जित आय	-	-
VII. विविध आय	4,567,949	4,173,060
कुल	19,313,772	16,766,667
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	163,969,252	149,466,455
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	3,884,430	1,856,299
III. अन्य	11,777,158	10,086,293
कुल	179,630,840	161,409,047
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	35,414,861	28,952,218
II. किराया, कर एवं बिजली	3,358,085	2,667,405
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	472,980	305,077
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	266,024	287,836
V. (ए) बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	2,088,030	1,846,700
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	12,911	13,881
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों के शुल्क एवं व्यय सहित)	173,845	108,639
VIII. विधि प्रभार	189,789	153,769
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	529,663	367,837
X. मरम्मत एवं रखरखाव	588,400	574,867
XI. अपलिखित अशोध्य ऋण	13,121	-
XII. बीमा	1,961,280	1,712,866
XIII. अन्य व्यय	6,831,779	5,408,698
कुल	51,900,768	42,399,793



अनुसूची 17 – समेकित खातों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने का आधार :

संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियां (सीएफएस) लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए सामान्यतया परंपरागत लागत सिद्धांत पर तैयार की गई हैं। वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जो लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उद्घोषणाओं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं को समाविष्ट करते हैं।

2. प्राक्कलनों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधतंत्र को वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए सूचित आय एवं व्ययों में प्राक्कलनों और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधतंत्र को यह विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं समुचित हैं।

3. समेकन प्रक्रिया :

3.1 समूह (2 अनुषंगियों एवं 4 एसोशिएट्स के साथ [3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित]) के समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है:

ए. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां

बी. आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-21 “समेकित वित्तीय विवरणों” के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण अंतःसमूह शेषों/लेनदेनों, गैर वसूले लाभ/हानियों को समाप्त करने के पश्चात एवं इन अनुषंगियों से उनके सम्बंधित लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर मूल बैंक की समरूप लेखांकन नीतियों के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक रहा है, का समायोजन करने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय की संगत मदों के साथ पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है।

सी. एसोशिएट्स में निवेश, जहां समूह के पास 20% अथवा उससे अधिक का मतदान अधिकार प्राप्त है और इसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-23 समेकित वित्तीय विवरणों में एसोशिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार इक्विटी प्रणाली का उपयोग करने के लिए निकाला गया है तथा जहां समायोजन करना आवश्यक हुआ है, समायोजन करने के पश्चात मूल बैंक की एकरूप लेखांकन नीतियों के समरूप. इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, एक एसोशिएट्स, की वित्तीय विवरणियां स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप तैयार की गई हैं। इन एसोशिएट्स से प्राप्त वित्तीय विवरणियां ही उनके इन समेकित वित्तीय विवरणियों में समावेशन का संपूर्ण आधार तैयार करती हैं।

डी. एसोशिएट्स जैसे इंडो जाम्बिया बैंक का लेखांकन वर्ष कैलेन्डर वर्ष है।

3.2 समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में माइनॉरिटी हितों में निम्न शामिल है:

i. अनुषंगी में किए गए निवेश की तिथि को माइनॉरिटी को आरोप्य इक्विटी की राशि, एवं

ii. मूल बैंक एवं अनुषंगी के सम्बंध अस्तित्व में आने की तिथि से इक्विटी में माइनॉरिटी के हिस्से में संचलन।

4. विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :

ए. विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

बी. आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है।

सी. विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं।

डी. बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।



5. निवेश :

5.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को परिपक्वता तक धारित, 'व्यापार हेतु धारित' तथा 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है :

- i) सरकारी प्रतिभूतियां
- ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- iii) शेयर्स
- iv) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स
- v) अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं
- vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स, वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स)।

5.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

- i) परिपक्वता तक धारित
इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है।
- ii) व्यापार के लिए धारित
प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनः बिक्री के लिए रखी जाती हैं।
- iii) विक्रय के लिए उपलब्ध
वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं।

5.3 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, निवेशों की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण/बदलाव, अंतरण की तारीख पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर लेखागत किया जाता है। ऐसे अंतरण पर यदि कोई मूल्यहास हो, तो उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है।

5.4 मूल्यनिर्धारण :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य के आधिक्य को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार बाजार के लिए निम्नवत चिन्हित किया जाता है :

i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	स्टॉक एक्सचेंज/एफआईएमएमडीए/पीडीआई द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड	परिपक्वता आय पर विनियोजन के आधार पर

iii)	ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/ वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर	
iv)	इक्विटी शेयर	ए) उद्धृत	बाजार मूल्य पर
		बी) अनुद्धृत	प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से पुराना नहीं) तुलन पत्र उपलब्ध हो, या ₹ 1.00 प्रति कंपनी, यदि, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो.
v)	अधिमानी शेयर	ए) उद्धृत	बाजार मूल्य पर
		बी) अनुद्धृत	परिपक्वता पर उचित आय
vi)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	ए) उद्धृत :	बाजार मूल्य पर
		बी) अनुद्धृत :	परिपक्वता पर उचित आय
vii)	म्युच्युअल फंड	ए) उद्धृत :	बाजार मूल्य पर
		बी) अनुद्धृत :	पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य (जहां पुनः क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii)	वेंचर पूंजी	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के विश्लेषित आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति वेंचर पूंजी निधि (वीसीएफ) के लिए ₹1/-.	

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर, प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि को गणना में नहीं लिया गया है.

सी) व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि है, को गणना में नहीं लिया गया है.

5.5 लागत निर्धारण :

भारत औसत लागत पद्धति के आधार पर निवेश लागत निर्धारित की गई है.

5.6 आय निर्धारण :

- i. निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है. तथापि 'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि 'पूंजी प्रारक्षित निधि' में विनियोजित की गयी है.
- ii. निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है. अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं.
- iii. यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहे, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिम को अवमानक/संदिग्ध/हानि के रूप में, जैसा भी मामला हो, वर्गीकृत किया गया है तथा विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हैं.



- iv. प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त दलाली, प्रोत्साहन राशि, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क आदि को निवेशों की लागत में से घटाया गया है।
- v. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए खर्चों जैसे दलाली, फीस, कमीशन या करों को आय में प्रभारित किया गया है।
- vi. प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि के ब्याज को आय मद माना गया है।

6. डेरिवेटिव्स

वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स को निम्नानुसार लेखांकन किया गया है।

- i. जिनकी अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य हैं, उन्हें बाजार आभिचिन्हित माना गया है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में डाला गया है।
- ii. ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उनमें यदि अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य आभिचिन्हित नहीं है तो उनका लेखांकन उपचित आधार पर किया जाता है।
- iii. स्वैप समाप्ति पर लाभ अथवा हानि की पहचान स्वैप की शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित की जाती है।

7. अग्रिम :

- ए. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं।
- बी. मूल बैंक के मामले में, जिसमें दिनांक 01.07.2013 से अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की वसूलियों को पहले मूल धन की अनियमितताओं के लिए समायोजित किया जाता है, को छोड़ कर, अन्य में वसूली को पहले ब्याज में विनियोजित किया जाता है। तथापि, वाद दायर, डिफ़िकीकृत खातों तथा समझौता मामलों में वसूली पहले मूल धन के लिए अथवा डिफ़िकी/समझौते की शर्तों के अनुसार विनियोजित की जाती है।
- सी. अग्रिम प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं।

मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान अन्य में शामिल हैं।

डी. बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

यदि बिक्री प्राप्ति निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है।

यदि एसी/आरसी को एनबीवी (अर्थात बही मूल्य में से रखा गया प्रावधान घटा कर) कीमत से कम पर बेचा गया है तो इस कमी को वर्ष के लाभ हानि खाते में नामे किया जाय।

यदि नकद आधार पर एनबीवी से अधिक कीमत पर बिक्री हुई हो तो उस आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाय।

यदि एसी/आरसी को एनबीवी के मूल्य से अधिक पर बिक्री हुई हो तो नकद वसूली के समान प्रावधान आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है एवं शेष बचे प्रावधान आधिक्य को एसी/आरसी को बेचे जाने वाली वित्तीय आस्तियों की कमी/हानि के लिए उपयोग करने हेतु रखा जाता है।

- ई. सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा निर्धारित विवेकसम्मत मानदंडों के आधार पर आय निर्धारण एवं ऋण तथा अग्रिमों पर प्रावधान किए जाते हैं।

एफ. सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में, आवास ऋणों, होफ इक्विटी ऋण, टॉप-अप ऋण तथा संपत्ति के विरुद्ध ऋण का भुगतान मूलधन एवं ब्याज को मिलाकर समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के द्वारा किए जाते हैं। स्थिर दर वाले ऋणों के सम्बंध में, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेष राशि पर ब्याज की गणना की जाती है; अस्थिर दर वाले ऋणों के मामले में, पिछले माह के अंतिम दिन के बकाया शेष राशि पर प्रत्येक माह की 1ली तारीख को ब्याज की गणना की जाती है। जैसे ही संपूर्ण ऋण संवितरित हो जाता है, ईएमआई शुरू हो जाती



है. ईएमआई शुरू होने के लंबित रहते, पूर्व-ईएमआई ब्याज प्रत्येक माह देय होता है.

8. अचल आस्तियां/मूल्यहास :

ए. अचल आस्तियों (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यहास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है) का मूल्यहास 'मूल्यहासित मूल्य प्रणाली' के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है :

i)	परिसर	अनुमानित जीवन काल के आधार पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii)	फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii)	वाहन	20%
iv)	वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v)	सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	33.33%
(अधिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है.)		

बी. उन आस्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास पुनर्मूल्यन राशि पर किया गया है तथा वृद्धिशील मूल्यहास, जो पुनर्मूल्यन राशि के लिए उत्तरदायी है, उसे 'पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि' में समायोजित किया गया है.

सी. 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है. 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्द्ध वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया गया है.

डी. पट्टेवाली भूमियों का मूल्य पट्टे की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है. पुनर्मूल्यन के मामले में, मूल लागत और पुनर्मूल्यन मूल्यों के अंतर को पट्टे की बाकी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है और 'पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि' में समायोजित किया गया है.

ई. जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां सम्मिश्रित लागत पर मूल्यहास लगाया गया है.

एफ. अनुषंगियों के मामले में, अचल आस्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर सीधी लाइन प्रणाली पर लगाया जाता है.

9. कर्मचारी - लाभ :

ए. ग्रेच्युइटी एवं पेंशन निधियों में वार्षिक अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर किया है एवं बीमांकिक द्वारा अनुमानित देयता के अनुसार राशि बैंक के खाते में मान्य की जाती है.

बी. उन कर्मचारियों के सम्बंध में जिन्होंने भविष्य निधि योजना हेतु विकल्प दिया है, समतुल्य का अंशदान किया गया है.

सी. बैंक ने अपनी लेखा बहियों में, कर्मचारी लाभ से उत्पन्न देयताओं को बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य तुलन पत्र में योजना आस्तियों के उचित मूल्य को घटाकर दर्शाया है.

डी. सेन्ट बैंक होफ फाइनेंस लि. के मामले में ग्रेच्युटी राशि का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम के समूह परिपक्वता योजना में निवेश किया गया है.

10. आय एवं व्यय की पहचान :

ए. संविधानिक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर लेखांकित आय को छोड़कर, आय/ व्यय की मदों को उपचित आधार पर लेखागत किया जाता है.

बी. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र सं. डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.4.018.2002-03 दिनांक 29.03.2003 के दिशानिर्देशों के अनुरूप, यदि कोई मद, कुल आय / कुल व्यय के 1% से अधिक हो तो उसके संबंध में पूर्व की अवधि का प्रकटीकरण किया जाता है.

सी. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान प्रावधान किए जाते हैं.

11. आय कर :



इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, जो कर योग्य आय तथा लेखा आय के बीच समय अंतर की पहचान करते हैं, जो एक समय में प्रारंभ होते हैं तथा एक या अधिक तदनन्तर अवधि में प्रत्यावर्तित होते हैं. आस्थगित कर आस्तियों की तब तक पहचान नहीं की जाती है जब तक कि 'वास्तविक निश्चितता' न हो, पर्याप्त भावी कर योग्य आय, ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की वसूली के समक्ष उपलब्ध होगी. मूल्यांकन/अपील कार्यवाही के उद्देश्य से वर्ष में विवादित कर देयताओं का लेखांकन इस वर्ष में किया जाता है जब उसका अंतिम निर्धारण/अपील कार्यवाही पूर्ण हो जाती हो, तब तक इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दिखाया जाता है.

12. प्रति शेयर आय :

भारत औसत प्रणाली पर आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार, मूल बैंक आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर आय की गणना की जाती है.



अनुसूची 18 - समेकित लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल अनुषंगियाँ एवं असोशिएट्स

समेकित वित्तीय विवरणियों में सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक), इसकी दो अनुषंगियाँ एवं 4 असोशिएट्स, जिनमें मूल बैंक द्वारा प्रायोजित 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (जिन्हें सम्मिलित रूप से 'दि ग्रुप' के नाम से संदर्भित किया गया है) का विवरण निम्नानुसार है :

अनुषंगी/असोशिएट का नाम	निगमन-देश	दिनांक 31 मार्च, 2014 को स्वामित्व हित	दिनांक 31 मार्च 2013 को स्वामित्व हित
सेन्टबैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	64.40%	59.50%
सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	100.00%	100.00%
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (असोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (असोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया (असोशिएट) (टिप्पणी संख्या 1.3)	भारत	निरंक	35.00%
सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अंबिकापुर (असोशिएट) (टिप्पणी संख्या 1.4)	भारत	निरंक	35.00%
इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (असोशिएट)	जाम्बिया	20.00%	20.00%

- अनुषंगियों एवं असोशिएट्स की वित्तीय विवरणियों, जो समेकित में उपयोग किए गए हैं, को उसी तारीख को तैयार किया गया है, जिस तारीख को मूल बैंक की तैयार की गई हैं अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2014 को सिवाय इंडो जाम्बिया बैंक लि. के जिसकी रिपोर्टिंग अवधि कैलेन्डर वर्ष है. तदापि लाभ की राशि 9 माह की लेखापरीक्षित एवं 3 माह के अलेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर ली गई है.
 - वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2013 के अनुसार, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित) एवं बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया (सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रायोजित) एक बैंक में समाहित कर दिये गए हैं जो पूर्वांचल बैंक (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित) कहलाया जाएगा.
 - वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 02 सितम्बर 2013 के अनुसार, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित), सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रायोजित) एवं दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक (देना बैंक द्वारा प्रायोजित) एक बैंक में समाहित कर दिए गए जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित) कहलाया जाएगा.
 - कथित आरआरबी का संचित लाभ निवेश का रखाव लागत एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के संचित आरक्षित के कारण कम हो गया.
- 2. वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित अनुषंगियों एवं एसोशिएट्स (क्षेत्राबैं) में अतिरिक्त पूंजी दी.**

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी/एसोशिएट्स का नाम	पूंजी निषेचित राशि	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (अनुषंगी)	4.20	--
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (एसोशिएट्स)	33.92	17.68
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कूच बिहार (एसोशिएट्स)	--	11.20

- समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, अनुषंगियों के संबंध में कुल मामलों में समान लेनदेनों के लिए अलग लेखांकन नीतियां अपनाई गई हैं, जिनके बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध न होने के कारण उपयुक्त समायोजन नहीं किए गए हैं.
प्रबंधन के अभिमत में यह महत्वपूर्ण नहीं है. मूल बैंक की तुलना में अनुषंगियों द्वारा जिन मदों के लिए अलग लेखांकन नीतियों को अपनाया गया है, वे निम्नानुसार दी जा रही हैं :



	मूल बैंक	सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि. (अनुषंगी)	सेन्ट बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लि. (अनुषंगी)
मूल्यहास	बैंक ने सिर्फ कंप्यूटरों के लिए मूल्यसहास की सीधी रेखा पद्धति को छोड़कर अवलेखन मूल्य प्रणाली को अपनाया है	सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्यहास लागू किया गया है. मूल्यहास ₹ 9.62 लाख प्रभारित किया गया है.	सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्यहास लागू किया गया है. मूल्यहास ₹ 15.94 लाख प्रभारित किया गया है.
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	बीमांकिक आधार पर	कंपनी द्वारा मूल्यांकित	मूल्यांकित नहीं किया गया.
एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन	अर्नजक परिसंपत्तियों के विरुद्ध वसूली दि. 30 जून 2013 तक पहले ब्याज में विनियोजित की गई एवं दिनांक 01.07.2013 से एनपीए खातों में वसूली का दावा दायर, डिक्री खातों एवं समझौता मामलों को छोड़कर, जहां वसूली का पहले मूल राशि में या डिक्री/निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजन किया गया, अनियमित मूल राशि में विनियोजन किया गया.	अर्नजक परिसंपत्तियों के विरुद्ध वसूली पहले ईएमआई के ब्याज वाले भाग में विनियोजित की गई एवं इसके पश्चात अतिदेय, ईएमआई के मूलधन भाग में विनियोजित किया गया,	लागू नहीं

4. मूल बैंक

4.1.1 बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹ 3000 करोड़ है.

दिनांक 31.03.2014 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी भारत सरकार को ₹ 58.85/- प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹ 305.86 करोड़ के नए इक्विटी शेयर्स जारी करते हुए, पिछले वर्ष के ₹ 1044.58 करोड़ से बढ़कर ₹ 1350.44 करोड़ हो गई है.

4.2 बहियों का समतुलन / मिलान :

निम्नलिखित मदों का समतुलन प्रगति पर है :

- अंतर शाखा/कार्यालय शेष
- सरकारी (केन्द्र एवं राज्य) लेन-देन खाते
- अंतर बैंक खाते
- प्रणाली उचंचत खाता
- उचंचत खाता
- समाशोधन एवं अन्या समायोजन खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- नामिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते
- सेन्ट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गये मिरर खाते
- पुर्नसंचित खातों के विवरण पर प्रकटीकरण.

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, महत्व पूर्ण नहीं होगा.

4.3 आय कर / आस्थगित कर :

- 4.3.1 इस वर्ष के लिए आय कर का प्रावधान, संगत सांविधिक प्रावधानों एवं विवादित मामलों पर न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में विधिवत विचार-विमर्श के बाद किया गया है.
- 4.3.2 अन्य आस्तियां [अनुसूची 11 (ii)] में ₹ 1400.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 912.60 करोड़) शामिल हैं, जो बैंक द्वारा भुगतान किए गए या आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर के संदर्भ में हैं. ऐसे मामलों पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों/काउंसेल के मतों के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया.
- 4.3.3 विवाद के अंतर्गत भुगतान किए गए ₹ 1400.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 912.60 करोड़) के कर में से, विभिन्न निर्धारण वर्षों से सम्बंधित विवादों में शामिल ₹ 490.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.98 करोड़) की कर राशि, अपीलकर्ता प्राधिकारियों द्वारा बैंक के पक्ष में निर्णीत की गई है. इसके लिए अपील का प्रभाव लम्बित है.

4.4 परिसर :

बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में ₹ 55.22 करोड़ (गत वर्ष ₹ 39.93 करोड़) की लागत की संपत्ति शामिल है. इसके लिए पंजीकरण औपचारिकताएं अभी भी प्रगति पर हैं.

4.5 अग्रिम / प्रावधान :

- 4.5.1 पोषण/ पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्तियों /आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा.
- 4.5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने ₹ 103.09 करोड़ के अस्थायी प्रावधान एवं एनपीए के प्रावधान के लिए खातों में 33% राशि के बकाया होते हुए ₹ 46.63 करोड़ के प्रतिचक्रिय प्रावधान का उपयोग किया. बैंक ने ₹ 209.34 करोड़ (गत वर्ष ₹ 312.43 करोड़) के अस्थायी प्रावधान को नेट किया एवं ₹ 94.67 करोड़ (गत वर्ष ₹ 141.30 करोड़) की प्रतिचक्रिय प्रावधानीकरण राशि शुद्ध एनपीए निकालने के लिए गणना में ले गई है.
- 4.5.3 अच्छे एवं रक्षित माने गए अग्रिमों में आईबीए द्वारा जारी (गैर प्राथमिकता क्षेत्र) यूनिफॉर्म कोड गवर्निंग इंटर बैंक पार्टिसिपेशन द्वारा अधिशासी आईबीपीसी में ₹ 2200 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2515 करोड़) एवं आरआरबी द्वारा जारी आईबीपीसी में कुल ₹ 2200 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2515 करोड़) प्राथमिकता क्षेत्र/प्रत्यक्ष कृषि का निवेश शामिल है.

4.6 आरबीआई द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरबीआई मानदंडों का अनुपालन न करने पर ₹ 305.27 लाख का दंड लगाया है.

5. लेखांकन मानकों का अनुपालन

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण किया जाता है :

5.1 लेखांकन मानक - 5

एनपीए में वसूली :

- ❖ एनपीए में वसूली के विनियोजन के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण, जिसके तहत दिनांक 01.07.2013 से एनपीए में वसूली को अनियमित मूलधन के स्थान पर ब्याज में विनियोजित किया जाना है, वर्ष की ब्याज आय एवं ऋणों में कमी आई है एवं वर्ष के लिए हानि में ₹ 223.50 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है.
- ❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रमांक आरबीआई/2013-14/502 दिनांक 26.02.2014 के अनुसार, एससी/आरसी को एनबीवी से अधिक मूल्य पर बेचने के मामलों में, नगद वसूली राशि ₹ 77 करोड़ तक के अतिरिक्त प्रावधान को लाभ हानि खाते में जमा किया



गया, जोकि वर्तमान लेखांकन नीति के अनुसार अधिक प्रावधान में रखा जाना था. जिसके फलस्वरूप वर्ष का लाभ ₹ 77 करोड़ से बढ़ गया एवं प्रावधान उसी परिमाण में कम हो गया.

5.2 लेखांकन मानक - 9

मूल लेखांकन नीति के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की गई है. तथापि, कथित आय को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है.

5.3 लेखांकन मानक - 15 (संशोधित) मूल बैंक

5.3.1 वर्ष 2010-11 में, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं डीबीओडी सं बीपी:बीसी:80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के अनुसार, बैंक ने उन विद्यमान कर्मचारियों, जिन्होंने पूर्व में पेंशन का विकल्प नहीं लिया था, उन्हें पुनः पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर दिया था एवं ग्रेच्युटी में अभिवृद्धि से उत्पन्न अतिरिक्त देयता को दि.31.03.2011 को समाप्त वर्ष से 5 साल की अवधि में परिशोधन करने का बैंक ने विकल्प चुना है. तदनुसार, दि.01.04.2013 को अपरिशोधित राशि ₹ 590.77 करोड़ में से बैंक ने ₹ 239.98 करोड़ पेंशन के लिए एवं ₹ 55.40 करोड़ ग्रेच्युटी के लिए दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान आनुपातिक आधार पर परिशोधित की है. शेष पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिए भविष्य में परिशोधित की जाने वाली राशि पेंशन के लिए ₹ 239.98 करोड़ एवं ग्रेच्युटी के लिए ₹ 55.40 करोड़ है.

5.3.2 कर्मचारी लाभ : मूल बैंक

बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
दिनांक 31 मार्च, 2014 को सुपरिभाषित लाभ दायित्व देयताएं				
प्रारंभिक दायित्व	7190.56	978.11	6537.56	891.22
सेवा लागत	166.74	30.01	127.74	41.25
ब्याज लागत	600.80	79.31	578.91	73.98
बीमांकिक लाभ (हानि)	758.99	126.30	412.20	95.94
प्रदत्त लाभ	(578.07)	(150.10)	(465.85)	(124.28)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)			-	-
गत सेवा लागत (निहित लाभ)			-	-
देयता अंतरण			-	-
दिनांक 31 मार्च, 2014 को दायित्व	8139.02	1063.63	7190.56	978.11

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
दिनांक 31 मार्च, 2014 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां				
उचित मूल्य पर प्रारंभिक योजना आस्तियां	6629.78	884.31	5349.39	855.53



योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	654.74	91.42	510.12	68.92
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(28.78)	(1.91)	(23.88)	15.99
अंशदान	1185.00	241.50	1260.00	68.15
प्रदत्त लाभ	(578.07)	(150.10)	(465.85)	(124.28)
अन्य ट्रस्ट से अंतरण			-	-
दिनांक 31 मार्च, 2013 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	7862.67	1065.22	6629.78	884.31

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लागत				
सेवा लागत	166.74	30.01	127.74	41.25
ब्याज लागत	600.80	79.31	578.91	73.98
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(654.74)	(91.42)	(510.12)	(68.92)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)	240.00	55.40	240.00	55.40
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि	787.77	128.21	436.08	79.95
शुद्ध लागत	1140.57	201.51	872.61	181.66

पूर्वधारणाएं :

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
बट्टा दर	9.27%	9.35%	8.50%	8.50%
वेतन वृद्धि दर	5%	5%	4%	4%
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की अनुमानित दर	8.70%	8.70%	8.70%	8.70%

5.3.3 सीबीएचएफ लि. ने अपने कर्मचारियों की समेकित ग्रेच्युटी देयता को कवर करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक पॉलिसी ली है और इस पॉलिसी पर प्रदत्त प्रीमियम को लाभ एवं हानि खाते में प्रभाषित किया गया है. अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान की गणना दिनांक 31 मार्च, 2014 को कर्मचारियों के साधिकार अवकाश के शेष पर की है. यही दि. 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए भी है.

5.4 लेखांकन मानक 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग समूह

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए सेगमेंट रिपोर्ट

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.14 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.13 को समाप्त वर्ष
ए.	सेगमेंट आय		
	1. ट्रेजरी परिचालन	632329	518880
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	698153	586244
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	1309400	1244142



	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
	5. अनाबंटित	1087	8077
	कुल	2640969	2357343
बी.	सेगमेंट परिणाम		
	1. ट्रेजरी परिचालन	30788	51516
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	91725	35403
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	(204852)	54595
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	5. अनाबंटित	(11414)	(3630)
	कुल	(93753)	137885
सी	आय कर	27584	31147
डी	शुद्ध लाभ	(121337)	106738
	अन्य जानकारी		
ई	सेगमेंट आस्तियां		
	1. ट्रेजरी परिचालन	10082038	8632874
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	6614731	5702459
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	11874913	12157444
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	5. अनाबंटित आस्तियां	437782	373803
	कुल	29009464	26866580
जे.	सेगमेंट देयताएं		
	1. ट्रेजरी परिचालन	10108113	8645929
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	6153148	5297002
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	11084441	11341216
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	5. अनाबंटित देयताएं	59660	25875
	प्रयुक्त पूंजी	1604102	1556558
	कुल	29009464	26866580

- i) भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है. द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है.
- ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं.
- iii) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर सहित) की सीमा तक के सभी एक्सपोजर शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, ग्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक एक्सपोजर के अधीन है.
- iv) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं.
- iv) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं.
- v) सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियों के लिए पूरक का कार्य करता है.
- vii) लागत का आबंटन :



ए एक विशिष्ट खंड से संबंधित खर्चे सीधे उस खंड को आबंटित किए जाते हैं.

बी किसी विशिष्ट खंड से सीधे सम्बंध न किए जा सकने वाले खर्चों को विवेकपूर्ण आधार आबंटित किया गया है.

5.5 लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण- संबंधित पार्टी

1 संबद्ध पार्टियों की सूची मूल बैंक

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

नाम	पद
i) श्री राजीव ऋषि (दि.01.08.2013 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii) श्री एम.वी.टांकसाले (दि. 29.06.2011 से दि. 31.07.2013 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
iii) श्री मलय मुखर्जी (दि. 05/11/2012 से दि. 11/12/2013 तक)	कार्यपालक निदेशक
iv) श्री आर.के.गोयल (दिनांक 11/01/2013 से)	कार्यपालक निदेशक
v) श्री अनिमेष चौहान (दि.05/08/2013 से)	कार्यपालक निदेशक
VI श्री बी.के.दिवाकर (दि. 23/01/2014 से)	कार्यपालक निदेशक

(बी) अनुषंगियां

- सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड.
- सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड. (पूर्व में सेन्ट बैंक फाइनेंशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस लिमिटेड से जाना जाता था.)

(सी) एसोशिएट्स -

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -
 - सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
 - उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
 - उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार
- इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड.
- सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेनदेन

(₹ लाख में)

मद	प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी	
	2013-14	2012-13
प्रदत्त पारिश्रमिक	80.62	64.55

(बी) सम्बद्ध पार्टियों के लेनदेन का विवरण

दिनांक 31.03.2013 एवं दिनांक 31.03.2014 को संबद्ध पार्टियों के लेनदेन की विवरणी



(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संबद्ध पार्टियां	दिनांक को	निवेश		ऋण आस्तियों की खरीद		ऋण आस्तियों की बिक्री		क्षे.प्रा.बै.को. ऋण व्यवस्था		आईबीपीसी के अंतर्गत सहभागिता			
			संचयी	वर्ष के दौरान अधिकतम	बकाया राशि	प्राप्त ब्याज	बिक्री राशि	प्रदत्त ब्याज	राशि	प्राप्त ब्याज	बकाया राशि	प्रवर्तक बैंक को प्रत्यक्ष कृषि आस्तियों की बिक्री	प्रवर्तक बैंक से गैर-प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियो अन्य	बकाया राशि
1	सेन्ट्रल एम पी जी बी	31.03.13	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	31.07	630.00	35.73
		31.03.14	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.00	4.39	727.00	5.03
2	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.13	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4.93	100.00	5.67
		31.03.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.13	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.0	69.04	1400.0	79.40
		31.03.14	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1397.0	8.43	1397.0	9.66
4	बलिया-इटवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.13	11.77	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	7.15	145.00	8.22
		31.03.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.13	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1.97	40.00	2.27
		31.03.14	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.47	76.00	0.54
6	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	31.03.13	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	9.87	200.00	11.34
		31.03.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	31.03.13	263.70	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2515.0	124.03	2515.0	142.63
		31.03.14	277.11	277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.0	13.20	2200.0	15.23

- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे ₹ 33.92 करोड़ (35%) के शेयर अन्य शेयर धारकों के साथ सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की पूंजी में निषेचित की है।
- सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में दिनांक 02/09/2013 को विलय हो गया है एवं पूंजी में ₹ 2.57 करोड़ के हमारे शेयर हमें वापस प्राप्त हुए हैं।
- बलिया इटावा ग्रामीण बैंक का पूर्वांचल बैंक में दिनांक 01.04.2013 को विलय हो गया है एवं पूंजी में ₹ 11.72 करोड़ के हमारे शेयर वापस प्राप्त हुए हैं।

(सी) सम्बंधित पार्टियों के सम्बंध में कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो एएस-18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार सरकारी नियंत्रणाधीन उद्यम हैं। साथ ही, एएस-18 के पैरा 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधतंत्र कार्मिक एवं प्रमुख प्रबंधतंत्र कार्मिक रिश्तेदार सहित, बैंकर-ग्राहक सम्बंध की प्रकृति के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

5.6 लेखांकन मानक 20 - समूह की प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना निम्नानुसार की गई है :

	31.03.14	31.03.13
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	(1213.37)	891.31
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	1137592631	746256617
प्रति शेयर मूल आय (₹)	(10.67)	11.94
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	(10.67)	11.94
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10.00	10.00



5.7 लेखांकन मानक 22 – आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं मान्य की हैं।

आस्थगित कर आस्तियां एवं आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

	31.03.14	31.03.13
आस्थगित कर आस्तियां :		
व्यवसाय हानि	575.14	-
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	154.63	113.06
पेंशन एवं ग्रेच्युइटी के लिए प्रावधान	-	59.21
निवेश पर मूल्यहास	-	6.72
अन्य	4.32	33.92
स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास	-	-
योग (ए) :	734.09	212.98
आस्थगित कर देयताएं :		
स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास	5.95	2.90
उपचित ब्याज; परंतु निवेश पर देय नहीं	562.21	469.03
पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	17.35	--
आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(VII) के अंतर्गत विशेष आरक्षित	33.99	--
निवेश पर मूल्यहास	706.89	--
अन्य	0.17	
योग (बी):	1326.56	471.93
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	592.47	258.95

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीओडी नं. बीपी.बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20.12.2013 के अनुसार, बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(VIII) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयताएं निर्मित की है। आरबीआई के कथित परिपत्र की आवश्यकतानुसार, दि. 31 मार्च 2013 को विशेष आरक्षित पर डीटीएल के कारण ₹. 33.99 करोड़ का व्यय, जोकि पहले लाभ हानि खाते पर प्रभारित नहीं किया गया था, अब सीधे आरक्षित से समायोजित किया गया।

5.8 लेखांकन मानक 28 – आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां है, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक-28 लागू नहीं है। प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2014 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है, जिसे मान्य करने की आवश्यकता है।

5.9 लेखांकन मानक 29 : प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर

(i) ऋण के रूप में न माने गए दावों में प्रावधान संचरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2013 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रत्यावर्तित/समायोजित प्रावधान	दिनांक 31.03.2014 को अंतिम शेष
उधार के रूप में पहचान न किए गए दावों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान	4.41	-	--	4.41



6. प्रबंधन द्वारा संकलित सूचना के अनुसार, वे वेडर्स, जिनकी सेवाएं बैंक द्वारा उपयोग में ली गईं एवं जिनसे खरीद की गई है, वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत नहीं हैं। इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।
7. सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों के दिशा- निर्देशों का कार्यान्वयन बैंक ने आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.नं.6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार सीबीएस में साइबर धोखाधड़ी पर नीतियां निर्धारित की हैं। प्रबंधन द्वारा इन नीतियों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है।
8. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण हो सके।

अनुसूची 1 से 18

बी. के. दिवाकर कार्यपालक निदेशक	अनिमेष चौहान कार्यपालक निदेशक	आर. के. गोयल कार्यपालक निदेशक	राजीव ऋषि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
गुमान सिंह निदेशक	प्रो. एन. बालकृष्णन निदेशक	कृष्ण सेठी निदेशक	
एम.पी. शोरावाला निदेशक	सौरभ गर्ग निदेशक	शेखर भटनागर निदेशक	
सुश्री एन.एस. रत्नप्रभा निदेशक	एस.बी. रोडे निदेशक	गुरबख्श कुमार जोशी निदेशक	
कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000131एन (सीए आर. के. अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं. 081510	कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.-004135एस (सीए एस. वेंकटकृष्णन) भागीदार सदस्यता सं. 023488	कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000561एन (सीए मुकेश गोयल) भागीदार सदस्यता सं. 081810	
कृते एन. सरकार एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301075ई (सीए एम. राय) भागीदार सदस्यता सं. 012940	कृते एन. चौधरी एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301032ई (सीए अनूप विश्वास) भागीदार सदस्यता सं. 050708	कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 321095ई (सीए एस.एस.मोहपात्रा) भागीदार सदस्यता सं. 061619	

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 20 मई, 2014



दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(करोड़ ₹)

क्र.सं. विवरण	31- 03- 2014	31-03-2013
ए परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व शुद्ध लाभ	(975.67)	1,341.59
I समायोजन हेतु :		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	208.81	184.67
निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	256.56	(162.25)
अपलिखित अशोध्य ऋण/गैर निष्पादित आस्तियों में प्रावधान	3,291.16	1,358.27
मानक आस्तियों /निर्बाधित के लिए प्रावधान	690.10	663.70
अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	(5.62)	5.85
आयकर पर ब्याज	(10.87)	80.77
अचल आस्तियों (शुद्ध) की बिक्री पर लाभ/हानि	1.19	0.65
गौण ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान/प्रावधान	642.26	582.86
निवेशों के मोचन पर हानि	0.01	-
जेएनवाई कूपन पर ब्याज	5.17	-
उप योग	4,103.10	4,056.11
II समायोजन हेतु		
जमा में वृद्धि/ (कमी)	14,125.44	29,983.75
उधारों में वृद्धि/कमी	3,741.26	5,476.69
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/कमी	2,760.79	(38.50)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(9,429.83)	(26,625.83)
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(13,778.82)	(13,188.54)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(3,301.86)	(120.04)
प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी का शुद्ध आदि)	(709.80)	(638.99)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद(ए)	(6,592.82)	(5,151.45)
परिचालन गतिविधियों से नकद शुद्ध प्रवाह	(2,489.72)	(1,095.35)
बी निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	49.51	43.37
अचल आस्तियों की खरीद	(405.14)	(469.67)
आरआरबी में निवेश	(13.41)	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(369.04)	(426.30)
सी वित्तपोषित गतिविधियों से नकद प्रवाह		
शेयर पूंजी	1,801.90	2,406.00
इक्विटी शेयर्स पर लाभांश- अंतरिम लाभांश सहित	(1.22)	(275.82)
लाभांश कर	(0.65)	(44.45)
जेएनवाई स्वैप कूपन पर ब्याज	(5.17)	(6.66)
गौण कर्ज पर ब्याज	(642.26)	(582.86)
वित्तपोषित गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	1,152.60	1,496.21



		(करोड़ ₹)	
क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2014	31-03-2013
डी	नकद एवं नकद तुल्य (ए+बी+सी) या (एफ -ई) में शुद्ध वृद्धि	(1,706.16)	(25.44)
ई	वर्ष के प्रारंभ पर नकद तथा नकद तुल्य		
	नकद एवं भारिबैं के साथ शेष	13,560.17	13,114.25
	बैंक में तथा मांग पर धन एवं अल्प सूचना में शेष	532.31	1,012.42
	वर्ष के प्रारंभ पर शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष	14,092.48	14,126.67
एफ	वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समकक्ष		
	नकद एवं भारिबैं के साथ शेष	11,926.63	13,560.17
	बैंक एवं मांग पर धनराशि तथा अल्प सूचना में शेष	459.69	532.31
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष	12,386.32	14,092.48

बी. के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

अनिमेष चौहान
कार्यपालक निदेशक

आर. के. गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

गुमान सिंह
निदेशक

प्रो. एन. बालकृष्णन
निदेशक

कृष्ण सेठी
निदेशक

एम.पी. शोरावाला
निदेशक

सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

सुश्री एन.एस. रत्नप्रभा
निदेशक

एस.बी. रोडे
निदेशक

गुरबख्श कुमार जोशी
निदेशक

कृते कुमार चोपड़ा एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

कृते पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-004135एस

कृते दूगड़ एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000561एन

(सी ए आर के अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

(सीए एस. वेंकटकृष्णन)
भागीदार
सदस्यता सं. 023488

(सीए मुकेश गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081810

कृते एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301075ई

कृते एन. चौधरी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301032ई

कृते बी.एन.मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 321095ई

(सीए एम. राय)
भागीदार
सदस्यता सं. 012940

(सीए अनूप विश्वास)
भागीदार
सदस्यता सं. 050708

(सीए एस.एस.मोहपात्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 061619

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 20 मई, 2014



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

फॉर्म बी

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

7वीं वार्षिक सामान्य बैठक

पन्ना सं. या डीपी आईडी/ग्राहक आईडी	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____,
राज्य _____, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के/ की शेयरधारक की हैसियत से
श्री/सुश्री _____ निवासी _____ जिला _____,
राज्य _____, को अथवा उसकी अनुपस्थिति में श्री/सुश्री _____

निवासी _____ जिला _____, राज्य _____, को सोमवार, 30 जून, 2014 पूर्वाह्न
11.00 बजे, स्थान: सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कूपर अस्पताल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम
विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की आयोजित होने वाली 7वीं वार्षिक सामान्य बैठक में
मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

तारीख _____ माह _____ वर्ष 2014 को यह हस्ताक्षरित किया गया.

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

कृपया
रेवेन्यू स्टैप
चिपकाएं

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर _____

नाम _____


(स्पष्ट अक्षरों में)

पता _____



प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;
 - (ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (बी) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (सी) कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
2. ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उनके प्रॉक्सी फार्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्वोरेंस के रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो.
3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह विधिवत स्टैम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् 25 जून, 2014 को सायं: 5.00 बजे से पूर्व मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए.
4. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.
5. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.
6. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.
7. बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.
8. प्रॉक्सी फार्म की सभी कांट-छांटों पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
9. प्रॉक्सी का प्रपत्र फार्म बी में न होने पर वैध माना नहीं जाएगा.



CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR'S MESSAGE

Dear Shareholder,

The Financial Year 2013-14 has been a year of consolidation for the Bank. Growth has been moderated to align it with the market scenario. The Bank strategized its focus on business segments like Agriculture, SME & Retail Advances, which has started yielding results during the year.

The world economy experienced subdued growth for a second year in 2013-14. The International Monetary Fund (IMF) has estimated that the global economy is expected to grow at a pace of 3.6 per cent in 2014 and 3.9 per cent in 2015, compared to an estimated growth of 3.0 per cent for 2013. India's economic performance has been weaker than expected, resulting in a downward revision of the country's growth forecast for FY 2013-2014. Slower growth, high inflation, and rising fiscal deficit are posing significant challenges to the economy. As per the Advance Estimates of the Central Statistical Organisation (CSO), India's GDP growth is estimated to be at 4.9 % in FY 2013-14 as compared to 5.0 % growth registered in 2012-13.

The annual rate of inflation, based on monthly WPI, stood at 5.70% for the month of March, 2014 (over March 2013) as compared to 4.68% for the previous month and 5.65% during the corresponding month of the previous year. The RBI monetary stance during the year reflected a calibrated approach to balance growth and inflation dynamics. The overall liquidity position during the year remained tight. Apart from it, the rupee during the year witnessed high volatility and depreciated against US\$ as compared to the previous year.

The **asset quality of banks** has been deteriorating for the past two years as economic growth slipped to its lowest level in a decade while inflation and interest rates remained high. Gross bad loans have spiked to nearly four per cent of total lending from 2.36 per cent three years ago.

Despite all these odds, business of the Bank increased to ₹ 4,23,390 crore from ₹ 4,02,272 crore in Financial Year 2012-13 registering a growth of 5.25%. The Deposit and Credit growth of the Bank stood at 6.21% and 4.02% respectively. The CASA share as a percentage of Total Deposits stood at 33.33% as against 32.55% in Financial Year 2012-13. To ensure profitable growth in Business, **High Cost Deposits** have been shed considerably. The share of high cost deposits as a proportion of Total deposits has been reduced to 21.84% as on Mar-2014 from as high as 24.37% as on March-2013. This is well reflected in growth of Aggregate Core Deposits at 9.48 %.

The operating profit of the Bank increased to ₹ 3238 crore from ₹ 3173 crore in Financial Year 2012-13 registering a growth of 2.05% whereas the Net profit of the Bank decreased to ₹ (1263) crore from ₹ 1015 crore in Financial Year 2012-13 due to higher provisions on Non Performing Assets.

The Bank's Cost of Deposits reduced to 7.24% from 7.42% in Financial Year 2012-13, the Net Interest Income of the Bank increased to ₹ 6493 crore from ₹ 5738 crore in Financial Year 2012-13 registering a growth of 13.16%. The Other Income or Fee – based Income of the Bank has increased to ₹ 1923 crore from ₹ 1667 crore in Financial Year 2012-13 registering a growth of 15.35%.



Asset Quality has been the concern of the Bank for last couple of years. The percentage of Gross NPA to Gross Advances increased to 6.27% from 4.80% in Financial Year 2012-13 and percentage of Net NPA to Net Advances increased to 3.75% from 2.90% in Financial Year 2012-13. This is on account of stress in some sectors like Infrastructure, Textiles, Iron & Steel, Engineering & Manufacturing, Gems & Jewellery etc. Your Bank has been proactive in respect of NPA Management and shall continue its effort to contain the percentage Gross NPA below 5.5% and Net NPA below 3.00% for Financial Year 2014-15.

The Bank is fully engaged in inclusive growth through various Financial Inclusion initiatives to reach 'the last mile' of economy. The **Direct Benefit Transfer (DBT)** programme of the government is being implemented in various districts out of which we are lead bank in eight districts. Further progress in these districts and in new districts will be made during the FY-2014-15. This programme paves the way for the Bank to canvass more CASA Deposits and also for Credit Expansion.

A Bank with 4573 branches as on March 2014, of which 2/3 rd of the Branches are in rural and semi urban areas and 3677 Ultra Small Branches shall continue to position itself as a **Retail Bank**. Your Bank shall be ensuring that the retail and priority sector portfolios grow much faster than they have been so far.

During the year, Government of India has awarded the second ranked "**National Award for Excellence in MSME Lending**" for the year 2012-13. Bank was conferred '**HR AWARD**' for 'Training Excellence' (Gold Award) by Greentech Foundation, Bank received second award in the category: Public – Service Sector (Large) for '**Excellence in Cost Management**' by Institute of Cost Accountants of India. Bank was conferred '**BEST FINANCIAL ADVISOR AWARD UNDER PSU CATEGORY**' by CNBC TV & UTI Mutual Fund and also received '**Greentech Safety Award – 2013**'. During BANCON 2013, Bank won Special Mention Award under the category '**Most Innovative Broad-based Product Offering**'. Bank has received Banking Excellence Awards in two categories viz. 1) **ECO– Technology Award – Runner Up** and 2) **Jury Award for New Initiatives** in a glittering function organized by Chamber of Indian Micro Small & Medium Enterprises. These accolades reflect how your Bank's efforts and initiatives are being perceived by one and all.

I am happy to present the Annual Report of the Bank for the year ended 31st March 2014.

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-
Rajeev Rishi

Place : Mumbai
Date : May 20, 2014

NOTICE

Notice is hereby given that the Seventh Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Monday, 30th June, 2014 at 11.00 A.M. at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/ Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (west), Mumbai, 400056 to transact the following business :

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2014, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2014, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Place: Mumbai
Date: 20.05.2014

Sd/-
A K DAS
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

NOTES:**1. APPOINTMENT OF PROXY:**

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on 25th June, 2014.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e., on or before 5.00 PM on 25th June, 2014.

3. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.**4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:**

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is enclosed with this notice. Shareholders/proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as "proxy or representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

5. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 25th June, 2014 (Wednesday) to 30th June, 2014 (Monday) (both days inclusive).

6. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

7. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

8. Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the Meeting.**9.1 Intimation to shareholders holding shares in physical form:**

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders,



we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

However, if you are still interested in holding the shares in physical form and not opting for demat, please provide us with the following Bank details to enable us to credit your Account with the dividend (as and when declared) directly.

- Name of the Bank
- Address of the Branch
- Bank Account Number
- 9 digit MICR code of the branch
- IFSC code of the Branch

(preferably, send us a cancelled cheque/ copy of a cheque leaf).

Please note that the bank Account should be in the name of the 1st holder of shares.

9.2 Intimation to shareholders holding shares in dematerialised form:

It is our constant endeavor to provide the best services to our valued shareholders. We observe that there are some shareholders who are holding shares in demat form but have not registered/updated their Bank account details with their Depository Participants (DPs) for getting Dividend amount directly credited to their Bank accounts. Accordingly, Dividend declared earlier, was paid to them by sending Dividend Warrant (DW) to the address maintained by them with Depositories.

It is worth noting that if such shareholders had registered / updated their Bank Account particulars with their DPs, the Dividend Amount would have been credited directly to their bank account thus, ensuring faster receipt of Dividend right on due date, saving time spent on receiving dividend warrant by post, no requirement for visiting bank for depositing the Dividend Warrant, non-apprehension of loss / theft of dividend warrant in transit or the likelihood of fraudulent encashment thereof.

We accordingly suggest these shareholders to register/ update their Bank Account details i.e. Bank Name, Branch Address, Account No., Account Type, Nine Digit MICR Code Number as appearing on cheque issued by their banks, with their Depository Participant with whom they are maintaining their Demat Account, to facilitate credit of dividend amount (as and when declared) directly to their Bank accounts right on due date. In addition to this, they may also send directly to the Bank or its RTA namely, Link Intime India Pvt. Limited abovesaid bank details with mandate to credit all future dividend amounts, refund amounts or other remittances, if any, to their bank accounts instead of sending any Dividend warrant, cheque, Demand Draft , etc.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend for any of the previous years are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent or the Bank for arranging payment thereof directly to their Bank A/c or for issue of duplicate dividend warrant/Demand Draft.

As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 205C of The Companies Act, 1956 and **thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.**

11. Voting through electronic means

- I. In compliance with clause 35B of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate e-voting.

The process and instructions for e-voting are as under :

- i) Open your web browser during the voting period and log on to the e-voting website www.evotingindia.com
- ii) Now click on "Shareholders" to cast your votes
- iii) Now, select the Electronic Voting Sequence Number – "EVSN" along with "CENTRAL BANK OF INDIA" from the drop down menu and click on 'SUBMIT'
- iv) Now, fill up the following details in the appropriate boxes:



User-ID	For Members holding shares in Demat Form:- a) For NSDL :- 8 Characters DP ID followed by 8 Digits Client ID b) For CDSL :- 16 digits beneficiary ID For Members holding shares in Physical Form:- • Folio Number registered with the Bank
Password	Your Unique password is printed on the Attendance Slip-cum-Entry Pass annexed to this Notice
PAN *	Enter your 10 digit alphanumeric PAN No. issued by Income Tax Department.

* Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use default number "CBIMB1234B" in the PAN field.

- v) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
 - vi) Members holding shares in Physical form will then reach directly to the voting screen.
 - vii) Members holding shares in Demat form will now reach Password Change menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of atleast one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@,#,\$,etc). Kindly note that this password is to be also used by the Demat holders for voting for resolution of any other Company/Entity on which they are eligible to vote, provided that Company/Entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
 - viii) You can also update your mobile number and e-mail ID in the user profile details of the folio which may be used for sending communication(s) regarding CDSL e-voting system in future. The same may be used in case the Member forgets the password and the same needs to be reset.
 - ix) If you are holding shares in Demat form and had logged on to www.evotingindia.com and casted your vote earlier for EVSN of any company/entity, then your existing login id and password are to be used.
 - x) For members holding shares in physical form, the password and default number can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
 - xi) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option 'YES/NO' for voting. Enter the number of shares (which represents number of votes) under YES/NO or alternatively you may partially enter any number in YES and partially in NO, but the total number in YES and NO taken together should not exceed your total shareholding.
 - xii) Click on the Resolution File Link if you wish to view the entire Notice.
 - xiii) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
 - xiv) Once you 'CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
 - xv) Corporate/Institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution / Authority letter etc. together with attested specimen signature(s) of the duly authorized signatory/(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer at email ID : pramodshah361@gmail.com with a copy marked to helpdesk.evoting@cdslindia.com. The scanned copy image of the above mentioned documents should be in the naming format "Corporate Name-EVSN."
- II. The e-voting period commences on 24th June, 2014 (10:00 am) and ends on 26th June, 2014 (5:00 pm). During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 23rd May, 2014, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. In case you have any queries or issues regarding e-voting, please contact helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - III. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date (record date) of 23rd May, 2014. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act , 1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
 - IV. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and the website of CDSL.
 - V. Shri Pramod S. Shah, Practising Company Secretary (Certificate of Practice Number 3804) has been appointed as



the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

- VI. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three (3) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.
- VII. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and on the website of CDSL within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange Limited.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Place: Mumbai
Date: 20.05.2014

Sd/-
A K DAS
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary



TOTAL BUSINESS

(₹ IN CRORES)

PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14
Total Business	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390
YoY Growth		35.48 %	18.10 %	23.49 %	15.43 %	11.63 %	15.96 %	5.25 %
Total Deposits	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069
YoY Growth		33.28 %	18.99 %	23.49 %	10.64 %	9.38 %	15.22 %	6.21 %
Total Loans & Advances	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321
YoY Growth		38.88 %	16.76 %	23.49 %	22.67 %	14.70 %	16.92 %	4.02 %
Investments	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384
YoY Growth		12.43 %	36.14 %	17.02 %	5.46 %	8.62 %	21.96 %	18.88 %
CD Ratio	64.62 %	67.34 %	66.08 %	66.08 %	73.27 %	76.83 %	77.97 %	76.36 %
Return on Assets	0.62 %	0.54 %	0.45 %	0.66 %	0.70 %	0.26 %	0.44 %	(0.47 %)

PROFITABILITY

(₹ IN CRORES)

PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14
Gross Income	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350
YoY Growth		30.94 %	31.17 %	19.73 %	19.47 %	24.62 %	14.52 %	11.99 %
Gross Expenses	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112
YoY Growth		38.10 %	34.18 %	16.38 %	18.35 %	27.60 %	14.81 %	13.54 %
Operating Profit	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238
YoY Growth		0.20 %	13.28 %	43.24 %	25.90 %	8.65 %	12.72 %	2.05 %
Net Profit	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)
YoY Growth		10.47 %	3.83 %	85.36 %	18.24 %	(57.43 %)	90.43 %	(224.43 %)
NIM (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73
Net Interest Income	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493
YoY Growth		(10.16 %)	0.22 %	14.23 %	109.27 %	(2.95 %)	11.01 %	13.16 %
Non Interest Income	476	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923
YoY Growth		66.31 %	35.26 %	62.15 %	(27.09 %)	10.28 %	19.50 %	15.35 %



DIRECTORS' REPORT 2013-14

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Audited statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2014.

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- ❖ Total Business of the Bank increased by ₹ 21118 crore to ₹ 423390 crore from ₹ 402272 crore in previous year, registering y-o-y growth of 5.25 per cent.
- ❖ Total Deposits increased by ₹ 14031 crore to ₹ 240069 crore, registering y-o-y growth of 6.21 per cent.
- ❖ Total Advances of the Bank grew by ₹ 7087 crore to ₹ 183321 crore, registering y-o-y growth of 4.02 per cent.
- ❖ Operating Profit increased to ₹ 3238 crore from ₹ 3173 crore in FY 2012-13, registering y-o-y growth of 2.05 per cent. However, the Bank incurred Net Loss of ₹ 1263 Crore in the financial year ended 31st March, 2014 due to higher provisions on NPAs.
- ❖ Capital Adequacy Ratio (as per Basel-II) stood at 11.96 per cent with Tier I at 8.12 percent as against 11.49 per cent in previous year. Capital Adequacy Ratio (as per Basel III) stood at 9.87 per cent with Tier I at 7.37 percent
- ❖ Net worth increased to ₹ 13918 crore from ₹ 13443 crore.
- ❖ Gross NPA of the Bank increased by ₹ 3044 crore to ₹ 11500 crore from ₹ 8456 crore in previous year. In percentage term Gross NPA increased to 6.27 per cent in FY 2013-14 from 4.80 per cent in last year.
- ❖ Net NPA increased to ₹ 6649 crore from ₹ 4988 crore in previous year. Net NPA percentage increased to 3.75 per cent from 2.90 per cent in previous year.
- ❖ Provision Coverage Ratio (PCR) increased to 50.68 per cent from 47.75 per cent in March 2013.
- ❖ Net Interest Margin (NIM) improved to 2.73 per cent from 2.65 per cent in FY 2012-13.
- ❖ Business per Employee reduced to ₹ 1025 lakh from ₹ 1067 lakh in previous year.
- ❖ Return on Assets (ROA) is negative for the financial year 2013-14 as the Bank incurred losses.
- ❖ Credit to Priority Sector increased to ₹ 68648 crore from ₹ 51259 crore in previous year, recording y-o-y growth of 33.92 per cent.
- ❖ Agriculture Advance of the Bank increased to ₹ 35382 crore from ₹ 24658 crore in FY 2012-13 registering y-o-y growth of 43.49 per cent.
- ❖ Under the micro credit & other (credit upto ₹ 50,000 per borrower), Bank has extended credit of ₹ 261 crore.
- ❖ Advances to Micro & Small Enterprises (MSE) increased to ₹ 21515 crore during the year under review from ₹ 17300 crore in previous year.
- ❖ During the year 65939 new Self Help Groups (SHGs) were formed, out of which 60278 SHGs have been credit-linked.
- ❖ Under the Government Sponsored Programmes, Bank has provided assistance to 31658 NRLM/SGSY beneficiaries, 13195 SJSRY beneficiaries & 7474 PMEGP borrowers during the year 2013-14.
- ❖ Bank has extended loan of ₹ 20953 crore to the borrowers belonging to the weaker section of the society.
- ❖ Education Loan grew by 16.09 per cent during the year and the total loan reached to ₹ 2980 crore.
- ❖ Bank has established 46 Rural Self Employment and Training Institute (RSETI) across India. During the year 2013-14, the RSETIs conducted 677 training programmes and imparted training to 18837 candidates. Out of this, 10550 (56%) trainees were linked to Bank's credit.
- ❖ At the beginning of the year, the Bank had 5 sponsored Regional Rural Banks (RRBs) covering 54 Districts with a network of 1799 Branches, out of which 2 RRBs were merged with other RRBs, sponsored by other Banks. As a result now we have 3 RRBs as on 31st March, 2014 in 3 States covering 46 Districts with a network of 1609 Branches.
- ❖ Under Financial Inclusion Bank has covered 4330 villages with population above 2000 and 6743 villages with population below 2000. Bank has covered all these villages through 5588 BC Agents. Bank has opened all its 3677 Ultra Small Branches. Bank has opened 92.27 lac Basic Saving Bank Deposit Accounts through BCs and Branches upto 31st March, 2014.

- ❖ The corporate credit of the Bank decreased to ₹ 97613 crore from ₹ 112067 crore in previous year registering y-o-y reduction of 12.90%.
- ❖ The retail credit grew by 29.73% from ₹ 22209 crore in FY 2012-13 to ₹ 28811 crore in FY 2013-14.
- ❖ Total earning from Bancassurance business is ₹ 26.65 crore with y-o-y growth of 8%.
- ❖ As on 31st March 2014, Bank has a network of 4573 branches, 29 Satellite Offices & 4 Extension Counters across the country.
- ❖ Bank has installed 3628 ATMs till 31st March 2014.

2. INCOME & EXPENDITURE

Details of income and expenditure for the period 2013-14 are given hereunder:

		₹ In Crores			
		31.03.2014	31.03.2013	Variation	%
1	INTEREST INCOME	24427	21861	2566	11.74
	- Advances	18620	16922	1698	10.03
	- Investments	5764	4779	985	20.61
	- Others	43	160	(117)	(73.13)
2	OTHER INCOME	1923	1667	256	15.36
3	TOTAL INCOME (1+2)	26350	23528	2822	11.99
4	INTEREST EXPENDED	17933	16123	1810	11.23
	- Deposits	16374	14940	1434	9.60
	- Others	1559	1183	376	31.78
5	OPERATING EXPENSES	5179	4232	947	22.38
	- Establishment	3537	2891	646	22.35
	- others	1642	1341	301	22.45
6	TOTAL EXPENSES (4+5)	23112	20355	2757	13.54
7	SPREAD (1-4)	6494	5738	756	13.18
8	OPERATING PROFIT (3-6)	3238	3173	65	2.05
9	PROVISIONS-NPA/INVST./OTHERS	4233	1853	2380	128.44
10	PROVISIONS FOR TAX	268	305	(37)	(12.13)
11	NET PROFIT	(1263)	1015	(2278)	(224.43)

- ❖ Interest Income grew by 11.74 per cent during the year
- ❖ Interest expenses on Deposits increased by 9.60 % to ₹ 16374 crore in March 2014 from ₹ 14940 crore in previous year.
- ❖ Expenses on employees increased by ₹ 646 crore during the year to ₹ 3537 crore from ₹ 2891 crore in previous year, which includes ₹ 140 crore towards provision for Wage settlement.

3. PROVISIONS

Details of Total Provisions of ₹4501 crore charged to the Profit and Loss Account during the year 2013-14 vis-a-vis previous year are detailed as under:

		(₹ in crore)		
		31.03.2014	31.03.2013	Variation
	Provisions for Standard Assets	(7)	91	(98)
	Provisions for NPAs	3989	1930	2059
	Depreciation/Provision on Investments	258	(163)	421
	Provisions for Taxes	268	305	(37)
	Others	(7)	(5)	(2)
	TOTAL	4501	2158	2343

4. PROFITABILITY RATIO

	(In percentage)	
	31.03.2014	31.03.2013
Cost of Deposits	7.24	7.42
Cost of Funds	7.37	7.53
Yield on Advances	10.79	11.14
Yield on Investments	7.84	7.61
Net Interest Margin	2.73	2.65
Cost Income Ratio	61.53	57.16

- ❖ The yield on advances was 10.79 per cent in 2013-14 and yield on investments was 7.84 per cent against 7.60 per cent in 2012-13.
- ❖ Net Interest Margin increased to 2.73 per cent from 2.65 per cent in previous year.
- ❖ Cost to Income Ratio increased from 57.16 per cent in 2013 to 61.53 per cent in the year under review.

5. BANKING RATIOS

	(In percentage)	
	2013-14	2012-13
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	9.18	9.46
Non-Interest Income to AWF	0.72	0.72
Operating Profit to AWF	1.22	1.37
Return on Average Assets	--	0.44
Business Per Employee (₹ in lakh)	1025	1067
Net Profit per Employee (₹ in lakh)	--	2.83

6. CAPITAL TO RISK WEIGHTED ASSETS RATIO (CRAR)

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2014		31.03.2013	
	Basel-II	Basel-III	Basel-II	Basel-III
Tier-I	8.12	7.37	8.09	Not Applicable
Tier-II	3.84	2.50	3.40	Not Applicable
Capital Adequacy Ratio	11.96	9.87	11.49	Not Applicable

7. NET LOSS

The Bank has incurred loss amounting to ₹1263 crore during the financial year March 31, 2014. Board of Directors has not recommended any dividend on equity shares and Perpetual Non cumulative Preference Shares due to the net loss incurred by the Bank during the Financial Year ended 31st March, 2014.

8. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

- ❖ Shri S B Rode was appointed as Officer Employee Director w.e.f 02.04.2013.
- ❖ Shri Gurbax Kumar Joshi was appointed as Workmen Employee Director w.e.f 10.07.2013.
- ❖ Dr. K P Krishnan was appointed as Government Nominee Director of the Bank w.e.f 26.07.2013 in place of Shri Alok Tandon who ceased to be the Government Nominee Director on 25.07.2013.
- ❖ Shri Rajeev Rishi was appointed as Chairman & Managing Director of the Bank w.e.f 01.08.2013 in place of Shri Mohan V Tanksale who ceased to be the Chairman & Managing Director on 31.07.2013.
- ❖ Shri Animesh Chauhan was appointed as Executive Director of the Bank w.e.f 05.08.2013.
- ❖ Shri Malay Mukherjee ceased to be the Executive Director w.e.f 11.12.2013.
- ❖ Smt N S Rathnaprabha was appointed Part Time Non-official Director w.e.f 19.12.2013.



- ❖ Shri B K Divakara was appointed as Executive Director of the Bank w.e.f 23.01.2014.
- ❖ Dr. Saurabh Garg was appointed as Government Nominee Director of the Bank w.e.f 19.02.2014 in place of Dr. K P Krishnan who ceased to be the Government Nominee Director on 18.02.2014.
- ❖ Shri Shekhar Bhatnagar was appointed as RBI Nominee Director of the Bank w.e.f 13.03.2014 in place of Shri Salim Gangadharan who ceased to be the RBI Nominee Director on 12.03.2014.

The Board places on record its appreciation of valuable contribution extended by Shri Alok Tandon, Shri M V Tanksale, Shri Malay Mukherjee, Dr. K P Krishnan and Shri Salim Gangadharan who ceased to be the directors of the Bank during Financial Year 2013-14.

9. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2014;

- ❖ The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;
- ❖ The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied;
- ❖ Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year ended March 31, 2014;
- ❖ Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India ; and
- ❖ The accounts have been prepared on a going concern basis.

10. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of the Bank is committed to adapt Corporate Governance practices in letter and spirit. The Bank has adopted well documented system and practice on Corporate Governance.

11. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and the Security Exchange Board of India for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its customers and shareholders. The Board wishes to place on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai
Date : May 20, 2014

Sd/-
Rajeev Rishi
Chairman & Managing Director



MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Part A: ECONOMIC SCENARIO

Global Developments

- ❖ The world economy experienced subdued growth for a second year in 2013-14. The euro area has finally ended in a protracted recession. Growth in the United States strengthened to some extent. A few large emerging economies, including China and India, managed to backstop the deceleration they experienced in the past two years and veered upwards moderately.
- ❖ The International Monetary Fund (IMF) has estimated that the global economy is expected to grow at a pace of 3.6 per cent in 2014 and 3.9 per cent in 2015, compared to an estimated growth of 3.0 per cent for 2013. In advanced economies, growth is expected to increase to about 2¼ percent in 2014–15, an improvement of about 1 percentage point compared with 2013. In emerging market and developing economies, the growth is projected to pick up gradually from 4.7 percent in 2013 to about 5 percent in 2014 and 5¼ percent in 2015.
- ❖ The risks associated with a possible bumpy exit from the quantitative easing programs by the U.S Federal Reserve (Fed) threaten the global economy. As already seen somewhat during the summer of 2013, efforts by the Fed to pull out of quantitative easing programs could lead to a surge in long term interest rates in developed and developing countries. Tapering could also lead to a sell-off in global equity markets, a sharp decline of capital inflows to emerging economies leading to increased fluctuation in Forex Market and depreciation of currencies of emerging economies.

Domestic Economy

1. Gross Domestic Product (GDP) Growth

India's economic performance has been weaker than expected, resulting in a downward revision of the country's growth forecast for FY 2013–2014. Slower growth, high inflation, and rising fiscal deficit are posing significant challenges to its troubled economy.

- ❖ As per the Advance Estimates of the Central Statistical Organisation (CSO), India's GDP growth is estimated to be at 4.9 % in FY 2013-14 as compared to 5.0 % growth registered in 2012-13.
- ❖ The 'agriculture, forestry and fishing' sector growth is estimated of 4.6 per cent in its GDP during 2013-14, as against the previous year's growth rate of 1.4 per cent.
- ❖ The estimated growth in the 'manufacturing' 'mining and quarrying', 'electricity, gas and water supply', and 'construction' is estimated to be (-) 0.2 per cent, (-) 1.9 per cent, 6.0 percent and 1.7 per cent, respectively, during 2013-14 as compared to growth of 1.1 percent, (-) 2.2 per cent, 2.3 per cent and 1.1 per cent, respectively, in 2012-13.
- ❖ The estimated growth in GDP for the Service Sector (trade, hotels, transport and communication sectors) during 2013-14 is placed at 3.5 per cent as against growth of 5.1 percent in the previous year.

2. Inflation

- ❖ The annual rate of inflation, based on monthly WPI, stood at 5.70% (provisional) for the month of March, 2014 (over March, 2013) as compared to 4.68% (provisional) for the previous month and 5.65% during the corresponding month of the previous year.
- ❖ Indian annual consumer prices accelerated in March for the first time in four months to 8.31 percent, up from a revised 8.03 percent in February, driven by higher food prices.
- ❖ Historically, the wholesale price index (WPI) has been the main measure of inflation in India. However, in 2013, the Governor of The Reserve Bank of India Raghuram Rajan had announced that the consumer price index is a better measure of inflation.

3. External Sector

- ❖ During 2013-14, exports touched US\$ 312.4 billion thus registering a growth of four per cent as compared to a decline of 1.8 cent during 2012-13. Exports of Gems & Jewellery declined by 6.8% due to decline in prices of precious metals. Nevertheless, this remained short of the export target of US\$ 325 billion for the 2013-14.
- ❖ Commodity imports dropped to US\$ 450.9 billion during 2013-14. This translated into a decline of 8.1 per cent during 2013-14 compared to growth moderation during 2012-13.



- ❖ During the first three quarters of 2013-14, merchandise exports expanded 5.9 per cent while imports declined 5.3 per cent. Consequently, trade deficit shrank 22.1 per cent from US\$ 150 billion during April-December 2012-13 to US\$ 116.9 billion during April-December 2013-14.
- ❖ The current account deficit (CAD) narrowed sharply to US\$ 31.1 billion against US\$ 70 billion in the previous comparable period.

4. Monetary Developments

- ❖ RBI's policy stance is firmly focused on keeping the economy on the disinflationary glide path which was suggested by the Dr. Urjit Patel committee whereby the economy is intended to touch 8% retail inflation by January '15 and 6% by January '16.
- ❖ RBI maintained the benchmark Repo rate at 8.00% in its First Bi-Monthly Monetary Policy Statement, 2014-15.
- ❖ In its Bi- Monthly Monetary policy Statement, 2014-15, RBI kept Policy repo rate under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) unchanged at 8.0%. The liquidity provided under 7-day and 14-day term repos is increased from 0.5% of NDTL of the banking system to 0.75%, and the liquidity provided under overnight repos under the LAF is decreased from 0.5% of bank-wise NDTL to 0.25% with immediate effect.

5. Developments in Banking Industry

- ❖ The asset quality of banks has been deteriorating for the past two years as economic growth slipped to its lowest level in a decade while inflation and interest rates remained high. Gross bad loans have spiked to nearly four per cent of total lending from 2.36 per cent three years ago.
- ❖ RBI has extended the timeline for full implementation of Basel III capital regulations to March 31, 2019. Therefore Banks got some time to raise capital within the internationally agreed timeline for full implementation of the Basel III capital regulations.
- ❖ The banking system's restructured assets are at an alarmingly high level of more than six per cent. As per RBI data, the y-o-y deposit growth till March 7 was 15.6% vis-à-vis 13.1% a year before; whereas credit growth was 14.7% vis-à-vis 15.4 % earlier.
- ❖ RBI has allowed securitisation and reconstruction companies to utilize a part of the funds raised under a scheme from the Qualified Institutional Buyers (QIBs) for restructuring of financial assets acquired by them.

Part B – PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

As on 31st March 2014, the total business of the Bank was ₹423390 crore, registering a growth of 5.25 per cent from the previous year figure of ₹4,02,272 crore. The operating profit reached to ₹3238 crore from previous year figure of ₹3173 crore, marking a growth of 2.05 per cent. The Bank has posted net loss of ₹1263 crore in 2013-14 as against ₹1015 crore profit in previous year.

RESOURCE MOBILISATION

The total deposits as on March 31, 2014 stood at ₹240069 crore, registering a growth rate of 6.21 per cent over previous year. Savings bank deposits increased to ₹66474 crore in 2013-14 from ₹59090 crore in last year. However current deposits decreased to ₹13537 crore in 2013-14 from ₹14491 crore in 2012-13. The share of casa deposits to total deposits was 33.33 per cent. Total core deposits increased to ₹187164 crore in 2013-14 with y-o-y growth of 9.48 per cent from ₹170953 crore in 2012-13 whereas core term deposits grew by 10.53 per cent to ₹107624 crore in 2013-14 from ₹97372 crore in 2012-13.

CREDIT

As of 31.03.2014, the gross credit of the Bank stood at ₹183321 crore as against ₹176234 crore in the previous year, registering y-o-y growth of 4.02 per cent. The growth in credit is diversified in all segments as under:

₹ in crore

	As on 31.03.2013	As on 31.03.2014	Growth (%)
Corporate Credit	112067	97613	(12.90)
Agriculture	24658	35382	43.49
MSE	17300	21515	24.36
Retail Lending	22209	28811	29.73

CREDIT MONITORING DEPARTMENT



- ❖ Bank has introduced a well-defined Monitoring Policy, containing detailed guidelines on SMA (Special Mention Accounts) Management which encompasses all areas of SMA management, Early Warning Signals, Monitoring & Follow-up Measures and Reporting System.
- ❖ The policy was approved by the Board in May 2011 and implemented across the Bank with effect from 1st July 2011. During 2013-14 several modifications were built into the policy to accentuate focus on priority areas. The policy was reviewed last in March 2014.
- ❖ An independent vertical under an independent charge of Chief General Manager/ General Manager has been created for Credit Monitoring w.e.f. 1st August 2011.
- ❖ As per Monitoring Policy guidelines, Monitoring Committee has been formed at Central Office level as well as at the field level at all Zonal/Regional Offices and Corporate Finance Branches, to review and monitor Standard irregular/ SMA accounts every month and entire gamut of credit monitoring is reviewed only on monthly basis in a structured manner.
- ❖ Several workshops have been conducted for field functionaries including Deputy Regional Managers/Loan Review Officers with a view to develop monitoring skills/awareness.
- ❖ Locational Meetings were conducted at different Regional Offices/Zonal Offices and/or video conference held with the SMA borrowers to chalk out strategies for asset quality management of the stressed accounts.
- ❖ The Bank has also implemented Centralized Loan Appraisal System & Supervision (CLASS) Monitoring Module software for monitoring Corporate, SME, Retail and Priority Sector advances on real-time basis.
- ❖ Steps have also been initiated for offsite monitoring surveillance mechanism to ensure intensive credit monitoring.
- ❖ Pre-release audit for fresh/enhancement of ₹10 crore and above advances is introduced and credit audit for fresh/enhancement of ₹1 Crore and above advances within 30 days of disbursement is introduced.
- ❖ CIBIL consumer and commercial data acceptance level has improved to 78% and 92% respectively during the year.
- ❖ The Bank has also submitted point-wise compliance to all the earlier Annual Financial Inspection (AFI) Reports and the AFI Reports up to 2012 are closed and all the observations of AFI 2013 have been replied to.

PRIORITY SECTOR CREDIT

As per RBI directives, 40% of adjusted net bank credit or credit equivalent amount of off-balance sheet exposure, whichever is higher, is to be lent to priority sector. Lending under this sector is therefore, the thrust area of the Bank. We have focused on the growth in lending to Agriculture, MSE, Housing, Education and others which are the major constituents of Priority Sector. As a result, our growth under Priority Sector lending has been quite impressive.

The performance of the Bank under various segments of priority sector as on 31.03.2014 is as under:-

₹ In crore


S No.	Particulars	March 2013	March 2014	Growth (%)
	Adjusted Net Bank Credit (ANBC)	151116	179152	
1	Priority Sector Advance Percent to ANBC	51259 33.92	68648 38.32	33.92
2	Total Agriculture Advance Percent to ANBC	24658 16.31	35382 19.75	43.49
3	Direct Agriculture Advances Percent to ANBC	19849 13.13	24388 13.61	22.87
4	Indirect Agricultural Advances Percent to ANBC	4809 3.18	10994 6.14	128.61
5	Micro & Small Enterprises	17300	21515	24.36
6	Education Loan	2525	3072	21.66
7	Housing Loan (upto ₹25.00 lacs)	6545	8418	28.62
8	Micro Cr. & other	240	261	8.75
9	Medium (Mfg.) Enterprises under PS	-	3	-
10	Medium (Serv.) Enterprises under PS	-	35	-

PRIORITY SECTOR

The credit deployment under priority sector increased from ₹51,259 crore to ₹68,648 crore during 2013-14, recording a growth of 33.92% over previous year.




₹ in crores



AGRICULTURE

Total Agricultural credit increased by 43.49% from the level of ₹24658 crore as on 31.03.2013 to ₹35382 crore as on 31.03.2014. The percent of agricultural credit to adjusted net bank credit (ANBC) also increased from 16.31% to 19.75% during the year.

₹ in crores



INITIATIVES TAKEN TO ACCELERATE FLOW OF CREDIT TO AGRICULTURAL SECTOR:

Special Credit Campaigns:

- ❖ Calendar for organizing Credit camps was finalized and conveyed to the Regions and Branches. All the Rural and Semi-urban branches organised minimum one Mega Credit camp each month to canvass and sanction new agricultural loans.
- ❖ A Special Campaign “Krishak Ke Dwaar” was also launched from 03.10.2013 to 31.12.2013 in all the Rural and Semi-urban branches to contact farmers and canvass new agriculture loan accounts. During the campaign, agricultural loans worth ₹1113 crores were sanctioned and disbursed to 120464 new borrowers.

New Products Launched:

- ❖ Cent Agri Farmhouse Scheme
- ❖ Cent Vermi Compost Scheme
- ❖ Cent Dairy Scheme



Strategy for increasing advance against Warehouse Receipt:

- ❖ Special targets allotted to Regions for financing against warehouse receipts.
- ❖ MoU with Central Warehousing Corporation, Maharashtra State Warehousing Corporation & National Collateral Management Services Limited for financing against their Warehouse Receipts was executed.
- ❖ Exposure ceiling of the Regions was enhanced for financing under the Scheme.

Additional Manpower Support:

- ❖ 751 new AFOs were recruited during the year. All the rural and semi-urban branches are now provided AFOs.
- ❖ To enlighten them with our products and systems & procedures Training Programmes for all the AFOs were conducted which equipped them with necessary tools for discharging their duties with confidence and ease.

Web Portal/Intranet Portal/Class Module

- ❖ Gist of all Agri. loan Schemes were updated on bank's website for the public.
- ❖ On-line application for agricultural loans has also been made available.
- ❖ Centralized Loan Appraisal Sanction & Supervision (CLASS) module has been further amplified. Now, 16 products can be processed in the module for smooth and fast disposal of Loan cases by branches.
- ❖ All the Schemes and other necessary guidelines have been updated and issued in the form of Master Circulars on 01.01.2014 and the same has also been uploaded on bank's intranet site.

MICRO CREDIT

The Bank has extended credit of ₹261 crores to 42,560 beneficiaries where the loan amount sanctioned was up to ₹50,000/- per borrower.

SELF HELP GROUPS

During the year 65939 groups were formed by the Bank out of which, 60278 groups have been credit-linked. Total 145296 groups exist as on 31st March, 2014 out of which, 89974 are credit linked with total outstanding of ₹879.17 crores. Out of the credit-linked groups, 78769 are women SHGs with total sanctioned limits of ₹733.57 crore which comes to 83.44% of total credit linked groups.

Performance under Lead Bank.

- ❖ We have the Lead Bank responsibility in 50 districts spreading in seven States viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(10), Maharashtra(7), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Rajasthan(3) and Chattishgarh(4). More than 50% and about 25% of our total branches are located in these States and Lead Districts respectively.
- ❖ For effective implementation of Lead Bank Scheme, the office of Lead District Managers has been sufficiently equipped and empowered with right kind of staffing supplement and infrastructure like independent/good premises, vehicle, computers/laptops (with skype installed) & printers, telephone, internet connections, e-mail id, mobile, fax, establishing websites.
- ❖ To make the public/masses aware of various products of bank, we have displayed some products relating to Kisan Credit Card, Central Artisan Credit Card, Swabhiman/Aadhar etc. relevant to the rural masses on the vehicle provided to LDMS.
- ❖ The overall achievement under Annual Credit Plan by our branches is 99% comparing to the achievement of 82% by all banks in Lead Districts.
- ❖ We also hold periodic Review Conference of LDMS at Central Office level to review the performance under various areas of functioning.
- ❖ We have started implementing a Special Incentive/Reward Scheme on Annual Performance basis, to reward the performing Lead District Managers every year by way of presenting trophy and cash incentive.
- ❖ We have selected one village in each Lead District for inclusive growth through empowerment, training skill development of youth and credit linkages. All developmental activities like complete implementation of Financial Literacy/Financial Inclusion Programmes, Training unemployed rural youth in RSETIs, Formation of SHG/Farmers Club/JLG, Lending activities have been implemented to bring complete socio-economic change. This is being replicated in other selected villages also in lead districts.


State Level Bankers Committee:

- ❖ Our bank is the convener of SLBC in the State of Madhya Pradesh. During the year 2013-14, five regular SLBC meeting were held to review and monitor the progress made in the State under various parameters including Government sponsored programmes by different agencies.
- ❖ Our vision for the State is “An all-round and all-inclusive development of the State through which the life of citizens can become prosperous and they should have opportunities for putting in their best efforts according to their potential and contributing to the nation's development”.
- ❖ We are the pioneer to hold Review Conference/Workshop of all Lead District Managers of the State to discuss various strategies to achieve the target of ACP, action plan relating to implementation of Financial Inclusion and integrating their roles & responsibilities in achieving the objectives.
- ❖ We are the first bank to enter in to MOU with State Govt. under Chief Minister Rural Housing Scheme.
- ❖ Despite various adversities in some of districts, the CD Ratio of the State has been above 60%.
- ❖ All sub service area allotted to the banks have been covered through a banking outlet like Branch, BCA or CSC.

GOVERNMENT SPONSORED PROGRAMME (2013-14)

During the year, the Bank has sanctioned loan under different Government sponsored programme as under :

(₹ in crore)

Sr.No.	Scheme	Disbursement during 2013-14	
		A/c.	Amount
1	NRLM / SGSY	31658	304.21
2	SJSRY	13195	201.64
3	PMEGP	7474	155.63

ADVANCES TO WEAKER SECTIONS

During the year, the Bank has extended loans of ₹20953 crore to various categories of weaker sections which constitutes 11.70% of ANBC, which is above the target (10%) envisaged by Government.

ADVANCE TO MINORITY COMMUNITIES

Bank has extended various loan facilities amounting to ₹8,988 crores to 6,69,940 beneficiaries, belonging to different Minority communities which accounts for 13.09% of Priority Sector lending as on 31.03.2014.

ADVANCES TO WOMEN BENEFICIARIES

Credit disbursement to women beneficiaries has improved over the past year from ₹7,587 crores to 679418 beneficiaries to ₹11,313 crores to 6,52,446 women beneficiaries. This is 6.31% of ANBC, well above the norms of minimum 5% of ANBC stipulated by RBI.

DIFFERENTIAL RATE OF INTEREST (DRI)

Advances under DRI scheme were ₹25.85 crores on 31st March 2014.

CENTRAL KISAN CREDIT CARD (CKCC)

Bank has issued Kisan Credit Cards to 16,86,900 beneficiaries till 31st March 2014 with total outstanding of ₹14,499.39 crore.

RUPAY KCC DEBIT CARDS LAUNCHED:

On 21st December 2012, our first ATM enabled Rupay KCC card was launched by Hon'ble Finance Minister of India at New Delhi. Till 31st March 2014, Rupay KCC debit Cards have been issued to 484855 eligible CKCC account holders which is 86% of the total eligible KCC account holders.

Financial Literacy and Credit Counseling Centre (FLCC)

- ❖ We have opened 50 FLCCs in 7 States viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(10), Maharashtra(8), Uttar Pradesh(5), West Bengal(4), Rajasthan(3) and Chhattisgarh (2).
- ❖ All these centres have conducted outdoor visits to 5343 villages extending literacy/counselling to 319110 persons. Both mass campaigning and individual counselling are being done.



- ❖ Bank has provided them vehicle fitted with Public Address System and LCD for displaying various products/schemes being launched by banks for bringing awareness among the masses and opportunities to them for availing benefits to uplift their economic status and standard of living. Besides, we provide literacy material, kits, books etc while extending counselling as also visiting villages.

Rural Self Employment Training Institutes

- ❖ Bank has established 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1).
- ❖ During the year 2013-14, the RSETIs conducted 677 training programmes and imparted training to 18837 candidates. Out of this, 11490 (61%) trainees were linked to bank's credit.
- ❖ The bank has been awarded "Centre of Excellence" by Ministry of Rural Development, Govt. of India for playing proactive role in establishing RSETIs in the country.
- ❖ On the eve of 102nd Foundation Day of our bank, we have initiated unique step and laid foundation stone of 21 RSETI centres to have our own Building for Training and Hostel for Rural entrepreneurs. Construction work is in progress at 13 centres. 4 RSETI buildings construction will be completed by 30/09/2014.

Other Initiatives

- ❖ Our bank has established one Society/Trust in the name of "Central Bank of India Samajik Utthan Avam Prashikshan Sansthan (CBI-SUAPS)" to control & supervise the operations and functioning of RSETIs and FLCCs.
- ❖ We have formed Governing Council at Apex Level with Chairman & Managing Director as Patron, Executive Director as President and General Managers as members for overall control and supervision of the affairs & functions of RSETIs and FLCCs.
- ❖ We have engaged a retired General Manager having vast experience and exposure in the Agriculture & Rural Development, to act as Chief Executive Officer-RSETI/FLCC at apex level.
- ❖ We have started engaging retired senior bank officials with requisite competencies to act as Director, RSETI and Counselor, FLCC with adequate man power support.
- ❖ Local Advisory Committee and Training Committee have been formed at District level with the representatives from all local development bodies.
- ❖ We have developed a model plan common to all 46 RSETI for construction of building. Process for creation of web based data of beneficiaries to keep track on the status of self employment of RSETI trainees.
- ❖ Regular Conclave of Directors being held for review as well as interacting with them for better functioning.


Achievements during the year :

- ❖ Deposit has been increased from ₹14549.47 Cr. as on March 2013 to ₹ 16425.15 Cr registering annual growth of 12.89 %.
- ❖ Advance has been increased from ₹7942.43 Cr. as on March 2013 to ₹ 9341.435 Cr registering annual growth of 17.61 %.
- ❖ Gross NPA has been decreased from ₹560.57 Cr. as on March 2013 to ₹ 554.14 Cr registering annual reduction of 1.15 %.
- ❖ Net Profit has been increased from ₹66.90 Cr. as on March 2013 to ₹90.84 Cr registering annual growth of 35.78 %.
- ❖ Over 1.57 lakh ATM / Debit cards have been issued to SB customers.
- ❖ Over 36 thousand KCC Rupay Cards / Debit cards have been issued to farmers.
- ❖ Uttar Bihar GB has opened 18 FLCCs at other than district HQ centers.
- ❖ Various targets under FI have been achieved by all RRBs with covering of villages by opening of CSPs / appointing BCs. DBT transactions are also started with seeding of Aadhar cards.

FINANCIAL INCLUSION (FI)


- ❖ Bank has covered 4330 villages with population above 2000 and 6743 villages with population below 2000. Bank has covered all these villages through 5588 BC Agents. We have also opened 215 Branches in unbanked rural centres.
 1. Bank has opened all its **3677** Ultra Small Branches attached to **1427** Base Branches.
 2. We have opened **17** Urban Financial Inclusion centres in NCR region and 9 in Bhopal Region.

3. No. Of Transactions:




Transactions in FI Accounts opened through BCs have increased to 31.65 lacs in FY 2013-14 from 22.42 lacs in FY 2012-13 (YoY growth of 41.17%)

4. Amount of transactions:



Amount of transactions in FI Accounts opened through BCs have increased to 338.86 Crores in FY 2013-14 from 154.39 Crores in FY 2012-13 (YoY growth of 119.48%)


5. Business through BCs:



Business through BCs increased from ₹ 24.67 crores on 31 March 2013 to ₹ 74.99 Crores on 31 March 2014: an increase of 204%



6. **Account Opening:**



No. of accounts opened through BCs increased from 37.3 lacs on 31 March 2013 to 51.00 lacs on 31 March 2014 : **increase of 36.73%**

7. Bank has opened 92.27 lacs Basic Saving Bank Deposit Account (BSBDA) accounts through its BCs and Branches. Total balance in these accounts is 445.58 crores
 8. All our FI accounts have been migrated to Bank's CBS.
 9. 70% of customer's Finger Prints are on Central Biometric Authentication server of Bank
- ❖ We have launched four basic financial products stipulated by RBI for FI customers viz. Cent Bachat khata, Cent Vikas khata, Cent Smart Kisan Credit Card, Cent Variable Recurring Deposit Scheme. We are also offering full KYC products Basic Saving Banks Deposit account viz. Cent Vaibhav and Cent Unnati.
 - ❖ Bank engaged CSC e-Governance Services India Ltd. for implementation of Financial Inclusion. 14 Technology Service Providers are also working for Financial Inclusion.

DIRECT BENEFIT TRANSFER

- ❖ Under DBT, we are lead bank in eight districts Hoshangabad (MP) , Amravati (MH), Cooch Behar (WB), Etawah (UP), Jalgaon (MH), Jabalpur (MP), Koriya (Chattisgarh) and Kota (Rajasthan)
- ❖ Out of 4.43 lacs DBT beneficiaries list received from the Government, accounts of all 4.43 lacs (100%) beneficiaries have already been opened by the bank.
- ❖ No. of Accounts seeded with Aadhaar has increased from 2.24 lacs on 31 March 2013 to 27.5 lacs as on 31 March 2014 (Growth more than **12.23 times**)
- ❖ No. of DBT/L transfers through the Bank (APBS) has increased from **15,148** as on 31 March 13 to **22,10,883 as on 31 March14.** (Growth **more than 144.9 times**)
- ❖ Amount of DBT benefits transferred through the Bank has increased from ₹ **75.8 lacs** as on 31 March 13 to ₹ **141.71 crores as on 31 March14.**
- ❖ A total of more than 1.15 crore Aadhaar have been generated for our Bank, out of which 43.46 lac Aadhaar generated in the FY (2013-14).



FINANCIAL INCLUSION INITIATIVES :

- ❖ **Aadhaar Payment Bridge System (APBS):** Direct Cash Transfer to beneficiary accounts based on Aadhaar number has been implemented
- ❖ **Aadhaar Enabled Payment System (AEPS):** AEPS transactions are being carried out by our FI vendors through Micro ATMs.
- ❖ **Kiosk based FI Model:** A process for implementation of Kiosk FI Model is initiated by the Bank. This will provide our rural customer with services like Funds Transfer, Balance enquiry, Mini Statement, AEPS etc. The services will be provided through Common Service Centers (CSC) & the system provider is M/s TCS.
- ❖ **Aadhaar seeding** and linking started with several options **1)** Branch CBS system **2)** Bulk upload from branches. **3)** Using RASF **4)** Internet Banking **5)** Through ATMs. At present bank has more than 27.5 lakh Aadhaar numbers seeded and linked in CBS and updated with NPCI mapper.
- ❖ 9 out of 15 TSPs have AEPS ONUS enabled.
- ❖ Alert sent through SMS/E-mail on successful seeding of Aadhaar
- ❖ E-Aadhaar generated through RASF tool on receiving enrolment id details from branch through mail
- ❖ Started reverse migration of accounts to BC centres from Branches in order to de-clutter the Branches and increase their productivity.

RETAIL CREDIT

Total outstanding under Retail Lending Schemes increased from ₹ 22209 crore as on 31.03.2013 to ₹ 28811 crore as on 31.03.2014, registering quantum growth of ₹ 6602 crore and percentage growth of 29.73% over March 2013. The retail portfolio of the Bank was 15.72 per cent of total advances.

	31/03/2012	31/03/2013	31/03/2014
RETAIL CREDIT	16915	22209	28811
TOTAL CREDIT	150725	176234	183321
% OF TOTAL CREDIT	11.22%	12.60%	15.72%


DEPARTMENT INITIATIVES
i. Products/ Services

- ❖ Presently under retail lending our Bank are having 22 running products/ schemes out of which the major products are Cent Home, Cent Vehicle, Cent Vidyarthi, Cent Mortgage, Cent Trade, Cent Sahyog, Cent Personal Gold Loans, Personal Loans, Reverse Mortgage products.
- ❖ To keep pace with the Industry standards and the peer Banks and to meet the diverse financial demand of the customers our department is continuously modifying and revamping the existing retail lending schemes. The detail are as under:-



Scheme	Modification in scheme from 31/03/2013 to 31/03/2014
Cent Home Loan	<ol style="list-style-type: none">Margin - Loans upto ₹20 lakh - 10%Margin - Loans above ₹20 lakh and upto ₹75 lakh – 20%Margin – Loans above ₹75 lakh – 25%Release of loans directly to borrowers for construction – Limit upto ₹30 lakh.Loans to NRI / PIO Cardholder and OCI with Foreign Passport.
Cent Vehicle	<ol style="list-style-type: none">Maximum Quantum of Loan for new 4 Wheelers increased upto ₹ 50.00 Lakh irrespective of Indian Made or Foreign Made Vehicle.Stipulation of maximum age limit up to 65 years for applying for the vehicle Loan.Repayment period maximum upto 84 months or borrower reaching the age of 70 years whichever is less.For borrowers above the age of 60, co-borrower must be taken.For Purchase of Four Wheeler (Old & New) Gross Annual income should not be less than ₹ 2, 40,000/- and for 2 Wheeler Gross Annual Income should not be less than ₹ 1, 20, 000/- .and having satisfactory repayment capacity.
Cent Mortgage	<ol style="list-style-type: none">Classification of proposals under Cent Mortgage Scheme into two separate parts ✓ Cent Mortgage – Individual/ Jointly (Priority/ Non Priority) – Max. ₹ 2 Crores ✓ Cent Mortgage – Other than Individual (Priority) – Max. ₹ 5 CroresLoan against mortgage of immovable property located in only those Ruralcenters having clear mortgagee property for other than Agricultural purpose.Minimum age for applying for loan is 21 years and Maximum age is 60 years for salaried class and 65 years for others.The Minimum Gross Annual Income for Individual borrowers has been increased to ₹ 2, 00, 000/- from ₹ 1, 20, 000/-.For Individual/ Jointly Maximum Quantum of Loan is stipulated at ₹ 50 Lakhs for properties located in Rural Area and ₹ 200 Lakh in other areas.Similarly, for other than Individuals Maximum Quantum of Loan should not exceed ₹ 50 Lakhs for properties located in rural area and ₹ 500 Lakhs for other areas.Processing charges has been revised as under: TL=0.50% of loan amt.(max.40000) O/D=0.50% of loan amt. (Max. 20000) per renewal 5000
Cent Personal Gold Loan Scheme	<ol style="list-style-type: none">Maximum limit of loan per gram for ornaments increased to ₹ 2000 from ₹ 1500Maximum limit of loan per gram for gold coins of our Bank increased to ₹ 2100 from ₹ 1600
Cent Trade	<ol style="list-style-type: none">Introduction of customer rating based Interest Rate. Both existing and new accounts under Cent Trade Scheme will be given a score and based on the score band Rate of Interest will be fixed ranging from BR + 2.25% to BR + 3.00%.Quantum of Loan - New Units upto 2 year old maximum ₹ 10 Lakh. Units which are in operation/ business for more than 2 years – Maximum ₹ 500 Lakh.Property already mortgaged to Bank for any other retail loans may be accepted as security if the existing loan account is regular for at least 1 year and the property has sufficient residual value to cover the new loan under this scheme as well as total exposure with required Loan to Value ratio (security margin).Valuation - Property value upto ₹ 10 Crores, valuation report to be obtained from a single valuer. The valuation amount arrived at by the valuer should be agreed upon/ accepted by the Branch Manager specifically in the process note.Inspection of Unit at the time of sanction and thereafter every year on random basis with an element of surprise to ensure end use of funds.

Cent Rental	<p>For Individuals:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obtaining an undertaking from the borrower stating that the funds lent out has been utilized for the specific purpose for which the facility has been availed. If during any post sanction inspection it is found that the borrower has misutilised the funds, then Bank at its sole discretion may initiate any legal action or withdraw the limits. <p>For Other than Individuals</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The borrower will exclusively deal with our Bank for that particular business activity for which the loan is availed under Cent Rental. 2. Submission of financial statements every year at the time of review. 3. Inspection of Unit at the time of sanction and thereafter every year on random basis with an element of surprise to ensure end use of funds. 4. Obtaining an undertaking from the borrower stating that the funds lent out has been utilized for the specific purpose for which the facility has been availed. If during any post sanction inspection it is found that the borrower has misutilised the funds, then Bank at its sole discretion may initiate any legal action or withdraw the limits.
--------------------	--

ii. **Introduction of Deviation Policy:-**

- ❖ The objective of introduction of deviation policy is to accommodate a good and deserving customer so that Bank should not lose its image for not sanctioning good proposals by accommodating genuine variations on certain parameters than stipulated in normal scheme in scenario of customization of products in line with customer needs.
- ❖ Before deviation policy, Our worth EDs and CMDs was empowered to approve deviation in Retail scheme. Now this power has given to HLLC-2 and CACB

iii. **Withdrawal of select Retail Loan Products.:**

Looking to high impairment / low off take, the following retail lending schemes has been withdrawn:-

1. Cent Computer
2. Personal Loan to Commission Agents of LIC
3. Cent School
4. Cent-Comp Examination

iv. **Technological Initiatives & Business Process Reengineering**

a. **CLASS Software:-**

- ❖ Our Bank has introduced Centralized Loan Appraisal System & Supervision (CLASS) software, an automated, centralized, uniform loan appraisal and monitoring tool for qualitative appraisal in sanctioning of Retail Advances taking care of due steps of risk mitigation. It also helps in monitoring of accounts from the day one of the sanction and thus helps in reducing the fresh slippages.
- ❖ This software has helped the field functionaries in appraising the loan proposals uniformly and in a systematic manner.
- ❖ It has also helped in reducing turnaround time (TAT) for loan proposals to a great extent.
- ❖ The monitoring module of the software helps in tracking of the loan accounts from the day it has been opened and also gives alert for the SMA accounts which help in timely recovery of the SMA accounts and also helps in reducing fresh slippages.
- ❖ The online module of the software gives direct access to the loan applications received online through our Bank's website and reduces the TAT for responding to such applications and makes it convenient for the Branches to attend such proposals without any time lag. It also helps in monitoring of the online loan applications effectively.
- ❖ All the Branches have been linked to the CLASS software.
- ❖ All the retail products have been made live for operation.
- ❖ Monitoring module has been activated and is available to all the Branches for use.
- ❖ Pushing and Pulling of data to/ from CBS has been successfully implemented and is ready for use by Branches.



b. Re-implement CCPC instead of RAB.

- ❖ In the FY 2010 our Bank introduced the concept of Centralized Credit Processing Centers (CCPCs) to bring uniformity in the processing of Retail Loans and to prevent frauds.
- ❖ Initially these CCPCs were designated as a non-customer interface Back Office arrangement operated by well-trained staffs with objective of speedy disposal.
- ❖ After analyzing the functioning of then CCPCs, it was decided to convert these CCPCs into Retail Asset Branches (RABs).
- ❖ After monitoring the performance of these RABs and the resultant output has not been satisfactory and was found to be ineffective in achieving the objective for which these were created.
- ❖ After deliberating this issue in detail at Top Management Level, it has been desired to re-implement a modified model of CCPC instead of RAB.
- ❖ Our Department has issued details guideline of the functioning of CCPCs and permitted for opening 42 Centers of CCPC.

c. Online Loan Application Facility:

- ❖ Online loan application facility for all the retail lending products for increasing customer reach among the Gen Y customers.
- ❖ Tracking of online loan applications from the time of application to the sanction of loan applications.

v. Awards

- ❖ We have own the Outlook Money Best Education Loan Provider and awards 2013
- ❖ We have also been awarded the My FM Stars of the Industry Award For Excellence in Education Loan

vi. Other Initiatives

- ❖ Floated Festival Bonanza w.e.f 01/09/2013.
- ❖ To reduce the grievances under Education Loans and to ensure that no student is denied Education Loans without any proper genuine reason, we have nominated executives at Regional Offices and has set up a functional department Education Loans Grievances Redressal Cell which is being headed by CM, Retail Banking Department

STRATEGIES FOR INCREASING RETAIL CREDIT

1. Housing Loan :-

- a. To aggressively price our products to compete in the industry and to increase our market share under Home Loans.
- b. To improve the existing products and scheme we are continuously reviewing and modifying the features of the products to suit best to the needs of the customers.
- c. Tie up with Builder associations such as MCHI and CREDAI and reputed builders such as NYATI, MCHI, LODHA, Hiranandani, Rustomjee, Hashmukhbhai Patel Group and Godrej Properties Ltd. etc. in Mumbai and other Tier I cities like Chennai, Hyderabad, Delhi, Kolkata etc.
- d. Complete waiver of processing charges under Festival Bonanza offer.
- e. We have also waived prepayment penalty on the Home Loan borrowers.
- f. Leveraging technology for reducing delinquencies:-
 - I. ECS debit facility has also been introduced in our Bank for Home Loan borrowers.
 - II. Introduced CLASS software for sanctioning and monitoring of loan proposals.
- g. To offer online property search facility on our Bank's website.
- h. Opening of specialized counseling centers for Home Loans.



2. Education Loans:-

- ❖ To aggressively position our Education Loan product as the most accepted across industry with lowest interest rates.
- ❖ Entering into tie up with Educational Institutes, Universities and education loan consultancies to give a boost to our Education Loan portfolio. Recently we have entered MoU with the following:
 - i. We have tied up with more than 160 educational institutes.
 - ii. We have also tied up with Foreign Educational institutes such as Warwick University, London to boost our Overseas Education Loan portfolio.
 - iii. We have tied up with Edwise Consultancy and SP Jain School of Global Management for providing Education Loans to the students pursuing studies abroad.
- ❖ Direct engagement, interaction and relationship building with the Educational institutes. Recently we have sponsored the student festivals of various IIMs and XLRI.
- ❖ Use of social media to reach the present age young techno savvy customers.

3. Personal Gold Loans :-

- ❖ Increasing our reach in the gold loan segment and to increase our market share under gold loans. Presently the majority of the gold loans are sanctioned in the southern states of India. To increase the portfolio in the other parts of the country we have advised RMs to appoint gold appraisers in all major centers to facilitate customers with early approval of loans against gold.
- ❖ To aggressively position our Gold Loan product as the most accepted across industry with lowest interest rates. The present ROI for Gold loans for personal purpose (Non Priority)
 - i. Overdraft: Base Rate+2.00 %
 - ii. Demand Loan: Base Rate+1.00 % with monthly rests.
- ❖ Enabling field functionaries to handle gold loan proposals without any difficulty. For this we are imparting training on methods for appraising the quality and quantity of gold to the field functionaries at Institute of Gem and Jewellery, MIDC, Andheri, Mumbai which will boost the confidence of the Branch Managers while handling the gold loan proposals.

4. Vehicle Loans:-

- ❖ To aggressively price our products to compete in the industry and to increase our market share under Vehicle Loans.
- ❖ Our Bank has reduced the Interest rates on Vehicle Loans (New 4 Wheelers and two wheeler) from BR+1 = 11.25% to BR+0.40% = 10.65% & increased the repayment tenure thereby bringing down the EMIs from ₹ 3298/ lakh to ₹ 1859/ lakh.
- ❖ To improve the existing products and scheme we are continuously reviewing and modifying the features of the products to suit best to the needs of the customers. Recently, we have taken the following steps:
 - I. We have completely waived the processing charges during the Festival Season.
 - II. Our Bank has also introduced Dealer's Incentive and Sales Executive commission for increasing the leads and converting them into business.
- ❖ Tie up with reputed vehicle manufacturers and dealers to increase the vehicle loan portfolio. Recently, we have tied up with reputed vehicle manufacturers namely TATA MOTORS, Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra, Bajaj Automobiles and TVS Motors etc.
- ❖ Participating in various Loan Mela and Auto Expos etc to increase our Bank's brand awareness and popularize our vehicle loan product in the market.
- ❖ Increased use of social media such as FACEBOOK, LinkedIn etc to popularize our vehicle loan product among the Gen Y customers



GROWTH: FIVE YEARS PLAN UPTO FY 2017-18

We intend to grow the Retail Portfolio by 75% by Mar 2016 and by 150% by March 2018 & convert our bank as most preferred Customer friendly Retail Bank.

	MAR'11	MAR'12	MAR'13	MAR'14	MAR'15	MAR'16	MAR'17	MAR'18
RETAIL CREDIT	11962	16915	22209	28811	40000	51000	63000	75000
% GROWTH (Y-O-Y)		41.41%	31.30%	29.67%	30.00%	23.08%	20.83%	22.41%

- We are also hopeful of increasing our customer base to 1 million.

INTERNATIONAL DIVISION

- ❖ Foreign Exchange Business of the Bank is carried out through 116 Authorized Dealer Branches spread across the country. For operational efficiency, Bank has a centralized Dealing Room at Mumbai for attainment of better funds management and operational convenience.
- ❖ During the current Financial Year, the Export Credit portfolio of the Bank increased from ₹5258 crore as on 31.03.2013 to ₹5509 crore as on 31.03.2014.
- ❖ Merchant trade foreign exchange turnover was ₹ 43,783 crore in FY 2013-14 as against ₹ 36,758 crore in FY 2012-13.
- ❖ NRE Deposits increased from Rs 1716.15 crore as on 31.03.2013 to Rs 2485.28 crore as on 31.3.2014 an increase of 44.82% over the previous year.
- ❖ FCNR Deposits increased from USD 117.82 million as on 31.3.2013 to USD 142.12 million as on 31.03.2014, an increase of over 20% over the previous year.
- ❖ Bank has installed e-learning and decision making software “Instant NRI” and “Instant LC++” on its intranet for use across branches.
- ❖ Bank has established two representative offices at Nairobi, Republic of Kenya and at Hong Kong and plans to convert these offices into full fledged branch offices after obtaining regulatory approvals.

TREASURY, FUNDS AND INVESTMENT

- ❖ The investment portfolio of the Bank has increased to ₹86384 crore as on 31st March 2014 as against ₹72662 crore as on 31st March 2013 thereby recording an increase of 18.88% over the previous year. The ten year benchmark yield closed at 8.83% as on 31st March 2014 vis-à-vis 7.95% on 31.03.2013.
- ❖ RBI took a slew of measures to control rupee depreciation which involved demand curb by increasing overnight rates. The MSF rates were increased to 10.25% , three percent above the repo rate in August 2013 and later on realigned with bank rate .
- ❖ The repo borrowing limit was reduced to 0.50% of DTL and term repo was also introduced for the purpose of liquidity management. The Banks are required to bid in the auction to borrow in term LAF.
- ❖ Overnight repo was increased from 7.50% in March 2013 to 8.00% in March 2014.
- ❖ In the volatile market and critical liquidity management situations , treasury recorded trading profit of ₹455 cr which is considerably higher as compared to previous year trading profit of ₹ 383 crore. This was achieved by strategic planning of resources and trading with proper analytics to grab the market opportunities. The yield on investment increased from 7.60% to 7.84%.
- ❖ In compliance with the Reserve Bank of India guidelines alongwith special dispensation issued during August 2013, the Bank has transferred Govt. and State Govt. securities amounting to ₹ 11393.91 crore from AFS to HTM and booked depreciation of ₹121.78 Crore.
- ❖ The composition of investment portfolio of the Bank as on 31st March 2014 is as under:



(₹ in crore)

Sr. No.	Composition	31.03.2013	31.03.2014
1.	SLR	60172.25	67951.69
2.	Non-SLR	12489.37	18432.08
	TOTAL	72661.62	86383.77

During the year, Bank could sell unquoted investment & earned profit of ₹ 50 crores

RISK MANAGEMENT

Risk Management System/Organizational Set Up

Risk Management systems are now well established in the Bank. Risk Management Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assessing the risk models relative to market developments and also identifies and controls new risks. The committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned departments at the corporate level.

Risk Management Structure

- ❖ At operational level, various Committees like Asset Liability Management Committee (ALCO) for Market Risk, Credit Risk Policy Committee (CRPC) for Credit Risk and Operational Risk Management Committee (ORCO) for Operational Risk have been constituted comprising of members from the top management team.
- ❖ These Committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various Bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.
- ❖ The Bank has identified officers in the rank of Senior Managers/Managers to act as 'Risk Managers' at all the Regional Offices. The Risk Managers act as the 'Extended Arms' of the Risk Management Department of the Central Office at the Regional Level. The Bank has also identified officers at the senior level in various functional departments of Central Office to act as 'Nodal Officers' in the matter of submission of data relating to Risk Management and support risk management in the Bank.

Market Risk Management

- ❖ The Mid Office reviews the market position, funding patterns and ensures compliance in terms of exposure, duration, counter party limits and various sensitive parameters and the reports are presented at regular intervals to the top management.
- ❖ The tools such as VaR and Duration analysis are used on an ongoing basis to measure and manage the risk to Bank's NII in the short run and equity value in the long run.
- ❖ A model to estimate Capital charge on trading portfolio on ongoing basis is developed by TCS which is being implemented as per the Basel II guidelines on the Market Risk.
- ❖ The Bank has reviewed the existing Investment and Market Risk Management Policy. Counter party limits for Forex dealings have been fixed / reviewed as per their latest standing and rating in the market.

Credit Risk Management

- ❖ Bank has a well-documented Integrated Risk Management Policy, which was last reviewed/amended by the Board on 06.02.2014.
- ❖ The Bank has procured the Facility Rating Module with Risk Adjusted Return on Capital (RAROC), Loss Given Default (LGD) and Exposure At Default (EAD) assessment tools from CRISIL Ltd. The Facility Rating Module is in use from 01.04.2012.
- ❖ The Bank has also developed Rating Models (score card) for grading retail loans where ratings of individual loan entities are not feasible on an on-going basis. The same is in use for rating of retail loans.
- ❖ The developments in credit risk management are being reported and monitored by the Credit Risk Policy Committee headed by the Executive Director.
- ❖ As preparedness for moving to advanced approaches, bank is in the process of developing models for calculating PD, EAD & LGD for both Corporate & Retail portfolio.

CREDIT RISK PROFILE / RATING MIGRATION

The Credit Risk Profile of the Bank as of 31st of March 2014 is presented below in comparison to the previous year.

Amt: Rs in Cr

Risk Gradation	March 2013		March 2014	
	Exposure	% of Rated Exposure	Exposure-Amt	% of Rated Exposure
Low Risk	91451	56.14%	84211	53.25%
Medium Risk	66675	40.93%	67421	42.64%
High Risk	4770	2.93%	6512	4.11%
Total of Rated Exposure	162896	100.00%	158144	100.00%
Unrated Exposure	4882	2.91%	13677	7.95%
Total Standard Advances	167778		171821	

- ❖ It may be observed that during the F.Y.2013-14, though there has been some migration of accounts from Low Risk to the Medium Risk category, the overall share of rated accounts has decreased substantially with the component of unrated exposure increasing from 2.91% as of March 2013 to 7.95% as of March 2014. The unrated exposure comprises mainly loans to staff as well as those against term deposits and NSC/KVP/Insurance policies etc which are exempted from rating.
- ❖ Further, accounts which are opened through CLASS, rating is not updated in CBS, the error is identified and Bank is working on it to fix it. Once the error is fixed the percentage of unrated exposure will decrease considerably.

Operational Risk Management

- ❖ The Operational Risk Management in the Bank is guided by a well laid down Operational Risk Management Policy.
- ❖ Operational Risk Management Committee (ORCO) reviews the risk profile of the Bank on quarterly intervals and the oversight by the Board of directors strengthens the qualitative aspects related to Operational Risk.
- ❖ Bank is developing models and building up qualitative and quantitative information for applying to RBI towards graduating to Advanced Measurement Approach. New Product Approval Policy Framework guides the Bank in mitigating the risks associated with new products or activities.

Capital Planning

Bank has a robust ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) in place. Capital requirement for bank is drawn for a time horizon of 5 years. Capital requirement is seen in relation of maintaining minimum regulatory capital requirement. Review of the capital vis a vis the estimates are undertaken on a quarterly basis.

Asset & Liability Management Systems

- ❖ ALM mainly deals with measuring and managing the liquidity and Interest rate risk of the bank with an objective of profit maximization. ALCO (Asset & Liability Committee) met 26 times during the year to review the position of the bank with regard to liquidity and other related matters.
- ❖ Besides regulatory reporting, ALM is also engaged in Interest determination on Deposits as well as Base rate and BPLR fixation. During the year 2013-14, revision was made six (6) times in deposit interest rates and the Base Rate was revised twice.
- ❖ ALM department presents different analysis to the top management to decide rate of interest for Deposits & Advances.

Implementation of Basel II Guidelines

- ❖ Reserve Bank of India has issued updated master circular on implementation of the New Capital Adequacy Framework in July 2013. As per the guidelines, the Bank has adopted Basel II norms with effect from 31.03.2009 and provided capital as per Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration method for Market Risk.
- ❖ Bank has appointed a solution provider for implementation of the internationally reputed SAS Risk Management solution throughout the bank to meet Basel II norms. Reserve Bank of India has set out timelines to the commercial banks for graduation to advanced approaches.
- ❖ All necessary policies such as Credit Risk Management Policy, Operational Risk Management policy, Market Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Market Discipline and Disclosures Policy, ICAAP etc are in place duly approved by the Board.
- ❖ Bank has applied to RBI for permission to graduate to FIRB (Foundation Internal Rating Based) Approach.



Our Bank's preparedness for Basel - III

RBI has come out with the final guidelines on Implementation of Basel III on 2nd May 2012; bank is in the process of internal assessment of capital and requisite systems. Bank has started computing CRAR as per BASEL III NORMS from June 2013.

RECOVERY

The bank has a well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and Follow-up measures, Compromise settlements, Staff Accountability, SARFAESI Act, appointment of Recovery/Enforcement Agencies, Sale of assets to ARCs, Willful Defaulters and MIS. The Policy is reviewed from time to time to incorporate the latest changes/developments in Economy and trends in NPA Resolution.

1. During the year 2013-14, though Cash Recovery of ₹1104 crore, Upgradation of ₹766 crore, Sale of NPAs ₹1278 crores and recovery in written off accounts of ₹290 crore, aggregating to ₹3438 crore, the performance was impacted by the fresh accretion of some high ticket accounts. (24 accounts of ₹50.00 crore and above amounting to ₹4176 crores).
 - ❖ Gross NPA level has gone up from ₹8456 crore to ₹11500 crore.
 - ❖ Net NPA has increased from ₹ 4988 crore to ₹6649 crore.
 - ❖ Gross NPA and Net NPA Ratios have increased from 4.80% to 6.27% and 2.90% to 3.75% respectively.
 - ❖ Cash Recovery has decreased from ₹1581 crore to ₹1104 crore. (43.21%).
2. Under Special One Time Settlement (OTS) scheme for NPA accounts up to outstanding ₹1.00 lac, an amount of ₹151 crores (previous year ₹127 crore) has been recovered.
3. Under the simplified OTS Scheme for NPA accounts of outstanding above ₹1.00 lac up to ₹10 lac, Bank has recovered ₹196 crores(previous year ₹114 crore) during the year.
4. Under the Krishak Rahat Yojna for recovery in NPA of Tractor/Agriculture loans of sanctioned limit up to ₹10.00 lac , an amount of ₹101 crore(previous year ₹149 crore) has been recovered during the year.
5. Besides this, OTS proposals aggregating to ₹359 crores have been sanctioned at Central Office and against which, ₹170crore has already been recovered during the FY 2013-14.
6. During the year Bank has sold NPAs to ARCs for sale consideration of Rs1533 crores, where the outstanding is ₹1448 crores.
7. We had given a call for meeting all borrowers and preparing profile with recovery perspectives. In response to this field functionaries met maximum borrowers. This action has boosted the recovery.
8. Senior Executives including CMD/EDs visited Zones/Regions where they met critical borrowers to discuss recovery prospects. Besides, executives were deputed in the field to participate in recovery camps. From Jan'14 to March'14 mega recovery camps conducted in all Regions. Total 20659 accounts were settled for ₹163.25 crores, out of which ₹111.36 crores recovered up to March'14.
9. With an objective of regular follow up of DRT case, a dedicated portal has been created exclusively for reporting progress in DRT and the cases have been pursued for early disposal. BIFR/DRT/DRAT cases are closely monitored by DGM Law and followed up for early disposal.
10. With a view to speed up the recovery process, initiating action under SARFAESI Act declaring as willful defaulter and legal action have been accelerated.
11. Out of ₹8456 crore as on 31.03.2013 with 394108 accounts, an amount of ₹2203 crore was recovered/up graded in 198999 accounts, and 554 crore was reduced in other accounts. Out of fresh slippages of ₹7568 crore, amount of ₹1014 crore was recovered/ upgraded. Thus total NPA recovery during 2013-14 was 23.55%.

BANCASSURANCE

Insurance services are provided by our bank under corporate agency of LIC of India for life insurance and Chola MS General Insurance Company for non-life insurance products.

The performance highlights up to 31.03.2014 :

- ❖ Bank stood 1st in mobilizing insurance premium and in number of policies amongst all Bancassurance partners of LIC. Bank has canvassed 1,08,036 policies with premium of ₹176 crores.
- ❖ Under General Insurance business, Bank has mobilized 5,59,846 policies with premium collection of ₹105 crore with y-o-y growth of 27%.
- ❖ Total earning from Bancassurance business is ₹26.65 crore with y-o-y growth of 8%.

DEPOSITORY SERVICES

Bank is offering depository services through Nodal branch ,Capital Market Services Branch Mumbai and offering Demat services through branches located in major centers in India and is having 24000 Demat account holders. Depository service is offered as a Depository participant under arrangement with Central Depository Services Ltd. (CDSL) through web-based solutions provided by CMC Ltd.

ON- LINE TRADING

Bank is offering “On-Line Trading” facility with Trade name “Cent –e-trade”. Customers maintaining bank account and Demat account with the bank are offered on-line-trading facility for trading in Equity Shares and Derivatives under arrangement with leading broking firm, M/s. Angel Broking Ltd. As on 31.03.2014, Bank is having 200 accounts for On-Line Trading.

Capital Market Services Branch opened in Mumbai exclusively for offering capital market facilities such as ASBA, Demat, Clearing Bank, Payment of Dividend Warrants and Credit/Guarantee facilities to Brokers etc. and is the controlling branch for on-line trading and ASBA.

INFORMATION TECHNOLOGY

1. CORE BANKING SOLUTION:

- ❖ The bank achieved 100% coverage of branches under Centralised Banking Solution (CBS) in December 2010. The contract with System Integrator M/s TCS for Core Banking Solution has been renewed for 5 years starting from 1st October 2012. The contract renewal process essentially involved augmentation/upgradation of the existing computing resources viz. hardware, networking, software, security and other associated requirements for CBS implementation in tune with future business projections and other statutory and security obligations. The entire set up is now geared to cope up with the Bank's requirement till September 2017.
- ❖ As on 31.03.2014, Total branches – 4551 + other offices -218
- ❖ The CBS technical infrastructure is sized based on the business requirement of the Bank for the next 5 years taking into account further 1500 new branches. The new CBS infrastructure will process 8.5 million transactions per day and will service 125 million accounts.
- ❖ The Internet Banking solution will cater to the needs of around 10000 concurrent users from the present volume of 4400 concurrent users.
- ❖ Under the current renewal process, we have completed Hardware refresh & virtualization, License renewal and DR automation tool.
- ❖ Bank has setup a Disaster Recovery Centre and is conducting regular DR Drills as per regulatory guidelines in line with Bank's policy.
- ❖ Bank has implemented Near Site to ensure Business continuity with Zero Data loss.
- ❖ MANY NEW FUNCTIONALITIES ARE BEING IMPLEMENTED IN CBS SYSTEM ON AN ONGOING BASIS. SOME OF THEM ARE AS UNDER:
 - Facility for conversion of existing savings account to Cent Salary Savings Scheme
 - Facility for incorporating Beneficial Owner
 - Common NPA date for various accounts of single customer
 - System to identify NPA on a daily basis
 - Display of critical amount to be recovered for making account PA
 - Printing of Nominee name in Passbook and TDR
 - Service tax collection through cash

- Elongation of Term Loan, keeping EMI same
- Password policy as per Gopalakrishna Committee
- Online PAN validation with NSDL

2. NETWORK & CONNECTIVITY

- ❖ Bank's Corporate Network covers 4769 sites consisting of branches, extension counters, ARBs, Service Support Branches, Retail Asset Branches, all administrative offices, Training Colleges and Zonal Training Centers etc.
- ❖ Constant monitoring and controls are introduced for maintaining almost 100% uptime during branch working hours.
- ❖ Feasibility of converting existing VSAT branches to leased line is being done on an ongoing basis and as and when it is possible, we are converting VSAT branches to leased line as primary link and converting existing VSAT link as secondary line. 358 VSAT branches have been converted into Leased line based on feasibility during 2013-14.

ALTERNATE DELIVERY CHANNELS:

3. INTERNET BANKING

- ❖ Internet banking facility with new look and feel has been extended for our customers with a wide array of products and facilities. They include On line password generation for Retail customers, funds transfer, On line Tax credit view, Utility bill payments, On line Tax payment for various Govt., Airlines / Movie ticketing, shopping, temple donations, Prime Minister's National Relief fund donations, Fees collection for various Institutions/Universities, Govt. e-payments/receipts, customized account statements in addition to regular statement of account, On line time deposits including NRE/NRO deposit creation.
- ❖ IMPS transactions, IRCTC ticket booking, e-Freight for on-line Railway Freight booking by corporate customers etc. RTGS/NEFT facility is also available through Internet Banking and NEFT functionality is currently available 24*7 through INB including Bulk upload for Corporate (Non personal) INB customers.
- ❖ Bank has deployed entirely new module through Payment aggregator, for tax collection for Odisha, Bihar Govt. and Prime Minister National Relief Fund where customers of more than 40 banks can pay taxes. Bank has also implemented payment systems for Ministry of civil services, Food and other e-PAO's.
- ❖ Central Bank is one of the first bank to integrate with e-biz, mission project launched by DIPP for facilitating online payments
- ❖ Additional facility of customized statement of account for corporate customers is available. Facility for bulk upload through NEFT is also available under Corporate Internet Banking. Corporate customers can choose various options while availing Internet Banking as per the requirement of customer.
- ❖ **Bank has implemented following new functionalities in Internet Banking:**
 - Online Savings Account opening
 - Reward points for Internet Banking Transaction (presently under revision)
 - Cash Deposit Kiosk machines for 24*7 Banking
 - IMPS through USSD and IMPS through INB (Person to Account)
 - Facility of Bulk Upload of INB users through branches
 - Online Fee collection through payment gateway service provider.

4. SMS BANKING:

- ❖ SMS banking provides account information to the customers with real-time alerts on business transactions carried out by them. Presently, SMS alerts are sent to customers in 15 different Indian languages as per their choice for the 1) Debit / Credit in account above ₹1000/- in saving account and ₹ 10,000/- in Current / OD accounts 2) clearing cheque is bounced. 3) Account balance is below the prescribed minimum level 4) fixed deposit maturity before 7 days.
- ❖ SMS alerts are also sent for maintaining control and monitoring to branch managers and higher officials to enable them to monitor critical activities of branches for better housekeeping and maintenance of accounts including monitoring of NPA.



5. MOBILE BANKING:

- ❖ Mobile Banking was implemented using GPRS with enquiry and funds transfer options. The transaction done through Mobile Banking was secured with end to end encryption and two factor authentication features.
- ❖ Bank has launched new Mobile Banking solution in December 2013 with following functionalities:
 - Facilities under phase I : Fund Transfer, Balance Enquiry and Mini statement
 - Additional facilities under Phase II : Bill Payment, Account Opening, De mat, Donation etc
 - Available in Android and Java platforms; Registration under process for Apple and Blackberry version 10 (to be completed by April end)

6. PHONE BANKING:

- ❖ Phone banking solution is implemented with voice recording in English and Hindi and the facility is available to all the customers.

7. MISSED CALL ALERTS:

- ❖ This facility is available to our CASA customers, whereby customers can get balance and last three transactions free of cost by giving missed call to specific number. Bank is also in receipt of appreciation from Indian Bank's association for this new customer initiative.

8. APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA):

- ❖ Securities and Exchange Board of India has streamlined the existing process of Initial Public offer of shares by companies and introduced a supplementary process called as Application supported by Blocked amount (ASBA). We offer ASBA facility to all our customers by which an investor can subscribe to public issues (IPO) through the Bank by authorizing the bank to block the application from his/her bank account and thereafter remit the allotment amount.

9. KIOSK BANKING:

- ❖ Bank has implemented 150 self-service kiosk machines with facilities viz. cash deposit, balance enquiry. Purchase order has been placed for additional 600 kiosks (100 cash deposit and 500 multi-functions) and expected to be implemented by June'2014.

OTHER PROJECTS

10. WEB SITE:

- ❖ Sensing the need of customers, look and feel of the website is undergoing constant change. Website also includes Grievances module for customers. Bank has taken all measures to ensure security on Internet Banking and Bank's official website. Security Audit is done on quarterly basis.

11. RBI PAYMENT GATEWAY SYSTEMS:

- ❖ All CBS branches are enabled for RTGS and NEFT facility using the Straight through Processing (STP). As on 31st March 2014, 4648 branches/EC/NBOs/offices have been enabled for RTGS and 4668 Branches/ECs/NBOs/offices enabled for NEFT.
- ❖ RTGS/ NEFT facility is also available through Internet Banking System for Retail and Corporate Customers. RRBs have also been provided NEFT facility through our Bank's Payment Gateway. Additionally, bank has implemented on-boarding of Co-operative Banks as Sub-members for NEFT/RTGS.
- ❖ Next Generation RTGS (NG-RTGS) implemented.

12. PAYMENT INTEGRATOR SOLUTION :

- ❖ Bank has put in place a Payment Integrator solution (FTM) for effective functioning of various batch processing functionalities like Electronic Clearing System (NECS), Govt. Payments (GEPG), Pension Processing, EFMS, Lien Lifting and Transaction processing (source app ASBA), HRMS Integration for salary payments, Integration of Inward SWIFT

Message (MT103), Cooperative Bank NEFT, Speed Remittance, NGRTGS, CPSMS – Digital signature validation, PAN validation (at the time of CIF creation in CBS), E- Remittance (Flash Remittance) etc.

13. CHEQUE TRUNCATION SYSTEM (CTS)

As per RBI guidelines, Cheque Truncation System has been successfully implemented at:

- ❖ Southern Grid at all 27 centres.
- ❖ Northern Grid at NCR and additional 20 centres
- ❖ Western Grid at 18 out of 20 centres

14. CALL CENTRE

- ❖ Bank has established a Call Centre since July 6, 2011 and is functioning smoothly.
- ❖ Presently the Call Centre is offering various services like Information on Bank's products and services, Information on Branch/ ATM Location, Information on Interest Rates and Services Charges, Balance Enquiry, Transaction Enquiry, Enquiry on Cheque Number, Debit Card Hot-listing, Enquiry on Interest Earned / Interest Paid, TDS Enquiry, Transaction Details, Status of Cheque issued or deposited, CD/CC/OD limit and Interest enquiry, Recording of grievances and feeding it in Bank's Customer Grievances system for its redressal at an appropriate level.
- ❖ Bank has implemented CRM at Call Center.

15. SINGLE DATA REPOSITORY (SDR):

- ❖ Bank has launched an ambitious project to set up a Single Data Repository which will be the source to provide information/reports across the bank. This will ensure consistency in reporting maintaining single version of truth providing various Dashboards to Top Management thus enhancing the Decision Support System.
- ❖ This will be the Data Warehousing/data mining solution for the entire organization across applications. This will also facilitate Bank's Automated Data Flow, Corporate Performance Management solution, Asset Liability Management , MIS and ALM reports, corporate Performance Management etc. The project is in advanced stage of implementation.

16. HRMS:

- ❖ Bank has implemented a State of the Art HRMS solution (SWADARPAN) from Peoplesoft, covering functionalities such as Employee Self Service, Performance Appraisal Management, Payroll Management, Tour Approval and Claim Processing, Management of LFC, Leave and attendance administration, Employee Information System, Staff Loan Processing, Management of Medical Aid, HRD / Legal Department, Disciplinary Action Division (DAD), Gratuity Payment, Provident Fund Data Management and Payment, NRW Payment Processing, Allotment of Residential Quarters, Newspaper Reimbursement, Reports (Staff Strength, Payroll, Form 16, Leave, Union, Increment Report). Bilingual facility is HRMS is implemented.

17. INHOUSE DEVELOPMENT :

- ❖ Bank has a robust IT development Team which effectively handles software requirements of the Bank thus avoiding outsourcing of developmental activities wherever possible. Bank has developed a Centralised Pension module for Railway, Defense and Civil which is a major achievement of the team. The in-house team also caters to the requirement of various departments and administrative offices thus reducing dependency on outsider vendors.

18. RRBs SPONSORED BY THE BANK:

- ❖ Currently Bank has 3 RRBs after amalgamation process initiated as per Ministry guidelines. All branches are under Core Banking solution and effort is being made to bring up the technology initiatives of RRBs at par with the initiatives undertaken in the Bank.



❖ Following functionalities have been implemented in RRBs.

- ATM card facility for RRB customers
- SMS alert introduced at RRBs
- Online interface for FI transactions
- Introduction of Kisan Credit Cards
- Implementation of CPSMS
- Ultra Small Branches functionality
- Introduction of APBS
- CIBIL data extraction

19. FINANCIAL INCLUSION INITIATIVES :

- ❖ Aadhaar Payment Bridge System (APBS) is live.
- ❖ DBT implemented.
- ❖ Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) is live.
- ❖ Facility for Bulk Aadhaar Seeding
- ❖ Aadhaar seeding through alternate channels also – ATM, SMS and Internet Banking
- ❖ Total of 27.60 lakh Aadhaar seeded so far
- ❖ Central Biometric authentication for FI customers
- ❖ Online enrollment / transactions as per common RFP implemented (in MP and Maharashtra)
- ❖ Kiosk Model FI implemented in 270 CSC locations
- ❖ Reverse migration at identified 5 branches in Bhopal Zone is in progress

20. IT GOVERNANCE.

- ❖ The necessary structure for IT Governance in the bank has been set up with the formation of IT Strategy, IT Steering & IT Risk management committees in the Bank. Approval of IT policy and Hardware disposal policy for disposal of PC, Printers, ATM, etc was approved by the IT Steering Committee.
- ❖ Preparation and submission of Balanced scorecard is carried out on regular basis and Performance rating under various parameters of IT projects are being done as per the advice of IT Strategy committee. Internal Audit and Surveillance for ISO-27001 certification and BSMS-25999 certification was conducted.
- ❖ Reverse gap analysis is also done and our bank is at par with the peer banks.

21. INFORMATION SECURITY.

- ❖ Bank has launched Intranet Information Security Portal for information security related contents viz. latest Information Security updates, Information Security Tips and other related material.
- ❖ Bank has Started e-magazine named “eCapsule” (soft version only) available on our Information Security Portal on contemporary information security events/incidents
- ❖ Bank has Started Quiz on information security related topics available on our information security portal
- ❖ Bank has completed renewal of ISO 27001 : 2005 ISMS certification for our Data Centre and Disaster Recovery Centre
- ❖ Bank has completed ISO 23001 : 2012 BCMS Certification for our Data Centre and Disaster Recovery Centre.
- ❖ Bank has got following awards:
 - Global Security Strategist Award - 2013 from IT -Senate under BFSI domain
 - Top 100 CISO Award from CISO Platform



❖ Bank has implemented the following functionalities:

- Automation of our Change Management Process
- Automation of DR Drill through Disaster Recovery Management solution.
- Implemented DAM (Database Activity Monitoring) that monitors the Data Base Management System (DBMS) and protects it from both internal and external threats.

22. BIOMETRIC AUTHENTICATION FOR CBS USERS (STAFF):

- ❖ Bank is implementing Biometric authentication system as an additional security measure. Logging into CBS system will now be through Biometric devices and majority of the branches are already enabled and the implementation is expected to be completed by May 2014.
- ❖ AS part of compliance, Bank is migrating all the systems on Windows XP to Windows 7.
- ❖ Bank has implemented NACH as per RBI guide lines. Mandate Management under development
- ❖ Video conferencing facility extended to all administrative offices, CFBs, ZSTCs and CBOTCs.
- ❖ Implemented Off-site monitoring.
- ❖ Automation of Cent Bank Home Finance
- ❖ Online SB account opening through website
- ❖ Implemented Centmail through Mobile (Available in Android, Blackberry, iPad etc.).

23. CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS) :

- ❖ Under CMS, we are providing Collection and Payment solutions to our customers with tailor-made schemes to suit their requirements.
- ❖ We have special scheme for Corporate customers. Our CMS Collection / Payments products are Quick Cheque Collection (CENT-QCC), CENTEXPRESS, CENTINSTANT, NON-QCC, Local Cheque Collection (LCC), Bulk Local Cheque Collection (BLCC), Centralized Clearing Services (CCS), Direct Debit Mandate (Auto Debit Mandate), Cash Collection Facility, Utility Bills Collection, Fees Collection, Demand Draft Drawing Arrangement, Payable At Par – DD (Pre-Funded), Cash Payout At Branches Linked To Currency Chests, At Par Payment of DW/IW Facility.
- ❖ We have served 85 Corporates a/cs like Tata Group, LIC, Railways, MTNL, Future Capital Holdings Ltd., Group Pharmaceuticals Ltd., GMR Group accounts etc. Bank is upgrading the current solution with new functionalities.
- ❖ Bank has acquired New CMS Solution which will enable the Bank to provide online CMS facilities to Correspondent Banks/Corporates with Customized CMS Products to suit their needs.
- ❖ Our CMS Collection /Payment Products are Quick Cheque Collection (CENT-QCC), NON-QCC, CENTEXPRESS, CENTINSTANT, Local Cheque Collection (LCC), Bulk Local Cheque Collection (BLCC), Fees Collection, Cash Deposit, Utility Bills Collection, Direct Debit Mandate (DDM), SIP Mandates, Centralised Clearing Services (CCs), DD Drawing Arrangement (Pre-Funded), Payable At Par DD, Cash Payout, At Par Payment of DW/IW & facility of Portal.
- ❖ We have Special CMS Scheme for Corporates Customers.
- ❖ Corporates like Tata Group, Capital First Ltd., Group Pharma, GMR Group, TVS Grout, L & T Group, LIC, MTNL are availing CMS facilities from the Bank.
- ❖ Bank has won the contract of BSNL for providing CMS facility in 5 states namely Assam, Chattisgarh, Gujrat, Madhya Pradesh and West Bengal.

19. Door Step Banking Services:

- ❖ Door Step Banking Services (DSBS) has been made available to eligible customers at all branches of 71 Regions of the Bank.
- ❖ Cash Collection and Cash Payout facilities are being provided to number of customers of our Bank under DSBS.



20. Currency Chest Dept.:

- ❖ One new Currency Chest has been opened during the year. Further we propose to open 71 currency chests in a phased manner during the next 3 years.
- ❖ Cash Processing Centres are modernized and equipped.
- ❖ 23 Coin Vending Machines (CVM) are installed during the year increasing the total to 69. Further 500 CVMs are proposed to be installed during 2014-15.
- ❖ Currency chest operations have been made online to increase efficiency of currency chests and for monitoring by controlling offices. Resultantly, all the currency chests are converted to Profit Centres. For the first time, the currency chests have booked revenue of ₹1.00 crore during the year.
- ❖ We have linked our branches with currency chests. Branches of Regions with no currency chest are being served under Hub & Spoke Model.


AUDIT AND INSPECTION

- ❖ There were 2481 Medium Risk & 1648 Low Risk rated branches as on 31.03.2013. As on 31.03.2014 there are 2245 Medium Risk Rated branches and 2130 Low Risk Rated branches with only 13 High Risk rated branches. Thus there is overall improvement in risk assessment of branches of the Bank as a whole.
- ❖ Controlling offices are subjected to Corporate Governance Review, instead of Management Audits since 2012-13 which gives SWOT analysis, suggests policy initiatives and specific action points for improvement.
- ❖ As on 2013 there were 951 branches under Concurrent Audit. 135 branches are added for concurrent audit, as on 31.03.2014 increasing the total number to 1086 branches, covering 67% of Deposits, 83.67% of Advances and 74.27% of total business. Out of which 7 CFBs are under concurrent audit by Banks staff (CM).
- ❖ Offsite Monitoring system is implemented as per DFS Guidelines, presently under 28 scenarios.

BRANCH EXPANSION

As on 31st March, 2014, Bank has network of 4573 branches, 3677 Ultra Small Branches, 3628 ATMs, 29 satellite offices and 4 Extension Counters. Bank is having pan India presence covering all 28 States, 6 out of 7 Union Territories, 561 District Head Quarters and 568 Districts out of 642 districts in the country.

DISTRIBUTION OF BRANCHES



■ Rural ■ Semi-Urban ■ Urban ■ Metro

OPERATIONS

- ❖ Bank introduced CTS-2010 Cheque facility at all branches across the country as per stipulation of RBI.
- ❖ All the customer related policies i.e. Cheque Collection Policy, Compensation Policy, Bank Deposit Policy, Grievances Redressal Mechanism were revised and updated during the year.
- ❖ The month of September 2013 was celebrated as **Nomination Month** to popularize the '**Nomination Facility**' among the customers and due to this drive, lakhs of customers have registered Nomination in their accounts.

Customer Grievances

Our Bank has started 24x7 hours Call Centre with Toll Free Number 1800 200 1911 for providing a better avenue for redressal of grievances to Customers. The Customer Grievances Redressal Mechanism has been made fully on-line for quick disposal of grievances. All grievances received are allotted a Unique Identification Number with tracking facility.

BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING

The major initiatives taken by BPR department during the year 2013-14.

1. **RESTRUCTURING OF RO/ZO SET UP:** Certain shortcomings were observed in the RO/ZO restructuring exercise done by the Bank in 2011. We therefore revisited and revised the entire set up. As per the revised model, FGMS/Zonal Managers are now BUSINESS OWNERS with specific responsibility for achievement of targets and they have to play a PARTICIPATORY role in control and Business Expansion. The concept of 'NODAL REGIONAL OFFICE' has been done away with. Zonal Offices have to handle the 'MICRO MANAGEMENT' of various issues pertaining to the Zone.
2. **MONITORING THE IMPLEMENTATION OF E-VOV CHECKING:** Supplementary was not being checked regularly. We developed a program known as "e-VOV" (e-verification of vouchers) for checker wise generation of supplementary and facility for on line checking. After introduction of the programme, it was observed that the checking percentage was rather mediocre. We made vigorous follow up at all the three levels (ZO/RO/BRANCH) to bring the checking percentage to a respectable 91%.
3. **ASSESSMENT OF STAFF AT CENTRAL OFFICE:** Carried out an objective & scientific assessment of the staff requirements of various departments at Central Office and have submitted the report to HRD indicating department wise and cadre wise surplus staff.
4. **REORGANISATION OF CFSL:** Studied the working of CFSL & suggested restructuring measures for improving it's working based on which the separate Credit Syndication Cell has been formed.
5. **MEASURES FOR POPULARISING NETBANKING:** We studied the reasons for our Net-banking not picking up to the desired extent and suggested various measures for popularizing our Net-banking.
6. **ONLINE PAN VERIFICATION PROGRAM:** With a view to make available a handy tool for prompt verification of PAN in the system. we designed functionality in coordination with CBS/DIT. Online PAN verification facility has been made available in the CIF creation screen. Accordingly name of the PAN holder as per the records of the Income Tax department in the NSDL data base can be matched with the name furnished by the customer. Any invalid PAN is not accepted by the system.
7. **IMPROVEMENT IN CUSTOMER SERVICE THROUGH FEEDBACK SLIPS:** We designed a simple system of obtaining the feedback of customers, counter wise/ person specific regarding services rendered through feedback slips. Green slips are for registering appreciation whereas Red slips represent dissatisfaction. Giving this feedback is optional for the customer. At regular intervals, this feedback will be studied and the staff getting more Red slips will be suitable counseled. Similarly, staff getting maximum green slips will be appreciated. This will enable the BMs to know the exact areas / persons requiring improvement and also instill a sense of competition amongst staff members.
8. **CUSTOMERS FEEDBACK THROUGH NETBANKING:** Net-banking customers can express either their delight or displeasure, through a system. Whenever a customer visits / avails a particular product or service in Net-banking, there is a button "EXPERIENCE" before the customer exits the said module. The customer has to click upon this button whereupon he/she is prompted to share experience about the product / services visited / availed by him/her.
9. **PROGRAM FOR DEVELOPING HNI BUSINESS:** In order to offer special treatment / personalized services to HNI customers, we have designed a program which will enable the frontline staff to readily identify HNI customers. Under this program on pressing the hot key F-9, the entire profile of the customer is displayed with a pop up message that the customer is an HNI customer.

RAJBHASHA

- ❖ Bank is honoured with 'Indira Gandhi Rajbhasha Shield' for the best implementation of Official Language Policy of Government by Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government of India during the financial year



2013-14. The Shield was received by Shri Rajeev Rishi, Chairman and Managing Director from the Hon'ble President Shri Pranab Mukharjee in a glittering function organized at Vigyan Bhawan, New Delhi.

- ❖ Bank has also received Reserve Bank of India Governor Shield for the best Implementation of Official Language Policy in Linguistic Region 'A' and 'C'.
- ❖ Further, we have also received award for the best performance in implementation of Official Language Policy in the state of Maharashtra by Maharashtra State Level Bankers Committee and in the state of Gujarat by Gujarat State Level Bankers Committee during the year 2013-14.
- ❖ During this financial year, our 28 Zonal Offices/Regional Offices/Branches have received prizes for the best performance in implementation of Official Language Policy in the region by various Town Official Language Implementation Committees (TOLICs) working under the Government of India, Ministry of Home Affairs, Official Language Department.
- ❖ We are convenor Bank for Town Official Language Implementation Committees Bhopal, Madurai, Raipur, Jalgaon, Deoria and Gwalior. Out of these our Bhopal and Madurai TOLIC received awards from The Government of India, Ministry of Home Affairs and Official Language Department during the year 2013-14.
- ❖ Parliamentary Committee on Official Language inspected our following offices during the year :
 - Central Office
 - Anand Regional Office
 - Champawat Branch (Dehradun RO)
 - Karbi Branch (Jhansi RO)

The efforts and steps taken by our Bank for implementation of Official Language Policy were appreciated by the committee.

- ❖ Our Bank has provided facilities to work in Hindi under Core Banking Solution Platform. We are providing passbooks, drafts, fixed deposit receipts and statements in Hindi to our customers. SMSs are being sent in Hindi as well as various Regional Languages to our customers.
- ❖ We are using "CENT QPR" Web Portal (prepared in house) successfully for online submission of Quarterly Progress Reports regarding progressive use of Hindi.
- ❖ All India Rajbhasha Seminar was organized in Kochi during the year.
- ❖ We have bilingualised our HRMS portal.

CORPORATE COMMUNICATIONS

The Bank continued to get publicity mileage during the year as efforts were taken under corporate branding exercise to give wide publicity of Bank's products and services and garner business out of the Bank. In order to achieve the marketing and brand objectives campaigns were carried out using Print, Electronic and Outdoor media vehicles.

VIGILANCE

- ❖ During the period 2013-14 the vigilance cases as also complaints have been disposed off much faster. The cases outstanding beyond six months have been considerably reduced from 60 as on 31.03.2013 to 23 as on 31.03.2014.
- ❖ Fraud Prevention Committees are meeting every quarter at Zonal Offices to discuss preventive vigilance issues and effective measures to tackle the lacuna in the system. The committee comprises of Zonal Manager/Regional Manager/ Vigilance Officers and one Branch Manager from Rural/Semi Urban/ Urban Branches.
- ❖ Vigilance Awareness Week- 2013 was celebrated throughout India with an aim to curb corruption. A "Cent Vigil" portal is online available for all the staff members who can act as whistle blowers to facilitate reporting of malpractices.
- ❖ New initiatives like Biometric login systems have been successfully implemented during the year.
- ❖ A newsletter has been published every quarter for the year 2013-2014. A Hand Book on procurement has also been published on 22.01.2014.

HUMAN RESOURE DEVELOPMENT

1. MANPOWER:

At the end of March 2014 the staff strength of the Bank stood at 40,661, as against 37,113 in the previous year. The category-wise break-up of staff is given below:



Category	March 2014	March 2013
Officers	16180	14043
Clerks	15424	13475
Sub-staff	9057	9595
Grand Total	40,661	37113

2. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT:

(i) Human Resources Audit :

- As a part of Developmental HR initiatives, a structured HR Audit system with well entrenched check list of coverage of areas was evolved and introduced to secure a perfect congruence between the HRM function and the overall Corporate Business Philosophy thereby making the HRM function more strategic.

(ii) Concept of Exit Interview for the employees who leave the organisation on resignation/VRS.

- As a Developmental HR initiatives, a system has been introduced by which any employee who quits the job through resignation or VRS has to submit 'Exit Interview Form' which should invariably be attached with the letter of resignation/VRS and to be sent to Competent Authority ie. Central Office. This feedback will be useful on changing approach, system, procedure etc., if need be, for better working of the Institution.

(iii) Review of Competent Authorities for various HR matter.

- Consequent upon organizational restructuring of Zonal/Regional offices, the Competent Authorities for dealing with various staff matter have been revised to make it more responsive to foster speedy settlements of staff claims/grievances.

(iv) Substantial enhancement in ceilings on rent reimbursement to officers w.e.f. 1st April 2013.

In order to enhance the quality of work life and wellness of the officers, substantial enhancement has been brought out in ceilings on rent reimbursement to officers.

(v) Provision has been introduced in Transfer Norms for Officers for seeking inter-Region (within the Zone) request transfer for officers in Scale I, II & III.

(vi) Introduction of 'Sir Sorabji Pochkhanawala Memorial Death Relief Scheme for employees of our Bank.

- The objective of the Scheme is to provide some financial assistance to the bereaved family members of the staff members who die in harness (ie., while in service) with the collective contributions from all staff members as mark of collective feelings of benevolence of all Centralites at the time of misery and as a token of solace and financial support to the grief-ridden legal heir/s.

(vii) Applications-cum-willingness to appear in the promotion processes for all employees have been made online for the first time through Peoplesoft Human Resource Management System (HRMS).

(viii) Disclosure of entries in Performance Appraisal –

- To make the Performance Appraisal system more transparent, the system of full disclosure of entries/marks obtained in Performance Appraisal has been introduced.

(ix) Other major initiatives carried out during the financial year:

- ❖ HR policies especially on Promotion and Performance Assessment systems have been made officer-friendly by bringing stimulating amendments therein.
- ❖ HRMS system has been fully operationalised thereby bringing more transparency and made HR systems and processes more-system driven.
- ❖ Performance Assessment system for officers is made on-line from the reporting year 2013-14.
- ❖ Major HR Policies have been tuned with a view to retain and engage the talent.
- ❖ The Man Power Planning assessment for the year 2014-15 have been done on a most transparent and realistic manner through committee approach, which has been approved by the Board of Directors.

3. TRAINING:

Quality training is the cornerstone for building healthy succession and to nurture a sound managerial team. Accordingly, during the year 2013-14 'Training & Development' function continued to be given major thrust. The year 2013-14 was identified as 'Capacity Building Year'. With this backdrop and in furtherance to the constant endeavour to transform



the Bank as a 'Learning Organisation', vibrant changes are brought about in the entire gamut of the training activity encompassing training modules, contents and delivery systems etc.

Special training programme for newly recruited POs were designed for 24 weeks. The programme is the combination of classroom as well as on the job training, emphasizing of every aspect of banking. A special programme for 2 weeks Soft skill programme 'SRIJAN' WAS ORGANISED FOR NEWLY RECRUITED Probationary Officers at CETTM, Mumbai focusing on soft skill, CRM and intervention process. Some eminent speakers in the programme were President of Dabbawala Association, Vipassana Expert, Reiki Expert, Professor from Harvard, Innovator, Founder of Bandhan Entrepreneurs, etc. Further, a programme for 1st time Branch Managers conducted at SPBTC, Mumbai, CBOTC Bhopal, BRBRAITT Jabalpur and NIRD Hyderabad. Induction training programmes for newly recruited AFOs, CAs, Law Officers and Technical Officers and Single Window Operators. Training programme for development of Marketing Skills conducted at our Zones. Programme on IT Governance for Executives conducted at SPBTC by officials from IDRBT. Sponsored Advanced Management Course conducted by IIBF. We have allowed 2 officers to undergo this course and to upgrade their skills.

During the year 2013-14, about 1490 programmes including Classroom, Locational, RRB and Special training were conducted covering 33179 participants and 163687 man-days by three training colleges and 16 Zonal Staff Training Centres. This apart 316 officers in various scales were nominated for specialized training programmes conducted by external training agencies like NIBM, CAB, IIBM, IDRBT, BIRD, IIBF etc. Further 54 officers have been sent for various Foreign training programmes/exposure visit in the year 2013-14 such as FEDAI, Bancassurance, Leadership Programme, Advance Leadership Programme, Information Security, Operational Risk Management, CRM/Analytics, Advanced Management Programme, Product Innovation Excellence, Leadership for Excellence in Banking & Finance, Analytical & Creative Problem Solving, Critical internet Resources enabler for socio-economic growth, International exposure programme on Agro business and Agro Processing.

Capability building initiatives:

- All staff members to get at least one training per year.
- RMs/ZMs shall be trained for 2 to 3 days in a quarter and that of Branch Managers for 4 to 5 days in a half year.
- GMs/DGMs with over 2-3 years of left over service shall be nominated for apex level external training on Leadership, Management Development etc. at reputed management institutes like ISB, IIM etc.
- To make the Training Colleges/Centres as a referral point and solution provider for the practical problems being encountered by the employees in their day to day working.

4. RECRUITMENT & PROMOTIONS:

In the year 2013-14, recruitment process was held for 4253 posts encompassing Probationary Officers, Technical Officers-IT, AFOs in Scale-I, Law Officers, Architect, Civil Engineers, Electrical Engineers in Scale-II, Research Analyst in Scale III, clerical cadre.

The promotional exercise has been made more motivating and as such as a corporate goal, it has been resolved to held the promotion processes as frequently as possible for all scales/categories. Accordingly, during the year 2013-14 inter-scale and inter-cadre promotion processes were conducted and as many as 3524 employees/officers (Mainstream as well as Specialist category) were elevated to higher cadre/scale.

5. IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICY:

The Bank has been implementing the guidelines/instructions received from Government of India on Reservation Policy and concessions and relaxations are extended to SCs/STs/OBCs/PWDs/Ex-servicemen as admissible in the Reservation Policy. Shri Shivanna, Hon'ble Member of National Commission for Scheduled Castes visited Bhubaneswar Region under Kolkata Zone on 25.10.2013 and had discussions with the representatives of our Bank on implementation of reservation policy and service safeguards for Scheduled Caste employees.

6. STAFF WELFARE SCHEMES:

'Welfare of Staff and their families' continues to be the committed endeavour of the management and this endeavour is always kept on the top of the HR agenda of the Bank. Accordingly, for the year 2013-14, an amount of ₹25 crore has been apportioned for expending towards various Staff Welfare Schemes.

This amount has been allocated towards various schemes by improving certain schemes in terms of monetary & qualitative terms of the schemes. The focus of staff wellness continues to be on 3 areas of utmost importance viz. health, education and rest & recuperation (work life balance).

7. INDUSTRIAL RELATIONS:

The Industrial Relations during the year remained generally cordial.



CREDIT CARD OPERATIONS:

- ❖ The bank has Credit Card base of 52289 & Prepaid Card base of 847753 as on 31st March 2014.
- ❖ The bank issues Credit Cards with major card association's viz. MasterCard & Visa. Prepaid Cards are issued in association with MasterCard.
- ❖ Bank also issues EMV Chip based Credit Cards for customers desiring to have international use.

ATM /DEBIT CARD OPERATIONS

- ❖ Total live ATMs 3628 as on 31.03.2014 compared to 2529 as of 31.03.2013. ie. we have added 1099 during the year.
- ❖ Marked our ATM presence in LEH. MANI KARAN & BODH GAYA.
- ❖ Number of transactions per day touched 1 million in November 2013.
- ❖ Uptime at present is 98% and aiming to improve it to 99%.
- ❖ Average hits per day is on the rise.
- ❖ Average cash withdrawal is around ₹ 70 cr per day.
- ❖ POS transaction is Rs 559.54 cr.

SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

i. CENTBANK HOME FINANCE LIMITED

- ❖ Owned funds have increased from Rs 64.01 crore as on March 2013 to Rs 82.82 crore as on March 2014 due to rights issue share allotment to share holders.
- ❖ During the year the total advances of the company improved from ₹ 401.60 Crores in March, 2013 to ₹487.60 Crores as on March, 2014, Y-o-Y growth of 21.41%. Housing loans have increased from Rs 289.11 crore in March 2013 to Rs 356.03 crore as on March 2014 registering growth of 64.60%. Non Housing loans increased to Rs 131.38 crore from Rs 112.49 crore registering growth of 16.79%.
- ❖ The retails deposits and institutional deposits have increased from Rs 227.60 crore in March 2013 to Rs 315.65 crore in March 2014, a Y-o-Y growth of 38.68%.
- ❖ The Net Profit of the Company stood at ₹11.29 Crore for full year 2013-14, as against the level of ₹10.06 Crore for full year 2012-13. The reason for increase in profit is due to increase in interest income on account of fresh disbursements.
- ❖ Earning per Share is ₹48.41 (₹100 per share) [Previous Year ₹50.32], The company has increased paid up capital from ₹20.00crores to ₹ 25.00crores during the year.
- ❖ NPA stands at Rs 16.02 crore in March 2014 as against Rs 14.86 crore in March 2013.
- ❖ Net NPA to Net Advances is at 1.12% as on March 2014.
- ❖ Return on Assets is 2.41%. [Previous year 2.45%]
- ❖ CAR works out at 24.27% as on 31st March 2014.

ii. CENTBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED

- ❖ Centbank Financial Services Limited is essentially providing ancillary Corporate Financial Services. CFSL was engaged in the business of the following segments:
 - Project Appraisal and Loan Syndication
 - Capital Market Transactions (both equity and debt)
- ❖ Corporate Advisory Services including M&As and Debt Restructuring, Project Advisory, Securitisation, Risk Management, Business Valuations, Private Equity and TEV Report
- ❖ Trusteeship Services including Debenture/Security Trustee, Executor Trustee and Managing Charitable Trusts etc.

Financial Update:

- ❖ The company earned a Net Profit of ₹2.82 crore as of March 2014 against Net Profit of ₹7.88 crore in the previous year,
- ❖ The income from syndication in 2013-14 is ₹4.51 crore vis-à-vis ₹10.31 crore during previous year. The decline in the syndication fees is mainly because of the poor market conditions.



- On the Advisory vertical, in the Current FY, company earned a fee of ₹ 2.85 Crore which includes ₹ 1.50 Crore from a Corporate Debt Restructuring assignment and ₹ 60.00 Lacs from a Rights Issue assignment along with some other TEV reports whereas in FY 2013, it was ₹ 77 Lacs.
- On the Trusteeship vertical, company earned a fee of ₹ 2.13 Crore as against ₹ 1.61 Crore in the previous Financial Year.

iii. INDO-ZAMBIA BANK LTD.

- The Bank's Joint Venture in Zambia is promoted jointly by Government of Zambia and three India Banks viz. Central Bank of India, Bank of Baroda and Bank of India. While each of the 3 Indian Banks hold 20% equity, Govt. of Republic of Zambia holds the balance 40% equity.
- The Bank has been performing well in all parameters and is presently the sixth largest bank in Zambia with a total business mix of Rs 2634 crore.
- The Bank earned a net profit of Rs 37.69 crore for the year ended 31st December 2013 as against total investment of Rs 60 lacs made in the Joint Venture, the total dividends earned by our Bank during the last five years alone has been in excess of 440 lacs.

iv. Regional Rural Banks :

- We had 5 RRBs as on 31st March 2013 in 5 states covering 54 districts with a network of 1799 Branches.
- Due to amalgamation of RRBs, 2 RRBs namely, Ballia Etawah Gramin Bank had been merged to form Purvanchal Bank (Sponsored by SBI) on 01/04/2013 & Surguja Kshetriya Gramin Bank had been merged to form Chhattisgarh Rajya Gramin Bank (Sponsored by SBI) on 02/09/2013. As such our sponsorship had been ceased in these two RRBs.
- Now we have 3 RRBs as on 31st March 2014 in 3 states covering 46 districts with a network of 1609 Branches.
- RRBwise performance is given as below ;

(Amount in ₹Crore)

Name of RRBs with its HO & State	No. of Dist. & Branches	Total Deposits	Total Advance	Gross NPA	Net Profit
Central Madhya Pradesh GB. Chhindwara (M.P).	25 / 451	5329.55	3101.36	287.22	10.00
Uttar Bihar GB. Muzaffarpur (Bihar)	18 / 1020	9342.85	5164.31	114.39	65.21
Uttarbanga Kshetriya GB. Coochbehar (West Bengal)	3 / 138	1752.75	1075.76	152.53	15.63
Total	46 / 1609	16425.15	9341.43	554.14	90.84

Highlights :

- All our RRBs are on CBS platform with 100% branches with CBS facility.
- All our RRBs provide ATM facility to their SB / CD customers.
- All our RRBs provide KCC Rupay card facility to KCC A/Cs holders.
- All our RRBs provide NEFT facility to their customers
- All our RRBs are in profit.
- Uttar Bihar GB has 18 FLCCs

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- CSR is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large.
- It is our continuing commitment to donate under CSR through the organization/Trust working for poor, downtrodden people of society for their upliftment for education, health, natural calamities and overall social welfare of the society
- The Bank's Budget under CSR activity support for the current financial year 2013-2014 was ₹ 5.00 crores. Against the above budget, donation aggregating to ₹1.59 crores were sanctioned to different associations/ charitable institutions dealing mainly in EDUCATION, HEALTH , WELFARE OF DEAF & DEAF-BLINDS, RELIEF FOR FLOOD & NATURAL CALAMITIES AND OTHER ACTIVITIES OF UNDER PRIVILEGED.


During the year 2013-2014 following are the highlights of CSR Activities:

- ❖ Well equipped and fully furnished Ambulance donated to Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak under CSR initiative. Considering that the IGNTU is situated in a tribal area wherein large number of Tribal students are studying with scarcity of medical services, as such it is for the benefit of the tribal people, by donating for this noble cause the bank can get publicity in the tribal areas where ever the ambulance services are utilized.
- ❖ One Dialysis Machine donated to The Calcutta Heart Clinic and Hospital under CSR initiative. The CSR support will enable the Hospital to provide much needed medical care to the needy at an affordable cost.
- ❖ One vehicle Model Mahindra Maxximo BS III donated to Iskcon Food Relied Foundation (IFRF) for delivering the cooked midday meals for the under privileged children to be delivered in various Municipal Schools in Mumbai. Iskcon Food Relied Foundation (IFRF) has agreed to display Bank's Name/Logo inscribed as 'Supported by: Central Bank of India' in English and regional language and also agreed to display some of our Bank's Products on the body of vehicle which will give good publicity mileage to the Bank.
- ❖ School Uniforms given to students of Sree Narayana Mandira Samiti Secondary Section (English Medium) i.e. VI to X standard. This uniform includes two pair of dress, belt and tie. The Samiti has agreed to inscribe Bank's Logo on the uniform which will give good mileage for the Bank.
- ❖ Donation given to Umang Foundation for 1,250 stationery Kits towards distributing to children of Slum Residents or financially deprived families from areas like Ulhasnagar, Kalyan East, Vithalwadi, Shahad etc. The Foundation has agreed that our Corporate Logo will be printed (back cover) on 10,000 notebooks which will be distributed among 1250 less fortunate children. This will give good mileage to our Bank as these 1250 children will be from different schools.
- ❖ We have granted donation under our Bank's corporate social responsibility to The Chief Minister of Uttarakhand to give support to flood affected families of Uttarakhand.
- ❖ The children who are living under shadow of leprosy are deprived of all basic needs, which are adversely affecting their Educational as well as Socio-economic Development. International Leprosy Union initiated this development programme for children under shadow of leprosy. Through this project, ILU enrolled 25 children under shadow of Leprosy in the Anandvan Kusth Vasahat, Dapodi, Pune, with an idea to invest in future. This proposal has been designed for one year to support 25 children of 114 families from Anandvan Kusth Vasahat, Dapodi and Pune, which will be extended for three years after monitoring their satisfactory progress.
- ❖ Generator set and two Water Coolers donated to Saraswati Shishu Mandir Shiksha Samiti school under CSR. Samiti is working for providing quality education to the children of poor & under privileged segment of society. The enrolment of the students is mainly from Poor Families. They have a strength of 2202 students with approximately 47% O.B.C. & S.C. students. More than 40% students are granted partial or full free ship.
- ❖ Our Bank has supported three girls who do not have any financial source for continuing their education. CSR support to poor, economically backward meritorious students are being our future assets which will help in our Bank's image building measure.
- ❖ Helen Keller Institute for Deaf & Deafblind is providing unique services like Diagnostic Centre, Education for the Deaf, Deafblind and Visually impaired with additional disabilities, Vocational & Rehabilitation training, Computerised Mini Braille Press to the Deaf, Deafblind & Blind. CSR support is given to the Institute for participating in Standard Chartered Mumbai Marathon 2014 for social cause.
- ❖ Tata Sumo Ambulance donated to Indian Red Cross Society Dist Branch Raigarh for reaching out to the needy patients for extending emergency medical help.

INITIATIVES

- ❖ **INNOVATIVE CONCEPT OF GROW- GREEN TREES** – THROUGH THIS, WE HAVE REPLACED THE MEMENTOS WITH CERTIFICATES HAVING PLANTED SPECIFIC NUMBER OF TREES IN THE WASTELANDS OF THE COUNTRY IN ASSOCIATION WITH GROWTREES.COM
- ❖ **GREEN INITIATIVE MEASURES VIZ.:-** CIRCULATION OF BOARD AGENDA PAPERS TO DIRECTORS THROUGH ELECTRONIC MODE, BACK TO BACK PRINTING ON PAPERS
- ❖ **BANK'S CLIENTS GREETED VIA SMS & E-MAILS ON ALL FESTIVALS OF NATIONAL & REGIONAL IMPORTANCE.**
- ❖ **"CUSTOMER DELIGHT INITIATIVE"** TO SEND FLOWER/BOUQUETS ON THE BIRTHDATES OF OUR "CENT PREMIUM" CUSTOMERS.



- ❖ Customized savings product – **Cent Salary Savings Scheme** ALONG WITH “**WONDERCARD**” WITH INBUILT OFFERS, CONCESSIONS AND OVERDRAFT FACILITY LAUNCHED FOR SALARIED CLASS.
- ❖ Facility of **online opening of time deposit accounts** TO INTERNET BANKING USERS OFFERED – BEING FIRST NATIONALISED BANK TO OFFER THIS FACILITY.
- ❖ STANDARDISED BRANDING OF BRANCHES, ATMS, KIOSKS, LIFTS & GATES.
- ❖ BRANDING OF PUBLIC TRANSPORT BUSES THROUGH **500 TAB CABS**.
- ❖ Under “**Cent Sanskriti**”, VARIOUS CSR ACTIVITIES WERE UNDERTAKEN IN THE FIELD OF HEALTHCARE, EDUCATION, WELFARE OF OLD AGE PEOPLE & DESTITUATES, DROUGHT RELIEF ETC. BY ASSOCIATING WITH RENOWNED NGO'S ACROSS THE COUNTRY.
- ❖ BANK HAS INTRODUCED A SECURED CREDIT CARD PRODUCT – ASPIRE CREDIT CARD. THIS CARD IS SECURED AGAINST TERMS DEPOSITS HELD BY THE CUSTOMERS WITH THE BANK.
- ❖ CO-BRANDED PREPAID CARD WAS LAUNCHED WITH SUVIDHA.
- ❖ LAUNCHED ENQUIRY FACILITY VIA MISSED CALL & SMS BASED HOT-LISTING OF CREDIT CARDS.
- ❖ BANK HAS INTRODUCED A NEW VARIANT OF DEBIT CARD PRODUCT – “**WONDER CARD**” TO MEET THE SPECIFIC REQUIREMENT OF SALARY CLASS SAVING ACCOUNTS HOLDERS. THIS PRODUCT HAS BUILT-IN CREDIT FACILITY.
- ❖ IN ORDER TO EXPAND BUSINESS OPPORTUNITY THROUGH FEE BASED INCOME AND TO PROVIDE RENEWAL PREMIUM REMITTANCE OPTION THROUGH OUR CBS NETWORK FOR ALL POLICY HOLDERS OF BAJAJ ALLIANZ (INCLUDING OUR CUSTOMERS), WE HAVE ESTABLISHED THE COLLECTION PROCESS ON REAL TIME BASIS THROUGH INTEGRATED SYSTEM AND A CUSTOMISE SCREEN IN 'b@ncs24'. THIS WILL ALSO GENERATE WALK IN BUSINESS WHICH CAN HAVE A POSITIVE IMPACT ON CASA.
- ❖ BANK IS CURRENTLY UPGRADING THE CURRENT VERSION OF E-TREASURY SOLUTION TO ENSURE ALL THE NEW FUNCTIONALITIES ARE AVAILABLE ALONG WITH A ROBUST MARKET RISK SOLUTION BY TCS.
- ❖ BANK IS IN PROCESS OF FINALISATION OF IMPLEMENTATION OF ADVANCED APPROACH SOLUTION FOR CREDIT AND OPERATIONAL RISK.
- ❖ BANK IS IN PROCESS OF IMPLEMENTATION OF NEW AML SOLUTION FOR WHICH PO IS ISSUED TO 3I INFOTECH.
- ❖ BANK IS IN PROCESS OF IMPLEMENTATION OF E-TDS SOLUTION FOR WHICH PO IS ISSUED TO M/S RELYON SOFTWARE.

ACHIEVEMENTS

- ❖ DURING THE YEAR BANK HAS ADDED 1099 ATMS TO REACH 3628 ATMS.
- ❖ E-TRANSACTION INCREASED FROM 30% TO 39% OF TOTAL TRANSACTIONS DURING THE YEAR.
- ❖ THE DEBIT CARD BASE OF THE BANK HAS INCREASED FROM 42 LACS TO 72 LACS AS ON 31ST MARCH 2014.
- ❖ DURING THE YEAR INTERNET BANKING CUSTOMER BASE INCREASED FROM 6.02 LACS TO 19.62 LACS REGISTERING AN IMPRESSIVE GROWTH OF 225%.
- ❖ BANK STOOD 1ST IN MOBILIZING INSURANCE PREMIUM AND IN NUMBER OF POLICIES AMONGST ALL BANCASSURANCE PARTNERS OF LIC. BANK HAS CANVASSED 1,08,036 POLICIES WITH PREMIUM OF ₹176 CRORES. TOTAL EARNING FROM BANCASSURANCE BUSINESS IS ₹26.65 CRORE WITH Y-O-Y GROWTH OF 8%.
- ❖ UNDER GENERAL INSURANCE BUSINESS, BANK HAS MOBILIZED 5,59,846 POLICIES WITH PREMIUM COLLECTION OF ₹105 CRORE WITH Y-O-Y GROWTH OF 27%.
- ❖ HOT-LISTING OF DEBIT CARD / CREDIT CARD THROUGH SMS IMPLEMENTED.
- ❖ MISSED CALL FACILITY FOR CREDIT CARD CUSTOMERS IMPLEMENTED.
- ❖ COLLECTION OF PREMIUM AT OUR BRANCHES FOR BAJAJ ALLIANZ IMPLEMENTED.
- ❖ MOBILE BANKING LAUNCHED
- ❖ CASH DEPOSIT KIOSKS (CDK'S) INSTALLED IN 150 BRANCHES.



- ❖ BANK HAS IMPLEMENTED CHATTISGARH SCHOLARSHIP PROGRAMME ON PREPAID CARDS. SECOND PHASE IS CURRENTLY UNDER IMPLEMENTATION.

WAY FORWARD

- ❖ SHARE OF CASA DEPOSITS TO BE IMPROVED.
- ❖ CENT SALARY SAVING SCHEME FOR EMPLOYEES OF CORPORATES & NON CORPORATES WILL BE A DRIVING FORCE TO BRING IN THE EMPLOYER'S CORPORATE ACCOUNTS.
- ❖ UPGRADATION OF EXISTING PRODUCT IN LINE WITH THE INDUSTRY PRACTICES ESPECIALLY ONLINE PRODUCTS IS THE PRIME TARGET- BEGINNING WITH ONLINE OPENING OF SAVINGS ACCOUNTS.
- ❖ GARNERING OF SUBSTANTIAL DEPOSIT UNDER NEWLY INTRODUCED RDS- CENT LAKHPATI "JAB CHAHO LAKHPATI BANO".
- ❖ FOCUS ON MARKETING OF GIFT CARDS – BASE TO BE INCREASED TO 50000.
- ❖ BANK HAS ROBUST PLAN TO CONTAIN GROSS NPA BELOW 5.50% AND NET NPA AT LESS THAN 3.00%.
- ❖ PLANNED TO OPEN ADDITIONAL 2022 ATMS DURING FY 2014-15 TO REACH A LEVEL OF 5650 ATMS. THIS WILL ENABLE ATM PRESENCE IN ALL OUR BRANCHES.
- ❖ THRUST IN TRANSACTION BANKING ACTIVITIES TO GENERATE ADDITIONAL BUSINESS.
- ❖ UPGRADATION OF EXISTING PRODUCT IN LINE WITH THE INDUSTRY PRACTICES ESPECIALLY ONLINE PRODUCTS IS THE PRIME TARGET- BEGINNING WITH ONLINE OPENING OF SAVINGS ACCOUNTS.
- ❖ TO ACHIEVE 40% GROWTH IN FEE BASED INCOME THROUGH BANCASSURANCE BUSINESS IN FINANCIAL YEAR 2014-15.
- ❖ BY MONITORING REVIVAL OF LAPSED POLICIES ENHANCE PERSISTENCY RATIO TO 50% IN LIFE INSURANCE BUSINESS
- ❖ TO CREATE POOL OF 2650 SPECIFIED PERSONS TO CARRY BANCASSURANCE BUSINESS.
- ❖ COVERAGE OF ALL BRANCHES/USERS UNDER BIOMETRIC SYSTEM
- ❖ IMPLEMENTATION OF E-KYC
- ❖ 600 MORE MULTI FUNCTIONAL KIOSK (MFK) AND CASH DEPOSIT KIOSKS (CDK'S) TO BE INSTALLED DURING THIS FINANCIAL YEAR.

AWARDS & ACCOLADES

- ❖ Government of India has awarded the second ranked "**National Award for Excellence in MSME Lending**" for the year 2012-13 to Central Bank of India. The award was given at the benign hands of Hon'ble Prime Minister Shri Manmohan Singh.
- ❖ Bank was conferred '**HR AWARD**' for 'Training Excellence' (Gold Award) towards achieving excellence in Training and Learning systems and practices, by Greentech Foundation.
- ❖ Bank has received second award in the category: Public – Service Sector (Large) for '**Excellence in Cost Management**' by Institute of Cost Accountants of India.
- ❖ Bank was conferred '**BEST FINANCIAL ADVISOR AWARD UNDER PSU CATEGORY**' by CNBC TV & UTI Mutual Fund.
- ❖ Bank was conferred '**Greentech Safety Award – 2013**'.
- ❖ During BANCON 2013, Bank won Special Mention Award under the category '**Most Innovative Broad-based Product Offering**'.
- ❖ Bank has received Banking Excellence Awards in two categories viz. 1) **ECO– Technology Award – Runner Up** and 2) **Jury Award for New Initiatives** in a glittering function organized by Chamber of Indian Micro Small & Medium Enterprises in the august presence of Dr. Montek Singh Ahluwalia, Hon'ble Dy. Chairman, Planning Commission, Mr. J.D. Seelam, Hon'ble Minister of State for Finance and Mr. Arun Maira, Member Planning Commission.



CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy of Corporate Governance

- ❖ Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standard of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices, and standards of governance are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the Corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value.
- ❖ The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.
- ❖ ICRA Limited has reaffirmed the "CGR3+" (pronounced CGR 3 plus) rating to the Corporate Governance practices of our Bank. This rating implies that in ICRA's current opinion, the rated company has adopted and follows such practices, conventions and codes as would provide its financial stakeholders adequate level of assurance on the quality of Corporate Governance.

Board of Directors

- ❖ The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.
- ❖ The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.
- ❖ During the year under review i.e. 2013-14, the composition of the Board was as under:

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2014	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India as on 31.03.2014		Directorship of other Companies as on 31.03.2014	Whether attended last AGM on June 29, 2013
						Member	Chairman		
1.	Shri M.V.Tanksale	Chairman and Managing Director	29.06.2011 - 31.07.2013	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SIGC, IFRS, ITPA, VIG, CAC, HR, MRC	MCB, RMC, LVFC, CSC, IFRS, ITPA, VIG, CAC, PC, PAC	i) Centbank Financial Services Ltd. ii) Indo Zambia Bank Ltd. iii) Life Insurance Corporation of India iv) Cent Bank Home Finance Ltd.	Yes
2.	Shri Rajeev Rishi	Chairman and Managing Director	From 01.08.2013	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SIGC,	MCB, RMC, LVFC, CSC, IFRS, ITPA,	Indo Zambia Bank Ltd.	Not a Director on the date of AGM



Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2014	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India as on 31.03.2014		Directorship of other Companies as on 31.03.2014	Whether attended last AGM on June 29, 2013
						Member	Chairman		
						IFRS, ITPA, VIG CAC, HR, MRC	VIG CAC PC, PAC		
3.	Shri Malay Mukherjee	Executive Director	05.11.2012 -11.12.2013	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITP, SIGC, IFRS, ITPA, CAC, CRC, MRC, HR	NIL	Centbank Financial Services Ltd.	Yes
4.	Shri R.K.Goyal	Executive Director	From 11.01.2013	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SIGC, IFRS, ITPA, CAC, HR, MRC	NIL	Cent Bank Home Fin. Ltd. Cent Bank Financial Services Ltd.	Yes
5.	Shri Animesh Chauhan	Executive Director	From 05.08.2013	NIL	Banking	MC, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SIGC, IFRS, ITPA, CAC, HR, MRC	NIL	Cent Bank Home Finance Ltd.	Not a Director on the date of AGM
6.	Shri B.K. Divakara	Executive Director	From 23.01.2014	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SIGC, IFRS, ITPA, CAC, HR, MRC	NIL	-Cent Bank Home Finance Ltd. -Cent Bank Financial Services Ltd.	Not a Director on the date of AGM



Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2014	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India as on 31.03.2014		Directorship of other Companies as on 31.03.2014	Whether attended last AGM on June 29, 2013
						Member	Chairman		
7.	Shri Alok Tandon	Government of India Nominee Director	15.11.2011 - 25.07.2013	NIL	Administration	ACB, RMC, LVFC, RC, VIG, MRC, HR	RC	NIL	No
8.	Dr. K. P. Krishnan	Government of India Nominee Director	26.07.2013 - 18.02.2014	NIL	Administration	ACB, RMC, LVFC, RC, VIG, MRC, HR	RC	NIL	Not a Director on the date of AGM
9.	Dr. Saurabh Garg	Government of India Nominee Director	From 19.02.2014	NIL	Administration	ACB, RMC, LVFC, RC, VIG, MRC, HR	RC	Delhi-Mumbai Industrial Corridor Trust	Not a Director on the date of AGM
10.	Shri Salim Gangadharan	RBI Nominee Director	30.07.2010 - 12.03.2014	NIL	Banking	MC, ACB, RC, VIG	NIL	NIL	No
11.	Shri Shekhar Bhatnagar	RBI Nominee Director	From 13.03.2014	NIL	Banking	MC, ACB, RC, VIG	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM
12.	Prof. N. Balakrishnan	Shareholder Director	20.11.2008 - 19.11.2011 and from 10.01.2012	160	Information Technology	RMC, CSC, ITS, SIGC	ITS, SIGC	i) C-DOT Alcatel Research Centre Pvt. Ltd. ii) Data Security Council of India.	Yes
13.	Shri Guman Singh	Part Time Non-official Director	From 08.08.2011	NIL	Retired Railway official	MC, ACB, CSC, IFRS	NIL	NIL	Yes
14.	Shri M.P. Shorawala	Part Time Non-official Director	From 03.01.2013	NIL	Lawyer	SIGC, RC, IFRS	NC	Vishwa Lakshmi Exports (P) Ltd.	Yes
15.	Shri Krishan Sethi	Part Time Non-official Director	From 28.02.2013	NIL	Professional	ACB, ITS, SIGC, RC, IFRS, ITPA, NC	NIL	NIL	Yes



Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2014	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India as on 31.03.2014		Directorship of other Companies as on 31.03.2014	Whether attended last AGM on June 29, 2013
						Member	Chairman		
16.	Shri S.B. Rode	Officer Employee Director	From 02.04.2013	133	Banker	MC, RMC, ITPA	NIL	NIL	Yes
17.	Shri Gurbax Kumar Joshi	Workmen Employee Director	From 10.07.2013	NIL	Banker	RMC, LVFC	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM
18.	Smt. N.S. Rathnaprabha	Part Time Non-official Director	From 19.12.2013	NIL	Social Service	MC, LVFC, CSC, NC	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM

The Chairman and Managing Director and the Executive Directors are whole time Directors of the Bank.

- MCB - Management Committee of the Board
- ACB - Audit Committee of the Board
- RMC - Risk Management Committee
- LVFC - Large Value Fraud Committee
- CSC - Customer Service Committee
- ITS - Information Technology Strategy Committee
- SIGC - Shareholders'/Investors' Grievances Committee
- RC - Remuneration Committee
- IFRS - International Financial Reporting Standards Committee
- ITPA - Internal Training Policy Advisory Committee
- VIG - Vigilance Committee
- CAC - Credit Approval Committee
- HR - Human Resources Committee
- MRC - Monitoring of Recovery Committee
- NC - Nomination Committee

Brief Profile of the New Directors

1. Shri Rajeev Rishi, Chairman & Managing Director (D.O.B.30.08.1959)

Shri Rajeev Rishi has been a University Rank holder, National Merit Scholar and is a Law Graduate from Punjab University, Chandigarh. He is also a Sport Enthusiast and represented his college in Table Tennis and Chandigarh in National Roller Skating Meet.

Prior to his present assignment, as CMD of the Bank w.e.f. 01.08.2013 he was Executive Director in Indian Bank which responsibility he was holding since October 2010.

He started his banking career with Oriental Bank of Commerce as a Probationary Officer on 12.05.1979 and served for 3 decades in various positions and geographies. He has 25 years of field exposure in branches and regions. He was General Manager-Human Resources, Third Party Product Marketing & Board Secretariat from 2005 to 2010. He has successfully handled the HR integration in Global Trust Bank's merger with Oriental Bank of Commerce.

He is a member of IBA Standing Committee on HR. He is also a member of Core Group under the present Negotiation Committee constituted by the IBA on Bipartite Settlement.



2. Shri Animesh Chauhan, Executive Director (D.O.B. 30.06.1957)

Shri Animesh Chauhan started his career on 17th January 1979 as a DRO in Bank of Baroda. Before his current assignment, he was the General Manager/Zonal Head, Rajasthan Zone of Bank of Baroda, based at Jaipur. He also held the position of Chairman, The Nainital Bank Ltd. as also the Head of London Main Office & Chief Compliance Officer of UK Operations.

He has worked in various positions at Gujarat, MP, Uttarakhand, Rajasthan & overseas assignments.

He also held the post of Convener, State Level Bankers' Committee of Rajasthan State for the last two years in Bank of Baroda.

3. Shri B.K.Divakara, Executive Director – (D.O.B. 17.07.1960)

Shri Divakara is a chartered accountant, cost accountant and a Company Secretary. He started his career as a Chartered Accountant in Corporation Bank in 1986. He was promoted as Chief Manager in 1997, AGM in 2000, DGM in 2007 and GM in 2010. He joined Central Bank of India as ED w.e.f. 23.01.2013. He has worked as a Zonal Head and also handled various portfolios such as Corporate Sanctions, Printing & Stationery, Official Language Policy Implementation, Support Services, ATM Mgt, Credit Rating, Fee Income, CDR, Loan Syndication etc.

4. Dr. K. P. Krishnan, Government of India Nominee Director – (D.O.B. 29.12.1959)

Dr. Krishnan is an IAS 1983 Karnataka State Batch. After serving in State Cadre, he joined as Under-Secretary, Dept. of Personnel & General Admn., New Delhi in 1991. He has held various important portfolios like Advisor to Executive Director (World Bank) during 1994-1997, Secretary-Dept. of Finance, Govt of Karnataka during 1997-1999. He also held the post of MD, Karnataka Urban Infra. Dev. Finance during 2002-2005. Thereafter he held the post of Jt.Secy., Capital Mkt. Division, Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, during 2005-2010. During 2010-2012, he held the post of Secretary, Economic Advisory Council to the Prime Minister. From July 2013 he has been holding the post of DG & Additional Secretary, Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi. He had also been Nominee of MoF on the boards of financial sector regulators like SEBI/PFRDA & large PSBs like Allahabad Bank & Canara Bank.

His significant achievements among others include securing approval of Parliament for a new legal framework for securitization, preparation of a blueprint for Indian financial sector reforms including fundamental reforms in the regulatory architecture etc. His term ended on 18.02.2014.

5. Dr. Saurabh Garg, Government of India Nominee Director – (28.07.1964)

Dr. Saurabh Garg is an eminent scholar. He has completed B. Tech from IIT-Delhi in Chemical Engg-Bio Technology. He has done MBA (Mgt. Finance) from IIM-Ahmedabad. He has received certification in Globalisation & Urban Development from London School of Economics & Political Science, London, UK. He has completed his Ph. D. from Paul Nitze School of International Studies, Hopkins University, Washington, USA.

Dr. Garg is also an IAS 1991 Orissa Cadre. After serving in Orissa State Cadre, he joined as Deputy Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi in April, 2002. During his tenure in State Cadre, he held various important portfolios like Project Director, DRDA, Kalahandi & Project Director, Energy Dept., during 1993-1996. He also held the post of MD, IDCOL, Cement Ltd. during 1996-98. He worked as a Collector of Bargarh & Keonjhar Districts and also as a Director, Watershed Dev Deptt. He has been working as a Joint Secretary in Dept. of Expenditure, MoF, w.e.f. 04.05.2012.

Details of awards earned by Dr. Garg :

1988 – Gold Medal for Academic Excellence

1993 – Best All round probationer of 1991 IAS Batch

Details of Publications:-

2000 (Public Administration)

Some intervention and experiences in improving service through Government Delivery Systems 2010 (Finance)

Indian Infrastructure Vision – Financing challenges.

6. Shri Shekhar Bhatnagar, RBI Nominee Director – (17.07.1958)

Shri Bhatnagar is B.Sc., M.A. (Lucknow University) and MBA (In Finance) from FMS, New Delhi. He joined Reserve Bank of India (RBI) in 1984 as officer (Grade 'B') and worked in different capacities, in different departments of RBI like

Currency Management, Banking, Department of Banking Supervision and Department of Non-Banking Supervision. He is presently working as Regional Director for Uttar Pradesh, Reserve Bank of India, Kanpur

7. Shri S. B.Rode, Officer Employee Director – (D.O.B.15.03.1957)

Shri Rode has been appointed as a Officer Employee Director under clause (f) of sub-section 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, for a period of 3 years with effect from the date of notification (02.04.2013) or until he ceases to be a Officer Employee of the Bank

8. Shri Gurbax Kumar Joshi, Workmen Employee Director-(D.O.B.10.07.1958)

Shri Joshi has been appointed as a Workmen Employee Director under clause (e) of sub-section 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, for a period of 3 years with effect from the date of notification (10.07.2013) or until he ceases to be a Workmen Employee of the Bank.

Shri Joshi joined the Bank on 27.07.1981 and has held the position of Vice President, All India Central Bank Employees Federation.

9. Smt. N. S. Rathnaprabha - (D.O.B. 19.07.1962)

Smt. Rathnaprabha is an eminent social worker & member of AICC. She holds the post of General Secretary of KPCC. She was former Chair person of Karnataka State Handicraft Dev. Corp. Ltd., A Govt. of Karnataka undertaking.

DETAILS OF OTHER DIRECTORS

1. Shri M.V.Tanksale, Chairman & Managing Director (D.O.B. 31.07.1953)

Shri M. V. Tanksale assumed charge as Chairman & Managing Director of Central Bank of India on June 29, 2011. His term ended on 31st July, 2013.

2. Shri Malay Mukherjee, Executive Director (D.O.B. 26.07.1955)

Shri Malay Mukherjee joined Indian Bank as Probationary Officer in 1976 and has more than 36 yrs experience of serving the banking industry.

Shri Mukherjee joined as Executive Director, Central Bank of India w.e.f. 5th November 2012. and demitted the office on 11.12.2013 on his appointment as CEO & Managing Director in IFCI Ltd.

3. Shri R.K. Goyal, Executive Director (D.O.B. 01.01.1957)

Shri Raj Kumar Goyal joined Bank of India on 12.05.1977. A career Banker and a thorough professional, he has worked in various capacities during the last 36 years. His diverse assignments at various stages include General Operations, Credit, International Banking and HR. He has worked extensively in Credit, particularly Large Credit and has successfully headed three Large Corporate Banking branches of BOI. During his tenure of 4 years at BOI's London Branch, he handled many important portfolios including Loan Syndication and Investments. He is known for his administrative capabilities and believes in team work.

Shri Goyal joined as Executive Director, Central Bank of India w.e.f. 11th January 2013.

4. Shri Salim Gangadharan, RBI Nominee Director(D.O.B. 13.10.1953) - MA, CAIIB and was working with the Reserve Bank of India (RBI) over 30 years and was Regional Director of RBI Thiruvananthapuram. Mr. Gangadharan was RBI Nominee Director on the Board of our Bank from 30.07.2010 to 12.03.2014.

5. Shri Guman Singh, Non-Official Part-Time Director (D.O.B. 24.03.1937)

Shri Guman Singh is appointed as Part-Time Non-Official Director on the Board of Central Bank of India on 08.08.2011. He is a retired Railway Official and is presently holding the post of President. National Federation of Indian Railway men, President - Indian National Trade Union Congress, Rajasthan State, Member- Standing Committee, National Council (Joint Consultative Machinery), New Delhi, Secretary (National Level) - Indian National Trade Union Congress.

6. Padma Shri Prof N Balakrishnan, Shareholder Director (D.O.B. 01.06.1950)

Prof N. Balakrishnan, Shareholder Director is a scientist of highest international repute. He holds a degree in BE (in Electronic curriculum) from University of Madras with Ph.D from Indian Institute of Science in 1979. He is at present an Associate Director of Indian Institute of Science and a Professor at Rep of Aerospace Engineering. He played a crucial role in building India's first Super Computer Centre. He has over 200 publications in the International journals and Conferences. He was honoured with Padmashri from the President of India in 2002, Homi J. Bhabha Award for Applied Science in 2004, J. C. Bose National Fellowship in 2007. Prof. N. Balakrishnan has provided his critical inputs in many major National initiatives in IT planning and Information Security. He was elected on November 20, 2008 as a Shareholder Director on the Board of Central Bank of India upto November 19, 2011. He was re-elected as a Shareholder Director w.e.f. 10.01.2012 for a period of three years.



7. **Shri M.P. Shorawala, Part Time Non Official Director (D.O.B. 15.10.1947)**, is an Advocate-on-Record, Supreme Court of India, New Delhi, practicing for the last 26 yrs. having assisted the Attorney General, Solicitor General and other Law Officers as well as Senior Advocates for the Union of India and also representing various local bodies in the Supreme Court. Apart from handling specific cases in Supreme Court, he has also handled the matters relating to Arbitration, Drafting of Contracts/Agreements, Patents and Trademarks, Cyber Law, Foreign Investments, FERA, Criminal cases, Customs, Corporate Cases, Company Law Board, Joint Ventures, Property cases, Banking, ITAT, Electricity, Taxation, Industrial & Labour Disputes and all other legal & criminal matters.

Shri M.P. Shorawala was nominated as Director on the Board of our Bank w.e.f. 03.01.2013.

8. **Shri Krishan Sethi, Part Time Non Official Director (D.O.B. 10.05.1954)**, is a Chartered Accountant in practice for the last 33 years. He has been practicing Financial Management, Audit, Tax Advisory, Arbitration work for Cooperative Banks and Cooperative Societies. His firm, M/s. Gupta Verma & Sethi, has been conducting concurrent audit/inspection/stock audit/revenue audits of various nationalized banks during the last 32 years.

Shri Krishan Sethi was nominated as Director on Board of our Bank w.e.f. 28.02.2013.

Conduct of Board Meetings

During the year, 15 Board Meetings were held on the following dates:

09.05.2013	23.07.2013	26.09.2013	29.11.2013	06.02.2014
31.05.2013	30.07.2013	30.10.2013	20.12.2013	20.02.2014
29.06.2013	27.08.2013	11.11.2013	27.01.2014	15.03.2014

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M.V. Tanksale	05	05	01.04.2013 – 31.07.2013
Shri Rajeev Rishi	10	10	01.08.2013 – 31.03.2014
Shri Malay Mukherjee	10	10	01.04.2013 – 11.12.2013
Shri R.K. Goyal	14	15	01.04.2013 – 31.03.2014
Shri Animesh Chauhan	10	10	05.08.2013 – 31.03.2014
Shri B.K. Divakara	04	04	23.01.2014 – 31.03.2014
Shri Alok Tandon	04	04	01.04.2013 – 25.07.2013
Dr. K.P. Krishnan	07	09	26.07.2013 – 18.02.2014
Dr. Saurabh Garg	01	02	19.02.2014 – 31.03.2014
Shri Salim Gangadharan	04	14	01.04.2013 – 12.03.2014
Shri Shekhar Bhatnagar	00	01	13.03.2014 – 31.03.2014
Prof N. Balakrishnan	10	15	01.04.2013 – 31.03.2014
Shri Guman Singh	15	15	01.04.2013 – 31.03.2014
Shri M.P. Shorawala	13	15	01.04.2013 – 31.03.2014
Shri Krishan Sethi	15	15	01.04.2013 – 31.03.2014
Shri S.B. Rode	15	15	02.04.2013 – 31.03.2014
Shri Gurbax Kumar Joshi	12	12	10.07.2013 – 31.03.2014
Smt. N.S. Rathnaprabha	04	05	19.12.2013 – 31.03.2014

Management Committee of the Board:

- ❖ The Management Committee of the Board has been constituted under The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of sanction of high value credit proposals, compromises/write off proposals, premises, investments and filing of suits/appeals etc. As on 31.03.2014, it comprised 8 members consisting of the Chairman & Managing Director, 3 Executive Directors, Reserve Bank of India Nominee Director, and 3 part time non-official Directors.

❖ The Management Committee of the Board met 15 times during the year on the following dates:

27.04.2013	29.06.2013	01.10.2013	05.12.2013	20.02.2014
31.05.2013	13.07.2013	30.10.2013	20.12.2013	15.03.2014
21.06.2013	27.08.2013	29.11.2013	05.02.2014	25.03.2014

❖ Attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Management Committee (From – To)
Shri M.V.Tanksale	05	05	01.04.2013 – 31.07.2013
Shri Rajeev Rishi	10	10	01.08.2013 – 31.03.2014
Shri Malay Mukherjee	10	10	01.04.2013 – 11.12.2013
Shri R.K. Goyal	13	15	01.04.2013 – 31.03.2014
Shri Animesh Chauhan	10	10	05.08.2013 – 31.03.2014
Shri B.K. Divakara	04	04	23.01.2014 – 31.03.2014
Shri Salim Gangadharan	05	13	01.04.2013 – 12.03.2014
Shri Shekhar Bhatnagar	01	02	13.03.2014 – 31.03.2014
Shri Guman Singh	09	09	16.03.2013 – 15.09.2013 07.02.2014 – 06.08.2014
Prof N. Balakrishnan	02	03	22.12.2012 – 21.06.2013
Shri M.P. Shorawala	07	08	22.06.2013 – 21.12.2013
Shri Krishan Sethi	08	08	16.09.2013 – 15.03.2014
Shri S.B. Rode	04	04	22.12.2013 – 21.06.2014
Smt. N.S. Rathnaprabha	01	01	16.03.2014 – 15.09.2014

Credit Approval Committee:

❖ Pursuant to newly added clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors has been constituted w.e.f. 31.01.2012. The Committee exercises the powers of the Board with regards to credit proposals upto ₹400.00crs, compromise / write off proposals upto ₹10.00crs, premises proposals upto ₹15.00lacs per annum (Rural Area), upto ₹25.00lacs per annum (Semi-urban Area), upto ₹50.00lacs per annum (Urban Area) and upto ₹1.00crs per annum (Metro Area). The Present Committee comprises of Chairman and Managing Director, Executive Directors, Chief General Manager (Risk Management) & General Manager/s in charge of Credit, General Manager In Charge of Finance, General Manager In Charge of Premises and General Manager In Charge of Recovery.

❖ The Credit Approval Committee met 32 times during the year on the following dates:

20-22.04.2013	22.06.2013	07.10.2013	28.12.2013	11.03.2014
27.04.2013	02.07.2013	24.10.2013	31.12.2013	24-26.03.2014
30.04.2013	16.07.2013	07.11.2013	09.01.2014	28.03.2014
11.05.2013	26.07.2013	19.11.2013	16.01.2014	29.03.2014
30.05.2013	17.08.2013	30.11.2013	25.01.2014	
08.06.2013	07.09.2013	14.12.2013	10.02.2014	
12.06.2013	28.09.2013	21.12.2013	25.02.2014	

Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the RBI. The terms of reference to the Audit Committee are:

- ❖ Reviewing, in respect of Internal Audit, the Internal Inspection/Audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books, frauds and all other major areas of house-keeping;
- ❖ Obtaining and reviewing half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of the instructions



of the RBI;

- ❖ Reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and reviewing the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;
- ❖ Following-up, in respect of Statutory Audits, on all the issues raised in the Long Form Audit Report and interacting with the External Auditors before finalisation of the quarterly/half yearly/annual financial accounts and reports;
- ❖ Reviewing regularly the accounts, accounting policies and disclosures;
- ❖ Reviewing the major accounting entries based on exercise of judgment by management and reviewing any significant adjustments arising out of the audit;
- ❖ Qualifications in the Draft Audit Report;
- ❖ To have post-audit discussions with the Auditors to ascertain any area of concern;
- ❖ Establishing the scope and frequency of Internal Audit, reviewing the findings of the Internal Auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;
- ❖ Compliance with the Stock Exchanges' legal requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
- ❖ Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or regulatory requirements to be attended to, by the Audit Committee.

The Audit Committee of the Board shall comprise of Executive Directors, Government of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two non-official non-executive directors, at least one of them should be a Chartered Accountant. Directors from staff will not be included in the ACB.

Composition of the Audit committee as on 31.03.2014 was as under:

1	Shri Guman Singh	Chairman
2	Shri R.K. Goyal	Member
3	Shri Animesh Chauhan	Member
4	Shri B.K. Divakara	Member
5	Dr. Saurabh Garg	Member
6	Shri Shekhar Bhatnagar	Member
7	Shri Krishan Sethi	Member

During Financial Year 2013-14, Shri Guman Singh, Part Time Non-official Director has been acting as Chairman of the Audit Committee w.e.f. 23-04-2013.

During the year, the Audit Committee met 8 times on the following dates:

09.05.2013	23.07.2013	30.10.2013	04.12.2013
31.05.2013	21.09.2013	11.11.2013	06.02.2014

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Audit Committee (From – To)
Shri Gumansingh	08	08	01.04.2013 – 31.03.2014
Shri Malay Mukherjee	07	07	01.04.2013 – 11.12.2013
Shri R.K. Goyal	07	08	01.04.2013 – 31.03.2014
Shri Animesh Chauhan	05	05	05.08.2013 – 31.03.2014
Shri B.K. Divakara	01	01	23.01.2014 – 31.03.2014
Shri Alok Tandon	03	03	01.04.2013 – 25.07.2013
Dr. K.P. Krishnan	04	05	26.07.2013 – 18.02.2014
Shri Salim Gangadharan	03	08	01.04.2013 – 12.03.2014
Shri Krishan Sethi	08	08	01.04.2013 – 31.03.2014



Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board and placed before the Board of Directors for approval.

Risk Management Committee

In terms of Reserve Bank of India circular DBOD NO.DP(SC)BC/98/21.04.103/39 dated 7th October, 1999 and vide Board Agenda No.BM/01/2002-03/3.2 of meeting dated 20.04.2002 and vide Board Agenda No.BM/09/2002-03/3.9 of meeting dated 25.11.2002, the Risk Management Committee of the Board is formed. The committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors, GOI Nominee Director, RBI Nominee Director and three Non Official Part Time Directors.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

29.06.2013	26.09.2013	20.12.2013	15.03.2014
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Shri M. V. Tanksale	01	01	01.04.2013 – 31.07.2013
Shri Rajeev Rishi	03	03	01.08.2013 – 31.03.2014
Shri Malay Mukherjee	02	02	01.04.2013 – 11.12.2013
Shri R.K. Goyal	04	04	01.04.2013 – 31.03.2014
Shri Animesh Chauhan	03	03	05.08.2013 – 31.03.2014
Shri B.K. Divakara	01	01	23.01.2014 – 31.03.2014
Shri Guman Singh	03	03	01.04.2013 – 28.02.2014
Shri M. P. Shorawala	03	03	01.04.2013 – 28.02.2014
Shri Krishan Sethi	03	04	01.04.2013 – 15.03.2014
Prof. Balakrishnan	01	01	01.03.2014 – 31.03.2014
Shri S. B. Rode	01	01	01.03.2014 – 31.03.2014
Shri G. K. Joshi	NIL	NIL	16.03.2014 -- 31.03.2014

Remuneration Committee

- ❖ The Remuneration Committee of the Board of Directors was constituted as per Ministry of Finance Communication F.No.20.1.2005-Bo-I dated 09.03.2007 for payment of performance-linked incentive to wholtime Directors. The Committee consists of Govt. of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 Independent Directors.
- ❖ The Remuneration Committee met on 29.06.2013 & 23.07.2013 for considering the performance-linked incentive to wholtime directors for the Financial Year 2013-14.

Remuneration of Directors:

- ❖ The Non Official Independent Directors / Non Executive Director were paid sitting fees of ₹10,000/- for attending every meeting of the Board of Directors and ₹5,000/- for attending every meeting of various Sub-Committees of the Board, apart from the Bank incurring the usual travelling and stay expenses. Sitting fees are not paid to the Chairman & Managing Director, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India / Reserve Bank of India.
- ❖ During the financial year 2013-14, the following amounts have been paid to the Chairman & Managing Directors and Executive Directors as total salary, allowances and perks:

Sr	Name	Rupees in lacs
1.	Shri M.V.Tanksale (Ex-CMD)	18.36
2.	Shri Rajeev Rishi (CMD)	11.57
3.	Shri Malay Mukherjee (Ex-ED)	14.15
4.	Smt.V.R.Iyer (Ex-ED)	2.40
5.	Shri R.K.Dubey (Ex-ED)	3.15



Sr	Name	Rupees in lacs
6.	Shri Raj Kumar Goyal (ED)	18.37
7.	Shri Animesh Chauhan (ED)	9.81
8.	Shri B K Divakara (ED)	2.78

During the year under review, the Bank has paid ₹8,40,000/- (Rupees Eight Lakh forty thousand only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and ₹4,90,000/- (Rupees Four Lakh Ninety thousand only) towards attending the Sub-Committee Meetings of the Board.

Shareholders'/Investors' Grievance Committee

In compliance with SEBI guidelines on Corporate Governance as provided in Clause 49 of the Listing Agreement, Shareholders'/ Investors Grievances Committee has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non- receipt of dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors and two independent Directors. Presently, it is headed by Prof. N. Balakrishnan, Independent Non-Official Director of the Bank.

Composition of the Shareholders'/Investors' Grievance committee as on 31.03.2014 was as under

1	Prof. N. Balakrishnan	Chairman
2	Shri Rajeev Rishi	Member
3	Shri R.K. Goyal	Member
4	Shri Animesh Chauhan	Member
5	Shri B.K. Divakara	Member
6	Shri M.P.Shorawala	Member
7	Shri Krishan Sethi	Member

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

29.06.2013	26.09.2013	05.12.2013	15.03.2014
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Shri M. V. Tanksale	01	01	01.04.2013 – 31.07.2013
Shri Rajeev Rishi	03	03	01.08.2013 – 31.03.2014
Shri Malay Mukherjee	03	03	01.04.2013 – 11.12.2013
Shri R.K. Goyal	03	04	01.04.2013 – 31.03.2014
Shri Animesh Chauhan	03	03	05.08.2013 – 31.03.2014
Shri B.K. Divakara	01	01	23.01.2014 – 31.03.2014
Shri Guman Singh	04	04	01.04.2013 – 15.03.2014
Prof. N. Balakrishnan	02	04	01.04.2013 - 31.03.2014
Shri M.P.Shorawala	00	01	21.12.2013 – 31.03.2014
Shri Krishan Sethi	00	00	16.03.2013 - 31.03.2014

The details of Investor Grievances for the year 2013-14 (01.04.2013 to 31.03.2014) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	NIL
2	Letters Non Receipt of Share Certificate (s)	02
3	Non Receipt of Dividend Warrants	152
4	Not Receipt of Annual Report	46
5	Non Receipt of Refund Order	05



6	Correction in Refund Instrument	05
7	Others	NIL
8	NSE	01
9	BSE	01
10	SEBI	05
11	Total Grievances received	217
12	Total Grievances attended/resolved	217
13	Total complaints pending at the end of the year	NIL

We confirm that no investor's complaints remained unattended/pending for more than 30 days.

Compliance Officer

Shri Anand Kumar Das, Assistant General Manager-MBD/Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank as per Equity Listing Agreement with Stock Exchanges.

Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc.

During the year, Bank has raised ₹ 1800.00 crores (including premium) from allotment of 30,58,62,361 equity shares to Government of India of the face value of ₹ 10/- each at issue price of ₹ 58.85 per equity share (including premium of ₹ 48.85 per equity share) on preferential basis. Further, Bank has also raised Rs 1000 crores in the form of Basel III Compliant Tier II Bonds (Sr I). The funds are raised with the primary objective of augmenting Tier-I and Tier-II Capital for strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose.

Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi, Marathi and many regional languages in various leading newspapers, such as, Economic Times, Financial Express, Business Standard, Pudhari (Marathi), etc. The results were also displayed on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in.

Code of Conduct

- ❖ The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management. The text of the same is available on the website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in. All the Directors and Senior Management have affirmed their Compliance of code of conduct during the year under review and a certificate affirming the compliance is given in Annexure I.
- ❖ The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors and designated employees for prevention of insider trading in Bank's security.

Other Disclosures

- ❖ Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the year.
- ❖ It is an established practice in the Bank that the Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.
- ❖ The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by RBI, SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authority relating to Capital Market. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any statutory Authority on any matter relating to capital markets during the year under review.
- ❖ The Bank has complied with the stipulated requirement of Clause 49 of Listing Agreement to the extent that the requirements of the clause do not violate the provision of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.

Non-Mandatory Requirements (Annexure I D of Listing Agreement)

The Bank has presently not adopted the non-mandatory requirement set out in Annexure-ID to the Clause 49 of the Listing Agreement.



Sr. No.	Non-mandatory	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense.	Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2.	Board to set-up a Remuneration Committee to formulate company's remuneration package for Executive Directors.	Not applicable, as Executive Directors draw salary as fixed by the Government of India. However, a Remuneration Committee is in operation to consider Performance Linked Incentive for executive directors in terms of guidelines issued by the Central Government.
3.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	The Bank has sent half-yearly financial results for the half year ended 30.09.2013 to Stock Exchanges & published in Newspapers. Besides, the financial results were also posted on Bank's website.
4.	Company may move towards regime of unqualified financial statements	The Bank has initiated steps for moving towards achieving unqualified financial statements
5.	Company may train Board Members in the Business Model of the Company as well as risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as Director and the best way to discharge them.	A complete overview of the Business Model and risk profile along with Code of Conduct adopted by the Board of Directors has been communicated to each member of the Board. The Bank nominates Directors for training at Centre for Advanced Financial Research & Learning of RBI, Mumbai and various other reputed Institutions.
6.	The evaluation of performance of non-executive Directors by other members of the Board and to decide to continue or otherwise of the Directorship of the non-executive Directors.	A Nomination Committee has been constituted in terms of Reserve Bank of India Guidelines and the elected directors under clause 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 are subject to determination of fit & proper status.
7.	The Company to establish the Whistle Blower Policy for reporting management concerns about unethical behaviors, actual of suspected fraud, etc.	Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank also has online "CENT VIGIL" portal for all staff members who can act as whistle blowers to facilitate reporting of malpractices.

General Shareholder Information

7th Annual General Meeting of the Bank:

Day and Date: Monday, 30th June, 2014 at 11:00 AM at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai, 400056

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2013-14
2. Date of Book Closure: 21st June 2014 to 30th June, 2014 (Both days inclusive)
3. Dividend Payment Date: on or before 30th July 2014

General Body Meetings:

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue
1.	Sixth Annual General Meeting	29 th June, 2013, 11:00 AM	Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital / Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai, 400056
2.	Fifth Annual General Meeting	27 th June, 2012, 4:00 PM	----- Same as above -----
3.	Fourth Annual General Meeting	29 th July, 2011 3:00 PM	----- Same as above -----

Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as



follows:

BSE Ltd. (BSE)	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2014-15 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Bonds-Tier-II Capital position as on 31.03.2014

Series Particulars	Issue date	Total Value (₹ in crores)	ISIN
Lower Tier II-Series IX	08.10.2004	200.00	INE483A09138
Lower Tier II-Series X	28.03.2006	578.20	INE483A09146
Lower Tier II-Series XI	04.10.2006	700.00	INE483A09153
Lower Tier II-Series XII	03.03.2008	389.10	INE483A09161
Lower Tier II-Series XIII	10.02.2009	270.00	INE483A09187
Lower Tier II-Series XIV	21.12.2011	500.00	INE483A09245
Upper Tier II-Series I	14.11.2008	300.00	INE483A09179
Upper Tier II-Series II	17.02.2009	285.00	INE483A09195
Upper Tier II-Series III	23.06.2009	500.00	INE483A09203
Upper Tier II-Series IV	20.01.2010	500.00	INE483A09211
Upper Tier II-Series V	11.06.2010	1000.00	INE483A09229
Upper Tier II-Series VI	21.01.2011	300.00	INE483A08015
Basel III Complaint Sr I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
Total		6522.30	

All these bonds are listed either on National Stock Exchange of India Ltd. or BSE Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2014-15 to the Exchanges.

Market Price Data:

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (with comparison of share price of Bank with NSE Nifty) are as under:

NSE					
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	NSE Nifty	
				High	Low
April 2013	72.30	64.65	40,06,577	5962.30	5477.20
May 2013	76.40	65.05	1,83,20,423	6229.45	5910.95
June 2013	68.40	59.60	43,65,843	6011.00	5566.25
July 2013	65.35	53.00	68,60,697	6093.35	5675.75
August 2013	58.40	48.75	49,89,180	5808.50	5118.85
September 2013	63.40	49.65	79,88,641	6142.50	5318.90



NSE					
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	NSE Nifty	
				High	Low
October 2013	56.25	50.00	88,36,656	6309.05	5700.95
November 2013	68.50	51.30	2,26,25,172	6342.95	5972.45
December 2013	54.80	49.25	77,18,832	6415.25	6129.95
January 2014	53.30	44.30	80,26,882	6358.30	6027.25
February 2014	48.50	43.60	57,20,043	6282.70	5933.30
March 2014	52.20	43.25	98,76,016	6730.05	6212.25

The monthly high and low quotation and the no. of shares traded on BSE (with comparison of share price of Bank with Sensex) are as under:

BSE					
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	SENSEX	
				High	Low
April 2013	72.30	64.75	14,14,921	19623	18144
May 2013	76.40	65.10	50,60,959	20444	19451
June 2013	68.50	59.75	12,45,299	19860	18467
July 2013	65.30	53.00	19,52,899	20351	19127
August 2013	58.40	48.90	12,66,950	19569	17449
September 2013	63.85	49.70	18,72,739	20740	18166
October 2013	56.30	50.00	31,55,343	21205	19265
November 2013	68.75	50.60	77,16,257	21322	20138
December 2013	54.70	49.30	20,64,328	21484	20569
January 2014	53.35	44.50	21,34,071	21410	20344
February 2014	48.40	43.05	15,72,679	21141	19963
March 2014	52.15	43.25	30,35,705	22467	20921

Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders and investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-13, Pannalal Silk Mills Compound
LBS Marg, Bhandup (West)
Mumbai – 400 078
Tel: 022-25946970
Fax: 022-25946969
Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Address for correspondence with the Bank:

AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer
Central Bank of India
9th Floor, Chandermukhi
Nariman Point
Mumbai 400 021
Contact No. 022- 6638 7818
Fax No.: 022- 2283 5198
Email id: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in



Distribution of shareholdings as on 31.03.2014

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING (SHARES)				
Shareholding of Shares	Number of shareholders	Percentage of Total	Shares	Percentage of Total
1-500	176060	91.76	21177879	1.57
501-1000	8802	4.59	6865681	0.51
1001-2000	3824	1.99	5741694	0.42
2001-3000	1147	0.60	2911498	0.22
3001-4000	580	0.30	2084065	0.15
4001-5000	338	0.18	1587454	0.12
5001-10000	591	0.31	4289936	0.32
10001 and above	519	0.27	1305781108	96.69
Total	191861	100	1350439315	100.00

Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 1% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Life Insurance Corporation of India	73420914	5.44

Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 5% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 5% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Life Insurance Corporation of India	73420914	5.44

Shareholding pattern as on 31.03.2014

SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31.03.2014						
Category of Shareholders	No. of Shares		No. of Shareholders		Total Shares	% of holding
	Demat	Physical	Demat	Physical		
Central Government	1196959325	0	1	0	1196959325	88.63
Clearing Member	1911965	0	465	0	1911965	0.14
Other Bodies Corporate	7623540	90	1232	1	7623630	0.56
Corporate Directors	160	0	1	0	160	0.00
Financial Institutions	73420914	0	16	0	73420914	5.44
FII's	11833770	0	40	0	11833770	0.88
Government Companies	700	0	1		700	0.00
Hindu Undivided Family	101822	0	2	0	101822	0.01
Mutual Fund	12517	0	2	0	12517	0.00
Nationalized Banks	1025176	0	7	0	1025176	0.08
Non Nationalized Banks	517479	0	5	0	517479	0.04



SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31.03.2014						
Category of Shareholders	No. of Shares		No. of Shareholders		Total Shares	% of holding
	Demat	Physical	Demat	Physical		
Non Resident Indians	1224459	69600	1053	1	1294059	0.09
Non Resident (Non Repatriable)	174809	0	284	0	174809	0.01
Public	50099868	15957	188600	125	50115825	3.71
Trusts	112925	0	20	0	112925	0.01
G I C & Its Subsidiaries	5334239	0	5	0	5334239	0.40
Total	1350353668	85647	191734	127	1350439315	100.00

Statement showing details of locked-in shares

Name of the Shareholder	Number of locked-in shares	Locked-in shares as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
PRESIDENT OF INDIA	1196959325	88.63
TOTAL	1196959325	88.63

Statement showing details of Depository Receipts (DRs)

Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of outstanding DRs	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
NIL	NIL	NIL	NIL

Statement showing holding of Depository Receipts (DRs) where underlying shares are in excess of 1% of the total number of shares.

Name of the DR holder	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
NIL	NIL	NIL	NIL

Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders as on 31.03.2014 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	127	85647	0.01
NSDL	122470	132365442	9.80
CDSL*	69264	1217988226	90.19
Total	191861	1350439315	100.00

* Including 1196959325 (88.63%) held IN DEMAT form by the Central Government.



There are no outstanding GDRs / ADRs /warrants or any convertible instruments.

Shares in Unclaimed Suspense Account:

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in “Unclaimed Suspense Account” as on 31st March, 2014 are as under:

S r . No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	264	34,851
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	2	126
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	2	126
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	262	34,725

Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance in the Listing Agreement with the Stock Exchange is attached.

Annexure I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members & Senior Management have affirmed Compliance with the Bank’s Code of Conduct for the financial year 2013-14.

Place : Mumbai

Date : May 10, 2014

Sd/-

[Rajeev Rishi]

Chairman and Managing Director



CERTIFICATION UNDER CLAUSE 49 OF THE LISTING AGREEMENT

The Board of Directors
Central Bank of India

This is to certify that:

- a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Central Bank of India for the year 2013-14 and to the best of our knowledge and belief:
 - I. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading
 - II. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable law and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2013-14, which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for the financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal control, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies
- d. We have indicated to the auditors and the Audit Committee
 - I. Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - II. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statement and
 - III. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or any employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(MOHD. JAWED)
GENERAL MANAGER & CFO

(RAJEEV RISHI)
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Place : Mumbai
Date : May 10, 2014

C E R T I F I C A T E**To the Members of Central Bank of India**

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India for the year ended on 31st March, 2014 as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement of Central Bank of India with stock exchanges.

The Compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Central Bank of India for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Central Bank of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that Central Bank of India has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against Central Bank of India as per the records maintained by the Shareholders Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of Central Bank of India.

**For KUMAR CHOPRA &
ASSOCIATES**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA SUNIL JAIN)
PARTNER
M.No.080990

(CA S. VENKATKRISHNAN)
PARTNER
M.No.023488

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N.SARKAR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For N. CHAUDHURI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301032E

For B.N.MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

(CA ANUP BISWAS)
PARTNER
M.No.050708

(CA S. S. MOHAPATRA)
PARTNER
M.No.061619

Place : Mumbai

Date: May 10, 2014



KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES

B-12 (Ground Floor)
Kalindi Colony,
Near Maharani Bagh,
New Delhi- 110065

N SARKAR & CO

21 Prafulla Sarkar Street
2nd floor
Kolkata- 700072,
West Bengal

P K SUBRAMANIAM & CO

11-5-23, Kartik Complex
Above Vijaya Bank, Bresthwarpet
Raichur- 584101, Karnataka

N CHAUDHURI & CO

10 Old Post Office Street.
2nd floor, Room No 61,
Kolkata- 700001,
West Bengal

DOOGAR & ASSOCIATES

13, Community Centre,
East of Kailash,
New Delhi - 110065

B N MISRA & CO

S-29 , Maitri Vihar, Phase – II
In front of Satyam Development Centre
Bhubaneswar- 751023 Orissa

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The President of India

Report On The Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Central Bank of India as at March 31, 2014 which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2014 and Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant Accounting Policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 Branches, 38 Regional Offices audited by us out of a total of 4550 branches, 80 Regional Offices, and 1441 branches/ Service Support Branches audited by other branch auditors. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit and Loss Account are the returns of 3089 branches, 42 Regional Offices which have not been subjected to audit. The unaudited branches account for 9.98% of advances, 38.61% of deposits, 8.78% of interest income and 31.70% of interest expense. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management of the Bank is responsible for the preparation of these financial statements that give true and fair view of the financial position and financial performance of the Bank in accordance with Banking Regulation Act, 1949 and complying with Reserve Bank of India Guidelines issued from time to time. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statement. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Emphasis of Matter

6. In accordance with Standard on Audit (SA) 706 "Emphasis of Matter Paragraph" without qualifying our opinion, we draw attention to –
 - (i) Note no.10(c) of the Schedule 18 to the financial statements regarding deferment of pension liability and gratuity liability of the Bank, pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Public Sector banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employees Benefits vide circular No.DBOP. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 on "Re-opening of Pension Option to the employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits Prudential Regulatory treatment" Accordingly, out of the unamortized amount of ₹590.77 crore as on 01.04.2013, the Bank has amortised ₹239.99 crore for Pension and ₹55.40 crore for



Gratuity being proportionate amount for the year ended March 31, 2014 and balance amount to be amortised in future period for Pension is ₹239.98 crore and for Gratuity is ₹55.40 crore.

- (ii) Note no.10 (g) of Schedule 18 to the financial statements, which describes the accounting treatment of the expenditure on creation of Deferred Tax Liability on Special Reserve under section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961 as at 31st March 2013, pursuant to RBI's circular No.DBOD.No.BP.BC. 77/21.04.018/2013-14 dated 20th December, 2013.

Opinion

7. In our opinion, as shown by the books of the bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us, we report that:
- The Balance Sheet read with the Significant Accounting Policies and Notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2014, in conformity with accounting principles generally accepted in India.
 - The Profit and Loss Account, read with the Significant Accounting Policies and Notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the accounts; and
 - The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms 'A' & 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
 - The returns received from the Offices and Branches of the Bank, as supplemented with the information furnished by the Management, have been found adequate for the purposes of our audit.
10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

**For KUMAR CHOPRA &
ASSOCIATES**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA SUNIL JAIN)
PARTNER
M.No.080990

(CA S. VENKATKRISHNAN)
PARTNER
M.No.023488

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N.SARKAR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For N. CHAUDHURI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301032E

For B.N.MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

(CA ANUP BISWAS)
PARTNER
M.No.050708

(CA S. S. MOHAPATRA)
PARTNER
M.No.061619

Place : Mumbai

Date: May 10, 2014



BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	AS AT 31-Mar-14 ₹	AS AT 31-Mar-13 ₹
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	29,674,393	26,615,769
Reserves and Surplus	2	128,211,183	126,512,743
Deposits	3	2,400,689,887	2,260,383,148
Borrowings	4	220,797,760	183,055,117
Other Liabilities and Provisions	5	115,589,021	84,728,713
TOTAL		2,894,962,244	2,681,295,490
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	119,266,293	135,601,667
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	4,514,037	5,320,449
Investments	8	861,351,399	726,037,937
Advances	9	1,773,151,717	1,719,358,433
Fixed Assets	10	28,043,893	26,847,546
Other Assets	11	108,634,905	68,129,458
TOTAL		2,894,962,244	2,681,295,490
Contingent Liabilities	12	885,525,147	595,190,339
Bills for Collection	-	76,717,357	60,955,707
Principal Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

B. K. DIVAKARA
Executive Director

ANIMESH CHAUHAN
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

GUMAN SINGH
DIRECTOR

PROF. N. BALAKRISHNAN
DIRECTOR

M. P. SHORAWALA
DIRECTOR

KRISHAN SETHI
DIRECTOR

Ms.N.S. RATHNAPRABHA
DIRECTOR

S. B. RODE
DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI
DIRECTOR

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA SUNIL JAIN)
PARTNER
M.No.080990

(CA S. VENKATKRISHNAN)
PARTNER
M.No.023488

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N. SARKAR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For N. CHAUDHURI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301032E

For B.N.MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

(CA ANUP BISWAS)
PARTNER
M.No.050708

(CA S. S. MOHAPATRA)
PARTNER
M.No.061619

As per our report of even date

Place : Mumbai
Date: May 10, 2014


PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

(000's Omitted)			
PARTICULARS	SCHEDULE NO.	YEAR ENDED 31-Mar-14 ₹	YEAR ENDED 31-Mar-13 ₹
I. INCOME			
Interest Earned	13	244,275,497	218,606,505
Other Income	14	19,225,805	16,673,296
TOTAL		263,501,302	235,279,801
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	179,331,646	161,230,808
Operating Expenses	16	51,789,354	42,323,273
Provisions and Contingencies		45,008,721	21,576,125
TOTAL		276,129,721	225,130,206
III. PROFIT/ LOSS			
Net Profit for the year		(12,628,419)	10,149,595
Profit brought forward		15,779	14,789
TOTAL		(12,612,640)	10,164,384
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		-	2,537,399
Investment Reserve		425,368	375,216
Special Reserve u/s 36(1)(viii)		-	-
Staff Welfare Fund		-	404,700
Revenue Reserve		-	2,000,000
Fund in lieu of Insurance		-	20,000
Proposed Dividend - Preference Capital		-	1,504,993
Proposed Dividend - Equity Capital		-	2,611,442
Dividend Tax		-	694,855
Balance Carried Over to Balance Sheet		(13,038,008)	15,779
TOTAL		(12,612,640)	10,164,384
EPS (Basic & Diluted)		(11.10)	11.24
Principal Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

B. K. DIVAKARA
Executive Director

ANIMESH CHAUHAN
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

GUMAN SINGH
DIRECTOR

PROF. N. BALAKRISHNAN
DIRECTOR

M. P. SHORAWALA
DIRECTOR

KRISHAN SETHI
DIRECTOR

Ms.N.S. RATHNAPRABHA
DIRECTOR

S. B. RODE
DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI
DIRECTOR

For **KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For **P.K. SUBRAMANIAM & CO**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For **DOOGAR & ASSOCIATES**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA SUNIL JAIN)
PARTNER
M.No.080990

(CA S. VENKATKRISHNAN)
PARTNER
M.No.023488

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For **N. SARKAR & CO**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For **N. CHAUDHURI & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301032E

For **B.N.MISRA & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

(CA ANUP BISWAS)
PARTNER
M.No.050708

(CA S. S. MOHAPATRA)
PARTNER
M.No.061619

As per our report of even date

Place : Mumbai

Date: May 10, 2014



SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2014		AS AT 31/03/2013	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		30,000,000		30,000,000
300,00,00,000 shares of ₹ 10/- each				
Issued, Subscribed and Paid up Capital :				
Equity Shares		13,504,393		10,445,769
1,35,04,39,315 Equity Shares (previous year 1,04,45,76,954 equity shares) of ₹ 10/- each (includes 119,69,59,325 equity shares (previous year 89,10,96,964 equity shares) of ₹ 10/- each held by Central Govt.)				
Perpetual non-cumulative Preference Share capital (161,70,00,000 Preference Shares of ₹ 10/- each) (Refer note - 1 in Schedule - 18)		16,170,000		16,170,000
TOTAL		29,674,393		26,615,769
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet		19,119,879		16,582,480
Additions during the year		-		2,537,399
		19,119,879		19,119,879
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet		18,675,821		18,969,569
Deductions during the year		274,617		293,748
		18,401,204		18,675,821
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet		4,445,717		4,070,501
Additions during the year		425,368		375,216
		4,871,085		4,445,717
III. Share Premium,				
Balance as per last Balance Sheet		59,442,517		38,467,132
Additions/ Adjustments during the year		14,941,376		20,975,385
		74,383,893		59,442,517
IV. Revenue and Other Reserves				
i) Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet		23,813,030		21,879,633
Additions during the year		-		2,000,000
Less: Deductions during the year		339,900		66,603
		23,473,130		23,813,030
V. Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act		1,000,000		1,000,000
VI. Balance in Profit and Loss Account		(13,038,008)		15,779
TOTAL		128,211,183		126,512,743


SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

PARTICULARS	AS AT 31/03/2014		AS AT 31/03/2013	
	₹	₹	₹	₹
(000's Omitted)				
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	17,122,616		10,147,875	
ii) From Others	118,247,237		134,764,060	
		135,369,853		144,911,935
II. Savings Bank Deposits				
		664,737,461		590,904,649
III. Term Deposits				
i) From Banks	47,083,332		51,165,883	
ii) From Others	1,553,499,241		1,473,400,681	
		1,600,582,573		1,524,566,564
TOTAL		2,400,689,887		2,260,383,148
B. i) Deposits of Branches in India				
		2,400,689,887		2,260,383,148
ii) Deposits of Branches outside India				
		-		-
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	63,389,835		55,430,752	
ii) Other Banks	31,904		136,960	
iii) Other Institutions & Agencies	42,674,021		46,625,904	
iv) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	26,373,000		26,373,000	
v) Upper Tier II bonds	28,850,000		28,850,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	10,830,000		10,830,000	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	10,000,000		-	
		182,148,760		168,246,616
II. Borrowings outside India				
		38,649,000		14,808,501
TOTAL		220,797,760		183,055,117
Secured Borrowings included in I & II above		Nil		Nil



SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2014		AS AT 31/03/2013	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable		7,655,224		7,021,299
II. Inter Office Adjustments (Net)		-		-
III. Interest Accrued		16,609,209		13,694,287
IV. Deferred Tax Liability		5,966,000		2,587,500
V. Others(including provisions)		85,358,588		61,425,627
TOTAL		115,589,021		84,728,713
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		13,631,661		17,578,283
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	104,634,632		117,023,384	
In Other Accounts	1,000,000		1,000,000	
		105,634,632		118,023,384
TOTAL		119,266,293		135,601,667
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	2,580,999		4,177,351	
b) In Other Deposit Accounts	23,510		74,397	
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	-		500,000	
b) With Other Institutions	-		-	
		2,604,509		4,751,748
II. Outside India				
a) In Current Accounts	1,909,528		568,701	
b) In Other Deposit Accounts	-		-	
c) Money at Call & Short Notice	-		-	
		1,909,528		568,701
TOTAL		4,514,037		5,320,449


SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2014		AS AT 31/03/2013	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	678,911,210		601,302,467	
ii) Other approved Securities	-		440,080	
iii) Shares	14,005,581		14,316,332	
iv) Debentures and Bonds	98,190,467		44,411,987	
v) Subsidiaries and Sponsored Institutions	3,039,987		2,629,150	
vi) Others (UTI Shares & Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)	67,197,560		62,931,327	
		861,344,805		726,031,343
II. Investments outside India in **				
Subsidiaries and / or Associates abroad		6,594		6,594
TOTAL		861,351,399		726,037,937
* Investments in India				
Gross Value	863,831,177		726,609,642	
Less:Provision for Depreciation	2,486,372		578,299	
Net Value		861,344,805		726,031,343
** Investments outside India				
Gross Value	6,594		6,594	
Less:Provision for Depreciation	-		-	
Net Value		6,594		6,594
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	22,349,315		22,996,755	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	666,721,579		627,468,995	
iii) Term Loans	1,084,080,823		1,068,892,683	
TOTAL		1,773,151,717		1,719,358,433
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by Tangible Assets (including advances against Book Debts)	1,551,805,889		1,408,205,658	
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	1,968,784		95,109,944	
iii) Unsecured	219,377,044		216,042,831	
TOTAL		1,773,151,717		1,719,358,433



SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2014		AS AT 31/03/2013	
	₹	₹	₹	₹
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sectors	614,219,801		500,284,418	
ii) Public Sector	208,482,642		218,917,588	
iii) Banks	3,093		3,527,637	
iv) Others	950,446,181		996,628,790	
TOTAL		1,773,151,717		1,719,358,433
(II) Advances outside India		-		-
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceding year	24,731,464		23,973,412	
Additions during the year	15,866		758,052	
Total	24,747,330		24,731,464	
Depreciation to date	4,742,356		4,390,842	
Total		20,004,974		20,340,622
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as at 31st March of the preceding year	17,075,169		13,734,595	
Additions / Adjustments during the year	3,957,602		3,931,801	
Total	21,032,771		17,666,396	
Deductions / Adjustments during the year	602,345		591,227	
Total	20,430,426		17,075,169	
Depreciation to Date	12,391,507		10,568,245	
Total		8,038,919		6,506,924
TOTAL (I & II)		28,043,893		26,847,546
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	17,575,083		13,799,194	
II. Tax paid in advance / Tax deducted at source (Net of Provisions)	28,499,710		20,934,746	
III. Stationery and Stamps	177,997		136,105	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-		-	
V. Inter Office Adjustments	30,889,755		9,021,695	
VI. Others	31,492,360		24,237,718	
TOTAL		108,634,905		68,129,458


SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

PARTICULARS	AS AT 31/03/2014		AS AT 31/03/2013	
	₹	₹	₹	₹
(000's Omitted)				
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		1,196,346		635,671
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc		14,005,895		9,126,021
II. Liability for partly paid Investments				
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts		640,602,389		357,696,828
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	103,363,304		92,483,533	
b) Outside India	5,673,489		8,313,332	
		109,036,793		100,796,865
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations		112,332,617		126,372,490
VI. Other item for which the bank is contingently liable		8,351,107		562,464
TOTAL		885,525,147		595,190,339



**SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014**

(000's omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED	YEAR ENDED
	31-Mar-14	31-Mar-13
	₹	₹
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED		
I. Interest / Discount on Advances / Bills	186,199,927	169,225,350
II. Income on Investments	57,638,523	47,786,609
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank funds	328,388	786,862
IV. Others	108,659	807,684
TOTAL	244,275,497	218,606,505
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	8,216,712	8,156,681
II. Profit on Sale of Investments (Net)	4,553,669	3,828,750
III. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	-	-
IV. Profit / (Loss) on Sale of Land, Buildings and other Assets (Net)	(11,930)	(6,536)
V. Profit on Exchange Transactions (Net)	1,987,237	608,772
VI. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries and Associates abroad / in India	27,850	27,850
VII. Miscellaneous Income	4,452,267	4,057,779
TOTAL	19,225,805	16,673,296
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	163,745,653	149,398,880
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	3,808,835	1,745,635
III. Others	11,777,158	10,086,293
TOTAL	179,331,646	161,230,808
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	35,370,097	28,915,488
II. Rent, Taxes and Lighting	3,335,613	2,664,709
III. Printing and Stationery	471,832	303,976
IV. Advertisement and Publicity	265,435	286,938
V. Depreciation on Bank's property	2,085,474	1,844,497
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	8,981	8,751
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	173,454	108,159
VIII. Law Charges	184,823	147,406
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	528,537	366,654
X. Repairs and Maintenance	587,688	573,950
XI. Insurance	1,961,264	1,712,403
XII. Other Expenditure	6,816,156	5,390,342
TOTAL	51,789,354	42,323,273



SCHEDULE 17 - PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Conventions:

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except in respect of the Revaluation of Premises and confirm, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the Banking industry in India.

2. Transactions involving Foreign Exchange:

- 2.1 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the year end as notified by FEDAI and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.
- 2.2 Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.
- 2.3 Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at the year end rates notified by FEDAI.
- 2.4 Outstanding Forward Contracts are translated at the year end rates notified by FEDAI and the resultant profit/loss is recognized in Profit and Loss Account.

3. Investments:

3.1 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are classified into "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale" categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

- i) Government Securities
- ii) Other Approved Securities
- iii) Shares
- iv) Debentures and Bonds
- v) Subsidiaries and sponsored institutions and
- vi) Others (UTI Shares, Commercial Papers and units of Mutual Funds.)

3.2 Basis of Classification :

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

- i) Held to Maturity
These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity.
- ii) Held for Trading
Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.
- iii) Available for Sale
Investments that cannot be classified in the above categories.

3.3 Transfer of Securities between categories :

The transfer/ shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.4 Valuation :

a) Held to Maturity :

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity on day to day basis.



b) Available for sale :

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

- | | | | |
|-------|---|--------------|---|
| i) | Central Government Securities | | At market price as per quotation put out by Stock Exchange / FIMMDA / PDAI. |
| ii) | State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds | | On appropriate yield to maturity basis. |
| iii) | Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper | | At carrying cost. |
| iv) | Equity Share | a) Quoted : | At market price. |
| | | b) Unquoted: | At book value per share, if latest (Not more than one year old) Balance Sheet is available, or Re.1.00 per company if latest Balance Sheet is not available., |
| v) | Preference Share | a) Quoted : | At market price |
| | | b) Unquoted: | On appropriate yield to maturity. |
| vi) | Debentures and Bonds | a) Quoted : | At market price |
| | | b) Unquoted: | On appropriate yield to maturity. |
| vii) | Mutual Fund | a) Quoted : | At market price |
| | | b) Unquoted: | At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available). |
| viii) | Venture Capital | | Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re.1/- per VCF. |

The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) Held for Trading :

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA. The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

3.5 Determination of Cost :

Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

3.6 Income Recognition :

- i) The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.
- ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.
- iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms.
- iv) Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.



- v) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.
- vi) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

4. Derivatives

Derivatives used for hedging are accounted as under :

- i) Marked to market in cases where the underlying Assets/ Liabilities are marked to market. The resultant gain/ loss is recognised in the Profit & Loss Account.
- ii) Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Asset/ Liabilities are not marked to market.
- iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/ liabilities.

5. Advances:

- 5.1 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.
- 5.2 Recoveries against Non-performing Assets (NPA) were first appropriated towards interest till June 30, 2013 and w.e.f. July 1, 2013, recovery in NPA account is first appropriated towards the principal irregularity except in case of suit filed, decreed accounts and compromise cases where recovery is first appropriated towards principal or as per the terms of decree/ settlement.
- 5.3 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.

Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.

5.4 Financial Assets sold are recognized as under:

- 5.4.1 In case the sale is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account.
- 5.4.2 If the sale to SC/RC is at a price below the NBV (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account of that year.
- 5.4.3 In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.
- 5.4.4 If the sale to SC/RC is for a value higher than the NBV the excess provision to the extent of cash recovery is credited to the Profit and Loss Account and balance excess provision is retained to be utilised to meet shortfall/ loss on account of sale of other financial assets to SC/RC.

6. Fixed Assets/Depreciation:

- 6.1 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

i) Premises	At varying rates based on estimated life
ii) Furniture, Lifts, Safe Vaults	10%
iii) Vehicles	20%
iv) Air conditioners, Coolers, Typewriters etc.	15%
v) Computers including Systems Software	33.33%

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

- 6.2 In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- 6.3 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.



- 6.4 Cost of leasehold land is amortised over the period of lease. In the case of revaluation, the difference between the original cost and revalued amount is amortised over the remaining period of the lease and is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- 6.5 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

7. Staff Benefits:

- 7.1 Annual contribution to Gratuity, Pension Funds and Leave Encashment are determined on the basis of actuarial valuation and the amount is recognized in the books of account of the Bank as per the liability estimated by the Actuary.
- 7.2 In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, a matching contribution is made.

8. Recognition of Income and Expenditure:

- 8.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.
- 8.2 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India vide circular No. DBOD.No.BP. BC.89/21.4.018/2002-03 dated 29.03.2003, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.
- 8.3 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.,

9. Income Tax:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are not recognized unless there is 'virtual certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment/ appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability.

B. K. DIVAKARA
Executive Director

ANIMESH CHAUHAN
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

GUMAN SINGH
DIRECTOR

PROF. N. BALAKRISHNAN
DIRECTOR

M. P. SHORAWALA
DIRECTOR

KRISHAN SETHI
DIRECTOR

Ms.N.S. RATHNAPRABHA
DIRECTOR

S. B. RODE
DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI
DIRECTOR

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA SUNIL JAIN)
PARTNER
M.No.080990

(CA S. VENKATKRISHNAN)
PARTNER
M.No.023488

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N. SARKAR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For N. CHAUDHURI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301032E

For B.N.MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

(CA ANUP BISWAS)
PARTNER
M.No.050708

(CA S. S. MOHAPATRA)
PARTNER
M.No.061619

As per our report of even date

Place : Mumbai

Date: May 10, 2014



SCHEDULE 18 - NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. Capital:

Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2014 is ₹1350.44 crore increased from ₹1044.58 crore of previous year by issue of fresh equity shares of ₹305.86 crore at a premium of ₹58.85/- per share to Government of India.

2. Balancing of Books / Reconciliation:

The reconciliation of the following items is in progress :

- Inter Branch/Office Balance
- Accounts for Govt. transactions (Central & State)
- Inter Bank Accounts
- System Suspense Account
- Suspense Account
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Balances related to ATM
- Certain balances in nominal account
- NOSTRO Accounts
- Mirror Accounts maintained by Centralcard Department
- Disclosure on particulars of restructured accounts Note No. 6d (ii)

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3. Income Tax / Deferred Tax:

- 3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.
- 3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 1400.59 crore (previous year ₹ 912.60 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial decisions/ counsel's opinion on such issues.
- 3.3 Out of ₹ 1400.59 crore (previous year ₹ 912.60 crore) of tax paid under dispute which relate to various Assessment Years, involving tax element of ₹ 490.98 crore (previous year ₹ 5.98 crore) have been decided by the Appellate authorities in favour of the Bank. The appeal effect for the same is pending.

4. Premises:

Premises owned by the Bank include properties costing ₹55.22 crore (Previous Year ₹39.93 crore) for which registration formalities are still in progress.

5. Advances / Provisions:

- 5.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.
- 5.2 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has utilized the Floating Provision of ₹ 103.09 crore and Countercyclical Provision of ₹46.63 crore being 33% of amount outstanding in these accounts towards specific provision for NPAs. The Bank has netted the balance Floating Provision amount of ₹ 209.34 crores (previous year ₹ 312.43 crore) and Countercyclical Provision amount of ₹ 94.67 crore (previous year ₹ 141.30 crore) from gross NPAs to arrive at net NPAs.
- 5.3 Advances considered good and secured includes investment of ₹2200 crore (Previous Year ₹2515 crore) in IBPCs (Inter Bank Participation Certificate) governed by the Uniform Code Governing Inter Bank Participations issued by IBA (Non Priority Sector) and investment in IBPCs issued by RRBs aggregating ₹2200 crore (Previous Year ₹2515 crore) of Priority Sector Advance/ Direct Agriculture.

6. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India :

a. **Capital**

Sl. No	Items	31.03.2014	31.03.2013
1.	CRAR (%) Basel-II Basel-III	11.96 9.87	11.49 NA
2.	CRAR-Tier-I Capital (%) Basel-II Basel-III	8.12 7.37	8.09 NA
3.	CRAR-Tier-II Capital (%) Basel-II Basel-III	3.84 2.50	3.40 NA
4.	Percentage of Equity share holding of Govt. of India.	88.63%	85.31%
5.	Amount of Tier-II instruments Raised during the year (₹ in crore)	1000	-
6.	Amount of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) raised as Tier-I capital during the year (₹ in crore)	NIL	500
7.	Issue of Equity shares through QIP route (₹ in crore) Share Capital Share Premium	NIL	NIL

The above data has been compiled on the basis of guidelines of Reserve Bank of India and estimates in respect of certain Off Balance Sheet items, made by the management and relied upon by the Auditors. In respect of Basel II, the system deficiencies/ data errors noticed / reported were addressed at Central Office. Based on the extensive exercise undertaken, Bank is of the view that, unrectified deficiencies, if any, will not have a significant impact on the overall reported Capital Adequacy.

b.(i) **Investments**

(₹ in crore)

Items		31.3.2014	31.3.2013
1)	Value of Investments		
i)	Gross Value of Investments	86383.78	72661.62
a)	In India	86383.12	72660.96
b)	Outside India	0.66	0.66
ii)	Provisions for Depreciation	248.63	57.82
a)	In India	219.31	57.82
	Excess prov for dep (held at the of shifting) over current valuation	29.32	
b)	Outside India	0.00	0.00
iii)	Net Value of Investments	86164.47	72603.80
a)	In India	86163.81	72603.14
b)	Outside India	0.66	0.66
2)	Movement of Provisions held towards depreciation on Investments		
i)	Opening Balance	139.36	333.94
ii)	Add: Provisions made during the year	371.14	128.16
iii)	Less: Write off Prov./ Write Back Prov.	261.87	404.28
iv)	Closing Balance	248.63	57.82



(ii) Repo Transactions

(₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2014
Securities sold under Repo				
I. Government Securities	0.00	8000.00	1387.38	1220.00
II. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under Reverse Repo				
I. Government Securities	0.00	1500.00	14.86	0.00
II. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

(iii) Non SLR Investment Portfolio

Issuer wise composition of Non SLR Investments

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	PSUs	5487.68	4819.43	2042.12	2777.31	4319.43
ii)	FIs	1088.22	0.00	45.90	0.00	45.90
iii)	Banks	453.59	0.00	72.68	0.00	0.00
iv)	Private Corporates	2918.71	2425.26	800.06	365.34	112.12
v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	304.00	304.00	0.00	304.00	304.00
vi)	Others	8179.88	6956.31	0.00	7924.25	7266.46
	RIDF/RHDF/SIDBI	6275.00	6275.00	0.00	6275.00	6275.00
	CP/CD/IBPC/SR	373.24	252.12	0.00	235.36	373.24
	Mutual Funds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Venture Capital	110.12	110.12	0.00	110.12	110.12
	Shares (incl. Trustee Shares)	1421.52	319.07	0.00	1303.77	508.10
TOTAL		18432.08	14505.00	2960.76	11370.90	12047.91
Less:	Provision held towards depreciation	103.39				
Net		18328.69	14505.00	2960.76	11370.90	12047.91

Amounts reported under Columns 4, 5, 6 and 7 are not mutually exclusive.

(iv) Non Performing Non-SLR Investments (including matured investments)

(₹ in crore)

Particulars	31.3.2014	31.3.2013
Opening Balance	96.29	15.77
Additions during the year	113.82	114.87
Reductions during the year	84.21	34.35
Closing balance	125.90	96.29
Total provisions held	55.35	14.82



c. Derivatives

(i) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ in crore)

Items		31.3.2014	31.3.2013
i)	The Notional Principal of Swap agreements	775.00	775.00
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements.	Nil	Nil
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	-
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps		
	-- Foreign Bank	712.50	712.50
	-- Domestic Bank	62.50	62.50
v)	The fair value of the swap book	(-) 14.92	(-) 26.18

(ii) Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Amount 31.03.2014	Amount 31.03.2013
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	475.25	Nil
	a) IRF	1846.95	Nil
	b) CURRENCY FUTURE	0.22	Nil
	c) CURRENCY OPTIONS		
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31, 2014 (instrument-wise)	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NA	NA
iv)	Mark-to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NA	NA

Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

iii) Qualitative Disclosures

- Risk Management Policy approved by the Board of Directors for the use of derivative instruments to hedge/ trade is in place.
- The investment portfolio of the Bank consists of assets with characteristics of fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank has also Tier II bonds hedged for coupon swaps. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.
- Policy for Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, currency futures and Interest Rate Futures for hedging the interest rate risk in the investment portfolio and also for market making is in place.
- The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counter party exposure limits etc. as approved by the Board of Directors are in place. The risks are monitored and reviewed regularly. MIS reports are submitted periodically to Risk Management Committee.

Hedge Positions

- Accrual on account of interest expenses/income on the IRS are accounted and recognized as income/ expense.
- If the swap is terminated before maturity, the Mark to Market (MTM) loss/gain and accrual till such date are accounted as expense/income under Interest paid/received on IRS.


Trading positions

- Currency future and Interest Rate Future are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.
- MTM profit/loss is accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in bank's profit & loss account on final settlement.
- Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains if any are ignored.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income/expense under the above head.

iv) Quantitative Disclosures

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For hedging	NIL	525.00
	b) For trading	NIL	250.00
ii)	Marked to Market Positions (1)		
	a) Asset (+)	-	2.52
	b) Liability (-)	-	17.46
iii)	Credit Exposure (2)	-	5.27
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		0.16
	a) On hedging derivatives	-	0.10
	b) On trading derivatives	-	0.06
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	a) On hedging	-	0.1433-0.1417
	b) On trading	-	0.0799-0.0766

d. Asset Quality
(i) Non Performing Assets

(₹ in crore)

Items		31.3.2014	31.3.2013
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	3.75%	2.90%
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	a) Opening balance	8456	7273
	b) Additions during the year	7569	5125
	c) Reduction during the year	4525	3942
	d) Closing balance	11500	8456
iii)	Movement of Net NPAs		
	a) Opening balance	4988	4600
	b) Additions during the year	4045	3676
	c) Reduction during the year*	2383	3288
	d) Closing balance	6649	4988
iv)	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on Standard Assets)		
	a) Opening balance **	2931	2220
	b) Provisions made during the year	3524	1449
	c) Write off/ write back / Transfer	2001	738
	d) Closing balance **	4454	2931

* After netting ₹93.03 crores (Previous year ₹84.00 crore) held in nominal towards amount received from ECGC and Court Borrowers pending adjustment

** Excluding floating provision of ₹209.33 crore (previous year ₹312.43crore) & Countercyclical provision of ₹94.66 crore (previous year ₹141.30 crore)



(ii) Particulars of Accounts Restructured:

Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2014

Sr No	Type of Restructuring →		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Type of Restructuring →		Others					TOTAL					
	Asset Classification →		Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Asset Classification →		Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Standard	Sub Standard	Doubtful	Loss	Total	
	Details ↓											Details ↓													
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	No. of borrowers	41	1	4	0	46	354	45	72	0	471	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	No. of borrowers	11273	1080	2303	0	14656	11668	1126	2379	0	15173	
		Amount outstanding	4451.56	269.29	198.11	0.00	4918.96	113.53	10.13	76.64	0.00	200.30		Amount outstanding	15577.29	309.33	1675.00	0.00	17561.62	20142.38	588.75	1949.75	0.00	22680.88	
		Provision thereon	628.49	21.73	2.14	0.00	652.36	6.55	0.33	6.65	0.00	13.53		Provision thereon	206.34	3.02	31.25	0.00	240.61	841.38	25.08	40.04	0.00	906.50	
2	Fresh restructuring during the year*	No. of borrowers	16	2	2	0	20	0	0	0	0	0	Fresh restructuring during the year	No. of borrowers	4759	137	462	0	5358	4775	139	464	0	5378	
		Amount outstanding	2132.79	115.27	380.80	0.00	2628.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Amount outstanding	6320.94	48.23	224.18	0.00	6593.35	8453.73	163.50	604.98	0.00	9222.21	
		Provision thereon	170.64	19.50	23.13	0.00	213.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Provision thereon	181.29	1.39	11.20	0.00	193.88	351.93	20.89	34.33	0.00	407.15	
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be	No. of borrowers	0				0	2				0	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk	No. of borrowers	14				14	16	0	0	0	16	
		Amount outstanding	0.00				0.00	2.80				2.80		Amount outstanding	541.48				541.48	544.28	0.00	0.00	0.00	544.28	
		Provision thereon	0.00				0.00	0.03				0.03		Provision thereon	6.54				6.54	6.57	0.00	0.00	0.00	6.57	
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-5	3	2	0	0	-5	4	0	1	0	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-906	906	0	0	0	-916	913	2	1	0	
		Amount outstanding	-480.83	346.47	134.36	0.00	0.00	-12.56	9.52	0.00	3.04	0.00		Amount outstanding	-533.34	533.34	0.00	0.00	0.00	-1026.73	889.33	134.36	3.04	0.00	
		Provision thereon	-64.51	54.29	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Provision thereon	-17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	-82.07	71.85	10.22	0.00	0.00	
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)**	No. of borrowers	45	5	4	0	54	955	523	2344	1	3823	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)**	No. of borrowers	13461	1969	6427	4	21861	14461	2497	8775	5	25738	
		Amount outstanding	5354.74	461.74	459.12	0.00	6275.60	96.16	35.89	133.62	3.04	268.71		Amount outstanding	18739.79	705.67	957.24	407.87	20810.57	24190.69	1203.30	1549.98	410.91	27354.88	
		Provision thereon	561.41	54.29	33.79	0.00	649.49	1.76	4.70	7.90	0.00	14.36		Provision thereon	538.57	3.75	32.79	0.03	575.14	1101.74	62.74	74.48	0.03	1238.99	

*The increase in outstanding amount in existing restructured accounts are included in column of fresh restructuring during the year.

**Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

"Provision held is Figure of Sacrifice Provision"

NOTE : The closing balance as at 31st March 2014 is not tallying arithmetically with opening balance + fresh restructuring +/- adjustments for movement across asset categories reductions due to write offs/sale recoveries etc. Since some accounts were not picked up by system in earlier years and also for other reasons. The reconciliation is under progress.

(iii) **Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction**

(₹ in Crore)

Items		31.3.2014	31.3.2013
i)	No. of accounts	32	8
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	907.32	11.36
iii)	Aggregate consideration	1532.79	44.00
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years.	NIL	NIL
v)	Aggregate gain/loss over net book value	625.47	32.64

(iv) **Details of Non Performing Financial Assets purchased/ sold from/to other Banks**

a. Details of Non Performing Financial Assets purchased: NIL

(₹ in Crore)

Particulars			31.3.2014	31.3.2013
1	a	No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	b	Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	a	Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	b	Aggregate outstanding	Nil	Nil

b. Details of Non Performing Financial Assets sold

(₹ in Crore)

Items		31.3.2014	31.3.2013
1	No. of accounts	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

(v) **Provision on Standard Assets**

(₹ in Crore)

Items		31.3.2014	31.3.2013
Provisions towards Standard Assets held		657.94	665.28

e. **Business Ratios**

Items		2013-14	2012-13
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds *	9.18	9.46
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds*	0.72	0.72
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds *	1.22	1.37
(iv)	Return on Assets **	(0.47)	0.44
(v)	Business (Deposits plus advances) per employee*** (₹ in lacs)	1025.48	1067.39
(vi)	Profit per employee (₹ in lacs)	(3.11)	2.73

* Working Funds comprise average of Total Assets (excluding Revaluation Reserve) during the 12 months of the Financial Year.

** Working Funds comprise average Total Assets (excluding Revaluation Reserve)

*** Based on aggregate Deposits (other than Inter Bank Deposits) plus Advances.



e. Asset Liability Management

Maturity pattern of Total Domestic Deposits, Domestic Borrowings, Domestic

Advances & Total Investments under various maturity buckets prescribed by Reserve Bank of India as of March 31, 2014

(₹ in crore)

	Day 1	2 to 7 Days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days To 3 months	Over 3 & Up to 6 months	Over 6 & Up to 12 months	Over 1 & Up to 3 years	Over 3 & Up to 5 years	Over 5 years	TOTAL
Total Domestic Deposit	2016.21	5508.12	2138.48	5667.59	18890.13	17463.65	41986.83	86525.45	29591.48	29273.60	239061.54
Total Domestic Advances	5596.32	2057.88	1567.30	446.06	6058.13	5063.79	12894.34	81543.84	23927.19	36298.74	175453.59
Total Investment	31.00	413.82	12.00	997.58	1289.24	350.38	1660.19	7014.30	18752.46	55614.17	86135.14
Total Domestic Borrowing*	4493.55	354.00	0.00	0.00	0.24	1937.39	621.31	3101.76	87.04	14.28	10609.57
Foreign Currency Assets	243.56	0.00	7.11	136.94	748.02	630.50	36.27	114.80	112.28	75.67	2105.15
Foreign Currency Liabilities	286.84	8.20	12.89	11.85	1451.29	2283.29	442.49	375.32	113.29	0.00	4985.46

Note : - * Excluding those considered under Tier II Capital.

The above data has been compiled on the basis of the guidelines of RBI and certain assumptions made by the Management has been relied upon by the Auditors.

f. Exposures

(i) Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Category		31.3.2014	31.3.2013
a)	Direct Exposure		
	(i) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented: (individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances included above)	11288.28	7698.84
	(ii) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure would also include non-fund based (NFB) limits:	(7389.77)	(6042.96)
	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures – Residential, Commercial Real Estate.	0.00 0.00	1.35 0.00
b)	Indirect Exposure		
	(i) Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	2367.06	4684.08
	(ii) Others	0.00	123.38
	TOTAL EXPOSURE TO REAL ESTATE SECTOR	23057.34	23639.02



(ii) Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Items		31.3.2014	31.3.2013
i)	Direct Investment in equity shares, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	773.17	917.88
ii)	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equities-oriented mutual funds	1.88	4.27
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equities-oriented mutual funds are taken as primary security.	0.00	0.00
(iv)	Advances for other purposes to the extent secured by the collateral securities of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	339.42	527.77
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	360.01	312.38
vi)	Loans sanctioned to corporates against the securities of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contributions to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
vii)	Bridge Loans to the companies against the expected equity flows/ issues.	0.00	0.00
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds	0.00	0.00
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	0.00	0.00
x)	All exposures to Venture Capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceiling (both direct and indirect).	169.04	141.81
Total Exposure to Capital Market		1643.52	1904.11

(iii) Risk Category-wise Country Exposure :

(₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2014	Provision held as at March 31, 2014	Exposure (net) as at March 31, 2013	Provision held as at March 31, 2013
Insignificant	1579.71	Nil	1326.72	Nil
Low	815.91	Nil	1503.71	Nil
Moderate	225.81	Nil	204.80	Nil
High	113.23	Nil	208.13	Nil
Very High	4.88	Nil	391.32	Nil
Restricted	1.40	Nil	0.94	Nil
Off-credit	0	Nil	0.00	Nil
Total	2740.94		3635.62	

As the Bank's exposure for the year in respect of Foreign Exchange Transaction is less than 1% of total assets of the Bank, no provision is considered necessary.

- (iv) Details of Single borrower limit/Group Borrowers Limit exceeded by the Bank for which necessary Board approval has been obtained.



a. Single Borrower Limit exceeded by Bank

(₹ in Crore)

Sr. No	Name of Borrower	Credit Exposure As on 31.3.2014		Outstanding as on 31.03.2014		Investment as on 31.03.14	Total Exposure as on 31.03.14
		FB	NFB	FB	NFB		
1.	Uttar Pradesh Power Corpn. Ltd. (UPPCL)	3445.04	0.00	3390.05	0.00	1747.11	5192.15

b. Group Borrower Limit exceeded by Bank : NIL

(v) **Statement of Loans and Advances secured by Intangible Assets viz., Rights, Licenses, Authorizations etc. which is shown as unsecured in Schedule-9.**

Advances amounting to ₹ Nil (previous year ₹ 495.74 crore) against charge over intangible security such as Rights, Licences, Authorisation etc. are considered as unsecured.

The value of intangible security is ₹ NIL (previous year ₹ 232.74 crore)

7. **Disclosure of penalties imposed by RBI**

RBI has imposed a penalty of ₹ 305.27 lacs in terms of Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance of RBI norms.

8. **Disclosure regarding concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs:**

8.1 **Concentration of Deposits**

(₹ in Crore)

(a) Total Deposits of twenty largest depositors	26178
(b) Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	10.90

8.2 **Concentration of Advances**

(₹ in Crore)

(a) Total Advances to twenty largest borrowers	38272.70
(b) Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	20.59%

8.3 **Concentration of Exposures**

(₹ in Crore)

(a) Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	41959.54
(b) Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	15.41

8.4 **Concentration of NPAs**

(₹ in Crore)

(a) Total Exposure to top four NPA accounts	1806
---	------

II: **Sector-wise NPAs**

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	Agriculture & allied activities	4.64
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	11.52
3	Services	8.85
4	Personal Loans	5.65


III. Movement of NPAs

a)

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Gross NPAs *as on 1 st April 2013 (opening Balance)	8456	7273
Additions (Fresh NPAs) during the year	7569	5125
Sub Total (A)	16025	12398
Less:-		
(i) Upgradation	766	1751
(ii) Recovery (excluding recoveries made from upgraded accounts)*	2383	1581
(iii) Technical/Prudential Write-Offs	1029	574
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	347	36
Sub-total (B)	4525	3942
Gross NPAs as on 31st March 2014 (closing balance) (A-B)	11500	8456

*including sale of NPA of ₹ 1278 crore (previous year ₹ Nil)

b. Technical write-off and the recoveries:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Opening balance of Technical/Prudential written-off accounts as at April 1	985.20	411.49
Add: Technical/Prudential write-offs during the year	1405.95	701.73
Sub-total (A)	2391.15	1113.22
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)	*377.14	128.02
Closing balance as at March 31 (A-B)	2014.01	985.20

*includes conversion to Regular write off of ₹. 221.05 crores (Previous year ₹ Nil)

IV. Overseas Assets, NPAs and Revenue

Particulars	Amount (in ₹ Crore)
Total Assets	NIL
Total NPAs	NIL
Total Revenue	NIL

V. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

VI. Disclosures relating to Securitisation:

S. No.	Particulars	No. / Amount ₹ in crore
1.	No of SPVs sponsored by the bank for securitisation transactions*	NIL
2.	Total amount of securitised assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	NIL
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	



4	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR		NIL
	a)	Off-balance sheet exposures	
		i)	Exposure to own securitizations
			First loss
			Loss
		ii)	Exposure to third party securitisations
			First loss
			Others
	b)	On-balance sheet exposures	
		i)	Exposure to own securitisations
			First loss
			Others
		ii)	Exposure to third party securitisations
			First loss
			Others
*Only the SPVs relating to outstanding securitisation transactions may be reported here			

9. Other Disclosures

Fees/ remunerations received in respect of the Bancassurance Business during the current year is as under :

(` in crore)

	2013-14		2012-13	
	No. of policies	Amount	No. of policies	Amount
Life	108036	14.58	149668	15.22
Non Life	559846	11.56	189956	9.02
Total		26.14		24.24

10. The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India:

a) Accounting Standard - 5

Recovery in NPA:

- Due to change in accounting policy No. 5.2 regarding appropriation of recoveries in NPAs first towards principal irregularity as against first towards interest w.e.f. 01.07.2013, the interest income for the year and advances are lower and loss for the year is more by ₹ 223.50 crore.
- In view of the RBI circular No. RBI/2013-14/502 dated 26.02.2014, in case of sale to SCRC for a value higher than NBV, the excess provision to the extent of cash recovery amounting to ₹ 77 crore has been taken to the credit of Profit & Loss Account which as per the extant accounting policy would have been retained in excess provision. The resultant impact is that the profit for the year is more by ₹ 77 crore and provision is less to that extent.

b) Accounting Standard - 9

Certain items of income are recognized on realization basis as per principal accounting policy No. 8. However, the said income is not considered to be material.

c) Accounting Standard - 15 (Revised)

In the year 2010-11, in accordance with circular No. DBOD No. BP.BC.80/21.04.018/2010-11, dated 09-02-2011 issued by Reserve Bank of India, the Bank had opted to amortize the additional liability on account of re-opening of Pension option for existing employees who had not opted for pension earlier, as well as the liability on enhancement in Gratuity limit, over a period of five years beginning with the financial year ended 31st March, 2011. Accordingly, out of the unamortized amount of ₹ 590.77 crore as on 1st April, 2013, the Bank has amortized ₹ 239.99 crore for Pension and ₹ 55.40 crore for Gratuity being proportionate amount during the year ended March 31, 2014. The balance amount to be amortized in future periods for Pension is ₹ 239.98 crore and for Gratuity is ₹ 55.40 crore.

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below:

(₹ in Crore)

Particulars	Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2013	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Defined benefit obligation liability at March 31, 2014				
Opening obligations	7190.56	978.11	6537.56	891.22
Service cost	166.74	30.01	127.74	41.25
Interest cost	600.80	79.31	578.91	73.98
Actuarial [gain]/loss	758.99	126.30	412.20	95.94
Benefits paid	(578.07)	(150.10)	(465.85)	(124.28)
Past Service Cost (Amortised/ Non Vested)			-	-
Past Service Cost (Vested Benefit)			-	-
Liability Transferred in			-	-
Obligations at March 31, 2014	8139.02	1063.63	7190.56	978.11

(₹ in crore)

Particulars	Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2013	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Plan assets at March 31, 2014, at fair value				
Opening Plans assets, at fair value	6629.78	884.31	5349.39	855.53
Expected return on plan assets	654.74	91.42	510.12	68.92
Actuarial gain/[loss]	(28.78)	(1.91)	(23.88)	15.99
Contributions	1185.00	241.50	1260.00	68.15
Benefits paid	(578.07)	(150.10)	(465.85)	(124.28)
Transfer from Other Trust			-	-
Plan assets at March 31, 2014, at fair value	7862.67	1065.22	6629.78	884.31

(₹ in crore)

Particulars	Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2013	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Cost for the year ended March 31, 2014				
Service cost	166.74	30.01	127.74	41.25
Interest cost	600.80	79.31	578.91	73.98
Expected return on plan assets	(654.74)	(91.42)	(510.12)	(68.92)
Past Service Cost (Amortised/ Non Vested)	240.00	55.40	240.00	55.40
Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-	-	-
Actuarial [gain]/loss	787.77	128.21	436.08	79.95
Net cost	1140.57	201.51	872.61	181.66



Assumptions

Particulars	Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2013	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Discount rate	9.27%	9.35%	8.50%	8.50%
Salary escalation rate	5%	5%	4%	4%
Estimated rate of return on plan assets	8.70%	8.70%	8.70%	8.70%

d) Accounting Standard 17 – Segment Reporting

As per the revised guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has recognised Treasury Operations, Corporate/ Wholesale Banking, Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014			
(₹ in Crores)			
Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.14	Year ended 31.03.13
a.	Segment Revenue		
	1. Treasury Operations	6323.29	5188.80
	2. Retail Banking Operations	6921.97	5816.99
	3. Wholesale Banking Operations	13094.00	12441.42
	4. Other Banking Operations	0.00	0
	5. Unallocated	10.87	80.77
	Total	26350.13	23527.98
b.	Segment Results		
	1. Treasury Operations	307.88	515.16
	2. Retail Banking Operations	856.07	290.86
	3. Wholesale Banking Operations	(2048.52)	545.96
	4. Other Banking Operations	0.00	0.00
	Total	(884.57)	1351.98
c.	Unallocated Income/ (Expenses)	(109.97)	(32.22)
d.	Operating Profit	(994.54)	1319.76
e.	Income Tax	268.31	304.80
f.	Net Profit	(1262.84)	1014.96
g.	Segment Assets		
	1. Treasury Operations	100820.38	86328.74
	2. Retail Banking Operations	65548.89	56488.33
	3. Wholesale Banking Operations	118749.13	121574.44
	4. Other Banking Operations	0.00	0.00
	5. Unallocated Assets	4377.82	3738.03
	Total	289496.22	268129.54
h.	Segment Liabilities		
	1. Treasury Operations	101081.13	86459.29
	2. Retail Banking Operations	61185.53	52686.49
	3. Wholesale Banking Operations	110844.41	113412.16
	4. Other Banking Operations	0.00	00.00
	5. Unallocated Liabilities	596.60	258.75
	6. Capital employed	15788.54	15312.85
	Total	289496.22	268129.54

- ii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.
 - iii) The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures
 - iv) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts/ Partnership Firms, Companies and statutory bodies, which are not included under Retail Banking.
 - v) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.
 - vi) General Banking operations are the main resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the former for funds lent to it by taking into consideration the average funds used.
 - vii) Allocation of Costs:
 - a) Expenses directly attributable to a particular segment are allocated to the relative segment
 - b) Expenses not directly attributable to a specific segment are allocated on rational basis.
- e) Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party**

1 List of Related Parties:

(a) Key Managerial Personnel

	Name	Designation
i)	Mr. Rajeev Rishi (from 01/08/2013)	Chairman & Managing Director
ii)	Mr. M.V. Tanksale (from 29/06/2011 to 31/07/2013)	Chairman & Managing Director
iii)	Mr. Malay Mukherjee (from 5/11/2012 to 11/12/2013)	Executive Director
iv)	Mr. R. K. Goyal (from 11/01/2013)	Executive Director
v)	Mr. Animesh Chauhan (from 05/08/2013)	Executive Director
vi)	Mr. B.K. Divakara (from 23/01/2014)	Executive Director

(b) Subsidiaries –

- i) Cent Bank Home Finance Ltd.**
- ii) Cent Bank Financial & Custodial Services Ltd.

(c) Associates

(I) Regional Rural Banks –

- i) Central Madhya Pradesh Gramin Bank
- ii) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur
- iii) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar

(II) Indo – Zambia Bank Ltd.

2. Transactions with Related Parties:

		(₹ in lacs)	
(a)	Items	Key Management Personnel	
		2013-14	2012 -13
	Remuneration paid	80.62	64.55



(b) Statement of Related Parties Transaction

STATEMENT OF RELATED PARTIES TRANSACTION AS ON 31.03.2013 & 31.03.2014														
(Rs. in crore)														
S.No.	Related Parties	As on	Investment		Purchase of Loan Assets		Sale of Loan Assets		Line of credit to RRBs		Participation under IBPC			
			Cumulative	Maximum during the year	Amount O/s	Interest Received	Amount Sold	Interest Paid	Amount	Interest received	Sale of Direct Agri. Assets to Sponsor Bank		Purchase of Non Priority Sector Portfolio from Sponsor Bank	
											Amt. O/s	Intt. Paid to Sponsor Bank	Amt. O/s	Intt. received from Sponsor Bank
1	Central M P G B	31.03.13	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	31.07	630.00	35.73
		31.03.14	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.00	4.39	727.00	5.03
2	Surguja KGB	31.03.13	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4.93	100.00	5.67
		31.03.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Uttar Bihar GB	31.03.13	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	69.04	1400.00	79.40
		31.03.14	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1397.00	8.43	1397.00	9.66
4	Ballia Etawah GB	31.03.13	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	7.15	145.00	8.22
		31.03.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Uttarbanga KGB	31.03.13	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1.97	40.00	2.27
		31.03.14	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.47	76.00	0.54
6	Vidharbha KGB	31.03.13	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	9.87	200.00	11.34
		31.03.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	31.03.13	263.70	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2515.00	124.03	2515.00	142.63
		31.03.14	277.11	277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	13.29	2200.00	15.23
1. Central Bank of India has infused our share (35%) of Rs. 33.92 Crore in capital of Central Madhya Pradesh GB along with other stake holders.														
2. Surguja KGB has been merged to form Chhattisgarh Rajya GB on 02/09/2013 & our share in capital of Rs.2.57 Crore has been received back.														
3. Ballia Etawah GB has been merged to form Purvanchak Bank on 01/04/2013 & our share in capital of Rs.11.72 Crore has been received back.														

- (c) No disclosure is required in respect of related parties, which are state controlled enterprises as per Paragraph 9 of AS-18. Further, in terms of Paragraph 5 of AS-18, transactions in the nature of banker-customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel & relatives of Key Management Personnel.

f) Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

	31.3.2014	31.3.2013
Net Profit after Tax available for Equity Share Holder (₹ in Crore)	(1262.84)	838.88
Weighted Average number of Equity Share (No.)	1137592631	746256617
Basic Earnings per Share (₹)	(11.10)	11.24
Diluted Earnings per Share (₹)	(11.10)	11.24
Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00


g) Accounting Standard 22 –Accounting for Taxes on Income

The Bank has recognized Deferred Tax Assets/ Liabilities.

Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

	31.3.2014	31.3.2013
(₹ in Crore)		
Deferred Tax Asset:		
Business Loss	575.14	--
Provision for Leave Encashment	154.57	113.01
Provision for Pension and Gratuity	--	59.20
Depreciation on Investment	--	6.72
Others	--	33.99
Depreciation on Fixed Assets	--	--
Total (A):	729.71	212.92
Deferred Tax Liabilities:		
Depreciation on Fixed Assets	5.87	2.64
Interest accrued but not due on Investments	562.21	469.03
Provision for Pension and Gratuity	17.35	--
Special Reserve u/s.36(1)(viii) of IT Act 1961	33.99	--
Depreciation on Investments	706.89	--
Total (B):	1326.31	471.67
Net Deferred Tax Liability	596.60	258.75

Pursuant to Reserve Bank of India's (RBI's) circular No. DBOD No.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20.12.2013, the bank has created Deferred Tax Liability on the Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961. As required by said RBI Circular, the expenditure amounting to ₹ 33.99 crore due to the creation of DTL on Special Reserve as at March 31, 2013 not previously charged to the Profit and Loss Account has now been adjusted directly from the Reserves.

h) Accounting Standard – 28 –Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the management, there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2014, requiring recognition in terms of the Standard.

i) Accounting Standard – 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
(i) Movement of Provision for claims not acknowledged as debts :

(₹ in Crore)

Particulars	Opening Balance as on 01.04.2013	Provision made during the year	Provisions reversed/ adjusted	Closing Balance as on 31.3.2014
Contingencies Provisions against claim not acknowledged as debt	4.41	--	--	4.41

(ii) Additional Disclosures
Provisions and Contingencies

(₹ in Crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	31.3.2014	31.3.2013
Provisions/Depreciation on Investment	257	(162)
Provision towards NPA	3292	1358
Provision towards Standard Asset	(7)	91
Provision made for Taxes	268	305
Provision for Restructured Advances	697	572
Other Provisions	(6)	(6)
TOTAL	4501	2158



(iii) Floating Provisions

(₹ in Crore)

Particulars		31.3.2014	31.3.2013
a	Opening balance in the Floating Provisions account	312.43	312.43
b	The quantum of Floating Provisions made in the Accounting Year	--	--
c	Amount of draw down made during the Accounting Year.	103.09	--
d	Closing balance in the Floating Provisions account	209.34	312.43

(iv) Countercyclical Provisioning Buffer:

(₹ in Crore)

Particulars		31.3.2014	31.3.2013
a	Opening balance in the Floating Provisions account	141.30	141.30
b	The quantum of Floating Provisions made in the Accounting Year	--	--
c	Amount of draw down made during the Accounting Year.	46.63	--
d	Closing balance in the Floating Provisions account	94.67	141.30

(v)

(₹ in Crore)

Movement of Provision for Liabilities:		31.3.2014	31.3.2013
			Other Legal Cases
	Opening Balance	4.41	3.90
	Additions during the year	-	0.51
	Amount used during the period	-	-
	Closing Balance	4.41	4.41
	Timing of any resulting outflow	N.A.	N.A.

11. Details of Complaints

	Customer Complaints	No. of complaints	
		31.03.2014	31.03.2013
a)	Pending at the beginning of the year	153	234
b)	Received during the year	7906	5992
c)	Redressed during the year	7825	6073
d)	Pending at the end of the year	234	153

	Awards Passed by Banking Ombudsman	Numbers	
		31.03.2014	31.03.2013
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	3	3
c)	No. of Awards implemented during the year	2	3
d)	No. of unimplemented awards at the end of the year	1	0

As compiled by the Management and relied upon by the auditors.

	Investors' complaints	No. of complaints	
		31.03.2014	31.03.2013
a)	Pending at the beginning of the year	0	0
b)	Received during the year	217	240
c)	Redressed during the year	217	240
d)	Pending at the end of the year	0	0



Complaints pertaining to ATM Transactions				
	Particulars	Complaints for ATM transactions taken place on CBI ATMs	Complaints for ATM transactions taken place on Other Bank's ATMs	Total No. of Complaints
a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	59	803	862
b)	No. of complaints received during the year	19633	24910	44543
c)	No. of complaints redressed during the year	19194	25134	44328
d)	No. of complaints pending at the end of the year	498	579	1077

12. Details of Letters of Comfort issued and outstanding as on 31.3.2014

Particulars	Amount (₹ in Crores)
Letter of Comforts issued during 2013-14	2289.15
Letter of Comforts matured/cancelled during 2013-14	2442.39
Letter of Comforts outstanding as on 31.03.2014	2343.80

The above mentioned Letters of Comfort are issued within the sanctioned Trade Credit Limits.

13. Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The PCR (ratio of Provisioning to Gross NPA) stood at 50.68% (Previous Year 40.62%)

14. As per the information compiled by the Management, the Vendors, whose services are utilized and from whom purchases were made by the Bank, are not registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.

15. Implementation of the Guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds

The bank has formulated policies on Cyber Frauds in CBS system as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC. BC.No.6/31.02.008/2010-11 dated April 29, 2011. These policies are being reviewed by the management of the bank on periodical basis.

16. Previous year figures have been re-grouped/ re-classified wherever considered necessary to conform to current year's classification.

B. K. DIVAKARA
Executive Director

ANIMESH CHAUHAN
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

GUMAN SINGH
DIRECTOR

PROF. N. BALAKRISHNAN
DIRECTOR

M. P. SHORAWALA
DIRECTOR

KRISHAN SETHI
DIRECTOR

Ms.N.S. RATHNAPRABHA
DIRECTOR

S. B. RODE
DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI
DIRECTOR

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA SUNIL JAIN)
PARTNER
M.No.080990

(CA S. VENKATKRISHNAN)
PARTNER
M.No.023488

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N. SARKAR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For N. CHAUDHURI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301032E

For B.N.MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

(CA ANUP BISWAS)
PARTNER
M.No.050708

(CA S. S. MOHAPATRA)
PARTNER
M.No.061619

Place : Mumbai
Date: May 10, 2014



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

		(₹ In Crore)	
Sn	Particulars	31- 03- 2014	31-03-2013
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit before taxes	(994.55)	1,319.76
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	208.55	184.45
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	256.56	(169.28)
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	3,292.01	1,358.26
	Provision for Standard Assets	689.57	662.63
	Provision for Other items (Net)	(5.57)	1.19
	Interest on Income Tax (net)	(10.87)	(80.77)
	Profit / Loss on sale of fixed assets (Net)	1.19	(0.65)
	Payment/ provision for interest on subordinated debt (treated separately)	642.26	582.86
	Dividend Received from Subsidiaries	(2.79)	(2.79)
	Interest on JNY coupens	5.17	-
	Sub total	4,081.53	3,855.66
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	14,030.67	29,864.98
	Increase / (Decrease) in Borrowings	3,774.26	5,385.91
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	3,285.57	14.24
	(Increase) / Decrease in Advances	(9,360.91)	(26,443.88)
	(Increase) / Decrease in Investments	(13,777.91)	(13,191.24)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(3,355.52)	(437.53)
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	(700.54)	(156.86)
	Net Cash from operating activities (A)	(6,104.37)	(4,964.38)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	(2,022.84)	(1,108.72)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	49.45	1.27
	Purchase of Fixed Assets	(405.01)	(425.95)
	Dividend Received from Associates/Subsidiaries	2.79	2.79
	Investment in Associate/Subsidiaries	(10.00)	
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(362.77)	(421.89)


CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital	1,799.99	2,406.00
	Proceeds / Redemption of Subordinated Debts Tier II Capital	-	-
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	(411.64)	(275.81)
	Dividend Tax	(69.49)	(44.45)
	Interest on JNY Swap coupon	(5.17)	(6.66)
	Interest on Subordinated Debt	(642.26)	(582.86)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	671.43	1,496.22
D	Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	(1,714.17)	(34.39)
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	13,560.17	13,114.18
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	532.04	1,012.42
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	14,092.21	14,126.60
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	11,926.63	13,560.17
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	451.40	532.04
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	12,378.03	14,092.21

B. K. DIVAKARA
Executive Director

ANIMESH CHAUHAN
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

GUMAN SINGH
DIRECTOR

PROF. N. BALAKRISHNAN
DIRECTOR

M. P. SHORAWALA
DIRECTOR

KRISHAN SETHI
DIRECTOR

Ms.N.S. RATHNAPRABHA
DIRECTOR

S. B. RODE
DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI
DIRECTOR

For **KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For **P.K. SUBRAMANIAM & CO**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For **DOOGAR & ASSOCIATES**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA SUNIL JAIN)
PARTNER
M.No.080990

(CA S. VENKATKRISHNAN)
PARTNER
M.No.023488

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For **N. SARKAR & CO**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For **N. CHAUDHURI & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301032E

For **B.N.MISRA & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

(CA ANUP BISWAS)
PARTNER
M.No.050708

(CA S. S. MOHAPATRA)
PARTNER
M.No.061619

Place : Mumbai
Date: May 10, 2014

Table DF-1
1. Scope of application
Qualitative Disclosures:

- a. Parent Bank: Central Bank of India

The disclosure in this sheet pertains to Central Bank of India on solo basis.

- b. In the consolidated accounts, bank's subsidiaries/associates are treated as under:

(b.i) Bank's Subsidiary: The details of Bank's subsidiary are as under:

S. No.	Name of Subsidiary	Ownership
1	Cent Bank Home Finance Ltd.	64.40%
2	Cent Bank Financial Services Ltd	100%

The subsidiaries of parent bank are consolidated on line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of subsidiaries with the respective item of the parent and after eliminating material intra-group balances/ transactions, unrealized profit/loss and making necessary adjustments wherever possible to conform to accounting policies, based on data received from these subsidiaries duly certified by their respective auditors. The financial statements of the subsidiaries have been drawn up to the same reporting date as that of parent i.e. 31st March, 2014. The accounting standard followed for the consolidation of the financial statements of subsidiaries is AS- 21.

(b.ii) Associates: The Banks associates are as under:

S. No.	Name of Regional Rural Banks	Ownership
I	Regional Rural Banks	
1	Central Madhyapradesh GB	35%
3	Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur	35%
4	Uttarbanga Kshetriya Gram Bank, Cooch Bihar	35%
II	Indo-Zambia Bank Ltd., Zambia.	20%

The accounting standard followed for accounting for investments in Associates in consolidated financial statements is as per AS-23 issued by ICAI. The method followed is equity

The financial statement of INDO Zambia Bank Ltd., considered as an associate has been prepared in accordance with the International Financial Reporting Standard. All Regional Rural Bank and one associate are in the nature of financial entities.

For computation of CRAR of the Bank, investment in Subsidiaries and Regional Rural Banks are deducted from Tier I and Tier II capital equally.

CRAR is calculated for bank on standalone basis.

Quantitative Disclosures

- c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries: NIL
- (d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities is NIL.



Table DF-2

2. Capital structure

Qualitative Disclosuresa) **Equity capital**

The bank has authorized capital of Rs.3000.00 Crore as on 31st March 2014; the bank has issued, subscribed and paid up equity capital of Rs.1350.44 crore, constituting 1350439315 Number of shares Of Rs.10 each.

Out of this, 88.63% shareholding constituting 1196959325 numbers of shares is with the Government of India as of 31st March 2014.

2.1 Debt capital instruments**2.2.1 Details of TIER I Capital TIER I**

TIER I CAPITAL	ISSUE DATE	PERIODS IN MONTH	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹In Crores)	INTEREST RATE
IPDI	30.03.2009	Perpetual	Perpetual	583.00	G-Sec + 250bps to be repriced every year in March.
PDI (Series II)	28.09.2012	Perpetual	Perpetual	500.00	9.40% p.a.
PNCPS	26.11.2006	Perpetual	Perpetual	800.00	Repo+100 bps to be repriced every year on relevant dates.
PNCPS	30.03.2009	Perpetual	Perpetual	117.00	Repo+100 bps to be repriced every year on relevant dates.
PNCPS	31.03.2010	Perpetual	Perpetual	450.00	Repo+100 bps to be repriced every year on relevant dates.
PNCPS	04.06.2010	Perpetual	Perpetual	250.00	Repo+100 bps to be repriced every year on relevant dates.
TOTAL				2700.00	

2.2.2 Details of Upper TIER II Bonds

SERIES	ISSUE DATE	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT ('In Crores)	INTEREST RATE
Upper Tier II (Sr-I)	14.11.2008	14.11.2023	300.00	11.45% p.a. Step up of 50bps from 11 th year (11.95% till maturity)
Upper Tier II (Sr-II)	17.02.2009	17.02.2024	285.00	9.40% p.a. Step up of 50bps from 11 th year (9.90% till maturity)
Upper Tier II (Sr-III)	23.06.2009	23.06.2024	500.00	8.80% p.a. Step up of 50bps from 11 th year (9.30% till maturity)
Upper Tier II (Sr-IV)	20.01.2010	20.01.2025	500.00	8.63% p.a. Step up of 50bps from 11 th year (9.13% till maturity)
Upper Tier II (Sr-V)	11.06.2010	11.06.2025	1000.00	8.57% p.a. Step up of 50bps from 11 th year (9.07% till maturity)
Upper Tier II (Sr-VI)	21.01.2011	21.01.2026	300.00	9.20%p.a. Till redemption
		TOTAL	2885.00	



2.2.3 Details of Subordinated Bonds

Lower Tier II SERIES	ISSUE DATE	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (' In Crores)	INTEREST RATE
IX	08.10.2004	08.06.2014	200.00	7.05% p.a.
X	28.03.2006	28.06.2015	578.20	8.15%p.a.
XI	04.10.2006	04.10.2016	700.00	8.95%p.a.
XII	03.03.2008	03.05.2017	389.10	9.20%p.a.
XIII	10.02.2009	10.04.2018	270.00	9.35%p.a.
XIV	21.12.2011	21.12.2026	500.00	9.33%p.a.
		TOTAL	2637.30	

2.2.4 Details of Basel III Compliant Bond –Tier 2

Tier II SERIES	ISSUE DATE	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (' In Crores)	INTEREST RATE
SR I	08.11.2013	08.11.2023	1000.00	9.90% p.a.
		TOTAL	1000.00	

Quantitative Disclosures

	Rs. in crores
b) Tier 1 capital	14849
with separate disclosure of:	
▪ paid-up share capital	1350
▪ reserves	10960
▪ innovative instruments:	
IPDI –	1083
PNCPS –	1617
▪ amounts deducted from Tier 1 capital	
investments –	152
intangibles -	9
(c) Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital):	7020
(d) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital	
▪ Total amount outstanding-	2885
▪ Of which amount raised during the current year –	NIL
▪ Amount eligible to be reckoned as capital funds –	2885
(e) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
▪ Total amount outstanding-	3637
▪ Of which amount raised during the current year –	1000
▪ Amount eligible to be reckoned as capital funds –	2291
(f) Other deductions from capital –	152
(g) Total eligible capital.	21869

Table DF-3

Capital Adequacy**Qualitative disclosures**

(a) A summary discussion of the bank's approach to assess the adequacy of its capital to support current and future activities: The bank carries out regular assessment of its capital requirement from time to time to maintain the capital to Risk Weight Assets Ratio (CRAR) at desired level. The capital plan is reviewed on annual basis to take care of business growth and CRAR. The bank has adopted standardized approach for credit risk, basic indicator approach for operational risk and standardized duration approach for market risk.

The bank has put in place a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process to enable the bank to plan its capital requirements in relation to its business projections and to meet the risks inherent in the business. The main objective of ICAAP exercise is to identify and measure the risks that are not fully captured by the minimum capital ratio prescribed under Pillar1; the risks that are not at all taken into account by the pillar 1; and the factors external to the bank and to provide capital for such additional risks and to measure an appropriate level of internal capital as per the bank's risk appetite. The bank has also put in place the stress testing policy to measure impact of adverse stress scenario under pillar II on its CRAR.

The bank is reviewing the ICAAP on quarterly basis

	Rs. in Crores
Quantitative disclosures	
(b) Capital requirements for credit risk at 9%:	
Portfolios subject to standardized approach –	
▪ Fund based	13241
▪ Non-fund based	1097
▪ Securitization exposures	NIL
(c) Capital requirements for market risk:	
▪ Standardized duration approach:	
- Interest rate risk –	776
- Foreign exchange risk (including gold) –	4
- Equity risk –	328
(d) Capital requirements for operational risk:	
▪ Basic indicator approach –	1005
(e) Total capital ratio –	
Tier 1 capital ratio	11.96%
	8.12%

General qualitative disclosure requirement

A committee of Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under various risks viz. credit, operational, market etc. The bank also has separate committees for each risk comprising of top executives of bank headed by Chairman and Managing Director/ Executive directors such as Asset liability Management committee, Credit policy Committee, Operational Risk committee. These committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary. The Risk Management Department at central office level was headed by Chief General Manager, measures control and manages risk within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by various committees. The Chief General Manager is assisted by Deputy General Manager and a team of Assistant General Managers, Chief Managers, Senior Managers and Managers.

At some identified regional offices, the Risk Managers are posted to act as an extended arm of the Risk Management Department of the Central Office.

The bank has in place the various policies such as Credit Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Integrated Risk Management Policy, Stress testing policy, Disclosure policy, Operational risk policy, ALM policy and Investment and Market risk management Policy.

Besides this, the Loan Policy prescribing broad parameters governing loan functions, guidelines on appraisal and evaluation of credit proposals, lending powers of delegated authority, exposure norms, prudential limits and measures of monitoring and controlling the credit portfolio documentation is also in place.

The Credit Monitoring Department headed by General Manager monitors the quality of loan proposals, identify special mention accounts and take corrective measures. Loan review mechanism is also carried out by the department.

The bank has introduced rating models for various segments of borrowers including retail lending schemes which measures the risk associated with counterparties and helps in credit and pricing decisions. In case of large borrowers credit risk assessment models evaluate financial risk, Industry risk, Management risk and business risk of the counter party and each of these risks are scored separately and then overall rating is accorded to counter party. Facility rating tool is also included in the rating tool.



Table DF-4

Credit risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures

Credit risk

Definitions of past due and impaired

A Non Performing Asset shall be a loan or an advance where-

- (i) Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90days in respect of a Term Loan;
- (ii) The account remains out of order for 90 days
- (iii) The bill remains overdue for a period of more than 90days in the case of bills Purchased and Discounted
- (iv) In case of advances granted for Agricultural purposes
 - a) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops
 - b) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop seasons for long duration crops
- (v) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- (vi) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark to- market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

Out of Order:

An account should be treated as “out of Order” if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating accounts less than the sanctioned limit/ drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credit are not enough to cover the interest debited in the account during the same period.

Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on due date fixed by the bank.

Credit Risk Management Policy

Bank has put in place a well-articulated Board approved Credit Risk Policy which is reviewed annually. The policy deals with the following areas:

- Credit risk- definition, Policy and strategy
- Risk identification & measurement,
- Risk grading and aggregation,
- Credit risk rating framework and reporting,
- Risk control and portfolio management,
- Mitigation techniques,
- Target markets and type of economic activity,
- Credit approval authority,
- Country and currency exposure,
- Maturity patterns, level of diversification,
- Cyclical aspect of the economy,
- Credit risk in off balance sheet exposure,
- Credit risk monitoring procedures
- Managing of credit risk in inter Bank Exposure,
- Country risk and other operational matters.



	(Rs. in crores)
Quantitative Disclosures:	
(a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based:	274024
Non-fund based:	43311
(b) Geographic distribution of exposures:	
▪ Overseas	191
▪ Domestic	317144

Industry Name	Funded	Non-Funded
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	387	32
A.1 Coal	110	24
A.2 Others	277	8
B. Food Processing (B.1 to B.5)	5822	1471
B.1 Sugar	2258	137
B.2 Edible Oils and Vanaspati	1003	414
B.3 Tea	291	1
B.4 Coffee	18	0
B.5 Others	2251	919
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	4	4
Of which Tobacco and tobacco products	0	0
D. Textiles (a to f)	6036	1033
a. Cotton	1353	116
b. Jute	89	10
c. Handicraft/Khadi (Non Priority)	6	0
d. Silk	43	3
e. Woolen	263	28
f. Others	4282	875
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	0	0
E. Leather and Leather products	106	7
F. Wood and Wood Products	221	13
G. Paper and Paper Products	635	128
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	954	100
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	2812	714
I.1 Fertilizers	935	12
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	1524	481
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	193	83
I.4 Others	160	138
J. Rubber, Plastic and their Products	294	128
K. Glass & Glassware	46	5
L. Cement and Cement Products	1645	10
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	9898	2645
M.1 Iron and Steel	8554	1884
M.2 Other Metal and Metal Products	1344	761



Industry Name	Funded	Non-Funded
N. All Engineering (N.1 + N.2)	3686	3347
N.1 Electronics	617	131
N.2 Others	3069	3216
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	1127	1001
P. Gems and Jewellery	1954	918
Q. Construction	4936	1461
R. Infrastructure (a to d)	58027	5728
a. Transport (a.1 to a.5)	14151	1393
a.1 Railways	749	105
a.2 Roadways	9982	1133
a.3 Airport	1364	35
a.4 Waterways	2055	120
a.5 Others	0	0
b. Energy (b.1 to b.6)	36138	2800
b.1 Electricity (Generation)	17601	2523
b.1.1 Central Govt PSUs	948	0
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	8618	2344
b.1.3 Private Sector	8035	179
b.2 Electricity (Transmission)	896	0
b.2.1 Central Govt PSUs	0	0
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	547	0
b.2.3 Private Sector	348	0
b.3 Electricity (Distribution)	16991	278
b.3.1 Central Govt PSUs	613	0
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	15235	278
b.3.3 Private Sector	1142	0
b.4 Oil (storage & pipelines)	86	0
b.5 Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) (storage & pipelines)	283	0
b.6 Others	281	0
c. Telecommunication	2889	1347
d. Others	4849	188
Of which Water sanitation	323	0
Of which Social & Commercial Infrastructure	1012	59
S. Other Industries	19191	3303
All Industries (A to S)	117784	22047
Residuary other advances (to tally with gross advances)	95235	3113
Total Loans and Advances	213018	25161



(d) Residual contractual maturity breakdown of Assets:

Day 1	5871
02days to 07days:	2472
08days to 14days:	1586
15days to 28days:	1581
29days to 3months:	8095
Above 3months to 6months:	6045
Above 6months to 12months:	14591
Above 12months to 36months:	88673
Above 36months to 60months:	42792
Over 60 month	91989
Total	263695

(e) Amount of NPAs (Gross) –	11500
▪ Substandard	5066
▪ Doubtful	6136
▪ Loss	298
(f) Net NPAs	6649
(g) NPA Ratios	
▪ Gross NPAs to gross advances	6.27%
▪ Net NPAs to net advances	3.75%
(h) Movement of NPAs (Gross)	
▪ Opening balance	8456
▪ Additions	7569
▪ Reductions	4525
▪ NPA (Gross)	11500
(i) Movement of provisions for NPAs	
▪ Opening balance	2931
▪ Provisions made during the period	3524
▪ Write-off	2001
▪ Write-back of excess provisions	-
▪ Closing balance	4454
(j) Amount of Non-Performing Investments	126
(k) Amount of provisions held for non-performing investments	55
(l) Movement of provisions/depreciation on investments:	
▪ Opening balance	34
▪ Provisions made during the period	43
▪ Write-off	-
▪ Write back of excess provision	22
▪ Closing balance	55



Table DF-5

Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures

- The Bank has adopted Standardized approach for computation of capital charge for Credit risk as per RBI guidelines. These guidelines envisage different risk weights for different asset classes, which have been duly applied.
- The Bank has taken into consideration external rating done by External Credit Rating Agencies identified by the RBI viz., CRISIL Ltd., CARE, ICRA Ltd., Fitch Ratings (I) Ltd, SMERA and BRICKWORK.
- These agencies rate all fund and non fund based exposures. The ratings awarded by these agencies to the bank's clients are adopted for assigning risk-weights.
- In case of bank's investment in particular issues of Corporate, the issue specific rating of the rating agency is reckoned to assign the risk weight to comparable exposures as per the mapping scale provided by RBI.

Rs. in crores	
Quantitative Disclosures:	
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:	
▪ Below 100 % risk weight:	195375
▪ 100 % risk weight:	82784
▪ More than 100 % risk weight:	39176
▪ Amount Deducted-CRM	12223

Table DF-6

Credit risk mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

- Policies and processes for collateral valuation and management;**

Bank has well defined credit risk mitigation and collateral management policy. The main types of collaterals accepted by bank are cash and near cash securities, land and building, and plant and machinery etc.

- A description of the main types of collateral taken by the bank;**

Bank accepts personal guarantees, corporate guarantees and guarantees issued by sovereigns and banks. Collaterals are valued at fair market value and at regular intervals as per the policy guidelines.

RBI guidelines recognize various types of financial collaterals for the purpose of credit risk mitigation. The guidelines further provide recognition of guarantees as one of the credit risk mitigants. Bank has put in place suitable policy measures to capture these elements.

Rs in crores	
Quantitative Disclosures	
▪ eligible financial collateral; after the application of haircuts-	
Fund based	11903
Non fund based	320



Table DF-7

Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures:	
NIL	
Rs in crores	
Quantitative Disclosures	
Banking Book	
(d) The total amount of exposures securitized by the bank	NIL
(e) For exposures securitized losses recognized by the bank during the current period broken down by the exposure type (eg. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL
(f) Amount of assets intended to be securitized within a year	NIL
(g) Of (f), the amount of assets originated within a year before securitization	NIL
(h) The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	NIL
(i) Aggregate amount of :	
- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	Nil
- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	Nil
(j) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	Nil
Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	Nil
Quantitative Disclosures	
Trading Book:	
(k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach by exposure type	Nil
(l) Aggregate amount of :	Nil
- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	Nil
- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	Nil
(m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for :	
- securitization exposures retained or purchased subject to comprehensive risk measure risk measure for specific risk: and	Nil
- securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands	Nil
(n) Aggregate amount of :	
- The capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands	Nil
- Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/O deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	Nil

Table DF-8

Market risk in trading book

Qualitative disclosures

The bank has well defined Investment and Market Risk Management Policy. This policy covers all important areas of market risk measurement.

Bank defines Market Risk as the risk of loss in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market process, in particular, changes in interest rates, exchange rates and equity and commodity prices.

The bank has adopted Standardized Duration Approach for measuring the capital requirements for market risk as prescribed by RBI.

Policies for management of Market Risk:

The bank has put in place board approved Investment and Market Risk Management Policy for effective management of Market Risk in the bank. Other policies which also deal with Market Risk Management are Asset Liability Management Policy and Policy on Foreign Exchange Operations.

The policies set various prudential exposure limits and risk limits for ensuring that the operations are in line with bank's expectations of return to market risk through proper Market Risk Management and Asset Liability Management.

Asset-Liability Management

The ALM Policy is the framework of the ALM process. Bank's balance sheet has mixed exposure to different levels of financial risk. The goal of bank is to maximize its profitability, but to do so in a manner that does not expose the bank to excessive levels of risk which will ultimately affect the profitability. The Policy defines the limits for key measure of risk limits that have been established to specifically accommodate a bank's unique balance complexion, strategic direction, and appetite for risk.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavior pattern of assets and liabilities. Banks has also put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency funding plan. Prudential limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management Liquidity profile of the bank is also evaluated through various liquidity ratios.

Interest rate risk

Interest rate risk is managed through Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and is monitored through prudential limits. Bank also estimates risk periodically against adverse movements in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income and economic Value of Equity.

Quantitative disclosures

Capital Requirement for Market Risk	Capital Charge
Interest Rate Risk	Rs. 776 Cr
Equity Position Risk	Rs. 328 Cr
Foreign Exchange Risk	Rs. 4 Cr
TOTAL	Rs. 1108 Cr

Table DF-9
Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks. Operational Risk Management in the Bank is guided by a well defined Operational Risk Management Policy which is reviewed every year. The bank has initiated pro-active steps to equip itself to migrate to advanced approaches under Operational Risk and has started collation of data pertaining to Operational Risk loss events through Loss Data Management, Risk & control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI) & Scenario Analysis. Bank is also a member of loss data consortium 'CORDEX' for external loss database.

The Bank had already approached RBI for moving to The Standardised Approach and is now making efforts to move directly to Advance Measurement Approach.

The bank has provided capital for operational risk as per Basic Indicator Approach. Accordingly the capital requirement for operational risk as on 31.03.2014 is Rs. 1005 Crores.


Table DF-10
Interest rate risk in the banking book (IRRBB)
Qualitative Disclosure:

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

1) Earning at risk (Traditional Gap Analysis)

The impact of change in interest rates on net interest income is analyzed under this approach and calculated under yield curve approach. Under this approach a parallel shift of 1% is assumed both in assets and liabilities.

2) Economic Value of Equity:

Modified duration of assets and liabilities is computed separately to arrive at modified duration of equity. A parallel shift in yield curve by 200 basis point is assumed for calculating the economic value of equity.

Quantitative Disclosure:

Parameter of Change	Rs. in Crores
1.Impact on Earnings at 100 bps increase in interest rate across assets and liability	188
2.Market value of Equity: 200 bps change	-747

DR. S.K. MISHRA
DY. GENERAL MANAGER

PRADEEP KUMAR
DY. GENERAL MANAGER

B.K. DIVAKARA
EXECUTIVE DIRECTOR

ANIMESH CHAUHAN
EXECUTIVE DIRECTOR

R.K. GOYAL
EXECUTIVE DIRECTOR

RAJEEV RISHI
CHAIRMAN & MANAGING
DIRECTOR

Place : Mumbai

Date: 23.05.2014

PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES AS ON 31.03.2014
CENTRAL BANK OF INDIA
Table DF-1: Scope of Application
(i) Qualitative Disclosures:

The disclosure in this sheet pertains to Central Bank of India on solo basis.

In the consolidated accounts (disclosed annually), bank's subsidiaries/associates are treated as under

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21.	No	NA	NA	Deduction of Investments from capital
Cent Bank Financial Services Ltd./ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21	No	NA	NA	Deduction of Investments from capital
Central Madhyapradesh GB/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarpur/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Uttarbanga Kshetriya Gram Bank, Cooch Bihar/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Indo-Zambia Bank Ltd. / Zambia.	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation



Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NO SUCH ENTITY					

(ii) Quantitative Disclosures:**c. List of group entities considered for consolidation**

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Rs. in Mn	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Rs. in Mn
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	The main objective of the Company is to provide housing finance	250	5121
CentBank Financial Services Ltd./India	Providing investment banking products / services to corporate clients	50	424
Central Madhyapradesh GB/ India	Regional Rural Bank	2464	68913
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur/ India	Regional Rural Bank	4545	129652
Uttarbanga Kshetriya Gram Bank, Cooch Bihar/ India	Regional Rural Bank	1028.31	22410.19

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted: NIL

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted: NIL

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: NIL

Table DF-2: Capital Adequacy

Qualitative disclosures

(a) A summary discussion of the bank's approach to assess the adequacy of its capital to support current and future activities

The bank carries out regular assessment of its capital requirement from time to time to maintain the capital to Risk Weight Assets Ratio (CRAR) at desired level. The capital plan is reviewed on annual basis to take care of business growth and CRAR.

The bank has adopted standardized approach for credit risk, basic indicator approach for operational risk and standardized duration approach for market risk.

The bank has put in place a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process to enable the bank to plan its capital requirements in relation to its business projections and to meet the risks inherent in the business. The main objective of ICAAP exercise is to identify and measure the risks that are not fully captured by the minimum capital ratio prescribed under Pillar1; the risks that are not at all taken into account by the pillar 1; and the factors external to the bank and to provide capital for such additional risks and to measure an appropriate level of internal capital as per the risk appetite. The bank has also put in place the stress testing policy to measure impact of adverse stress scenario under pillar II on its CRAR.

The bank is reviewing the ICAAP on quarterly basis.



Bank has taken initiatives to migrate to advanced approaches for Risk Weighted Assets Computation, Bank is in the process of acquiring software capabilities for the same

Quantitative disclosures	
(b) Capital requirements for credit risk: • Portfolios subject to standardized approach @9% • Securitization exposures :	Rs. 145363 Mn Nil
(c) Capital requirements for market risk: • Standardized duration approach; - Interest rate risk - Foreign exchange risk (including gold) - Equity risk	Rs. 7866 Mn Rs. 41 Mn Rs. 3285 Mn
(d) Capital requirements for operational risk: • Basic Indicator Approach	Rs. 10047 Mn
(e) Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios: • Common Equity Tier 1 • Tier 1 • Total Capital ratio	6.47% 7.37% 9.87%

General qualitative disclosure requirement

A committee of board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under various risks viz. credit, operational, market etc. The bank also has separate committees for each risk comprising of top executives of bank headed by Chairman and Managing Director/ Executive directors such as Asset liability Management committee, Credit policy Committee, Operational Risk committee. These committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Risk Management Department at central office level was headed by Chief General Manager, measures control and manages risk within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by various committees. The Chief General Manager is assisted by Deputy General Manager and a team of Assistant General Managers, Chief Managers, Senior Managers and Managers.

At some identified regional offices, the identified Risk Managers are posted who act as an extended Arm of the Risk Management Department of the Central Office.

The bank has in place the various policies such as Credit Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Stress testing policy, Disclosure policy, Operational risk policy, ALM policy and Investment and Market risk management Policy.

Besides this, the Loan Policy prescribing broad parameters governing loan functions, guidelines on appraisal and evaluation of credit proposals, lending powers of delegated authority, exposure norms, prudential limits and measures of monitoring and controlling the credit portfolio documentation is also in place.

The Credit Monitoring Department headed by General Manager monitors the quality of loan proposals, identify special mention accounts and take corrective measures. Loan review mechanism is also carried out by the department.

The bank has introduced rating models for various segments of borrowers including retail lending schemes which measures the risk associated with counterparties and helps in credit and pricing decisions. In case of large borrowers credit risk assessment models evaluate financial risk, Industry risk, Management risk and business risk of the counter party and each of these risks are scored separately and then overall rating is accorded to counter party. Facility rating tool is also included in the rating tool.

Table DF-3

Credit risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures

Credit risk

Definitions of past due and impaired

A Non Performing Asset shall be a loan or an advance where-

- (i) Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90days in respect of a Term Loan;
- (ii) The account remains out of order for 90 days
- (iii) The bill remains overdue for a period of more than 90days in the case of bills Purchased and Discounted



- (iv) In case of advances granted for Agricultural purposes
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops
 - The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop seasons for long duration crops
- (v) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- (vi) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark to- market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

Out of Order:

An account should be treated as “out of Order” if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating accounts less than the sanctioned limit/ drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credit are not enough to cover the interest debited in the account during the same period.

Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on due date fixed by the bank.

Credit Risk Management Policy

Bank has put in place a well-articulated Board approved Credit Risk Policy which is reviewed annually. The policy deals with the following areas:

- Credit risk- definition, Policy and strategy
- Risk identification & measurement,
- Risk grading and aggregation,
- Credit risk rating framework and reporting,
- Risk control and portfolio management,
- Mitigation techniques,
- Target markets and type of economic activity,
- Credit approval authority,
- Country and currency exposure,
- Maturity patterns, level of diversification,
- Cyclical aspect of the economy,
- Credit risk in off balance sheet exposure,
- Credit risk monitoring procedures
- Managing of credit risk in inter Bank Exposure,
- Country risk and other operational matters.

(Rs. in Mn)	
Quantitative Disclosures:	
(a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based:	2778167
Non-fund based:	417310
(b) Geographic distribution of exposures:	
• Overseas	1909
• Domestic	3193568



(c)

Industry Name	Funded	Non-Funded
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	3865	324
A.1 Coal	1097	244
A.2 Others	2768	80
B. Food Processing (B.1 to B.5)	58223	14712
B.1 Sugar	22584	1366
B.2 Edible Oils and Vanaspati	10033	4143
B.3 Tea	2912	12
B.4 Coffee	179	0
B.5 Others	22514	9192
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	38	39
Of which Tobacco and tobacco products	0	0
D. Textiles (a to f)	60356	10329
a. Cotton	13529	1163
b. Jute	887	100
c. Handicraft/Khadi (Non Priority)	61	0
d. Silk	429	32
e. Woolen	2634	285
f. Others	42816	8749
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	0	0
E. Leather and Leather products	1062	67
F. Wood and Wood Products	2215	133
G. Paper and Paper Products	6353	1283
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	9539	999
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	28122	7136
I.1 Fertilizers	9353	117
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	15244	4806
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	1929	832
I.4 Others	1596	1381
J. Rubber, Plastic and their Products	2941	1276
K. Glass & Glassware	462	49
L. Cement and Cement Products	16454	100
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	98977	26450
M.1 Iron and Steel	85537	18835
M.2 Other Metal and Metal Products	13441	7614
N. All Engineering (N.1 + N.2)	36864	33469
N.1 Electronics	6171	1309
N.2 Others	30694	32159
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	11272	10015
P. Gems and Jewellery	19544	9178
Q. Construction	49362	14611
R. Infrastructure (a to d)	580274	57279



a. Transport (a.1 to a.5)	141513	13929
a.1 Railways	7493	1050
a.2 Roadways	99824	11327
a.3 Airport	13642	352
a.4 Waterways	20553	1200
a.5 Others	0	0
b. Energy (b.1 to b.6)	361377	28001
b.1 Electricity (Generation)	176005	25225
b.1.1 Central Govt PSUs	9476	0
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	86181	23437
b.1.3 Private Sector	80349	1788
b.2 Electricity (Transmission)	8956	0
b.2.1 Central Govt PSUs	0	0
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	5475	0
b.2.3 Private Sector	3482	0
b.3 Electricity (Distribution)	169905	2776
b.3.1 Central Govt PSUs	6133	0
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	152351	2776
b.3.3 Private Sector	11421	0
b.4 Oil (storage & pipelines)	863	0
b.5 Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) (storage & pipelines)	2832	0
b.6 Others	2815	0
c. Telecommunication	28890	13470
d. Others	48495	1880
Of which Water sanitation	3227	0
Of which Social & Commercial Infrastructure	10123	588
S. Other Industries	191912	33025
All Industries (A to S)	1177836	220475
Residuary other advances (to tally with gross advances)	952345	31132
Total Loans and Advances	2130181	251606

Industry exposure is more than 5% of gross exposure

	Funded	Non-Funded
Infrastructure	580274	57279
Other Industries	191912	33025

(d) Residual contractual maturity breakdown of Assets:

Day 1	58709
02days to 07days:	24717
08days to 14days:	15864
15days to 28days:	15806
29days to 3months:	80954
Above 3months to 6months:	60447
Above 6months to 12months:	145908
Above 12months to 36months:	886729



Above 36months to60months:	427919
Over 60 month	919886
Total	2636939
(e) Amount of NPAs (Gross) –	115000
▪ Substandard	50659
▪ Doubtful 1	37402
▪ Doubtful 2	21514
▪ Doubtful 3	2443
▪ Loss	2982
(f) Net NPAs	66486
(g) NPA Ratios	
▪ Gross NPAs to gross advances	6.27%
▪ Net NPAs to net advances	3.75%
(h) Movement of NPAs (Gross)	
▪ Opening balance	84561
▪ Additions	75690
▪ Reductions	45250
▪ NPA (Gross)	115000
(i) Movement of provisions for NPAs	
▪ Opening balance	29310
▪ Provisions made during the period	35240
▪ Write-off	20010
▪ Write-back of excess provisions	-
▪ Closing balance	44540
(j) Amount of Non-Performing Investments	1259
(k) Amount of provisions held for non-performing investments	553
(l) Movement of provisions/depreciation on investments:	
▪ Opening balance	337
▪ Provisions made during the period	431
▪ Write-off	-
▪ Write back of excess provision	215
▪ Closing balance	553

Table DF-4

Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures

- The Bank has adopted Standardized approach for computation of capital charge for Credit risk as per RBI guidelines. These guidelines envisage different risk weights for different asset classes, which have been duly applied.
- The Bank has taken into consideration external rating done by External Credit Rating Agencies identified by the RBI viz., CRISIL Ltd., CARE, ICRA Ltd., Fitch Ratings (I) Ltd, SMERA and BRICKWORK.
- These agencies rate all fund and non fund based exposures. The ratings awarded by these agencies to the bank's clients are adopted for assigning risk-weights.
- In case of bank's investment in particular issues of Corporate, the issue specific rating of the rating agency is reckoned to assign the risk weight to comparable exposures as per the mapping scale provided by RBI.



Rs. in Mn	
Quantitative Disclosures:	
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:	
▪ Below 100 % risk weight:	1965266
▪ 100 % risk weight	827842
▪ More than 100 % risk weight	402370
▪ Amount Deducted-CRM	122229

Table DF-5

Credit risk mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

▪ **Policies and processes for collateral valuation and management;**

Bank has well defined credit risk mitigation and collateral management policy. The main types of collaterals accepted by bank are cash and near cash securities, land and building, and plant and machinery etc.

▪ **A description of the main types of collateral taken by the bank;**

Bank accepts personal guarantees, corporate guarantees and guarantees issued by sovereigns and banks. Collaterals are valued at fair market value and at regular intervals as per the policy guidelines.

RBI guidelines recognize various types of financial collaterals for the purpose of credit risk mitigation. The guidelines further provide recognition of guarantees as one of the credit risk mitigants. Bank has put in place suitable policy measures to capture these elements.

Rs. in Mn.	
Quantitative Disclosures	
(b) For disclosed credit risk portfolio under the standardized approach, the total exposure that is covered by:	
▪ eligible financial collateral; after the application of haircuts-	
Fund based	119030
Non fund based	3199



Table DF-6

Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures:

NIL

	Rs. in Mn
Quantitative Disclosures	
Banking Book	
(d) The total amount of exposures securitized by the bank	NIL
(e) For exposures securitized losses recognized by the bank during the current period broken down by the exposure type (eg. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL
(f) Amount of assets intended to be securitized within a year	NIL
(g) Of (f), the amount of assets originated within a year before securitization	NIL
(h) The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	NIL
(i) Aggregate amount of :	NIL
- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	NIL
- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	Nil
(j) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	Nil
Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	Nil
Quantitative Disclosures	Nil
Trading Book:	Nil
(k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach by exposure type	Nil
(l) Aggregate amount of :	Nil
- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	Nil
- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	Nil
(m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for :	Nil
- securitization exposures retained or purchased subject to comprehensive risk measure risk measure for specific risk: and	Nil
- securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands	Nil
(n) Aggregate amount of :	Nil
- The capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands	Nil
- Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/O deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	Nil

Table DF-7

Market risk in trading book

Qualitative disclosures

The bank has well defined Investment and Market Risk Management Policy. This policy covers all important areas of market risk measurement.

Bank defines Market Risk as the risk of loss in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market process, in particular, changes in interest rates, exchange rates and equity and commodity prices.

The bank has adopted Standardized Duration Approach for measuring the capital requirements for market risk as prescribed by RBI.

Policies for management of Market Risk:

The bank has put in place board approved Investment and Market Risk Management Policy for effective management of Market Risk in the bank. Other policy which also deal with Market Risk Management are Asset Liability Management Policy and Policy on Foreign Exchange operations.

The policies set various prudential exposure limits and risk limits for ensuring that the operations are in line with bank's expectations of return to market risk through proper Market Risk Management and Asset Liability Management.

Asset-Liability Management

The ALM Policy is the framework of the ALM process. Bank's balance sheet has mixed exposure to different levels of financial risk. The goal of bank is to maximize its profitability, but to do so in a manner that does not expose the bank to excessive levels of risk which will ultimately affect the profitability. The Policy defines the limits for key measure of risk limits that have been established to specifically accommodate a bank's unique balance complexion, strategic direction, and appetite for risk.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavior pattern of assets and liabilities. Banks has also put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency funding plan. Prudential limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management Liquidity profile of the bank is also evaluated through various liquidity ratios.

Interest rate risk

Interest rate risk is managed through Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and is monitored through prudential limits. Bank also estimates risk periodically against adverse movements in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income and economic Value of Equity.

Quantitative disclosures

Capital Requirement for Market Risk	Capital Charge (Rs. in Mn)
Interest Rate Risk	7866
Equity Position Risk	3285
Foreign Exchange Risk	41
TOTAL	11192

Table DF-8

Operational risk

Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks. Operational Risk Management in the Bank is guided by a well defined Operational Risk Management Policy which is reviewed every year. The bank has initiated pro-active steps to equip itself to migrate to advanced approaches under Operational Risk and has started collation of data pertaining to Operational Risk loss events through Loss Data Management, Risk & control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI) & Scenario Analysis. Bank is also a member of loss data consortium 'CORDEX' for external loss database.

The Bank had already approached RBI for moving to The Standardized Approach and is now making efforts to move directly to Advance Measurement Approach.

The bank has provided capital for operational risk as per Basic Indicator Approach. Accordingly the capital requirement for operational risk as on 31.03.2014 is Rs. 10047 Mn.



Table DF-9

Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

Qualitative Disclosure:

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

1) Earning at risk (Traditional Gap Analysis)

The impact of change in interest rates on net interest income is analyzed under this approach and calculated under yield curve approach. Under this approach a parallel shift of 1% is assumed both in assets and liabilities.

2) Economic Value of Equity:

Modified duration of assets and liabilities is computed separately to arrive at modified duration of equity. A parallel shift in yield curve by 200 basis point is assumed for calculating the economic value of equity.

Quantitative Disclosure

Parameter of Change	Rs. in Mn
1.Impact on Earnings at 100 bps increase in interest rate across assets and liability	1878
2.Market value of Equity: 200 bps change	-7468

Table DF-10

General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures	(a)	The bank assigns credit limits for counterparty exposure on the basis of capital adequacy, asset quality, earnings, liquidity and management quality. The bank has well defined investment and market risk management policy. The Bank deals in various derivative products and interest Rate Swaps. The bank used derivative products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes.																
Quantitative Disclosures	(b)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rs. in Mn</th> </tr> <tr> <th>Particulars</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gross positive value of contracts</td> <td>15307</td> </tr> <tr> <td>Netting Benefits</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Netted current credit exposure</td> <td>28674</td> </tr> <tr> <td>Collateral held</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Net Derivative Credit Exposure</td> <td>28674</td> </tr> </tbody> </table>			Rs. in Mn	Particulars	Amount	Gross positive value of contracts	15307	Netting Benefits	0	Netted current credit exposure	28674	Collateral held	0	Net Derivative Credit Exposure	28674	
	Rs. in Mn																	
Particulars	Amount																	
Gross positive value of contracts	15307																	
Netting Benefits	0																	
Netted current credit exposure	28674																	
Collateral held	0																	
Net Derivative Credit Exposure	28674																	
	(c)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Rs. in Mn</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Notional Amount</th> <th>Current credit Exposure</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forward Forex contracts</td> <td>640602</td> <td>28121</td> </tr> <tr> <td>Cross Currency Swaps including cross currency interest rate swaps</td> <td>5000</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Interest rate Contracts</td> <td>2750</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table>			Rs. in Mn		Item	Notional Amount	Current credit Exposure	Forward Forex contracts	640602	28121	Cross Currency Swaps including cross currency interest rate swaps	5000	500	Interest rate Contracts	2750	53
	Rs. in Mn																	
Item	Notional Amount	Current credit Exposure																
Forward Forex contracts	640602	28121																
Cross Currency Swaps including cross currency interest rate swaps	5000	500																
Interest rate Contracts	2750	53																



Table DF-11: Composition of Capital

Part II: Template to be used before March 31, 2017 (i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustments)

		(Rs. in millions)		
Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.	
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves				
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	13504		A1
2	Retained earnings	0		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	109597		
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0		
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	0		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	123101		
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7	Prudential valuation adjustments	0	0	0
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	0	0
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	35	53	0
10	Deferred tax assets	0	0	0
11	Cash-flow hedge reserve	0	0	0
12	Shortfall of provisions to expected losses	0	0	0
13	Securitisation gain on sale	0	0	0
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0	0	0
15	Defined-benefit pension fund net assets	2954	0	0
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0	0	0
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	27	41	0
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	192	288	0
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	108	161	0
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0	0	0
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0	0	0
22	Amount exceeding the 15% threshold	0	0	0
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0	0	0
24	of which: mortgage servicing rights	0	0	0
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0	0	0
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	0	0	0
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0	0	0



26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0	0	0
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	0	0
26d	of which: Unamortized pension funds expenditures	0	0	0
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0	0	0
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	0	0	0
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	0	0	0
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	0	0	0
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0	0	0
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	3316	543	
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	119785		
Additional Tier 1 capital: instruments				
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)			
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)			
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	17600		B1+B2
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)			
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out			
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	17600		
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments				
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0	0	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0	0	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	51	22	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	81	81	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	781		
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries			
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	781	0	
	of which: Intangible Assets	53		
	of which: e.g. reciprocal cross holding subject to pre - basel III treatment pertaining Common Equity, Additional Tier1 and Tier 2	728	0	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	0		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions			
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	913		
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	16687		



44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	16687		
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	136472		
Tier 2 capital: instruments and provisions				
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	10000		C3
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	34902		C1+C2
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0		
50	Provisions	19957		
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	64859		
52	Investments in own Tier 2 instruments			
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	1162	498	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	156	67	
55	Significant investments ¹³ in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	81	0	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	186		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries			
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	186		
	of which: Reciprocal cross holding Common Equity	20	0	
	of which: Investments more than 10% of common equity in Tier 1 and Tier 2	166		
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	1585		
58	Tier 2 capital (T2)	63275		
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy¹⁴	46278		
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0		
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	46278		
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	182750		
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
	of which: ...			
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	1851120		
60a	of which: total credit risk weighted assets	1615146		
60b	of which: total market risk weighted assets	124344		
60c	of which: total operational risk weighted assets	111630		
Capital ratios				
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	6.47%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.37%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	9.87%		



64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.00%		
65	of which: capital conservation buffer requirement	0.00%		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%		
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00%		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.00%		
National minima (if different from Basel III)				
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)				
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities			
73	Significant investments in the common stock of financial entities			
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)			
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)			
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2				
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)			
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach			
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)			
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach			
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)				
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	NA		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		



Table DF-12
Composition of Capital- Reconciliation Requirements

		(Rs. in Millions)	
		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2014	As on 31.03.2014
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	29674	
	of which: Amount eligible for CET 1	13504	A1
	of which: Amount eligible for AT 1	16170	B1
	Reserves & Surplus	128211	
	Minority Interest	0	
	Total Capital	157885	
ii	Deposits	2400690	
	of which: Deposits from banks	64206	
	of which: Customer deposits	2218237	
	of which: Other deposits (pl. specify)	118247	
iii	Borrowings	220798	
	of which: From RBI	63390	
	of which: From banks	32	
	of which: From other institutions & agencies	42674	
	of which: Others (Outside india)	38649	
	of which: Subordinated Debt	26373	C1
	of which: Upper Tier 2	28850	C2
	of which: Unsec redem NC Basel III Bonds (Tier 2)	10000	C3
	of which: Innovative Perpetual Debt Instrument	10830	B2
iv	Other liabilities & provisions	115589	
	Total	2894962	
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	119266	
	Balance with banks and money at call and short notice	4514	
ii	Investments:	861351	
iii	Loans and advances	1773152	
	of which: Loans and advances to banks	3	
	of which: Loans and advances to customers	1773149	
iv	Fixed assets	28044	
v	Other assets	108635	
	of which: Goodwill and intangible assets	89	
	of which: Deferred tax assets	0	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account	13038	
	Total Assets	2894962	



Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

The main features of Tier - 1 capital instruments are given below:

Details	Equity
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A01010
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
<i>Regulatory treatment</i>	
Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Common Shares
Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	13504
Par value of instrument	Rs. 10 per share
Accounting classification	Shareholder's Equity
Original date of issuance	Various
Perpetual or dated	Perpetual
Original maturity date	N.A.
Issuer call subject to prior supervisory approval	No
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
<i>Coupons / dividends</i>	
Fixed or floating dividend/coupon	Floating
Coupon rate and any related index	N.A.
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	N.A.
Convertible or non-convertible	N.A.
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	N.A.
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and others Creditors, bonds, and PNCPS
Non-compliant transitioned features	No
If yes, specify non-compliant features	



SERIES DETAILS	PNCPS	PNCPS	PNCPS	PNCPS
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA	CENTRAL BANK OF INDIA	CENTRAL BANK OF INDIA	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A04014	INE483A04022	INE483A04030	INE483A04048
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
<i>Regulatory treatment</i>				
Transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1
Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible
Eligible at solo/group/group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Perpetual Non-cumulative Preference Shares	Perpetual Non-cumulative Preference Shares	Perpetual Non-cumulative Preference Shares	Perpetual Non-cumulative Preference Shares
Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	6400	936	3600	2000
Par value of instrument	Rs. 10 per share	Rs. 10 per share	Rs. 10 per share	Rs. 10 per share
Accounting classification	Shareholder's Equity	Shareholder's Equity	Shareholder's Equity	Shareholder's Equity
Original date of issuance	13.11.2006	30.03.2009	31.03.2010	03.06.2010
Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
Original maturity date	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	No
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Coupons / dividends</i>				
Fixed or floating dividend/coupon	Floating	Floating	Floating	Floating
Coupon rate and any related index	Repo + 100 bps to be repriced every year on relevant dates	Repo + 100 bps to be repriced every year on relevant dates	Repo + 100 bps to be repriced every year on relevant dates	Repo + 100 bps to be repriced every year on relevant dates
Existence of a dividend stopper	No	No	No	No



Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory before payment of dividend on Equity shares.	Mandatory before payment of dividend on Equity shares.	Mandatory before payment of dividend on Equity shares.	Mandatory before payment of dividend on Equity shares.
Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Write-down feature	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and others Creditors, bonds.	All depositors and others Creditors, bonds.	All depositors and others Creditors, bonds.	All depositors and others Creditors, bonds.
Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	Yes
If yes, specify non-compliant features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features



SERIES DETAILS	IPDI	Sr. II PDI
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09237	INE483109252
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
<i>Regulatory treatment</i>		
Transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Ineligible
Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	4664	0
Par value of instrument	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	30.03.2009	28.09.2012
Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual
Original maturity date		
Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.	28.09.2022
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.
<i>Coupons / dividends</i>		
Fixed or floating dividend/coupon	Floating	Fixed
Coupon rate and any related index	G.sec + 250 bps to be repriced every year in March	9.40% p.a.
Existence of a dividend stopper	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.
Write-down feature	Not Applicable	Not Applicable
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other Creditors	All depositors and other Creditors
Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
If yes, specify non-compliant features	Not Basel III Loss absorbency features	Fully derecognized, Not Basel III Loss absorbency features



The main features of Upper Tier - 2 capital instruments are given below

SERIES DETAILS	Upper Tier II (Sr. I)	Upper Tier II (Sr. II)	Upper Tier II (Sr.III)	Upper Tier II (Sr. IV)	Upper Tier II (Sr. V)	Upper Tier II (Sr. VI)
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA					
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483109179	INE483A09195	INE483A09203	INE483A09211	INE483A09229	INE483A08015
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment						
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible
Eligible at solo/ group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments
Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	2400	2280	4000	4000	8000	2400
Par value of instrument	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	14.11.2008	17.02.2009	23.06.2009	20.01.2010	11.06.2010	21.01.2011
Perpetual or dated	DATED	DATED	DATED	DATED	DATED	DATED
Original maturity date	14.11.2023	17.02.2024	23.06.2024	20.01.2025	11.06.2025	21.01.2026
Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	14.11.2018	17.02.2019	23.06.2019	20.01.2020	11.06.2020	21.01.2021
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Coupons / dividends						
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Coupon rate and any related index	11.45%	9.40%	8.80%	8.63%	8.57%	9.20%
Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No	No



Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Write-down feature	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	YES	YES	YES	YES	YES	YES
If yes, specify non-compliant features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features



The main features of Subordinated Debt capital instruments are given below:

SERIES DETAILS	Lower Tier II Sr IX	Lower Tier II Sr X	Lower Tier II Sr XI	Lower Tier II Sr XII	Lower Tier II Sr XIII	Lower Tier II Sr XIV
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA					
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09138	INE483A09146	INE483A09153	INE483A09161	INE483A09187	INE483A09245
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
<i>Regulatory treatment</i>						
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible
Eligible at solo/ group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	0	1041	2520	2101	2160	4000
Par value of instrument	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	08.10.2004	28.03.2006	04.10.2006	03.03.2008	10.02.2009	21.12.2011
Perpetual or dated	DATED	DATED	DATED	DATED	DATED	DATED
Original maturity date	08.06.2014	28.06.2015	04.10.2016	03.05.2017	10.04.2018	21.12.2026
Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	No	No	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21.12.2021
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<i>Coupons / dividends</i>						
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Coupon rate and any related index	7.05%	8.15%	8.95%	9.20%	9.35%	9.33%
Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No	No



Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Write-down feature	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	YES	YES	YES	YES	YES	YES
If yes, specify non-compliant features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features

The main features of BASEL III compliant Tier 2 Bonds are given below:

	BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS
	SR I
Issuer	Central Bank of India
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09260
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
<i>Regulatory treatment</i>	
Transitional Basel III rules	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	ELIGIBLE
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	10000
Par value of instrument	Rs.1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY
Original date of issuance	08.11.2013
Perpetual or dated	DATED
Original maturity date	08.11.2023
Issuer call subject to prior supervisory approval	No
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
<i>Coupons / dividends</i>	
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
Coupon rate and any related index	9.90%
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	YES
If write-down, write-down trigger(s)	These bonds, at the option of the reserve bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger' ("ponv trigger")
If write-down, full or partial	Partial
If write-down, permanent or temporary	Temporary



If temporary write-down, description of write-up mechanism	<p>1) It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger.</p> <p>2) Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'.</p> <p>3) Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.</p>
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	NO
If yes, specify non-compliant features	-

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Sr. No.	Capital type	Instruments	Full Terms and Conditions
	Equity	Equity	As disclosed in Main features section
	Additional Tier 1	PNCPS	As disclosed in Main features section
	Additional Tier 1	IPDI	As disclosed in Main features section
	TIER 2	UPPER TIER 2 BONDS	As disclosed in Main features section
	TIER 2	SUBORDINATE BONDS	As disclosed in Main features section
	TIER 2	BASEL III COMPLIANT BOND	As disclosed in Main features section

DR. S. K. MISHRA DY. GENERAL MANAGER	PRADEEP KUMAR DY. GENERAL MANAGER
--	---

RAJEEV RISHI
 CHAIRMAN & MANAGING
 DIRECTOR

B.K. DIVAKARA
 EXECUTIVE DIRECTOR

ANIMESH CHAUHAN
 EXECUTIVE DIRECTOR

R.K. GOYAL
 EXECUTIVE DIRECTOR

Place : Mumbai

Date: 23.05.2014



KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES

B-12 (Ground Floor)
Kalindi Colony,
Near Maharani Bagh,
New Delhi- 110065

N SARKAR & CO

21 Prafulla Sarkar Street
2nd floor
Kolkata- 700072,
West Bengal

P K SUBRAMANIAM & CO

11-5-23, Kartik Complex
Above Vijaya Bank, Bresthwarpet
Raichur- 584101, Karnataka

N CHAUDHURI & CO

10 Old Post Office Street.
2nd floor, Room No 61,
Kolkata- 700001,
West Bengal

DOOGAR & ASSOCIATES

13, Community Centre,
East of Kailash,
New Delhi - 110065

B N MISRA & CO

S-29 , Maitri Vihar, Phase – II
In front of Satyam Development Centre
Bhubaneswar- 751023 Orissa

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To The Board of Directors of CENTRAL BANK OF INDIA

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Central Bank of India ("The Bank"), its subsidiaries and associates (collectively referred to as "The Group") which comprise of the consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2014, and the consolidated Profit & Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated:
 - (i) Audited accounts of the Central Bank of India (The Bank), audited by us,
 - (ii) Audited accounts of two Subsidiaries & three Regional Rural Banks (RRB), all of which are audited by other auditors,
 - (iii) Accounts of an Associate for a period of nine months audited by other auditor and unaudited accounts of the said Associate for the quarter ended March 31, 2014.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with accounting principles generally accepted in India; this includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

- 3.1 Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
- 3.2 An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.
- 3.3 We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries and associates as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
 - i. in the case of the consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at 31st March, 2014;
 - ii. in the case of consolidated Profit & Loss Account, of the loss for the year ended on that date; and
 - iii. in the case of the consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of matter

5. In accordance with Standard on Audit (SA) 706 "Emphasis of Matter Paragraph", without qualifying our opinion, we draw attention to the following :
 - (i) Note no.5.3.1 of Schedule 18 to the consolidated Financial Statements, regarding deferment of pension liability and gratuity liability of the Bank, pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15 'Employee Benefits' vide circular no. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11, dated 09-02-2011 to amortize the additional liability on account of 'Re-opening of



Pension Option for existing employees who had not opted for pension earlier as well as the liability on enhancement in gratuity limit over a period of five years beginning with the financial year ended 31st March, 2011. Accordingly, out of the unamortized amount of Rs 590.77 crore as on 1st April, 2013, the Bank has amortized Rs 239.99 crore for Pension and Rs 55.40 crore for Gratuity being proportionate amount for the year ended 31st March, 2014 and balance amount to be amortized in future periods for Pension is Rs. 239.98 crore and for Gratuity is Rs.55.40 crore.

(ii) In the consolidated financial statement which includes share of profit of Rs. 5.95 crore of one of the RRB viz. Central Madhya Pradesh Gramin Bank (CMPGB), the Statutory Central Auditor has drawn attention to inadequate provision in respect of certain advances, inadequate provision of income tax and service tax, the impact of which on the financial statements of CMPGB could not be ascertained.

6. Other matter

We did not audit the financial statements of (i) two subsidiaries whose financial statements reflect total assets of Rs. 554.53 crore as at March 31, 2014 and total revenue of Rs. 66.98 crore and net cash flows amounting to Rs. 1.28 crore for the year ended on that date; and (ii) Associates (three Regional rural banks and one other associate) reflecting net profit of Rs. 138.14 crore (the Bank's share Rs. 42.31 crore) for the year ended on that date. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion is based solely on the reports of the other auditors. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

**For KUMAR CHOPRA &
ASSOCIATES**
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA R.K.AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA S. VENKATKRISHNAN)
PARTNER
M.No.023488

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N.SARKAR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For N. CHAUDHURI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301032E

For B.N.MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

(CA ANUP BISWAS)
PARTNER
M.No.050708

(CA S. S. MOHAPATRA)
PARTNER
M.No.061619

Place : Mumbai

Date: May 20, 2014



CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

Particulars	Schedule No.	(000's omitted)	
		AS AT 31-Mar-2014 ₹	AS AT 31-Mar-2013 ₹
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	29,674,393	26,615,769
Reserves and Surplus	2	130,427,581	128,768,583
Minorities Interest	2A	308,198	271,405
Deposits	3	2,403,445,261	2,262,190,697
Borrowings	4	221,365,547	183,952,887
Other Liabilities and Provisions	5	115,725,456	84,858,697
TOTAL		2,900,946,436	2,686,658,038
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	119,266,308	135,601,691
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	4,596,854	5,323,134
Investments	8	862,624,043	727,513,600
Loans & Advances	9	1,777,546,083	1,723,060,366
Fixed Assets	10	28,054,454	26,858,796
Other Assets	11	108,769,798	68,242,443
Goodwill on Consolidation		88,896	58,008
TOTAL		2,900,946,436	2,686,658,038
Contingent Liabilities	12	885,557,167	595,346,678
Bills for Collection		76,717,357	60,955,707
Significant Accounting Policies	17	- 88,896	
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

B. K. DIVAKARA
Executive Director

ANIMESH CHAUHAN
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

GUMAN SINGH
DIRECTOR

PROF. N. BALAKRISHNAN
DIRECTOR

KRISHAN SETHI
DIRECTOR

M. P. SHORAWALA
DIRECTOR

SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

Ms.N.S. RATHNAPRABHA
DIRECTOR

S. B. RODE
DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI
DIRECTOR

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA R.K.AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA S. VENKATKRISHNAN)
PARTNER
M.No.023488

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N.SARKAR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For N. CHAUDHURI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301032E

For B.N.MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

(CA ANUP BISWAS)
PARTNER
M.No.050708

(CA S. S. MOHAPATRA)
PARTNER
M.No.061619

Place : Mumbai
Date: May 20, 2014


CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

(000's omitted)				
	Particulars	Schedule No.	YEAR ENDED 31.03.2014 ₹	YEAR ENDED 31.03.2013 ₹
I.	INCOME			
	Interest and Dividend Earned	13	244,783,154	218,967,604
	Other Income	14	19,313,772	16,766,667
	TOTAL		264,096,926	235,734,271
II.	EXPENDITURE			
	Interest Expended	15	179,630,840	161,409,047
	Operating Expenses	16	51,900,768	42,399,793
	Provisions and Contingencies		45,080,439	21,624,267
	TOTAL		276,612,047	225,433,107
III.	PROFIT/ LOSS			
	Consolidated Net Profit for the year of the parents & subsidiaries before Minority Interest		(12,515,121)	10,301,164
	Less: Minority Interest		(40,216)	(40,759)
	Less: Profit pre Acquisition of additional shares in CBHF		(1,471)	-
	Consolidated Net Profit for the year after deducting Minority's Interest		(12,556,808)	10,260,405
	Add: Share of earnings in Associates		423,089	413,425
	Consolidated Profit for the year attributable to the Group		(12,133,719)	10,673,829
	Add: Brought forward consolidated Profit attributable to the Group		2,413,667	2,298,889
	Less : Decrease in Brought forward Consolidated Profit due to Transfer of Investment in Associates		(526,148)	(372,142)
	Profit Available for Appropriation		(10,246,200)	12,600,576
IV.	APPROPRIATIONS			



CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

Particulars	Schedule No.	(000's omitted)	
		YEAR ENDED 31.03.2014 ₹	YEAR ENDED 31.03.2013 ₹
Transfer to :			
Statutory Reserve		0	2,537,399
Investment Reserve		425,368	375,216
Revenue Reserve		7,900	2,011,600
Staff Welfare Fund		0	404,700
Fund in lieu of Insurance		0	20,000
Proposed Dividend -Preference Share Capital		0	1,504,993
Proposed Dividend -Equity Share Capital		0	2,611,442
Tax on Dividend		7,995	699,372
Special Reserve U/S 36 (1) (viii)		31,270	22,187
Balance Carried over to the Balance Sheet		(10,718,733)	2,413,667
TOTAL		(10,246,200)	12,600,576
Earnings Per Share (In ₹)- Basic		(10.67)	11.94
Earnings Per Share (In ₹)- Diluted		(10.67)	11.94
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		
The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account			

B. K. DIVAKARA
Executive Director

ANIMESH CHAUHAN
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

GUMAN SINGH
DIRECTOR

PROF. N. BALAKRISHNAN
DIRECTOR

KRISHAN SETHI
DIRECTOR

M. P. SHORAWALA
DIRECTOR

SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

Ms.N.S. RATHNAPRABHA
DIRECTOR

S. B. RODE
DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI
DIRECTOR

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA R.K.AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA S. VENKATKRISHNAN)
PARTNER
M.No.023488

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N.SARKAR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For N. CHAUDHURI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301032E

For B.N.MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

(CA ANUP BISWAS)
PARTNER
M.No.050708

(CA S. S. MOHAPATRA)
PARTNER
M.No.061619

Place : Mumbai
Date: May 20, 2014


SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2014		AS AT 31/03/2013	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital				
300,00,00,000 shares of ₹ 10/- each		30,000,000		30,000,000
Issued, Subscribed and Paid up Capital :				
Equity Shares 1,35,04,39,315 Equity Shares (previous year 1,04,45,76,954 equity shares) of ₹ 10/- each (includes 119,69,59,325 equity shares (previous year 89,10,96,964 equity shares) of ₹ 10/- each held by Central Govt.)	13,504,393		10,445,769	
Perpetual non-cumulative Preference Share capital (161,70,00,000 Shares of ₹ 10/- each) (Refer note - 1 in Schedule - 18)	16,170,000		16,170,000	
		29,674,393		26,615,769
TOTAL		29,674,393		26,615,769
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	19,233,031		16,695,632	
Additions during the year	0		2,537,399	
		19,233,031		19,233,031
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	18,675,821		18,969,569	
Deductions during the year	(274,616)		293,748	
		18,401,205		18,675,821
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	4,445,717		4,070,501	
Additions during the year	425,368		375,216	
		4,871,085		4,445,717
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	59,442,517		38,467,132	
Additions/ Adjustments during the year	14,941,376		20,975,385	
		74,383,893		59,442,517
IV. Revenue and Other Reserves				
i) Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	23,518,583		21,573,586	
Additions during the year	7,900		2,011,600	
Less: Deductions during the year	(339,900)		66,603	
Add: Other Additions	0		0	
		23,186,583		23,518,583
V. Special Reserve U/s 36(1)(viii)		1,070,517		1,039,247
VI. Balance in Profit and Loss Account		(10,718,733)		2,413,667
TOTAL		130,427,581		128,768,583



SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2014		AS AT 31/03/2013	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 2 A : MINORITIES INTEREST				
Minority interest at the date on which the parent/ subsidiary relationship came into existence	24,500		24,500	
Subsequent increase/decrease	283,698		246,905	
Minority interest on the date of Balance-Sheet		308,198		271,405
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	17,122,616		10,147,875	
ii) From Others	118,154,911		134,573,476	
		135,277,527		144,721,351
II. Savings Bank Deposits		664,737,461		590,904,649
III. Term Deposits				
i) From Banks	49,810,188		53,180,836	
ii) From Others	1,553,620,085		1,473,383,861	
		1,603,430,273		1,526,564,697
TOTAL		2,403,445,261		2,262,190,697
B. i) Deposits of Branches in India				
		2,403,445,261		2,262,190,697
ii) Deposits of Branches outside India		-		-
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	63,389,835		55,430,752	
ii) Other Banks	31,904		136,960	
iii) Other Institutions & Agencies	43,251,808		47,533,674	
iv) Unsecured Redeemable Bonds(Subordinated Debt)	26,363,000		26,363,000	
v) Upper Tier II bonds	28,850,000		28,850,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	10,830,000		10,830,000	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	10,000,000		0	
		182,716,547		169,144,386
II. Borrowings outside India		38,649,000		14,808,501
TOTAL		221,365,547		183,952,887
Secured Borrowings included in I & II above		Nil		Nil


SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2014		AS AT 31/03/2013	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital				
300,00,00,000 shares of ₹ 10/- each		30,000,000		30,000,000
Issued, Subscribed and Paid up Capital :				
Equity Shares 1,35,04,39,315 Equity Shares (previous year 1,04,45,76,954 equity shares) of ₹ 10/- each (includes 119,69,59,325 equity shares (previous year 89,10,96,964 equity shares) of ₹ 10/- each held by Central Govt.)	13,504,393		10,445,769	
Perpetual non-cumulative Preference Share capital (161,70,00,000 Shares of ₹ 10/- each) (Refer note - 1 in Schedule - 18)	16,170,000		16,170,000	
		29,674,393		26,615,769
TOTAL		29,674,393		26,615,769
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	19,233,031		16,695,632	
Additions during the year	0		2,537,399	
		19,233,031		19,233,031
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	18,675,821		18,969,569	
Deductions during the year	(274,616)		293,748	
		18,401,205		18,675,821
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	4,445,717		4,070,501	
Additions during the year	425,368		375,216	
		4,871,085		4,445,717
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	59,442,517		38,467,132	
Additions/ Adjustments during the year	14,941,376		20,975,385	
		74,383,893		59,442,517
IV. Revenue and Other Reserves				
i) Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	23,518,583		21,573,586	
Additions during the year	7,900		2,011,600	
Less: Deductions during the year	(339,900)		66,603	
Add: Other Additions	0		0	
		23,186,583		23,518,583
V. Special Reserve U/s 36(1)(viii)		1,070,517		1,039,247
VI. Balance in Profit and Loss Account		(10,718,733)		2,413,667
TOTAL		130,427,581		128,768,583



SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2014		AS AT 31/03/2013	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 2 A : MINORITIES INTEREST				
Minority interest at the date on which the parent/ subsidiary relationship came into existence	24,500		24,500	
Subsequent increase/decrease	283,698		246,905	
Minority interest on the date of Balance-Sheet		308,198		271,405
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	17,122,616		10,147,875	
ii) From Others	118,154,911		134,573,476	
		135,277,527		144,721,351
II. Savings Bank Deposits		664,737,461		590,904,649
III. Term Deposits				
i) From Banks	49,810,188		53,180,836	
ii) From Others	1,553,620,085		1,473,383,861	
		1,603,430,273		1,526,564,697
TOTAL		2,403,445,261		2,262,190,697
B. i) Deposits of Branches in India				
		2,403,445,261		2,262,190,697
ii) Deposits of Branches outside India		-		-
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	63,389,835		55,430,752	
ii) Other Banks	31,904		136,960	
iii) Other Institutions & Agencies	43,251,808		47,533,674	
iv) Unsecured Redeemable Bonds(Subordinated Debt)	26,363,000		26,363,000	
v) Upper Tier II bonds	28,850,000		28,850,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	10,830,000		10,830,000	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	10,000,000		0	
		182,716,547		169,144,386
II. Borrowings outside India		38,649,000		14,808,501
TOTAL		221,365,547		183,952,887
Secured Borrowings included in I & II above		Nil		Nil


SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2014		AS AT 31/03/2013	
	₹	₹	₹	₹.
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable	7,655,224		7,021,299	
II. Inter Office Adjustments (Net)	0		0	
III. Interest Accrued	16,610,029		13,684,968	
IV. Deferred Tax Liability (Net)	5,966,707		2,589,499	
V. Others(including provisions)	85,493,496	115,725,456	61,562,931	84,858,697
TOTAL		115,725,456		84,858,697
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		13,631,676		17,578,307
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	104,634,632		117,023,384	
In Other Accounts	1,000,000		1,000,000	
TOTAL		105,634,632		118,023,384
		119,266,308		135,601,691
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	2,583,816		4,180,036	
b) In Other Deposit Accounts	103,510		74,397	
		2,687,326		4,254,433
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	0		500,000	
b) With Other Institutions	0		0	
		0		500,000
TOTALI		2,687,326		4,754,433
II. Outside India				
a) In Current Accounts	1,909,528		568,701	
b) In Other Deposit Accounts	0		0	
c) Money at Call & Short Notice	0		0	
TOTALII		1,909,528		568,701
TOTAL.....(I + II)		4,596,854		5,323,134



SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31/03/2014		AS AT 31/03/2013	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	678,946,602		601,337,859	
ii) Other approved Securities	0		440,080	
iii) Shares	14,005,581		14,279,474	
iv) Debentures and Bonds	98,190,467		44,411,987	
v) Investment in Associates	3,753,227		3,625,943	
vi) Others (UTI Shares & Commercial Papers Mutual Fund Units etc.)	67,197,562		62,968,187	
		862,093,439		727,063,530
II. Investments outside India in **				
i) Government Securities	-		-	
ii) Investment in Associates	530,604		450,070	
		530,604		450,070
TOTAL		862,624,043		727,513,600
* Investments in India :				
Gross Value of Investments	864,579,811		727,641,829	
LESS: Provision for Depreciation	2,486,372		578,299	
Net Investments		862,093,439		727,063,530
** Investments outside India :				
Gross Value of Investments	530,604		450,070	
LESS: Provision for Depreciation	-		-	
Net Investments		530,604		450,070
SCHEDULE 9 : LOANS AND ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	22,349,315		22,996,755	
ii) Cash Credits Overdrafts & Loans repayable on demand	666,587,527		627,471,580	
iii) Term Loans	1,088,609,241		1,072,592,031	
		1,777,546,083		1,723,060,366
TOTAL		1,777,546,083		1,723,060,366
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by tangible assets (including advances against Book Debts)	1,556,322,287		1,411,883,095	
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	1,833,661		95,109,944	
iii) Unsecured	219,390,135		216,067,327	
		1,777,546,083		1,723,060,366
TOTAL		1,777,546,083		1,723,060,366
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sector	617,468,736		502,913,365	
ii) Public Sector	208,482,642		218,917,588	
iii) Banks	3,093		3,527,637	
iv) Others	951,591,612		997,701,776	
		1,777,546,083		1,723,060,366
TOTAL		1,777,546,083		1,723,060,366


SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

PARTICULARS	AS AT 31/03/2014		AS AT 31/03/2013	
	₹	₹	₹	₹
(000's Omitted)				
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceding year	24,731,464		23,973,412	
Additions during the year	15,866		758,052	
Total	24,747,330		24,731,464	
Depreciation to date	4,742,356		4,390,842	
TotalI		20,004,974		20,340,622
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as on 31st March of the preceding year	17,101,857		13,756,360	
Additions / Adjustments during the year	3,960,641		3,938,680	
Total	21,062,498		17,695,040	
Deductions / Adjustments during the year	603,895		593,183	
Total	20,458,603		17,101,857	
Depreciation to Date	12,409,123		10,583,683	
TotalII		8,049,480		6,518,174
TOTAL(I + II)		28,054,454		26,858,796
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	17,600,526		13,799,726	
II. Tax paid in advance / Tax deducted at source (Net of Provisions)	28,571,817		21,004,273	
III. Stationery and Stamps	177,998		136,105	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-		-	
V. Inter Office Adjustments (Net)	30,889,755		9,021,695	
VI. Others	31,529,702		24,280,644	
TOTAL		108,769,798		68,242,443
		108,769,798		68,242,443



SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

PARTICULARS	AS AT 31/03/2014		AS AT 31/03/2013	
	₹	₹	₹	₹
(000's Omitted)				
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		1,196,346		635,671
(b) Disputed income tax demands under appeals revisions, etc		14,005,894		9,282,360
II. Liability for partly paid Investments		0		0
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts		640,602,389		357,696,828
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	103,363,304		92,483,533	
b) Outside India	5,673,489		8,313,332	
		109,036,793		100,796,865
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations		112,332,617		126,372,490
VI. Other items for which the bank is contingently liable		8,383,128		562,464
TOTAL		885,557,167		595,346,678



**SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014**

Particulars	(000's omitted)	
	YEAR ENDED 31-Mar-14 ₹	YEAR ENDED 31-Mar-13 ₹
SCHEDULE 13 : INTEREST AND DIVIDEND EARNED		
I. Interest/Discount on Advances / Bills	186,695,640	169,573,745
II. Income on Investments	57,650,526	47,789,672
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	328,388	796,810
IV. Others	108,600	807,377
TOTAL	244,783,154	218,967,604
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	8,216,847	8,162,556
II. Profit/ (Loss) on sale of Investments (Net)	4,553,669	3,828,750
III. Profit / (Loss) on Exchange transactions (Net)	1,987,237	608,772
IV. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and Other Assets	(11,930)	(6,471)
V. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	-	-
VI. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries and Associates abroad/ in India	-	-
VII. Miscellaneous Income	4,567,949	4,173,060
TOTAL	19,313,772	16,766,667
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	163,969,252	149,466,455
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	3,884,430	1,856,299
III. Others	11,777,158	10,086,293
TOTAL	179,630,840	161,409,047
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	35,414,861	28,952,218
II. Rent, Taxes and Lighting	3,358,085	2,667,405
III. Printing and Stationery	472,980	305,077
IV. Advertisement and Publicity	266,024	287,836
V. a) Depreciation on Bank's property	2,088,030	1,846,700
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	12,911	13,881
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors', Fees & expenses)	173,845	108,639
VIII. Law Charges	189,789	153,769
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	529,663	367,837
X. Repairs and Maintenance	588,400	574,867
XI. Bad Debts Written Off	13,121	-
XII. Insurance	1,961,280	1,712,866
XIII. Other Expenditure	6,831,779	5,408,698
TOTAL	51,900,768	42,399,793



SCHEDULE 17

PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES OF CONSOLIDATED ACCOUNTS

1. BASIS OF PREPARATION:

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared by following the going concern concept, generally on the historical cost basis. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India which comprises applicable statutory provisions, guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in Banking industry in India.

2. Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. Consolidation Procedures :

3.1 Consolidated financial statements of the Group (**comprising of 2 Subsidiaries and 4 Associates** [including 3 RRBs]) have been prepared on the basis of:

- a. Audited financial statements of Central Bank of India (Parent),
- b. Line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of the subsidiaries with the respective item of the Parent and after eliminating all material intra-group balances/transactions, unrealized profit/losses as per Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statement" issued by the ICAI and after adjustments wherever necessary to conform to uniform accounting policies of the Parent, based on data received from these subsidiaries duly audited by their respective auditors.
- c. Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power has been accounted by using the equity method in terms of Accounting Standard – 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI and after adjustments wherever necessary to conform to uniform accounting policies of the Parent. The financial statements of the Indo Zambia Bank Limited, an Associate, have been prepared in accordance with the local regulatory requirements/ International Financial Reporting Standards. Financial statements received from these associates form the sole basis for their incorporation in these consolidated financial statements.
- d. The Accounting year of the Associates, viz. Indo Zambia Bank is calendar year.

3.2 Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consist of:

- i) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investments in a subsidiary is made, and,
- ii) The minority share of movements in equity since date of parent - subsidiary relationship came into existence.

4. Transactions involving Foreign Exchange:

- a. Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the year end as notified by FEDAI and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.
- b. Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.
- c. Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at the year end rates notified by FEDAI.
- d. Outstanding Forward Contracts are translated at the year end rates notified by FEDAI and the resultant profit/loss is recognized in Profit and Loss Account.

5. Investments:

5.1 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Investments are classified into "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale" categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

- i) Government Securities
- ii) Other Approved Securities
- iii) Shares
- iv) Debentures and Bonds
- v) Subsidiaries and sponsored institutions and
- vi) Others (UTI Shares, Commercial Papers and units of Mutual Funds)



5.2 Basis of Classification :

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

i. Held to Maturity

These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity.

ii. Held for Trading

Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.

iii. Available for Sale

Investments that cannot be classified in the above categories.

5.3 Transfer of Securities between categories :

The transfer/ shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

5.4 Valuation :

a. Held to Maturity :

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity on day to day basis.

b. Available for sale :

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

i)	Central Government Securities	At market price as per quotation put out by Stock Exchange / FIMMDA / PDAI .	
ii)	State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Governments, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis.	
iii)	Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper.	At carrying cost.	
iv)	Equity Share	a) Quoted	At market price.
		b) Unquoted	At book value per share, if latest (Not more than one year old.) Balance Sheet is available, or Re.1.00 per company if latest Balance Sheet is not available.
v)	Preference Share	a) Quoted	At market price.
		b) Unquoted	On appropriate yield to maturity.
vi)	Debentures and Bonds	a) Quoted	At market price.
		b) Unquoted	On appropriate yield to maturity.
vii)	Mutual Fund	a) Quoted	At market price.
		b) Unquoted	At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).
viii)	Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re.1/- per VCF.	

The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c. Held for Trading :

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA. The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.



5.5 Determination of Cost :

Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

5.6 Income Recognition :

- i. The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.
- ii. In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.
- iii. State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms.
- iv. Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- v. Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.
- vi. The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

6. Derivatives

Derivatives used for hedging are accounted as under :

- i. Marked to market in cases where the underlying Assets/ Liabilities are marked to market. The resultant gain/ loss is recognised in the Profit & Loss Account.
- ii. Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Asset/ Liabilities are not marked to market.
- iii. Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/ liabilities.

7. Advances:

- a) Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.
- b) Recoveries against Non-performing Assets (NPA) are first appropriated towards interest except in case of parent bank were w.e.f. 01.07.2013, recoveries in NPAs are first appropriated towards the principal irregularity. However, in case of suit filed, decreed accounts and compromise cases where recovery is first appropriated towards principal or as per the terms of decree/ settlement.
- c) Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.

Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions - Others.

d) Financial Assets sold are recognized as under:

In case the sale is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account.

If the sale to SC/RC is at a price below the NBV (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss account of that year.

In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit & Loss account.

If the sale to SC/RC is for a value higher than the NBV, the excess provision to the extent of cash recovery is credited to the Profit & loss Account and balance excess provision is retained to be utilised to meet shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/RC.

- e) In case of Cent Bank Home Finance Limited, income recognition and provisions on loans and advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank (NHB).
- f) In case of Cent Bank Home Finance Limited, repayment of housing loans, Home equity loans, top-up loans and loan against property are by way of equated monthly instalments (EMIs) comprising of principal and interest. In respect of fixed rate loans, interest is calculated on the outstanding balance at the beginning of the financial year, in case of floating rate loans, interest is calculated on 1st of every month on the outstanding amount as on the last date of the previous month. EMIs commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMIs, pre- EMI interest is payable every month.



8. Fixed Assets/Depreciation:

- a. Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method)

i)	Premises	At varying rates based on estimated life
ii)	Furniture, Lifts, Safe Vaults	10%
iii)	Vehicles	20%
iv)	Air conditioners, Coolers, Typewriters etc.	15%
v)	Computers including Systems Software	33.33%
(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition)		

- b. In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- c. Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half-year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half-year for assets sold after 30th September.
- d. Cost of leasehold land is amortised over the period of lease. In the case of revaluation, the difference between the original cost and revalued amount is amortised over the remaining period of the lease and is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- e. Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.
- f. In case of Subsidiaries depreciation on fixed assets has been provided on straight line method at the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956.

9. Staff Benefits:

- a. Annual contribution to Gratuity and Pension Funds and leave encashment are determined on the basis of actuarial valuation and the amount is recognized in the books of account of the Bank as per the liability estimated by the actuary.
- b. In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, a matching contribution is made.
- c. The Bank recognizes in its Books of Accounts the liability arising out of Employee Benefits as the sum of the present value of obligations as reduced by fair value of Plan Assets on the Balance Sheet.
- d. In case of Cent Bank Home Finance Ltd., Gratuity amount has been provided on actuarial basis and invested in group maturity scheme administrated by the Life Insurance Corporation of India.

10. Recognition of Income and Expenditure:

- a. Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.
- b. In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India vide circular No. DBOD.No.BP. BC.89/21.4.018.2002-03 dated 29.03.2003, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.
- c. Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.

11. Income Tax:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are not recognized unless there is 'virtual certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment/appellate proceedings and till such time they are shown as contingent liability.

12. Earning per Share:

The parent bank computes basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard 20 - "Earning per Share" issued by ICAI on wieghtage average method.



SCHEDULE-18

NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

1. Subsidiaries and Associates considered in the preparation of the Consolidated Financial Statements.

1.1 The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Central Bank of India (The Parent Bank), its two Subsidiaries and 4 Associates consisting of 3 Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Parent Bank and Indo Zambia Bank Limited (collectively referred to as "the Group") as per details given below :

Name of the Subsidiary/Associate	Country of Incorporation	Ownership interest as at March 31, 2014	Ownership interest as at March 31, 2013
Centbank Home Finance Limited (Subsidiary)	India	64.40%	59.50%
Centbank Financial Services Limited (Subsidiary)	India	100.00%	100.00%
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Associate)	India	35.00%	35.00%
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (Associate)	India	35.00%	35.00%
Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara (Associate)	India	35.00%	35.00%
Ballia Etawah Gramin Bank, Ballia (Associate) (Refer Note 1.3)	India	NIL	35.00%
Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur (Associate) (Refer Note 1.4)	India	NIL	35.00%
Indo Zambia Bank Limited (Associate)	Zambia	20.00%	20.00%

- 1.2 The financial statements of the Subsidiaries and Associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of Parent Bank i.e. March 31, 2014, except Indo Zambia Bank Ltd., whose reporting period is calendar year. However share in profit has been taken for 9 months based on audited figures and 3 months based on unaudited figures.
- 1.3 As per Notification dated April 01, 2013 of Ministry of Finance, Government of India, the Purvanchal Gramin Bank [Sponsored by State Bank of India] and Ballia Etawah Gramin Bank, Ballia (Sponsored by Central Bank of India), are amalgamated into a single Regional Rural Bank to be called as Purvanchal Bank [sponsored by State Bank of India]
- 1.4 As per Notification dated September 02, 2013 of Ministry of Finance, Government of India, the Chhattisgarh Gramin Bank (Sponsored by State Bank of India), Surguja Kshetriya Gramin Bank [sponsored by Central Bank of India] and Durg Rajnandgaon Gramin Bank [sponsored by Dena Bank] are amalgamated into a single Regional Rural Bank to be called as Chhattisgarh Rajya Gramin Bank [sponsored by State Bank of India]
- 1.5 The accumulated profit of the said RRBs has been reduced from the carrying cost of investment and also from accumulated reserves of the current year.
2. During the year the Bank has infused additional Capital in the following Subsidiaries and Associates [RRBs]

(₹ in crore)

Name of the Subsidiaries/Associate	Amount of Capital infusion	
	Current year	Previous year
Centbank Home Finance Limited (Subsidiary)	4.20	--
Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara (Associate)	33.92	17.68
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (Associate)	--	11.20

3. In the preparation of consolidated financial statements, in some of the cases, different accounting policies for like transactions have been followed by subsidiaries, for which appropriate adjustments have not been made in the absence of necessary information.

In the opinion of the Management the same is not material. Items in respect of which different accounting policies have been adopted by the Subsidiaries vis-a-vis with parent Bank are given as under:

	Parent Bank	Cent Bank Home Finance Ltd [Subsidiary]	CentBank Financial Services Ltd (Subsidiary)
Depreciation	Bank followed written down value method except for computers where straight line method is adopted.	Deprecation is applied based on straight line method. Depreciation charged ₹ 9.62 lacs	Deprecation is applied based on straight line method. Depreciation charged ₹ 15.94 lacs.
Provision for leave encashment	On actuarial basis	Assessed by company	Not assessed
	Parent Bank	Cent Bank Home Finance Ltd [Subsidiary]	Cent Bank Financial Services Ltd (Subsidiary)
Appropriation of recovery in NPA accounts	Recoveries against non performing assets were first appropriated towards interest till June 30,2013 and w.e.f. 01.07.2013 recovery in NPA accounts is first appropriated towards the principle irregular amount except in case of suit filed, decreed accounts and compromise cases where recovery is first appropriated towards principal or as per terms of decree/ settlement.	Recovery against Non Performing Assets is first appropriated towards interest portion of EMIs and thereafter towards principal portion of overdue EMIs.	Not Applicable

4. PARENT BANK

4.1 Capital:

4.1.1 The Authorized Capital of the Bank is ₹ 3000 crore.

Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2014 is ₹ 1350.44 crore increased from ₹ 1044.58 crore of previous year by issue of fresh equity shares of ₹305.86 crore at a premium of ₹58.85 per share to Government of India

4.2 Balancing of Books / Reconciliation:

The reconciliation of the following items is in progress :

- Inter Branch/Office Balance
- Accounts for Govt. transactions (Central & State)
- Inter Bank Accounts
- System Suspense Account
- Suspense Account
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Balances related to ATM
- Certain balances in nominal account
- NOSTRO Accounts
- Mirror Accounts maintained by Centralcard Department
- Disclosure on particulars of restructured accounts

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

4.3 Income Tax / Deferred Tax:

4.3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.

4.3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹1400.59 crore (previous year ₹912.60 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial decisions/counsel's opinion on such issues.



4.3.3 Out of ₹1400.59 crore (previous year ₹912.60 crore) of tax paid under dispute which relate to various Assessment Years, involving tax element of ₹490.98 crore (previous year ₹5.98 crore) have been decided by the Appellate authorities in favour of the Bank. The appeal effect for the same is pending.

4.4. Premises:

Premises owned by the Bank include properties costing ₹55.22 crore (Previous Year ₹39.93 crore) for which registration formalities are still in progress.

4.5. Advances / Provisions:

4.5.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/restructuring programme and other advances classified as doubtful/loss assets have been considered secured/recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

4.5.2 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has utilized the Floating Provision of ₹ 103.09 crore and Countercyclical Provision of ₹46.63 crore being 33% of amount outstanding in these accounts towards specific provision for NPAs. The Bank has netted the balance Floating Provision amount of ₹209.34 crores (previous year ₹312.43 crore) and Countercyclical Provision amount of ₹94.67 crore (previous year ₹141.30 crore) from gross NPAs to arrive at net NPAs.

4.5.3 Advances considered good and secured includes investment of ₹2200 crore (Previous Year ₹2515 crore) in IBPCs (Inter Bank Participation Certificate) governed by the Uniform Code Governing Inter Bank Participations issued by IBA (Non Priority Sector) and investment in IBPCs issued by RRBs aggregating ₹2200 crore (Previous Year ₹2515 crore) of Priority Sector Advance/Direct Agriculture.

4.6 Disclosure of penalties imposed by RBI

RBI has imposed a penalty of ₹ 305.27 lacs in terms of Section 47A (1) (c) read with Section 46(4) (i) of the Banking Regulation Act, 1949 for non-compliance of RBI norms

5. Compliance with Accounting Standards

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India:

5.1 a) Accounting Standard - 5

Recovery in NPA:

- Due to change in accounting policy regarding appropriation of recoveries in NPAs first towards principal irregularity as against first towards interest w.e.f. 01.07.2013, the interest income for the year and advances are lower and loss for the year is more by ₹ 223.50 crore.
- In view of the RBI circular No. RBI/2013-14/502 dated 26.02.2014, in case of sale to SC/RC for a value higher than NBV, the excess provision to the extent of cash recovery amounting to ₹ 77 crore has been taken to the credit of Profit & Loss Account which as per the extant accounting policy would have been retained in excess provision. The resultant impact is that the profit for the year is more by ₹ 77 crore and provision is less to that extent.

5.2 b) Accounting Standard - 9

Certain items of income are recognized on realization basis as per principal accounting policy. However, the said income is not considered to be material.

5.3 Accounting Standard - 15 (Revised) – Parent Bank

5.3.1 In the year 2010-11, in accordance with circular No. DBOD No. BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 09-02-2011 issued by Reserve Bank of India, the Bank had opted to amortize the additional liability on account of re-opening of Pension option for existing employees who had not opted for pension earlier, as well as the liability on enhancement in Gratuity limit, over a period of five years beginning with the financial year ended 31st March, 2011. Accordingly, out of the unamortized amount of ₹590.77 crore as on 1st April, 2013, the Bank has amortized ₹239.99 crore for Pension and ₹55.40 crore for Gratuity being proportionate amount during the year ended March 31, 2014. The balance amount to be amortized in future periods for Pension is ₹239.98 crore and for Gratuity is ₹55.40 crore.


5.3.2 Employee Benefits – Parent Bank

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below:

(₹ in Crore)

Particulars	Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2013	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Defined benefit obligation liability at March 31, 2014				
Opening obligations	7190.56	978.11	6537.56	891.22
Service cost	166.74	30.01	127.74	41.25
Interest cost	600.80	79.31	578.91	73.98
Actuarial [gain]/loss	758.99	126.30	412.20	95.94
Benefits paid	(578.07)	(150.10)	(465.85)	(124.28)
Past Service Cost (Amortised/ Non Vested)			-	-
Past Service Cost (Vested Benefit)			-	-
Liability Transferred in			-	-
Obligations at March 31, 2014	8139.02	1063.63	7190.56	978.11

(₹ in Crore)

Particulars	Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2013	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Plan assets at March 31, 2014, at fair value				
Opening Plans assets, at fair value	6629.78	884.31	5349.39	855.53
Expected return on plan assets	654.74	91.42	510.12	68.92
Actuarial gain/[loss]	(28.78)	(1.91)	(23.88)	15.99
Contributions	1185.00	241.50	1260.00	68.15
Benefits paid	(578.07)	(150.10)	(465.85)	(124.28)
Transfer from Other Trust			-	-
Plan assets at March 31, 2014, at fair value	7862.67	1065.22	6629.78	884.31

(₹ in Crore)

Particulars	Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2013	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Cost for the year ended March 31, 2014				
Service cost	166.74	30.01	127.74	41.25
Interest cost	600.80	79.31	578.91	73.98
Expected return on plan assets	(654.74)	(91.42)	(510.12)	(68.92)
Past Service Cost (Amortised/ Non Vested)	240.00	55.40	240.00	55.40
Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-	-	-
Actuarial [gain]/loss	787.77	128.21	436.08	79.95
Net cost	1140.57	201.51	872.61	181.66

Assumptions

Particulars	Year ended March 31, 2014		Year ended March 31, 2013	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Discount rate	9.27%	9.35%	8.50%	8.50%
Salary escalation rate	5%	5%	4%	4%
Estimated rate of return on plan assets	8.70%	8.70%	8.70%	8.70%



5.3.3 The Cent Bank Home Finance Ltd has taken a Policy with Life Insurance Corporation of India to cover the accumulated Gratuity Liability of its employees and the premium paid on this policy has been charged to Profit & Loss Account. The Provision for Leave Encashment Liability is calculated on the balance of privilege leave of the employees as on March 31, 2014. The same has been provided for the year ended 31.03.2014.

5.4 Accounting Standard 17 – Segment Reporting - Group

SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014			
Sl. No.	Particulars	(₹ in lacs)	
		Year ended 31.03.14	Year ended 31.03.13
a.	Segment Revenue		
	1. Treasury Operations	632329	518880
	2. Retail Banking Operations	698153	586244
	3. Wholesale Banking Operations	1309400	1244142
	4. Other Banking Operations	0	0
	5. Unallocated	1087	8077
	Total	2640969	2357343
b.	Segment Results		
	1. Treasury Operations	30788	51516
	2. Retail Banking Operations	91725	35403
	3. Wholesale Banking Operations	(204852)	54595
	4. Other Banking Operations	0.00	0.00
	5. Unallocated	(11414)	(3630)
	Total	(93753)	137885
c.	Income tax	27584	31147
d.	Net Profit	(121337)	106738
	Other Information		
e.	Segment Assets		
	1. Treasury Operations	10082038	8632874
	2. Retail Banking Operations	6614731	5702459
	3. Wholesale Banking Operations	11874913	12157444
	4. Other Banking Operations	0.00	0.00
	5. Unallocated Assets	437782	373803
	Total	29009464	26866580
j.	Segment Liabilities		
	1. Treasury Operations	10108113	8645929
	2. Retail Banking Operations	6153148	5297002
	3. Wholesale Banking Operations	11084441	11341216
	4. Other Banking Operations	0.00	0.00
	5. Unallocated Liabilities	59660	25875
	Capital Employed	1604102	1556558
	Total	29009464	26866580



- i) As per the revised guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has recognised Treasury Operations, Corporate/ Wholesale Banking, Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.
- ii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.
- iii) The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures.
- iv) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts/ Partnership Firms, Companies and statutory bodies, which are not included under Retail Banking.
- v) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.
- vi) General Banking operations are the main resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the former for funds lent to it by taking into consideration the average funds used.
- vii) Allocation of Costs:
- Expenses directly attributable to a particular segment are allocated to the relative segment.
 - Expenses not directly attributable to a specific segment are allocated on rational basis.

5.5 Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party

1 List of Related Parties:

(a) Key Managerial Personal

	Name	Designation
i)	Mr. Rajeev Rishi (from 01/08/2013)	Chairman & Managing Director
ii)	Mr. M.V. Tanksale (from 29/06/2011 to 31/07/2013)	Chairman & Managing Director
iii)	Mr. Malay Mukherjee (from 5/11/2012 to 11/12/2013)	Executive Director
iv)	Mr. R. K. Goyal (from 11/01/2013)	Executive Director
v)	Mr. Animesh Chauhan (from 05/08/2013)	Executive Director
vi)	Mr. B.K. Divakara (from 23/01/2014)	Executive Director

(b) Subsidiaries –

- Cent Bank Home Finance Ltd.
- Cent Bank Financial Services Ltd. (formerly known as Cent Bank Financial & Custodial Services Ltd.)

(c) Associates

(I) Regional Rural Banks –

- Central Madhya Pradesh Gramin Bank
- Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur
- Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar

(II) Indo – Zambia Bank Ltd.

2. Transactions with Related Parties:

(₹ in lacs)

(a) Items	Key Management Personnel	
	2013-14	2012 -13
Remuneration paid	80.62	64.55



(b) Statement of Related Parties Transaction

STATEMENT OF RELATED PARTIES TRANSACTION AS ON 31.03.2013 & 31.03.2014														
(Rs. in crore)														
S.No.	Related Parties	As on	Investment		Purchase of Loan Assets		Sale of Loan Assets		Line of credit to RRBs		Participation under IBPC			
			Cumulative	Maximum during the year	Amount O/s	Interest Received	Amount Sold	Interest Paid	Amount	Interest received	Sale of Direct Agri. Assets to Sponsor Bank		Purchase of Non Priority Sector Portfolio from Sponsor Bank	
											Amt. O/s	Intt. Paid to Sponsor Bank	Amt. O/s	Intt. received from Sponsor Bank
1	Central M P G B	31.03.13	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	31.07	630.00	35.73
		31.03.14	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.00	4.39	727.00	5.03
2	Surguja KGB	31.03.13	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4.93	100.00	5.67
		31.03.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Uttar Bihar GB	31.03.13	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	69.04	1400.00	79.40
		31.03.14	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1397.00	8.43	1397.00	9.66
4	Ballia Etawah GB	31.03.13	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	7.15	145.00	8.22
		31.03.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Uttarbanga KGB	31.03.13	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1.97	40.00	2.27
		31.03.14	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.47	76.00	0.54
6	Vidharbha KGB	31.03.13	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	9.87	200.00	11.34
		31.03.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		31.03.13	263.70	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2515.00	124.03	2515.00	142.63
		31.03.14	277.11	277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	13.29	2200.00	15.23
1. Central Bank of India has infused our share (35%) of Rs. 33.92 Crore in capital of Central Madhya Pradesh GB along with other stake holders.														
2. Surguja KGB has been merged to form Chhattisgarh Rajya GB on 02/09/2013 & our share in capital of Rs.2.57 Crore has been received back.														
3. Ballia Etawah GB has been merged to form Purvanchak Bank on 01/04/2013 & our share in capital of Rs.11.72 Crore has been received back.														

- (c) No disclosure is required in respect of related parties, which are state controlled enterprises as per Paragraph 9 of AS-18. Further, in terms of Paragraph 5 of AS-18, transactions in the nature of banker-customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel & relatives of Key Management Personnel.

5.6 Accounting Standard 20 – Earnings per Share of the Group

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

	31.3.2014	31.3.2013
Net Profit after Tax available for Equity Share Holder (₹ in Crore)	(1213.37)	891.31
Weighted Average number of Equity Share (No.)	1137592631	746256617
Basic Earnings per Share (₹)	(10.67)	11.94
Diluted Earnings per Share (₹)	(10.67)	11.94
Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00



5.7 Accounting Standard 22 –Accounting for Taxes on Income (of the Group)

The Bank has recognized Deferred Tax Assets/ Liabilities.

Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

	(₹ in Crore)	
	31.3.2014	31.3.2013
Deferred Tax Asset:		
Business Loss	575.14	--
Provision for Leave Encashment	154.63	113.06
Provision for Pension and Gratuity	--	59.21
Depreciation on Investment	--	6.72
Others	4.32	33.99
Depreciation on Fixed Assets	--	--
Total (A):	734.09	212.98
Deferred Tax Liabilities:		
Depreciation on Fixed Assets	5.95	2.90
Interest accrued but not due on Investments	562.21	469.03
Provision for Pension and Gratuity	17.35	--
Special Reserve u/s.36(1)(viii) of IT Act 1961	33.99	--
Depreciation on Investments	706.89	--
Others	0.17	--
Total (B):	1326.56	471.93
Net Deferred Tax Liability	592.47	258.95

Pursuant to Reserve Bank of India's (RBI's) circular No. DBOD No.BP.BC.77/ 21.04.018/2013-14 dated 20.12.2013, the bank has created Deferred Tax Liability on the Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961. As required by said RBI Circular, the expenditure amounting to ₹ 33.99 crore due to the creation of DTL on Special Reserve as at March 31, 2013 not previously charged to the Profit and Loss Account has now been adjusted directly from the Reserves.

5.8 Accounting Standard – 28 –Impairment of Assets,

A substantial portion of Bank's assets comprise of financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the management, there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2014, requiring recognition in terms of the Standard.

5.9 Accounting Standard – 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

(i) Movement of Provision for claims not acknowledged as debts :

(₹ in Crore)

Particulars	Opening Balance as on 01.04.2013	Provision made during the year	Provisions reversed/ adjusted	Closing Balance as on 31.3.2014
Contingencies Provisions against claim not acknowledged as debt	4.41	--	--	4.41

6. As per the information compiled by the Management, the Vendors, whose services are utilized and from whom purchases were made by the Bank, are not registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.

7. Implementation of the Guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds

The bank has formulated policies on Cyber Frauds in CBS system as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC. BC.No.6/31.02.008/2010-11 dated April 29, 2011. These policies are being reviewed by the management of the bank on periodical basis.

9. Previous year's figures have been re-grouped/ re-classified wherever considered necessary to conform to current year's classification.



Schedules 1 to 18

B. K. DIVAKARA
Executive Director

ANIMESH CHAUHAN
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing
Director

GUMAN SINGH
DIRECTOR

PROF. N. BALAKRISHNAN
DIRECTOR

KRISHAN SETHI
DIRECTOR

M. P. SHORAWALA
DIRECTOR

SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

Ms.N.S. RATHNAPRABHA
DIRECTOR

S. B. RODE
DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI
DIRECTOR

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA R.K.AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA S. VENKATKRISHNAN)
PARTNER
M.No.023488

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N. SARKAR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For N. CHAUDHURI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301032E

For B.N. MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

(CA ANUP BISWAS)
PARTNER
M.No.050708

(CA S. S. MOHAPATRA)
PARTNER
M.No.061619

Place : Mumbai

Date: May 20, 2014


CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2014	31-03-2013
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit before taxes	(975.67)	1,341.59
	I Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	208.81	184.67
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	256.56	(162.25)
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	3,291.16	1,358.27
	Provision for Standard Assets	690.10	663.70
	Provision for Other items (Net)	(5.62)	5.85
	Interest on Income Tax (net)	(10.87)	80.77
	Profit / Loss on sale of fixed assets (Net)	1.19	0.65
	Payment/ provision for interest on subordinated debt (treated separately)	642.26	582.86
	Loss on redemption of investment	0.01	-
	Interest on JNY coupens	5.17	-
	Sub total	4,103.10	4,056.11
	II Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	14,125.44	29,983.75
	Increase / (Decrease) in Borrowings	3,741.26	5,476.69
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	2,760.79	(38.50)
	(Increase) / Decrease in Advances	(9,429.83)	(26,625.83)
	(Increase) / Decrease in Investments	(13,778.82)	(13,188.54)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(3,301.86)	(120.04)
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	(709.80)	(638.99)
	Net Cash from operating activities (A)	(6,592.82)	(5,151.45)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	(2,489.72)	(1,095.35)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	49.51	43.37
	Purchase of Fixed Assets	(405.14)	(469.67)
	Investment in RRBs	(13.41)	
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(369.04)	(426.30)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital	1,801.90	2,406.00
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	(1.22)	(275.82)
	Dividend Tax	(0.65)	(44.45)
	Interest on JNY Swap coupon	(5.17)	(6.66)
	Interest on Subordinated Debt	(642.26)	(582.86)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	1,152.60	1,496.21



CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2014	31-03-2013
D	Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	(1,706.16)	(25.44)
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	13,560.17	13,114.25
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	532.31	1,012.42
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	14,092.48	14,126.67
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	11,926.63	13,560.17
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	459.69	532.31
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	12,386.32	14,092.48

B. K. DIVAKARA
Executive Director

ANIMESH CHAUHAN
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

GUMAN SINGH
DIRECTOR

PROF. N. BALAKRISHNAN
DIRECTOR

KRISHAN SETHI
DIRECTOR

M. P. SHORAWALA
DIRECTOR

SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

Ms.N.S. RATHNAPRABHA
DIRECTOR

S. B. RODE
DIRECTOR

GURBAX KUMAR JOSHI
DIRECTOR

For KUMAR CHOPRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000131N

For P.K. SUBRAMANIAM & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.004135S

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA R.K.AGGARWAL)
PARTNER
M.No.081510

(CA S. VENKATKRISHNAN)
PARTNER
M.No.023488

(CA MUKESH GOYAL)
PARTNER
M.No.081810

For N.SARKAR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For N. CHAUDHURI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301032E

For B.N.MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

(CA ANUP BISWAS)
PARTNER
M.No.050708

(CA S. S. MOHAPATRA)
PARTNER
M.No.061619

Place : Mumbai
Date: May 20, 2014



Central Bank of India

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

FORM 'B'

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

7th Annual General Meeting

Folio No. or DP Id # / Client-Id #	
No. of Shares held	

I/We, _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder /shareholders of Central bank of India hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 7th ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of **CENTRAL BANK OF INDIA** to be held on Monday, 30th June, 2014 at 11.00 AM at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Nr. Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2014.

Signature of the Proxy _____

 Please
 affix
 revenue
 stamp

Signature of the first named/ sole Shareholder

Name _____

(in Block Letters)

Address _____



INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless:
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised in writing.
 - b) In case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney, duly authorised in writing.
 - c) In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholders who is for any reason , unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central Bank of India.
3. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on 25th June, 2014, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.
4. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholders who have executed an instrument of Proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed a duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
8. All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.
9. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय : चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

उपस्थिति पर्ची ATTENDANCE SLIP

7 वीं वार्षिक आम बैठक - सोमवार, 30 जून, 2014

7th Annual General Meeting - MONDAY, 30th June, 2014

क्रम संख्या Sr. No.

पंजीकृत पत्रा / डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/शेयरों की संख्या Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
सदस्य का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) Name and address of the Member (In Block Letters)	
संयुक्त धारक Joint Holders	
उपस्थित प्राक्सीधारक/प्रतिनिधि का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (यदि कोई हो) Name of the Proxy-holder/Representative Present in Block Letters (if any)	

उपस्थित सदस्य/प्राक्सी /प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of the Member/Proxy/ Representative Present

दिन और दिनांक Day and Date	सोमवार, 30 जून 2014 Monday, 30 th June, 2014
स्थान Place	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कूपर अस्पताल के पास/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विलेपार्ले (प.) मुंबई -400 056. Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Nr. Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056.

प्रवेश पास Entry Pass
(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें)
(To be retained throughout the meeting)

पत्रा क्रमांक या डीपी आईडी ग्राहक आईडी Folio No. or DP Id # / Client-Id #	
सदस्य का नाम Name of Member	
शेयरों की संख्या No. of Shares	

उपस्थित सदस्य/प्राक्सी/प्रतिनिधि

का नाम एवं हस्ताक्षर

Name and signature of attending Member/
Proxy/Representative Presentबैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर
Bank Stamp and Signature



शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मीटिंग हाल में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति सह-प्रवेश पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर इसे प्रस्तुत करें. प्रवेश पास का हिस्सा शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो मीटिंग के समापन तक इसे अपने पास रखेंगे. तथापि जैसा भी आवश्यक हो सत्यापन/जाँच के अधीन ही प्रवेश अनुमत होगा. किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हाल में प्रवेश हेतु डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा.

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.



1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

www.centralbankofindia.co.in



आईएसओ 27001:2005 प्रमाणित | ISO 27001:2005 Certified

केंद्रीय कार्यालय, चंदरमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021
Central Office, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021